लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[दसवा सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXV contains nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 10, सोमवार, 4 मार्च, 1974/14 फाल्गुन, 1895 (शक)

No. 10, Monday, March 4, 1974/Phalguna 13, 1895 (Saka)

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
161.	दिल्ली परिवहन निगम को वर्ष 1972 तथा 1973 में हुआ लाभ या घाटा	Profit and loss incurred by DTC in 1972 and 1973 . . .	1
162.	दिल्ली में रैन बसेरों की स्थापना	Setting up of Night Shelters in Delhi .	5
163.	ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक डेरी विकास कार्यक्रम	Massive Dairy Development programme in Rural Areas . .	6
164.	हल्दिया पत्तन के विकास के लिए धन का नियतन	Allocation for Development of Haldia Port	9
165.	उचित दर दुकानों पर मिलावटी खाद्य-वस्तुओं के विक्रय के लिये भारतीय खाद्य निगम का दायित्व	Responsibility of FCI for Sale of Adulterated stuff from Fair Price Shops	13
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
166.	कृषि में सहयोग के संबंध में भारत-रुस समझौता	Indo-Soviet Agreement for cooperation in Agriculture . . .	17
167.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अत्यधिक मूल्य लिया जाना	Exorbitant prices of Land charged by DDA	18
168.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मोचीबाग गांव दिल्ली में आवंटित किये गये प्लाट	Plots allotted by DDA in Village Mochibagh, Delhi . . .	18
169.	कृषि सुधार के लिये इंडोनेशिया के साथ करार	Agreement with Indonesia for Improvement of Agriculture . . .	19

किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
170.	जवाहरलाल नेहरू और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयों को अनुदान	Grants to Jawaharlal Nehru and Aligarh Muslim Universities . .	19
171.	संगीत नाटक, ललित कला और साहित्य अकादमियों का पुनर्गठन	Reorganisation of Sangeet Natak, Lalit Kala and Sahitya Akademies .	19
172.	धारवाड़ में नया कृषि विश्वविद्यालय	New Agricultural University at Dharwar	20
173.	खाद्यान्न तथा वाणिज्यिक फसल पर प्रति क्विंटल उत्पादन लागत	Production Cost of Foodgrain and Commercial Crop per quintal .	20
174.	कर्नाटक में उर्वरकों के वितरण में कदाचार	Mal-practices in distribution of Fertilizer in Karnataka	21
175.	निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन	Free Meals to the poor . . .	21
176.	पाठ्य-पुस्तकों को अद्यतन बनाने की मांग	Demand for bringing Text books up-to date	22
177.	भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के 43वें अधिवेशन का स्थगित किया जाना	Postponement of 43rd Session of Indian Historical Records Commission .	22
178.	नई दिल्ली में कपूरथला प्लाट	Kapurthala Plot in New Delhi . .	23
179.	छात्र असंतोष संबंधी केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	CABE on Student Unrest . .	23
180.	राज्यों के शिक्षा विशेषज्ञों का सम्मेलन	Conference of Educational Experts from States	23

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.			
1602.	मध्य प्रदेश में संचार व्यवस्था का विकास	Development of Communication system in Madhya Pradesh . . .	24
1603.	कालेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को यात्राएं करने के लिये प्रोत्साहन देने की योजना	Scheme to encourage students of Colleges and Universities to undertake Tours . . .	25
1604.	दिल्ली के स्कूलों के लिये सलेक्शन ग्रेड के अध्यापक	Selection Grade Teachers for Delhi Schools	26
1605.	तीन केन्द्रीय योजनाओं का राज्यों को अंतरित करना	Transfer of Three Central Schemes to States	27
1606.	पहाड़ी और रेतीलें क्षेत्रों में रुक-रुक कर सिंचाई टिकल इरीगेशन)	Tickle Irrigation for Hilly and Sandy Areas	28

अतां० प्र० संख्या, U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1607.	चयन ग्रेड के लिये प्राप्त प्राथमिक अध्यापकों की सूची का पुनरीक्षण	Review of List of Primary Teachers eligible for selection Grade . .	28
1608.	महाराष्ट्र में गेहूं के दूषित बीजों का विक्रय	Sale of contaminated Wheat Seeds in Maharashtra	29
1609.	त्रिनगर से केन्द्रीय सचिवालय तक 59 विशेष बसों की व्यवस्था करना	59 Special Buses from Trinagar to Central Secretariat . . .	29
1610.	केन्द्रीय सचिवालय और तिलक नगर नई दिल्ली के बीच बस का 47 नम्बर रूट	Bus Route No. 47 between Central Secretariat and Tilak Nagar, New Delhi	29
1611.	राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की कम लागत पर मकान बनाने के लिये दी गई सलाह	Advice by National Building Organisation for Low Cost Houses . .	30
1612.	राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा बनाये गये फारमूले के अनुसार निर्माण लागत	Cost of Construction according to formula	31
1613.	सोयाबीन का उत्पादन	Production of Soyabean	32
1614.	तेल संकट का कृषि योजनाओं पर प्रभाव	Effect of oil crisis on Agricultural Schemes	32
1615.	तमिलनाडु द्वारा गेहूं और मोटे अनाज की मांग और उसकी सप्लाई की गई मात्रा	Quantity of wheat and Coarse Grains asked for and supplied to Tamil Nadu	33
1616.	गत पांच मास में दिल्ली को सप्लाई किये गये चावल की मात्रा	Rice supplied to Delhi during last five months	33
1617.	परिवहन और राजमार्गों के विकास के लिये हरियाणा सरकार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Haryana Government for Development of Transport and Highways .	34
1618.	मध्य प्रदेश को सप्लाई की गई चीनी	Sugar supplied to Madhya Pradesh	34
1619.	मध्य प्रदेश में वर्षा के कारण फसलों की क्षति	Loss to crops due to Rains in Madhya Pradesh	35
1620.	चावल के लिये निर्बाध जोन	Free zone for rice	35
1621.	मध्य प्रदेश में आर० एस०—09 ट्रैक्टर को दोषपूर्ण घोषित किया जाना	RS--09 Tractor declared defective in Madhya Pradesh	35

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1622.	मध्य प्रदेश से 1971-72 और 1972-73 के दौरान ट्रैक्टरों के लिये आवेदन-पत्र	Applications for Tractor from Madhya Pradesh during 1971-72 and 1972-73	36
1623.	रिजर्व बैंक द्वारा त्रिपुरा के सहकारी बैंक को दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance given by Reserve Bank to Co-operative Bank of Tripura	36
1624.	उत्पाद शुल्क से प्राप्त आय पर मद्य निषेध का प्रभाव	Impact of Prohibition on Revenue from Excise Duty	37
1625.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की परियोजनाओं के खर्चे को परिषद् तथा राज्यों में बांटने के बारे में निर्णय	Decision regarding sharing of cost of Indian Council of Agricultural Research Projects between Council and States	37
1627.	दिल्ली में कम लागत वाले स्कूल भवन का निर्माण	Low Cost School buildings in Delhi	38
1628.	हुगली पुल की लागत में वृद्धि	Increase in Cost of Hooghly Bridge .	38
1629.	कनाट प्लेस, नई दिल्ली में खादी भवन के कब्जे वाले भवन का खाली किया जाना	Vacation of Premises occupied by Khadi Bhavan in Cannaught Place, New Delhi	38
1630.	सहकारी चीनी, चावल और तेल मिलें	Co-operative sugar, rice and oil Mills	39
1631.	प्रधान मंत्री के बंगले पर व्यय	Expenditure on Prime Minister's Bungalow	40
1632.	प्रधान मंत्री के प्रतिनिधि द्वारा पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति की समीक्षा	Assessment of Food Situation in West Bengal by Prime Minister's Emissary	40
1633.	पश्चिम बंगाल का गेहूं घोटाला	Wheat Scandal of West Bengal .	40
1634.	पांचवीं योजना में मद्य निषेध	Prohibition in Fifth Plan .	41
1635.	अपंग व्यक्ति	Handicapped persons .	41
1636.	पाकिस्तान द्वारा इण्डिया आफिस लायब्रेरी के अभिलेखों की माइक्रो-फिल्म बनाया जाना	Micro Filming of Records in India Office Library by Pakistan . .	42
1637.	पेट्रोल की कमी का भारतीय नौवहन पर प्रभाव	Effect on Indian Shipping due to Shortage of Petrol	42
1638.	चीनी उद्योग के मूल्य ढांचे पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	Report of Tariff Commission on Cost Structure of Sugar Industry . .	43

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1639.	दुग्ध चूर्ण का आयात	Import of Milk Powder .	43
1640.	बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ को उर्वरक के व्यापार में हुई हानि	Loss by Bihar State Co-operative Marketing Union in Fertilizer Trade . .	43
1641.	एकाधिकारी गृहों द्वारा चीनी मिलों की स्थापना	Setting up of Sugar Mills by Monopoly Houses	43
1642.	चावल, चीनी तथा अन्य वस्तुओं का निर्यात	Export of Rice, Sugar and other Commodities	44
1643.	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पोषाहार बांटने का कार्यक्रम	Programme for distributing nutritious food during Fourth Five Year Plan	44
1644.	चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आवास के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था	Provision of Rs. 25 crores for Rural Housing in the Fourth Five Year Plan	44
1645.	पश्चिम बंगाल में अंतर्राज्यीय सड़कों का निर्माण	Construction of Inter-State Roads in West Bengal . .	46
1646.	सी० आई० डब्ल्यू० टी० सी० द्वारा जांच की गई त्रिपुरा के लिये आवश्यक वस्तुओं की परिवहन संबंधी कठिनाइयां	Transport bottlenecks of essential materials for Tripura examined by CIWTC	47
1647.	वनस्पति के मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि	Recent rise in price in Vanaspati .	47
1648.	पांचवीं योजना में कृषि संबंधी लक्ष्य	Agricultural targets of Fifth Plan .	48
1649.	खाद्यान्न की मांग और पूर्ति	Demand and Supply of foodgrains .	49
1650.	विशाखापट्नम में पत्तन परियोजना का पूरा होना	Completion of Harbour project at Visakhapatnam	50
1651.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 पर वाल्टेरयर विजयवाड़ा सड़क पर अनकप्पली स्थित उपमार्ग के मार्ग-रेखा निर्धारण में परिवर्तन	Change of alignment of the by-pass Road at Anakappalli on the Waltair-Vijayawada Road on National Highways No. 5	51
1652.	विद्यार्थियों में हिंसा, विनाश और असंतोष की प्रवृत्ति का अध्ययन	Study of Violence Destruction and Discontent among Students .	51
1653.	राज्यों में युवा संसद्	Youth Parliaments in States . .	53

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1654.	मोती बाग–II में दिल्ली कोलोनाइजरों की अनधिकृत निर्माण गतिविधियां	Unauthorised Construction Activities by the Colonizers in Motibagh-II Delhi	53
1655.	गुरुद्वारा, मोती बाग-दो के निकट मोची बाग गांव से निष्क्रमण	Evacuation from Village Mochibagh near Gurdwara Motibagh-II .	54
1656.	जहाजरानी के क्षेत्र में भारत पौलैण्ड सहयोग का विस्तार	Expansion of Indo-Polish Co-operation in Shipping	54
1657.	पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक तत्व को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव	Proposal to Strengthen Cultural content of Curriculum . . .	54
1658.	डेरी संयंत्रों की क्षमता और दुग्ध चुर्ण का आयात	Capacity of Dairy Plants and Import of Milk Powder	55
1659.	अर्गट रोग-ग्रस्त गेहूं का बम्बई में आयात	Ergot Infested Wheat imported at Bombay	57
1660.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को अनुदान और अन्य सहायता	Grants and other Assistance to Jawaharlal Nehru, Aligarh Muslim and Banaras Hindu Universities . .	57
1661.	दिल्ली के स्कूलों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पद	Posts of Teachers lying vacant in Delhi Schools	58
1662.	दिल्ली में राशन की दुकानों के माध्यम से घटिया किस्म के गेहूं की सप्लाई	Supply of bad quality of wheat through ration shops in Delhi . . .	58
1663.	1972 के गत तिमाही में चीनी के उत्पादन में कमी	Decline in sugar production during last quarter of 1972	59
1664.	पश्चिम बंगाल द्वारा नेपाल से चावल की खरीद	Purchase of rice from Nepal by West Bengal	59
1665.	उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में चीनी के लैवी मूल्यों में वृद्धि में असमानता . . .	Disparity in increase in levy prices of sugar in U.P. and other States .	59
1666.	केरल को उर्वरकों का आवंटन	Allotment of Fertilizers to Kerala .	60
1667.	केरल में सहकारी संस्थाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Co-operative Societies in Kerala . . .	60

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1668.	फरवरी, 1974 में खाद्य स्थिति	Food situation in February, 1974 .	61
1669.	केरल में लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत बांधों का निर्माण	Dams under Small Irrigation Schemes in Kerala	61
1670.	पांचवीं योजना में कार्यालय तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये रिहायशी आवास पर खर्च	Expenditure on Office and residential accommodation for Central Government Employees during Fifth Plan	62
1671.	नई दिल्ली में समाज कल्याण विभाग के सचिवों का सम्मेलन	Conference of Social Secretaries at New Delhi	62
1672.	सहकारी संस्थानों से आदिवासियों के लिये ऋण सुविधायें	Credit facilities for tribals from Co-operative Institutions . . .	63
1673.	निर्यात हेतु चीनी का अधिक उत्पादन करने के लिये की गई कार्यवाही	Steps taken to produce more Sugar for export	64
1674.	गन्ने की नई किस्म तैयार किया जाना	Development of New variety of sugar-cane	64
1675.	दिसम्बर, 1973 के दौरान चीनी के मूल्यों में वृद्धि के लिए आधार	Basis for increase in price of Sugar during December, 1973 . . .	65
1676.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को अनुदान	Grants to Universities by UGC .	66
1677.	अगस्त, 1973 से जनवरी, 1974 की अवधि के दौरान बिहार को खाद्यान्न का आवंटन	Foodgrains allotted to Bihar during August, 1973 ——January, 1974 .	66
1678.	विभिन्न राज्य ग्रंथ अकादमियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें	Books published by various States Granth Akademies . . .	67
1680.	वनस्पति और मूंगफली के तेल के मूल्यों को स्थिर करने संबंधी नीति	Policy to arrest Price of Vanaspati and Groundnut Oil	67
1681.	पश्चिमी जोन में शिपयार्ड की स्थापना	—Setting up of Shipyard in the Western Zone . .	68
1682.	खाद्य जोनों का समापन सहित वर्तमान खाद्य नीति में परिवर्तन	Present Food Policy including abolition of Food Zones . . .	68
1683.	इंडिया आफिस लाइब्रेरी का अधिग्रहण	Acquisition of India Office Library	68

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1684.	चीफ कान्जरवेटर आफ फोरेस्ट, राजस्थान द्वारा आत्महत्या	Suicide by Chief Conservator of Forests, Rajasthan . . .	69
1685.	पश्चिम बंगाल को दिये जाने वाले चावल के कौटे में कटौती	Reduction in Rice quota to West Bengal	69
1686.	उचित दर की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण	Distribution of Essential Commodities through Fair Price Shops . .	69
1688.	कृषि अनुसंधान निकायों के कार्यों में सुधार करना	Streamlining the Working of Agricultural Research Bodies . .	70
1689.	दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई के बारे में विचार गोष्ठी	Seminar on slum clearance at Delhi	70
1690.	संकर बीजों के उत्पादन में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा प्रयोग	Experiment by National Seeds Corporation in Production of Hybrid Seeds	71
1691.	बैंकाक में कृषि विशेषज्ञों की बैठक	Meeting of Agricultural experts, Bangkok	72
1692.	शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने संबंधी विधान	Legislation for Ceiling on Urban Property	72
1693.	जमाखोरी वाले खाद्यान्न का निकाला जाना	Dehoarding of Foodgrains	73
1694.	"बोयो" पर 'टाप मार्क' के रूप में 'रडार रिफलैक्टर' अथवा 'कैट्स आई' लगाना	Attaching of Radar Reflector or Cat's Eye as Top mark on Buoys .	73
1695.	आवास के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच सहयोग	Cooperation between India and Russia in the Field of Housing . . .	74
1696.	कर्नाटक के मछुओं को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Fishermen of Karnataka.	74
1697.	चीनी की उत्पादन लागत और इसके मूल्य म वृद्धि के कारण	Cost of Production of Sugar and reasons for its Rise in price . . .	75
1698.	खरीफ की फसल के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूली	Procurement by FCI during Kharif Crop	75
1699.	इंजीनियरों की आवश्यकता	Requirement of Engineers . .	76
1700.	महाराष्ट्र के लिए खाद्यान्न तथा मोटे अनाजों के लाने लेजाने से अंतर्राज्यीय प्रतिबंध का हटाया जाना	Foodgrains for Maharashtra and lifting ban on inter State movement of Coarse Grains	76

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1701.	भारत/ब्रिटेन सम्मेलन द्वारा लगाये गये अधिभार का विरोध	Surcharge imposed by India/U.K. Conference	77
1702.	मध्य प्रदेश में आदिवासी विश्व-विद्यालय की स्थापना	Setting up of Adivasi University in Madhya Pradesh	77
1703.	उर्वरकों आदि की कमी के कारण गेहूं और चावल का आयात	Import of Wheat and Rice due to Shortage of Fertilizer etc. . .	77
1704.	चौथी योजना के दौरान किसानों को ट्रैक्टरों की सप्लाई	Supply of Tractors to Farmers during Fourth Plan	78
1705.	पौधों की नस्ल सुधारने तथा खाद्य अनुसंधान के लिए श्रीलंका को पेशकश	Offer to Sri Lanka for Plant breeding and Food Research . . .	78
1706.	गुजरात और बम्बई में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य	Prices of Essential Commodities in Gujarat and Bombay . . .	79
1707.	वसूली दरों तथा खुले बाजार में दरों के बीच अंतर होने के कारण भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न बेचने में किसानों को संकोच	Farmers reluctant to sell foodgrains to FCI due to gap between procurement price and open market price	80
1708.	कलकत्ता स्थित एशियाटिक सोसाइटी बिल्डिंग की खराब हालत	Dilapidated condition of Asiatic Society Building at Calcutta . . .	80
1709.	ग्रेडों तथा वेतनमानों के प्रश्न पर विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में असंतोष	Discontentment among University Teachers over Grades . . .	81
1711.	पांचवीं योजना के लिए कृषि संबंधी नीति	Agriculture Policy for Fifth Plan	82
1712.	खरीफ की अगली फसल के दौरान उवरक की उपलब्धता	Availability of Fertiliser during Next Kharif Crop	83
1713.	रूस से गेहूं लेकर आने वाले जहाजों को बंदरगाहों में प्राथमिकता देना	According priority in Ports to Ships carrying wheat from Russia . .	84
1714.	सुपर बाजार, नई दिल्ली में कंट्रोल भाव के कपड़े की बिक्री में अनियमितताएं	Irregularity in sale of controlled cloth by Super Bazar, New Delhi . .	84

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1715.	वर्ष 1973-74 के पहले तीन महीनों में चीनी का उत्पादन	Production of Sugar during First three months of 1973-74	85
1716.	खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के मूल्यों में वृद्धि के कारण	Reasons for rise in price of Free Sale Sugar	85
1717.	भारतीय खाद्य निगम के कलकत्ता स्थित गोदाम में आयातित सूखे दूध का सड़ जाना	Imported Dry Milk Rotting in FCI Godown, Calcutta	85
1718.	कलकत्ता स्थित एशियाटिक सोसायटी को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Asiatic Society, Calcutta	86
1719.	राज्यों में केन्द्रीय सरकार के गेस्ट हाउस	Guest Houses owned by Central Government in States . . .	86
1720.	राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिश की क्रियान्विति	Implementation of Recommendation of National Commission on Education	87
1721.	राज्यों की खाद्यान्न की मांग तथा उनको दी गई सप्लाई	Demand for Foodgrains by States and Actual Supply Made . . .	87
1722.	पत्तन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण मद्रास पत्तन पर जहाज से माल उतारने के कार्य में विलंब	Delay in unloading work at Madras Port due to port workers strike . .	88
1723.	बाहुल्य वाले राज्यों से चावल तथा गेहूं खरीदने के लिए राज्य सरकारों को अनुमति	Permission to State Governments to purchase Rice and Wheat from Surplus States	88
1724.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अलाट किए गए प्लाटों के बदले में अन्य कालोनियों में प्लाट दिया जाना	Exchange of plots allotted by DDA with plots in other colonies . .	89
1725.	कम्पोस्ट खाद के उत्पादन के लिए सार्थ संघ का निर्माण	Formulation of Consortiums for Manufacture of Compost . .	89
1726.	हुगली नदी पर दूसरे हावड़ा पुल का निर्माण	Construction of Second Howrah Bridge over Hooghly	89
1727	विभिन्न राज्यों द्वारा राष्ट्रीय राजपथें पर रख-रखाव तथा मरम्मत	Maintenance and repair of National Highways by various States . .	90

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1728.	खाद्यान्नों की वसूली में तेजी लाने के लिए विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव	Proposal for Conference of Agriculture Ministers for Stepping up Procurement . . .	91
1729.	कलकत्ता की दुग्ध सप्लाई में व्यवधान पड़ना	Disruption in Milk Supply of Calcutta	91
1730.	कर्नाटक में उर्दू विश्वविद्यालय खोलना	Opening of Urdu University in Karnataka	91
1731.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा उसी दिन उचित मूल्य की दुकानों को खाद्यान्न तथा चीनी की सप्लाई किया जाना	Supply of Foodgrains and Sugar to Fair Price Shops the same day by FCI	91
1732.	राज्यों द्वारा एक ही जोन में परिवहन के लिये वस्तुओं के निर्बाध आवागमन संबंधी करार	Agreement of Free Movement of Goods for Transport within the Zone by States	92
1733.	मावरयगकनेंग (मेघालय) में लघु कृषक विकास एजेंसी	Small farmers Development Agency in Mawryngkneng, Meghalaya . .	93
1734.	वनस्पति उत्पादकों द्वारा वनस्पति घी के उत्पादन के सही आंकड़े	Correct Figures of Production of Vanaspati by Manufacturers . .	93
1735.	वनस्पति उत्पादन एककों की अधिष्ठापित क्षमता तथा उनमें उत्पादन	Installed Capacity and Production of Vanaspati Manufacturing Units .	94
1736.	माध्यमिक, माध्यमिकोत्तर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षणिक सुविधायें प्रदान करने के लिए छात्र संघ की मांग	Students Federation's Demand for Educational Facilities at Secondary, Post Secondary, College and University State	94
1737.	भारत की नौवहन सेवा में कमी करने के कारण हुई हानि	Loss due to curtailment in India's Shipping Service	94
1738.	बड़े बंदरगाहों के कर्मचारियों को अतिरिक्त बोनस	Additional Bonus to Workers of Major Ports	95
1739.	बम्बई पत्तन में संकट	Crisis in Bombay Port	96
1740.	राज्य सरकारों द्वारा किसानों पर लेवी न लगाने की स्थिति में मोटे अनाजों की वसूली का लक्ष्य	Target of Coarse Grain in absence of Enforcement of Levy on Farmer by State Governments . . .	96

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1741.	बिहार में खरीदे गये पम्प सेट	Pump Sets purchased in Bihar . .	96
1742.	बिहार सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को चावल की सप्लाई करने में हुई प्रगति	Progress in Supply of Rice to the Centre by Bihar Government . .	97
1743.	वेश्यावृत्ति के बारे में सर्वेक्षण	Survey Regarding Prostitution	97
1744.	खाद्य तेल का संकट	Crisis in Edible oil . . .	97
1745.	दिल्ली के हरिनगर डिपो के दिल्ली परिवहन निगम के ड्राइवरों द्वारा हड़ताल	Strike by DTC Drivers in Harinagar Depot, Delhi . . .	98
1746.	खाद्यान्नों की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए राज्यों से अनुरोध	Request from States for increase in Supply of Foodgrains . . .	98
1747.	अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए दामोदर घाटी निगम नहर का उपयोग	Use of Damodar Valley Corporation Canal for Inland Water Transport .	99
1748.	दिल्ली में केरल हाउस का दुरुपयोग	Misusing of Kerala House in Delhi	99
1749.	चौथी तथा पांचवीं योजना के दौरान पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए आवंटित धनराशि	Funds allocated for improving breed of cattle during Fourth and Fifth Plan	100
1750.	जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के आवास बोर्डों को दिया गया ऋण	Loans advanced by the Life Insurance corporation to the State Housing Boards of Madhya Pradesh, Gujarat	100
1751.	कृषि मूल्य आयोग में किसानों का प्रतिनिधित्व	Representation of Farmers in Agricultural Prices Commission .	101
1752.	राज्यों में भूमि सुधार के कारण अव्यवस्थाओं के बारे में केन्द्रीय निदश	Central Directive on Disorders due to Land Reform in States . . .	101
1753.	पत्तनों पर खड़े जहाजों के लिये देय विलंब शुल्क	Demurrage Payable in respect of Vessels Waiting in Ports . .	101
1754.	कालेज और विश्वविद्यालयों में डिमांस्ट्रेटरों की भर्ती के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश	UGC Recommendation Regarding Recruitment of Demonstrators in Colleges and Universities . . .	102
1755.	खाद्यान्नों के उतारे जाने के कारण पश्चिमी तट के पत्तनों पर भारी जमाव	Congestion in ports of West Coast due to unloading of Foodgrains	101

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1756.	आंध्र प्रदेश के भूमि की अधिकतम सीमा विधान के सांविधानिक संरक्षण	Constitutional Protection to land Ceiling Legislation of Andhra Pradesh	193
1757.	भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध आरोप	Charges Against FCI	103
1758.	बम्बई तथा कोंकण बन्दरगाहों के बीच यात्री नौवहन सेवा	Passenger Shipping link between Bombay and Konkan Ports . .	104
1759.	भारत सरकार मुद्रणालय मिंटो रोड, नई दिल्ली में अस्थायी कर्मचारी	Temporary Employees in Government of India Press, Minto Road, New Delhi	104
1760.	दिल्ली में उचित दर दुकानों के माध्यम से बासमती चावल की बिक्री	Issue of Basmati Rice through Fair Price Shops in Delhi . .	104
1761.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के प्लाटों की नीलामी	Auction of Plots of Land by DDA	105
1762.	बिना लाइसेंस के दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme Without licence	105
1763.	पंजाब के कमीशन एजेंटों द्वारा किसानों को दिये जाने वाले बोनस कूपनों का अपने पास रख लेना	Bonus Coupons meant for Farmers held back by Commission Agents in Punjab	106
1764.	कोचीन में हुआ आल इंडिया स्टूडेंट्स फैडरेशन का सम्मेलन	All India Students Federation Conference held at Cochin . . .	106
1765.	कोचीन में आल इंडिया यूथ फेडरेशन का सम्मेलन	All India Youth Federation Conference held at Cochin . . .	107
1766.	कलकत्ता और कानपुर के बीच नदी परिवहन	River Transport between Calcutta and Kanpur	108
1767.	भ्रष्टाचार के कारण वसूली कार्यक्रम का असफल होना	Procurement Failure due to Crafts	108
1769.	कृषि शिक्षा के बारे में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सर्वेक्षण करना	Survey by Punjab Agricultural University about Agricultural Education	108
1770.	भवन निर्माण सामग्री निगम की स्थापना	Setting up of Building Materials Corporation	108
1771.	निर्माण में मितव्ययता	Economy in Construction . .	109
1772.	स्कूल स्तर पर विज्ञान के इतिहास का पढ़ाया जाना	Teaching of History of Science at School Level	109

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1773.	आर्थिक तथा सामाजिक अनुसंधान कार्य में लगे शैक्षणिक तथा अनुसंधान केन्द्र	Teaching and Research Centres Engaged in Economics and Social Research	109
1774.	अर्थशास्त्र का पढ़ाया जाना	Teaching of Economics	110
1775.	चीनी की निर्यात मात्रा के बारे में कृषि मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय में मतभेद	Difference between Ministries of Agriculture and Commerce on quantum of export of Sugar . . .	111
1776.	नौवहन की कमी के कारण तूतीकोरिन के बाजार में पड़ा हुआ 100,000 टन नमक	100,000 tonnes of Salt lying with Tuticorin market owing to lack of Shipping	111
1777.	लेवी दर और वसूली लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिये बिक्री योग्य फालतू खाद्यान्न के मुआवजे का आधार	Basis of computation of marketable surplus in fixing procurement targets and levy rate	112
1778.	शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करना	Overhauling Education system .	112
1779.	कोंकण लाइन को पंजिम से मंगलौर तक बढ़ाया जाना	Extension of Konkan line from Panjim to Mangalore	114
1780.	रत्नागिरि पत्तन में 'ब्रेक-वाटर वाल' के लिये महाराष्ट्र को ऋण	Loan to Maharashtra for break water wall in Ratnagiri Harbour . .	115
1781.	महाराष्ट्र तट पर एक मत्स्य बन्दरगाह का विकास	Development of Fishing Port on Maharashtra Coast	115
1782.	न्हावा शेवा पत्तन का विकास	Development of Nhava Sheva Port	116
1783.	संसद सदस्यों के वेतन भत्ते तथा अन्य परिलब्धियों में वृद्धि करने का प्रस्ताव	Proposal to increase emoluments and perquisities of M.Ps . .	116
1784.	गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित उर्वरक के वितरण पर नियंत्रण	Control over distribution of Fertilizer of Private Sector . .	117
1785.	अखिल भारतीय समन्वित आनुसंधान परियोजना को धन देने सम्बन्धी प्रक्रिया	Procedure for financing All India Coordinated Research Project .	117
1786.	यूनेस्को को भारत का वर्षिक अंशदान	India's Annual Contribution to UNESCO	118
1787.	बम्बई की ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी के लिये 32,000 टन टेंकर	32,000 ton Tanker for Great Eastern Shipping Company of Bombay	119

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1788.	पश्चिम बंगाल को चीनी के पूरे कोटे की सप्लाई न करना	Non Supply of Full sugar quota to West Bengal	120
1789.	संशोधित राशन क्षेत्र के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा और अधिक चावल के लिये अनुरोध	Request from West Bengal for more rice and wheat for supply in Modified ration area	120
1790.	दिल्ली परिवहन निगम की बसों का उचित 'बस स्टापों' पर न रोका जाना	Halting of DTC Buses at proper Bus Stops	121
1791.	टिड्डियों का आक्रमण	Locust invasion	121
1792.	वर्ष 1972-73 में बिहार को दिये गये गेहूं की मात्रा	Quantity of Wheat Supplied to Bihar during 1972-73	122
1793.	बीजों में अपमिश्रण की जांच	Enquiry into Adulteration of Seeds	122
1794.	वर्ष 1973 में तिलहनों का उत्पादन	Production of Oilseeds	123
1795.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा पिछली ग्रीष्म ऋतु में किये गये दूध की सप्लाई के बारे में जांच	Enquiry into Milk Supply during last Summer by DMS	123
1796.	रामपुर स्थित रजा पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता	Recognition of Raza Library, Rampur as Institution of National Importance	123
1797.	भारतीय शहीदों के जीवन परिचय (हू इज हू) के तीसरे खंड का प्रकाशन	Release of third volume of who's who of Indian Martyrs . . .	124
1798.	खेती के काम में मशीनों के प्रयोग से श्रमिकों का बेरोजगार हो जाना	Effect of Mechanisation of farming operation in labour displacement	124
1799.	बच्चों के कल्याण के लिये योजना	Scheme for Welfare of Children	125
1800.	समाज सेवा को शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाना	Social service as part of Syllabus at all Stages of education . . .	125
1801.	पटना में गंगा पुल परियोजना	Ganga Bridge project at Patna .	125
1802.	गुजरात को प्रति व्यक्ति आवंटित खाद्यान्न कोटा	Foodgrain quota per head being allotted to Gujarat	126
	पैट्रोलियम-उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में	Re: Increase in prices of Petroleum Products	126
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	129

6LSS/74—2

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	132
पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में वक्तव्य	Statement Re : Increase in prices of Petroleum products	133
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan .	136
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under Rule 377 . . .	141
(एक) संयुक्त राज्य अमरीका को भारत द्वारा चीनी के निर्यात कोटे को दुगुना करने के बारे में यू० एस० हाऊस एग्रीकल्चरल कमेटी के चेयरमैन द्वारा व्यक्त की गई कथित टिप्पणी	Reported observation by the Chairman of U.S. House Agricultural Committee about Doubling of Sugar Export Quota by India to USA . .	141
(दो) गुजरात विधान सभा के कतिपय सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	Resignations by certain Members of the Gujarat Legislative Assembly.	142
इलाहाबाद में सत्याग्रहियों पर गोली चलाये जाने के बारे में	Re : Firing on Satyagrahis in Allahabad	144
एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) विधेयक	Esso (Acquisition of Undertakings in India) Bill.	145
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider —	
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni . .	145
श्री फूलचन्द वर्मा	Shri Phool Chand Verma	146
श्री भगवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad . . .	147
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder . . .	147
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia .	148
डा० कैलास	Dr. Kailas	149
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	149
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	150
श्री देवकान्त बरुआ	Shri D. K. Borooah . . .	151
खंड 2 से 20 और 1	Clauses 2 to 20 and 1 . .	154
पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended .	158
श्री देवकान्त बरुआ	Shri D. K. Borooah . . .	158
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion —	
कनिष्ठ डाक्टरों में असन्तोष	Unrest among Junior Doctors .	158
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . . .	159
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	160

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 4 मार्च, 1974/13 फाल्गुन, 1895 (शक)

Monday, March 4, 1974/*Phalguna* 13, 1895 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Profit and loss incurred by D.T.C. in 1972-73

*161. **Shri M. C. Daga:**

Shri Sukhdeo Prasad Verma :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the profit or loss incurred by the Delhi Transport Corporation during 1972 and 1973 and in case of loss, the extent thereof and the reasons therefor; and

(b) the total amount invested in the Delhi Transport Corporation and the amount of interest being paid thereon annually?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) 1972-73 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को 498.48 लाख रुपये की निबल हानि हुई जबकि 1973-74 के दौरान 638.34 लाख रुपये (अनन्तिम) की निबल हानि होने का अनुमान है जिसमें ऋण की अदायगी, मूल्य ह्रास और व्याज प्रभार शामिल है। इन हानियों का मुख्य कारण निम्न प्रकार है :—

(1) निगम के बेड़े में पुरानी गाड़ियों की बड़ी संख्या होना है जिसमें रख-रखाव का व्यय अधिक होता है और जिससे बेड़े का अधिकतम उपयोग नहीं हो पाता।

(2) अलाभप्रद भाड़ा ढांचा जो 1964 से पुनरीक्षित/युक्ति युक्त नहीं किया गया है यद्यपि तबसे परिचालन लागत में काफी वृद्धि हो गई है जो गाड़ियों पर उत्पादन शुल्क और आयात कर, फालतू पुर्जे, इत्यादि में वृद्धि, कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के कारण है ।

(3) प्रातः रियाइशी बस्तियों से कार्यालय/वाणिज्यिक कार्यालयों तक एक तरफा यातायात और शाम को उसके प्रतिकूल दिशा में यातायात ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1-4-1950 को दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकरण को हस्तान्तरित 38.13 लाख रुपये की प्रारम्भिक पूंजी के अलावा उपक्रम को पूरी वित्तीय सहायता अब तक भारत सरकार से ऋण के रूप में रही है। इस तारीख को दिल्ली परिवहन निगम (और इसके पूर्वगामी संगठन) को दिये गये ऋण की कुल राशि 3173.17 लाख रुपये है। इसमें से निगम ने 1965 तक 278.1 लाख रुपये की राशि चुकाई । इसने उक्त वर्ष तक 129.72 लाख रुपये का व्याज भी दिया । इस प्रकार अब तक दिये गये ब्याज के अलावा ऋण की बकाया राशि 2895.07 लाख रुपये है ।

Shri M. C. Daga : Keeping in view the net loss of four crores and 98 lakhs of rupees in 1972-73 and six crores and 38 lakhs of rupees in 1973-74, I want to know the number of old vehicles at present in the Corporation's fleet and the amount of expenditure incurred on their maintenance. Also when will the Corporation get rid of these old buses ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी: वास्तव में जहां तक वर्तमान स्थिति का संबंध है हमारे पास इस समय लगभग 400 पुरानी बसें हैं। जहां तक पुरानी बसों का बदलकर नई बसें लाने की योजना का प्रश्न है हमने इस संबंध में उपाय किए हैं और आशा है कि अप्रैल के अन्त तक 425 नई बसें आ जायेंगी। हमें आशा है कि इसके अतिरिक्त इस वर्ष के अन्त तक हमारी 100 अथवा कुछ अधिक बसें और जोड़ दी जायेगी ।

Shri M. C. Daga : My question has not been replied. I had asked for the expenditure incurred on the maintenance of these buses in 1972-73 and 1973-74?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक पुरानी बसों के रख-रखाव पर होने वाले खर्चों का सम्बन्ध है इस संमय मैं आंकड़े देने की स्थिति में नहीं हूं । जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं घाटे का एक कारण पुरानी बसों का रख-रखाव है लेकिन घाटे का यही एक मात्र कारण नहीं है । इसके अतिरिक्त दो-तीन कारण और भी हैं । यदि माननीय सदस्य पुरानी बसों के रख-रखाव पर हुए व्यय के सम्बन्ध में सही आंकड़े जानना चाहते हैं तो मुझे इस के लिये पृथक सूचना दी जाय ।

Shri M. C. Daga : The hon. Minister has stated that the fare structure is quite uneconomic and it has not been revised since 1964. For the last ten years buses are being plied in this manner, why don't they revise the fare structure? When are you going to revise the fares and stop these concessions?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Kamlapati Tripathi): The question of increasing the fares is under consideration of the Government. As far the loss is concerned State Transport system is in loss all over the world. Now the question is how to meet this loss? We wish that bus service should improve alongwith the increase in fares. We don't want to burden the people. If people are given more facilities they will not mind paying the increase fare.

Shri M. C. Daga : My question has not been answered. I want to know the loss being suffered on this directional traffic from residential colonies to office/commercial complexes in the morning and in the reverse direction in the evening? When you are going to stop all this as the system is in loss since 1964?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : वास्तव में जैसाकि मेरे वरिष्ठ सहयोगी द्वारा बताया गया है कि नगर परिवहन सेवा यात्रियों को दी जाने वाली सामाजिक सेवा का अंग है अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रश्न तो सेवा प्रदान करने का है और सब स्थानों पर एक अथवा दूसरी प्रकार से इसके लिए राज्य सहायता दी जाती है। जहां तक एक तरफा बस सेवा चलाने से होने वाले वास्तविक नुकसान का संबंध है मेरे लिए बिल्कुल सही-सही बता पाना बड़ा कठिन है। सुबह के वक्त रिहायशी क्षेत्रों की ओर जाने वाले बसों में यात्रियों की संख्या बहुत कम होती है और इसी प्रकार बसें जब शाम को रिहायशी क्षेत्रों की तरफ से दफ्तरों या कर्मशाला क्षेत्रों की ओर आती है तो भी उनमें यात्री कम होते हैं और आय कम होती है ।

Shri Hukam Chand Kachwai: In the statement laid by the hon. Minister it has been stated that the Corporation owes 3173.17 lakhs of rupees to the Government. I want to know the number of buses that are being run by the Corporation in Delhi. Is it a fact that only D.T.C. Buses are running on loss whereas private buses, whom the Government has given licences for same routes are making profits. It has also been stated that due to the existence of a large number of old vehicles in the fleet of the Corporation entail higher cost of maintenance resulting in heavy loss to the Corporation. I can present such bills where 40 per cent profit goes in the pockets of those who purchase spare parts for the buses. For making their own profit, they buy old spare parts and when the same spare part is fitted in the bus it does'nt work for long as a result the expenditure increase? Is the hon. Minister aware there is lot of pilfering in D.T.C. workshop. Will hon Minister look into the matter.

Shri Kamlapati Tripathi : I will be pleased if the hon. member brings some such specific instances to my notice. I will certainly inquire into the matter.

Shri Hukam Chand Kachwai : Leaving aside the pilferage. May I know whether the bills are scrutinised and this has been looked as the goods for which the bills are rendered are actually received in full. Secondly how private buses are making profits whereas D.T.C buses are running on loss. Has the Government tried to find out the reasons for it?

Shri Kamlapati Tripathi : Just now the hon. Member has stated that he can present some bills in this connection. If he can show the bills we will have less difficulty in making the enquiries. As far the question of Private Buses is concerned it is true that these buses are not running on loss. But they do not abide by the law. If there is place for 25 persons only they take 50 and charge fare according to their own will. That is why the transport has been nationalised.

Shri Jagannath Mishra : Is it also not a fact that one of the reason of the loss to D.T.C. is the frequent clashes between student and bus employees because of which damage are caused and there is traffic bottleneck. Does the Government have any plan under consideration to control the situation ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : नुकसान के लिए छात्रों और बस कर्मचारियों के झगड़ों को जिम्मेदार ठहराया जाना शायद बहुत उचित न होगा । यद्यपि कुछ बसें छात्रों द्वारा रोक ली गई हैं और कई बार कुछ अवांछनीय घटनायें भी हुई हैं फिर भी नुकसान का यह एक मात्र कारण नहीं । बस सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने कई कदम उठाये हैं जिनमें निरीक्षण हेतु विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा में प्रयोग की जा रही सड़कों पर चलने वाली बसों के रख-रखाव तथा उनकी छोटी-मोटी त्रुटियों को दूर करने के लिए नए डिपो का निर्माण भी शामिल है । हमने स्थिति में सुधार के लिये भी कुछ उपाय किये हैं ?

श्री जगन्नाथराव : दिल्ली के विस्तार को तथा बसों में जरूरत से ज्यादा लोगों की भीड़-भाड़ को ध्यान में रखते हुए क्या संभाव्यता के सम्बन्ध में कोई यातायात सर्वेक्षण किया गया है और क्या आम जनता, दफ्तरों में काम करने वाले लोगों की बस न मिलने सम्बन्धी दिक्कतों को दूर करने के लिये बसों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है । और क्या सर्वेक्षण में निगम के लागों को भी ध्यान में रखा जायेगा ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैंने दूसरे प्रश्न के उत्तर में पहले ही बताया है कि अप्रैल 1974 तक हमारे पास 425 और नई बसें आ जायेंगी । इनमें से कुछ बसें सड़क पर आ गई है और 1974 के अन्त तक कुछ अन्य नई बसें सड़कों पर आ जाएंगी ।

जहां तक रूटों को युक्तिसंगत् बनाने का सम्बन्ध है इसकी हम जांच कर रहे हैं क्योंकि इसके अभाव में वसें जल्दी-जल्दी चल नहीं पातीं ।

हमने अभी तक कोई यातायात सर्वेक्षण नहीं किया है । लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पैट्रोल की कीमत बढ़ जाने के कारण अब ज्यादा लोग बसों की तरफ झुक रहे हैं हम दिल्ली परिवहन निगम की स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहे हैं

श्री मोहनराज कलिंगारायर : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि दिल्ली परिवहन निगम में 425 नई बसें और लाई जा रही हैं । जहां तक ढांचा-निर्माण का प्रश्न है क्या दिल्ली परिवहन निगम ने लेलैंड कम्पनी या अन्य किसी ढांचा-निर्माण करने वाली कम्पनी को आर्डर दिए हैं और यदि हां, तो कितनी बसों के लिए आर्डर दिया जा चुका है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस प्रश्न के लिए पृथक सूचना देनी होगी ।

श्री मोहनराज कलिंगारायर : प्रश्न नई बसों के सम्बन्ध में हैं अतः ढांचा-निर्माण का प्रश्न भी समान खर्च से महत्वपूर्ण है । नई लाइ जाने वाले 425 बसों के आखिर ढांचे कहां निर्माण किये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपको इसके लिए पृथक प्रश्न की सूचना देनी पड़ेगी।

श्री मोहनराज कलिंगारायर : मैंने ढांचा-निर्माण करने वाली लेलैंड कम्पनी को देखा है अतः इसी लिए मुझे यह सब जानने की उत्सुकता है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : हम विभिन्न ढांचा-निर्माण करने वाली कम्पनियों को आर्डर दे रहे हैं । जहां तक समय सारिणी का सम्बन्ध है उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वह एक दिन में हमें तीन बसों की सप्लाई करेंगे । जब मैंने यह कहा था कि 425 बसें अप्रैल के अन्त तक सड़क पर आ जायेंगी तो मेरा मतलब चेसिस से था । जिन पर ढांचा निर्मित करके सड़कों पर लाया जाएगा।

श्री माधुर्य्य हालदार : क्या यह सच है कि बस ड्राइवर बस को बस स्टाप से 50 गज की दूरी पर रोकते हैं और 40-50 मिनट से प्रतीक्षा कर रहे व्यक्ति भाग कर बस पकड़ने की कोशिश करते हैं और जब तक वह बस के करीब पहुंचते हैं बस चल देती है और वह उसे पकड़ नहीं पाते । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या ड्राइवरों, कंडक्टरों और छात्रों के बीच झगड़ा होने का यह भी एक कारण है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : परिचालन कर्मचारियों के व्यवहार के सम्बन्ध में हमें अनेक प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से माननीय सदस्य द्वारा बताई गई शिकायत भी सम्मिलित है ।

Shri Ramavtar Shastri : How are the buses which have outlived their utility disposed of and what were the sale procedure, what is their sale proceeds during 1972-73?

Shri Kamlapati Tripathi : I can answer this question provided the hon. Member gives separate notice for it.

Setting up of night shelters in Delhi

*162. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to set up night shelters at a number of places in Delhi for those who have no roof over their heads and sleep on footpaths in shivering cold; and

(b) if so, the decision taken in this regard?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली में 5 स्थायी तथा 10 मौसमी रैन बसेरे चलाये जा रहे हैं । नई दिल्ली नगरपालिका ने भी जनवरी, 1974 से 7 मौसमी रैन बसेरे चालू कर दिये हैं । इसके अतिरिक्त, 6 रैन बसेरे अन्य संगठनों द्वारा चलाये जा रहे हैं ।

Shri Lalji Bhai : The hon. Minister has just stated that the number of night shelters have been increased. It shows that instead of poverty poor are being removed, I wish to know how many more night shelters are being arranged by the Government ?

Shri Om Mehta : This has nothing to do with the removal of poverty. This is meant to provide shelters to those who are on pavements. At present the shelters have the capacity of 5,225 persons but only 4,700 persons are utilising these shelters. If any body wants to live in these shelters we can accommodate him.....**(Interruptions)**

Shri Lalji Bhai : I want to know whether there is any other scheme under consideration ?

Shri Om Mehta : I have already said that there is enough capacity. If more people will come to live there we will accommodate them.

Shri Lalji Bhai : What about the provision of night shelters in other States ?

Mr. Speaker : You had asked about Delhi and you have got the answer. If you want to know the position in respect of other States the information will be obtained from States and passed on to you.

Shri D.N. Tiwari : Whether these shelters have been provided in every part of Delhi or in some selective parts only? As it is not possible for people to go far off to take shelter, has it been kept in view that these shelters should be provided in every part of the city so that people can take shelter in nearby shelter. I would also like to know during winter how many persons died in Delhi this year for want of shelter.

Shri Om Mehta : At present I can not give the figures about the persons who died in there. However I may tell the hon'ble Member that these shelters are not concentrated at any particular place but these have been constructed all over the city. These shelters have been provided at Katra Maulabaksh, Lahori Gate, Andha Mughal, Shahdra, Kacha Bagh Farash Khana, Kashmiri Gate, Delhi Gate, New Delhi etc. so that people living in nearby areas may seek accommodation there.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि यह सभी 'रैन बसेरे तस्करों और चरस गांजा पीने वालों के अड्डे बन गये हैं और जरूरतमन्द लोग ऐसे गन्दे दूषित वातावरण में रहने की बजाय ठंड में मरना ज्यादा पसन्द करते हैं ?

श्री ओम मेहता : यह बात हमारे ध्यान में नहीं आई । लेकिन यदि कोई आश्रय मांगता है तो उसे हमें आश्रय देना पड़ता है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : मंत्री महोदय मेरा प्रश्न समझ नहीं पाये ।

श्री ओम मेहता : मुझे समझ आ गया है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि ये 'रैन बसेरे' तस्करी करने वालों, चरस तथा गांजा पीने वालों के अड्डे बन गये हैं और जरूरतमन्द लोग रात को उस दूषित वातावरण में रहने की बजाय बाहर ठंड में मरना अधिक पसन्द करते हैं । क्या सरकार को इस आशय की कोई पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हुई है ।

श्री ओम मेहता : हमें इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है । वास्तव में 4,700 लोग इन 'रैन बसेरों' का प्रयोग कर रहे हैं ।

श्रीमती एम० गोडफ्रे : दिल्ली में पटरियों पर रहने वाले लोगों की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहती हूं कि इन पटरियों पर रहने वाले व्यक्तियों को 'रैन-बसेरों' में स्थान देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ओम मेहता : इन 'रैन बसेरों' में लोग अपनी इच्छा से जाते हैं । जिनकी इच्छा वहां रहने की हो वह रह सकते हैं । हम लोगों को जबर्दस्ती इन 'रैन बसेरों' में नहीं भेज सकते ।

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक डेरी विकास कार्यक्रम

*163. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में "व्यापक डेरी विकास कार्यक्रम" की योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के किन ग्रामीण क्षेत्रों पर विचार किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) चौथी पंच-वर्षीय योजना के दौरान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े डेरी तथा पशु-विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में ठोस कदम उठाये हैं और 5वीं पंचवर्षीय योजना में इन्हें जारी रखने का विचार है। पशु-विकास सम्बन्धी आवश्यक आदानों की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, इन परियोजनाओं के माध्यम से विदेशी नस्ल के साथ पशुओं का संकर प्रजनन कराने, वीर्य बैंक की स्थापना करने और कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। अब तक विभिन्न राज्यों में ऐसी 62 परियोजनायें स्थापित की जा चुकी हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 51 अतिरिक्त सघन पशु विकास परियोजनाओं की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अतिरिक्त, आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से भी सघन-पशु विकास परियोजनाओं, पशु तथा डेरी विकास के कार्यक्रमों को सहायता दी जाती है। इस समय 622 आदर्श ग्राम ब्लाक कार्य कर रहे हैं और शीघ्र ही उनकी संख्या 713 तक बढ़ाने का विचार है।

विदेशों की सहायता से आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से डेरी फार्मिंग का विकास करना भी प्रारम्भ किया गया है। इस क्षेत्र में भारत-स्विस परयोजना, मुन्नार (केरल), नाभा (पंजाब), भारत-डेनिश परियोजना, हेसरघट्टा (कर्नाटक), भारत-जर्मन परियोजना, मंडी (हिमाचल प्रदेश), भारत-आस्ट्रेलियाई परियोजना, हिसार (हरियाणा), बरपेत्ता (असम) की अच्छी संभावनाएं हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल में बेरासत तथा कृष्णनगर में सघन पशु-विकास की 2 परियोजनाएं चालू हैं। दो अतिरिक्त सघन पशु-विकास परियोजनाएं (एक माल्दा तथा दूसरी पश्चिम दिनाजपुर में) शीघ्र ही स्थापित की जाएगी। पांचवीं योजनावधि में तीन और गहन पशु विकास परियोजनाओं को स्थापित करने का विचार है। इसके अतिरिक्त, राज्य के विभिन्न भागों में इस समय 62 आद्रर्श ग्राम खंडों में कार्य चल रहा है।

श्री आर० एन० बर्मन : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह डेरियां कब तक काम चालू कर देंगी।

श्री बी० पी० मौर्य : बहुत जल्द ही इनमें कार्य चालू किया जाएगा। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य भी अपने निर्वाचन क्षेत्र पश्चिम दिनाजपुर में रुचि है अथवा कि वह अन्य क्षेत्रों के बारे में जानना चाहते हैं। पश्चिम दिनाजपुर में काम शीघ्र चालू होगा।

श्री आर० एन० बर्मन : सरकार का पश्चिम बंगाल में इन डेरियों पर कुल कितना धन व्यय करने का विचार है और वह कहां-कहां स्थापित की जाएंगी ?

श्री बी० पी० मौर्य : उत्तर में मैंने इन सब बातों का उल्लेख किया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सात डेरी संयंत्र स्थापित करने का विचार है जिसमें से पांच पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में स्थापित की जाएंगी ?

Shri K. M. Madhukar : I wish to know the schemes that have been made regarding such dairy farms for the State of Bihar. Where will these diary farms be located and when will they start functioning?

Shri B. P. Maurya : The figures of Bihar State are available with me and if the hon. Member is interested I can give it to him but as regard to the figures of other States I need a prior notice. There are three schemes for diary farm in Bihar. It has been decided to take up eight schemes during Fifth Five Year Plan out of which four will be started in the first year of Fifth Plan.

श्री के० भालभा : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि डेयरी सयंत्रों की कुल क्षमता क्या है और क्या वह पूरी क्षमता पर कार्य कर रहे हैं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

Shri B. P. Maurya: I need a prior notice for making a statement about the installed capacity. As far Delhi diary is concerned it is working to the full capacity. 2.86 litres milk is produced every day and the installed capacity is also that much. But in the Bombay diary as against installed capacity of 6 lakh litres per day the 5.37 litres milk is being produced which is almost equal to the installed capacity.

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated that they want to develop the dairy farms of the country in colaboration with foreign concerns. There is acute shortage of milk in summer. Does the Government propose to import milk powder to make up the deficiency, if so how much quantity will be imported and how will it be distributed? Milk Cattles are being slaughtered in large number. Does the Government propose to ban it? Much cattles get dry due to lack of proper nourishment. Does the Government have any scheme for the proper nourishment of these cattles so that more milk could be obtained from them?

Shri .B.P. Maurya : As far the foreign assistance is concerned we need their assistance. There are many countries which need assistance from us so it should not be taken in bad sense. As far the question of powder is concerned 61 ADF. P (Flood schemes) some quantity of powder is allocated to India. We have to arrange within that quantity. For importing more quantity of powder foreign exchange will be required and our foreign exchange position is already not sound.

As regard slaughter of milch cattle some States have made legislation debarring slaughter of the cattles. This point relates only to those States where there are no such legislation.

श्रीमती रोज़ा देशपांडेय : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई नगर में दूध की सप्लाई पर्याप्त है, यदि नहीं तो क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि कई बार इस मामले पर तथा दूध की मूल्य वृद्धि पर आंदोलन हो चुके हैं और सरकार का इस बारे में क्या विचार है?

श्री बी० पी० मौर्य : जहां तक बम्बई नगर की आवश्यकता का सम्बन्ध है वह 13 लाख लिटर के लगभग है। जैसाकि मैंने पहले बताया कि हमारी डेयरियों से कुल 6 लाख लिटर के लगभग दूध की सप्लाई प्रतिदिन की जाती है बम्बई में हमारी डेयरियों से सप्लाई किए जाने वाले स्टैंडर्ड दूध में 5.3 प्रतिशत वसा और जबकि टोंड दूध में 3.5 प्रतिशत वसा और 8.5 प्रतिशत उसके लिए उन्हें अतिक्ति में पाउयर की आवश्यकता होगी हम उनकी क्षमता 7 लाख लिटर तक बढ़ा सकते हैं मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है।

Dr. Kailash : The hon. Minister has not stated in the answer what the Govt. propose to do in this connection in Maharashtra during Fifth Five Year Plan. Bombay alone is not Maharashtra. There are other cities like Poona, Sholapur, Nagpur and Nasik also where there is acute shortage of milk. I therefore want to know what the ministry proposes to do in regard to these cities?

Shri B.P. Maurya : During 1973-74 six intensive cattle development projects were established in Maharashtra. So many projects have not been established in any other State of the country during this year. Although the population of some States are definitely more than Maharashtra. Each project costs about one crore. During Fifth Plan also ten projects are proposed to be set up in Maharashtra. Maharashtra has been given proportionally more.

Shri Madhu Limaye : Is the hon. Minister aware of the fact that Arey Colony of Bombay is white elephant. Actually dairies should be set up in such a place where fodder and water is no problem. But the dairies are being set up in the cities. I want to know whether Government has made any scientific study in regard to the expenses of those people who are doing the milk business. Will the Government advise the nationalised banks to advance small loans of rupees three thousands to agricultural labour and the landless people so that there is increase in production of milk any they are also provided with employment.

Shri B. P. Maurya : If the hon. Member goes through Fifth Plan we will be satisfied.

We are trying to give benefit of cross breed cows and buffaloes to marginal farmers small scale farmer and Agricultural labourers.

This scheme has been worked out for the poor. The details are given in the statement. Arey Colony may be a white elephant for the hon. member but I myself have checked this account and my opinion is that this is a model diary.

हल्दिया पत्तन के विकास के लिए धन का नियतन

*164. **श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हल्दिया पत्तन के विकास के लिए कोई धनराशि नियत की गई है और यदि हां तो यह धनराशि कितनी है;

(ख) पत्तन पर व्यय की गई राशि तथा कार्य की प्रगति क्या है; और

(ग) पत्तन कब से पूरी तरह कार्य करने लगेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हल्दिया गोदी परियोजना के लिए अभी तक आवंटन नहीं किया गया।

(ख) 8142.76 लाख रुपए।

हल्दिया परियोजना का भाग बनने वाला तेल घाट अगस्त, 1968 में पूरा हो गया और चालू हो गया।

जहाजी खूटों, चपलानों आदि जैसी कुछ जुड़नारों के सिवाय अयस्क, कोयला, फोस्फेट घाटों और फिंगर घाट का निर्माण पूरा हो गया है। सामान्य माल की दीवारों और आधान घाट पूरे हो गए हैं और ऊपरी संरचना के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

लोक निर्माण कार्य का 82 प्रतिशत पूरा हो गया है।

गोदी के लिए आवश्यक निकर्षण कार्य का 50 प्रतिशत और घुमाव थाला पूरे हो गए हैं और शेष कार्य के लिए नवम्बर, 1973 में ठेका दे दिया गया और कार्य प्रगति में है। 1974 में 32 फुट और 1975 में 35 फुट के डुबाव की व्यवस्था करने के लिये हल्दिया तक पहुंच धारा का निकर्षण कार्य नवम्बर, 1973 में शुरु हो गया और कार्य प्रगति में हैं।

परियोजना के लिए आवश्यक 9,280 एकड़ भूमि में से 6,375 एकड़ भूमि अर्जित करली गई है, जिसमें सरकारी भूमि शामिल है और राज्य सरकार शेष जमीन का अर्जन कर रही है।

माइनिंग और एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर को अयस्क और कोयला लदान संयत्रों का आर्डर दे दिया गया है और उनके अक्तूबर-नवम्बर, 1974 तक सुपुर्द किये जाने की संभावना है।

सामान्य मार्शल यार्ड पूरा हो गया है और बल्क मार्शलिंग यार्ड का कार्य प्रगति में है और इसका लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो गया है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को जिन सात इंजनों का आर्डर दिया गया था उनकी सुपुर्दगी की जा चुकी है ।

मुहाने और पहुंच धारा के निकर्षण के लिए आशयित दूसरे मुहाना निकर्षक की मेसर्स गार्डन रीच वर्कशाप लि०, कलकत्ता द्वारा 1975 में सुपुर्द किये जाने की संभावना है। हल्दिया में पोतों के लिए आशयित पाच कर्ष नावों में से एक कर्ष नाव गार्डन रीच वर्कशाप्स लि० द्वारा सुपुर्द किया जा चुका है और शेष 4 कर्ष नाव के लिए औसतन 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। फिंगर जेट्टी के लिए 15 टन की उतार क्रेन के संस्थापना कार्य के जून, 1974 तक पूरे होने की आशा है और दो अन्य क्रेनों के दिसम्बर, 1974 तक तैयार हो जाने की आशा है।

जहां तक विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का प्रश्न है, 452 यूनिट तैयार हो गए हैं और 873 यूनिटों का निर्माण कार्य प्रगति में है।

(ग) गोदी पद्धति के 1974 के अन्तिम भाग के दौरान चालू होने की संभावना है।

श्री ए० के० एम० इसहाक : मैं ने विवरण पढ़ा है। यह बड़ा ही रोचक है। इसमें कहा गया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हल्दिया गोदी परियोजना के लिये नियतन के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है । आगामी वर्ष के लिये बजट तैयार हो चुका है। परन्तु यह कहा गया है कि इस परियोजना के बारे में अभी तक अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है। क्या मैं इससे यह समझूं कि यह परियोजना धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जायेगी। इस परियोजना को आरम्भ करने में असाधारण विलम्ब किया गया है। क्या मंत्री महोदय मुझे बतायेंगे कि इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं? यदि श्रमिकों सम्बन्धी समस्या उसका एक कारण है तो सरकार इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक माननीय सदस्य के पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मैंने कहा है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना का पूरा विवरण अभी तैयार नहीं हुआ है और अभी वह प्रारूप स्तर पर ही है। परन्तु यदि माननीय सदस्य पांचवीं योजना के पहले वर्ष के आंकड़े चाहते हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि पहले वर्ष में 31 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। परन्तु वसूली पांचवीं योजना के लिये नियतन अभी नहीं किया गया है और इसीलिये मैंने कहा है कि इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है।

जहां तक इस परियोजना की क्रियान्विती में असाधारण विलम्ब का सम्बन्ध है, इस सभा में तथा दूसरी सभा में भी अनेक बार यह कहा जा चुका है कि इस परियोजना को आरम्भ से लेकर अन्त तक भारतीय इंजीनियरों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें डिजाईन व ढांचा तैयार करना तथा निर्माण कार्य आदि सभी कुछ शामिल है और ऐसी विशाल तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजना के लिये समय तो लगता ही है। मंत्रिमन्डल ने इस परियोजना को वर्ष 1967 में स्वीकृति दी थी। और इसे

वर्ष 1971 तक पूरा किया जाना था। परन्तु अब हमें इसे वर्ष 1974 तक पूरा करना है। कुछ क्षेत्रों में श्रमिक-विवाद पैदा हुए थे। विशेष रूप से निर्माण के कार्य में ठेकेदारों के कर्मचारियों ने झगड़े खड़े किये थे। यह बात जैसोम्स द्वारा किये जा रहे कार्य के सम्बन्ध में हुई। 5 फरवरी 1974 से निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है। और, स्थिति में सुधार करने हेतु की गई कार्यवाही के बारे में हम राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं। हम अपनी ओर से भी श्रमिक नेताओं को राहे-रास्त पर लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यह महत्वपूर्ण परियोजना समय पर पूरी हो जाये और काम न रुके। परन्तु आप मानेंगे तथा मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य भी यह अनुभव करेंगे कि इन मामलों में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री ए० के० एम० इसहाक़ : मैं मंत्री महोदय द्वारा दिये गये इस उत्तर के लिए उनका धन्यवादी हूं कि सरकार इस मामले में प्रयास कर रही है। धीरे काम करो तथा श्रमिक झगड़ों के कारण फ़रक्का परियोजना में भी 2-3 वर्ष का विलम्ब हो गया था। सरकार ने उनको रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है, सरकार ने फ़रक्का से पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं? जंगीपुर पोषक नहर का निर्माण कब किया जायेगा? शिपयार्ड कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जंगीपुर पोषक नहर के निर्माण कार्य में प्रगति हो रही है। यह परियोजना सिचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा बनाई जा रही है। माननीय सदस्य तथा यह सभा जानते हैं कि इस सम्बन्ध में हमें बंगला देश से कुछ पारस्परिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर बात-चीत करनी पड़ेगी।

मैं माननीय सदस्य तथा इस सभा को विश्वास दिलाता हूं कि पोषक नहर का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

शिपयार्ड के बारे में, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित शिपयार्ड के स्थान के बारे में सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है। वास्तव में, तकनीकी आर्थिक समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और वह सरकार के विचाराधीन है तथा अभी तक उस पर अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि परियोजना का कार्य करने वाले लोगों को काफी समय से परिवहन सम्बन्धी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, और यदि हां तो इस निर्माण-सामग्री के तथा परियोजना के लोगों की परिवहन सम्बन्धी कठिनाई को दूर करने के लिए क्या क़दम उठाये गये हैं ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : हाल ही में निर्माण कार्य के लिये आवश्यक सामग्री के परिवहन सम्बन्धी कुछ समस्या पैदा हुई थी। रेलवे अधिकारियों, विशेष कर दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने परियोजना

के अधिकारियों को आश्वासन दिया था कि वे उन्हें प्रति मास 20 रेक देंगे परन्तु विभिन्न कारणों से वे ऐसा नहीं कर सके। हम रेलवे अधिकारियों को इस बारे में लिख चुके हैं और वे इसका शीघ्र प्रबन्ध करने जा रहे हैं और मुझे आशा है कि स्थिति में सुधार हो जायेगा।

श्री समर गुह : यह कहा गया है कि पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के लिये हल्दिया पत्तन के लिये नियतन कर दिया गया है। उस कार्य का मुख्य विवरण क्या है कि जिसके लिये नियतन किया गया है ?

शिपयार्ड के बारे में प्रश्न पर सभा में चर्चा हो चुकी है और मंत्री महोदय ने इस से पूर्व कहा है कि सरकार वहां एक शिपयार्ड बनाने का विचार रखती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि तकनीकी समिति की रिपोर्ट क्या है, क्या इन्होंने हल्दिया में शिपयार्ड की स्थापना की संभाव्यता को स्वीकार किया है, और यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार अन्तिम रूप से निर्णय कब तक कर लेगी ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं विवरण में पहले ही बता चुका हूं कि परियोजना की किन मदों पर कार्य हो रहा है और उनमें से कुछ पर कार्य करने के लिये 31 करोड़ रुपये रखे गये है तथा उन पर कार्य हों रहा है। मैंने एक विस्तृत सूची दी है। यदि माननीय सदस्य यही जानना चाहते हैं तो मैं दोहरा देता हूं।

जहां तक शिपयार्ड का सम्बन्ध है, यह सच है कि कुछ समय पूर्व यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या हल्दिया को ही शिपयार्ड के लिये चुना जाये ? इसके बाद मंत्रालय ने अन्य विभिन्न स्थानों की भी जांच करने के लिये तकनीकी आर्थिक समिति का गठन किया था। उन्होंने एक प्रतिवेदन पेश किया है और मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार इस पर विचार कर रही है। इस समय यह कहना बड़ा कठिन है कि समिति द्वारा सुझाये गये स्थानों में से शिपयार्ड के लिये किस स्थान को चुना जायेगा।

श्री समर गुह: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। हल्दिया क्षेत्र में किस स्थान को चुना जायेगा यह एक अलग बात है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या शिपयार्ड हल्दिया पत्तन के क्षेत्र में ही बनाया जायेगा। स्थान भले ही कोई हो।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी: स्थिति इस तरह स्पष्ट हो सकती है। पांचवीं योजना में देश में दो शिपयार्ड बनाने का प्रस्ताव है। उसके लिये मसौदा-योजना में सांकेतिक नियतन के रूप में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जहां तक इन प्रस्तावित शिपयार्डों के स्थानों का सम्बन्ध है विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न स्थानों का सुझाव दिया है। इन सभी स्थानों के बारे में विचार करने के लिये तथा सभी के गुण-दोष बताने के लिये एक तकनीकी आर्थिक समिति गठित की गई थी। उसके प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है। मेरे लिये यह कहना कठिन है कि प्रस्तावित शिपयार्ड के लिये अन्ततः कौनसा स्थान चुना जायगा।

श्री समर गुह : यह कथन मंत्री महोदय द्वारा सभा में इससे पूर्व दिये गये आश्वासन के विरुद्ध है।

श्री बी० के० दास चौधरी : इस तथ्य को स्वीकारते हुए कि हल्दिया पत्तन को न केवल हल्दिया पत्तन तथा इसके आगे को ही बल्कि बरौनी तेल शोधक कारखाने की भी कच्चे तेल सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी करनी हैं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि एक लाख टन तक के बड़े तेल टैंकरों से तेल उतारने के लिये डुबाव की गहराई 32 फुट से बढ़ाकर 35 फुट तक करना काफी रहेगा, और यदि नहीं, तो डुबाव में वृद्धि करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ताकि आज कल निर्मित हो रहे बड़े टैंकरों से पत्तन पर तेल उतारा जा सके ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : तेल उतारने के घाट को वर्ष 1968 में चालू किया गया था और वहां कुछ तेल टैंकर आ रहे हैं। जहां तक प्रस्तावित पत्तन क्षेत्र के डुबाव का सम्बन्ध है, हम यह निर्णय कर चुके हैं कि 32 फुट की गहराई तो वर्ष 1974 तक तैयार हो जायगी तथा 35 फुट की वर्ष 1975 तक और 40 फुट की गहराई वर्ष 1980 तक तैयार हो जायेगी । इस समय, हाल एण्ड कम्पनी को दिये गये ठके के कार्य में प्रगति हो रही है और हमें आशा है कि 32 फुट तक का काम 1974 तक पूरा हो जायेगा। इसके बाद हमारे अपने ही देशीय ड्रजरों से डुबाव में वृद्धि की जायेगी और वर्ष 1980 तक यह डुबाव 40 फुट तक गहरा हो जायेगा। तब हम आज कल निर्मित हो रहे बड़े-बड़े टैंकरों को वहां खड़ा कर सकेंगे।

श्री बी० के० दास चौधरी : एक लाख टन तक के टैंकरों को ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : एक लाख टन से भी अधिक के टैंकरों को।

उचित दर दुकानों पर मिलावटी खाद्य वस्तुओं के विक्रय के लिये भारतीय खाद्य निगम का दायित्व

*165. **श्री पी० गंगादेव : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में इस आशय के छपे समाचार देखे हैं कि देश के विभिन्न भागों में तथा विशेषकर दिल्ली में उचित दर की दुकानों द्वारा मिलावटी खाद्य-वस्तुओं का विक्रय किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये भारतीय खाद्य निगम किस हद तक उत्तरदायी है, और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) उचित मूल्यों की दुकानों से दिए गए खाद्यान्नों की किस्म के बारे में सरकार को समय समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। उचित मूल्य की दुकानों से दिए गए खाद्यान्नों की किस्म के बारे में लगाये गये आरोपों की सदा जांच की जाती है। भारतीय खाद्य निगम के डिपों से दिए गए खाद्यान्न, विहित निर्दिष्टियों के अनुरूप होते हैं। उचित मूल्य के दुकानदारों को भारतीय खाद्य निगम से वास्तव में प्राप्त खाद्यान्नों के सीलबन्द नमूने रखने होते हैं। उचित मूल्य की दुकानों को यह भी अनुदेश जारी किया गया है कि यदि किसी खाद्यान्न की किस्म निर्दिष्टियों के अनुरूप न हो तो उसे वे भारतीय खाद्य निगम के डिपों से बदलवा लें।

श्री पी० गंगादेव : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद के समय किस्म नियंत्रण की कारगरता के बारे में कोई सफलता हुई है, और यदि हां, तो कितनी ?

श्री **अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : बेशक, मैं बड़ी दृढ़ता से यह कहूंगा कि इस बारे में मानवीय अथवा इससे इतर किसी भी प्रकार की असफलता नहीं हुई। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था है तथा निर्देश निर्धारित हैं। परन्तु मेरी अपनी धारणा यह है और हाल ही में हमारी जांच से भी यह पता लगता है कि अनेक बार तो मिलावट उचित मूल्य की दुकानों पर भी होती है। इसलिये मेरे विचार से, वह प्रणाली इस मिलावट को वास्तविक रूप से रोकने में सफल सिद्ध हो सकती है जिसके अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किये गये सीलबन्द सैम्पल दिखाने के लिये रखने चाहियें।

श्री पी० गंगादेव : भारतीय खाद्य निगम तथा उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों द्वारा खाद्यान्नों में मिलावट के लिये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के मामलों को देखते हुए, क्या उचित मूल्य की दुकानों पर भारतीय खाद्य निगम का एक मात्र नियंत्रण लागू करने अथवा उचित मूल्य की दुकानों को भारतीय खाद्य निगम के परचून वितरण केन्द्र बनाने के लिये कई पग उठाये जा रहे हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस सम्बन्ध में स्थायी निर्देश बहुत ही स्पष्ट हैं। उचित मूल्य की दुकान के मालिक को अपने उपयोग के लिये ले जाये जाने वाले प्रत्येक बोरे में भरे माल की जांच करने के लिये पाक़ीर का इस्तेमाल करने की छूट होती है और वह उस माल को भी बदल सकता है जोकि निर्धारित स्तर का नहीं पाया जाता। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक दुकानदार को दिया जाने वाला सभी खाद्यान्नों का मिला-जुला एक मुहरबन्द सैम्पल दुकानदार दिल्ली प्रशासन या सम्बन्धित सरकार के एक अधिकारी के सामने ही मुहरबन्द किया जाता है तथा भारतीय खाद्य निगम का प्रतिनिधि तथा ये सभी लोग यह मान कर इस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं कि खाद्यान्न की किस्म के बारे में वे लोग संतुष्ट हैं । यह हस्ताक्षरकृत सैम्पल खाद्यान्नों के साथ ही बन्द बोरों में डाल दिया जाता है। ये निर्देश सारे देश में लागू हैं।

Shri R. R. Sharma : May I know whether the hon. Minister is aware that the new foodgrains purchased by the F.C.I. have not been sold at any fair price shop in India and on the other hand, only the rotten foodgrains imported from America have been sold? Is he also aware that the foodgrains sold at the fair price shops in North Avenue, South Avenue, Rajendra Prasad Marg was mixed with rotton grains?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : कुछ संसद सदस्यों ने इस सम्बन्ध में मुझ से शिकायतें की हैं जिन्हें हमने आगे जांच के लिये भेजा है। घटिया किस्म का गेहूं सप्लाई किये जाने के बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई थीं यहां तक कि भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष ने भी, जिन्होंने कुछ अधिकारियों और दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों के साथ दुकानों पर नमूनों का निरीक्षण किया था, इस बात की पुष्टि की थी और नमूनों को घटिया किस्म का पाया था और इस बात की आशंका प्रकट की थी कि दुकानदारों ने इसमें कुछ सामग्री मिलाई थी।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know as to why the foodgrains purchased in the form of levy have not been sold so for?

Mr. Speaker : Please allow others to put their questions.

Shri R. R. Sharma : We should be informed at least that the foodgrains purchased by the Food Corporation of India was not going to be sold.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से ही हम देश में उपलब्ध और विदेशों से आयातित अनाज का वितरण करा रहे हैं। यह सर्वविदित तथ्य है।

Shri R. P. Yadav : I want to know whether the hon. Minister is aware of the sale of adulterated grains by Fair Price Shops, as a result of which there is a great discontentment among the people? I want to know what steps Government proposes to take in this direction?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुख है, प्रश्न बिहार से सम्बन्धित नहीं है। प्रश्न यह है कि "देश के विभिन्न भागों, विशेषकर उचित दर की दुकानों पर अपमिश्रित अनाज की बिक्री"।

Shri R. P. Yadav : We discussed regarding the villages in which we also discussed regarding Bihar.

Mr. Speaker : If you want to ask a question, please put your own question. Why do you interfere with the other's question ? The main question relates to Delhi.

श्री रामावतार शास्त्री : "देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर दिल्ली में" देश के विभिन्न भागों के अन्तर्गत बिहार भी आता है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यद्यपि यह प्रश्न देश में दिये गये अनाज से सम्बन्धित है परन्तु मूल प्रश्न केवल जारी किये गये अपमिश्रित अनाज से सम्बन्धित है। यदि आप निर्देश दें तो मैं उत्तर दूं।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि प्रश्न सामान्यता देश के विभिन्न भागों से सम्बन्धित है लेकिन इसका सम्बन्ध विशेषतया दिल्ली से है। अतः मैं माननीय सदस्य को सलाह दूंगा कि वे इसके लिये अलग से नोटिस दें।

दो महिला सदस्य अपना प्रश्न पूछने के लिय पहले ही खड़ी हैं। उन्हें स्वयं को महिला सदस्य के स्थान पर माननीय सदस्य समझना चाहिये। वे सब यहां माननीय सदस्य हैं। सदन में किसी महिला सदस्य को प्राथमिकता देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती रोजा देशपाण्डे : भारतीय खाद्य निगम द्वारा अत्यन्त घटिया किस्म का अनाज सप्लाई किया जा रहा है। गत दो वर्षों से बम्बई में अनाज की कोई सप्लाई नहीं की गई और बम्बई में इसी कारण आंदोलन हुए हैं। इसके बाद गेहूं में अर्गट मिला दिया गया और जब हमने इस बारे में अभ्यावेदन दिया तो सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया कि इसकी सफाई करा दी जायेगी पहले इसे मिलाया क्यों जाता है और बाद में इसकी सफाई क्यों कराई जाती है ? क्या ऐसा इसलिये किया जाता है कि "गरीबी हटाओ" कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्मचारियों को रोजगार प्राप्त हो सके? **(व्यवधान)** बम्बई से बाहर अच्छा अनाज मिल रहा है। बम्बई से करीब बीस मील दूर अच्छा चावल और गेहूं दिया जाता है। आप इस बात की व्यवस्था क्यों नहीं करते कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा समस्त देश में अच्छी किस्म के अनाज का वितरण किया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत लम्बा प्रश्न है। प्रश्न पूछने से पहले भूमिका न बांधें।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जिस समय स्थिति स्पष्ट की गई थी उस समय श्रीमती देशपाण्डे सदन की सदस्य नहीं थीं। जानबूझ कर गेहूं में कोई भी अर्गट की मिलावट नहीं करता। आयातित गेहूं की कटाई अन्य देशों में मशीनों द्वारा की जाती है। स्वभावतया वह मिल जाता है।

श्रीमती रोजा देशपाण्डे : आपको यह पता होना चाहिये कि अर्गट जहरीला होता है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह सच है । हमें इस समस्या की जानकारी है । हमने राज्य सरकारों से इस बारे में आवश्यक सावधानी बरतने का अनुरोध किया है। यह सूझाव दिया गया था कि जहां तक सम्भव हो गेहूं की सप्लाई केवल उसकी सफाई करने के बाद की जाये और उन आटा मिलों को सफाई करने के मामले में प्राथमिकता दी जाये जिनके पास सफाई की व्यवस्था हो।

श्रीमती एम० गौडफ्रे : माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि उचित दर की दुकानें अनाज में किसी चीज की मिलावट कर रही हैं। उन उचित दर की दुकानों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जो ये मिलावट कर रही हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सामान्यतया इस सम्बन्ध में हमारी राज्य सरकारों को यह सलाह है कि ऐसी अचित दर की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिये जायें।

श्री बसन्त साठे : मैं यह बात मंत्रालय की जानकारी में ला चुकी हूं कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा उचित दर की दुकानों को सप्लाई किये जाने वाले अनाज में सब प्रकार का कूड़ा, जिसमें अर्गट भी शामिल है, मिला होता है। केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में यह नीति निर्धारित की थी कि इसकी सफाई आटा मिलों द्वारा किये जाने के बाद इसकी सप्लाई की जानी चाहिये। लेकिन उक्त नीति त्याग दी गई है क्योंकि इस प्रक्रिया से अनाज की कमी होती थी। अतः भारतीय खाद्य निगम ने अनाज की कमी को दूर करने के उद्देश्य से इसकी सफाई की जिम्मेदारी लिये बिना इसे राज्य सरकारों और अचित दर की दुकानों को भेज दिया। उचित दर की दुकानों और राज्य सरकारों का यह कथन है कि वे सफाई कराने से होने वाली हानि सहन नहीं कर सकते। अतः सरकार का कमी को कैसे पूरा करने का विचार है? क्या सरकार इसका दायित्व अपने ऊपर लेना चाहती है अथवा इस मामले में राज्य सरकारों को भी भागीदार बनायेगी ? अन्यथा मिलावट को नहीं रोका जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : अधिक लम्बे प्रश्न पूछ कर आप सभा का अधिक समय न लें।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : राज्य सरकारों से पारस्परिक विचार-विमर्श हो रहा है और इस बात के प्रबन्ध किये जा रहे हैं कि इस मामले में आवश्यक सावधानी बरती जाये।

श्री वसन्त साठे : वे इस मामले में कार्य नहीं कर रहे हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि उचित दर की दुकानें मिलावट कर रही हैं। क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि इसके लिये कौन अधिक जिम्मेवार है— उचित दर की दुकानें अथवा भारतीय खाद्य निगम? यदि हां, तो सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कठोर कार्यवाही की है ? चूंकि मंत्री महोदय ने स्वयं अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और कार्य अकुशलता को स्वीकार किया है, भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम को प्रभावशाली और कार्य कुशलत बनाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? अन्यथा ऐसे ही चलता रहेगा। इस बारे में मंत्री महोदय का क्या उत्तर है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य को इस बात का आश्वासन दिलाता हूं कि यदि भारतीय खाद्य निगम के किसी अधिकारी को दोषी पाया गया तो हम उसके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही करने से भी नहीं हिचकेंगे। मैं भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अनाज सप्लाई करने के लिये प्रक्रिया के बारे में पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे प्रश्न पूछने के लिये लगातार खड़े न हों, विशेष रूप से वे सदस्य जिन्हें अवसर मिल चुका है। अन्य सदस्यों को, विशेषरूप से पीछे बैठे सदस्यों को भी प्रश्न पूछने का अवसर मिलना चाहिये।

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know whether some wheat has been imported from Australia which contains black grains and some poisonous materials and which is being supplied to public after being washed with salt?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं इस बात का पता लगाऊंगा। जहां तक मेरी जानकारी है, हमें ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS

कृषि में सहयोग के संबंध में भारत-रूस समझौता

*166. **श्री वाई ईश्वर रैडि :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस ने कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच और आगे सहयोग बढ़ाने के लिये किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन क्षेत्र में किन विशेष बातों पर सहयोग किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारत तथा रूस की सरकारों ने दिनांक 10 अप्रैल, 1972 को वर्ष 1972 तथा 1973 के प्रथम पूर्वार्द्ध के लिये वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के संबंध में एक करार पर हस्ताक्षर किये थे। इस करार में तिलहन अनुसंधान तथा सुधार, कपास तकनोलोजी, भेड़ प्रजनन तथा भेड़ की चेचक के टीकों के अनुसंधान, मृदा परीक्षण, वनस्पति-रक्षण और संगरोध, लवणीय तथा क्षारीय भूमि, आदि के सुधार के क्षेत्रों में रूस के वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों और भारतीय वैज्ञानिकों/प्रशिक्षणार्थियों के दौरों के आदान-प्रदान की व्यवस्था शामिल थी। इस करार में वैज्ञानिक सामग्री, साहित्य तथा बीजों के आदान-प्रदान और गेहूं तथा चावल की उन्नत किस्मों पर विचार-गोष्ठियां आयोजित करने की भी व्यवस्था थी। करार की अधिकांश मदों को क्रियान्वित किया जा चुका है।

योजना मंत्री ने दिनांक 29-11-73 को एक अन्य करार पर हस्ताक्षर किये थे, जिसके अनुसार रूस ने निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने पर विचार करना स्वीकार किया है :—

(i) भेड़ प्रजनन संबंधी दो परियोजनाओं की स्थापना करना, जिसमें एक परियोजना के लिये 3000-4000 मेरिनों भेड़ों तथा दूसरी परियोजना के लिये 1000 कराकुल नस्ल की भेड़ों की सप्लाई करना भी शामिल हैं;

(ii) बकरी प्रजनन के लिये एक मार्गदर्शी परियोजना की स्थापना करना तथा पोल्लीडेनकय नस्ल की 200 बकरियों की सप्लाई करना ।

(iii) चुकन्दर की खेती की परियोजना की स्थापना करना तथा स्टाक बीज तथा उपकरणों की सप्लाई करना ।

रूस सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि भारतीय विशेषज्ञों का एक दल रूस के बिनौला तथा सूरजमुखी के बीज फार्मों का दौरा करके वह इन बीजों से तेल की उपज बढ़ाने के साधनों का अध्ययन कर सके । आशा है करार की मदों के क्रियान्वयन के संबंध में परियोजनानों पर विचार करने के लिये रूस के विशेषज्ञों का एक दल मार्च, 1974 के मध्य मे किसी समय भारत आएगा ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अत्यधिक मूल्य लिया जाना

*167. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की प्रवृत्ति मकान बनाने के लिये भू-खण्डों की अत्यधिक कीमत लेने की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है कि उनका मंत्रालय इन निकायों पर नियंत्रण नहीं रख रहा है कि ये केवल उचित मूल्य लें ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण सरकार द्वारा निर्धारित नीति का अनुसरण कर रहा है जिसके अनुसार, विकसित की गयी भूमि का निपटान नीलामी द्वारा किया जाना अपेक्षित है, यद्यपि सहकारी समितियों, मध्यम तथा निम्न आय वर्गों आदि के लोगों के लिए अपवाद निर्धारित किये गये हैं जिनके अनुसार उन्हें पूर्व निर्धारित दरों पर भूमि दी जाती है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सोचीबाग गांव दिल्ली में आवंटित किये गये प्लाट

*168. **श्रीमती मुकुल बनर्जी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरुद्वारा मोतीबाग-II दिल्ली के निकटवर्ती गांव मोचीबाग में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जिन अनधिवासियों को जनवरी, 1967 तथा सितम्बर, 1969 में 25 वर्ग गज के प्लाट आवंटित किये गये थे, उन्हें वहां से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो आवंटित भूमि से हटाये गये ऐसे अनधिवासियों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार ने किस उद्देश्य से वह भूमि खाली कराई और क्या उस भूमि का उपयोग सरकारी कार्य के लिये किया गया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) अनधिवासियों में से चार को 1969 में गांव के निकट अनन्तिम रूप से इस शर्त पर स्थान दिया गया था कि उनके किसी गांव के होने संबंधी दावे की जांच की जायगी, इन्हें वहां से 1970 में हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने दावों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये। जिस क्षेत्र से ये 4 अनधिवासी हटाये गये थे, उसे गांव के उन मूल निवासियों के प्रयोग के लिये उद्दिष्ट किया गया है जो गांव की पुनर्विकास योजना से प्रभावित होंगे।

कृषि-सुधार के लिये इण्डोनेशिया के साथ करार

*169. **श्री फतहसिंहराव गायकवाड़** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि सुधार के संबंध में भारत तथा इण्डोनेशिया के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कृषि सुधार के संबंध भारत सरकार तथा इण्डोनेशिया के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जवाहरलाल नेहरु और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयों को अनुदान

*170. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 के दौरान जवाहरलाल नेहरू और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयों को कितनी-कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1973-74 के दौरान, इन दो विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित अनुदान दिए हैं :—

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय . . .	151.39 लाख रुपये
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय . .	300.93 लाख रुपये

संगीत नाटक, ललित कला और साहित्य अकादमियों का पुनर्गठन

*171. **श्री बसंत साठे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक, ललित कला और साहित्य अकादमियों के कार्यकरण तथा ढांचे को निकट भविष्य में पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) न्यायमूर्ति, श्री जी० डी० खोसला की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित पुनरीक्षण समिति ने, अकादमियों के पुनर्गठन के संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं। अकादमियों के विचार प्राप्त हो गए हैं और इन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें पुनर्गठन तथा अकादमियों की टिप्पणियों के संबंध में समिति की सिफारिशें दी गई हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6300/74]**

धारवाड़ में नया कृषि विश्वविद्यालय

*172. **श्री ए० के० कोत्राशट्टी :** क्या **कृषि** मंत्री नये कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के संबंध में 17 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4989 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कर्नाटक में धारवाड़ स्थान का प्रस्तावित कृषि विश्वविद्यालय उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : 17 दिसम्बर, 1973 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4989 के उत्तर के सिलसिले में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए संशोधित प्रतिमानों में दिये गये विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर अभी विचार किया जा रहा है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और कृषि विश्वविद्यालय संघ द्वारा विचार किया जाना है। फिर भी धारवाड़ में प्रस्तावित कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा स्थापना से पहले सर्वेक्षण के लिए अग्रिम कार्यवाही कर ली गयी है।

Production cost of foodgrain and commercial crop per quintal

*173. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the production cost per quintal of wheat, rice, pulses, peas, gram, sugarcane and cotton at present and during the last three years separately and State-wise according to the surveys conducted by various universities and the Government; and

(b) the steps taken to reduce the cost burden on the farmers and the outcome thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Under the Comprehensive Scheme for studying the Cost of Cultivation of Principal Crops in India launched by the Ministry, estimates of cost of production have become available in respect of wheat for the years 1970-71 and 1971-72 for Haryana and Punjab, and for 1971-72 for Uttar Pradesh. These estimates are given below :—

Crop	State	Cost of cultivation per hectare (Rs.)		Yield per hectare (Quintals)		Cost of production per quintal* (Rs.)	
		1970-71	1971-72	1970-71	1971-72	1970-71	1971-72
1	2	3	4	5	6	7	8
Wheat	Haryana	1,265	1,266	22.74	20.98	48.10	49.53
	Punjab	1,655	1,769	24.40	26.43	61.04	59.71
	Uttar Pradesh@	..	1,409	..	21.61	..	50.38

*Cost of production per quintal is obtained by dividing the cost of cultivation per hectare (net of the value of by-product) by the yield per hectare.

@ Estimates for U.P. are based on partial data available for 7 out of 9 agro-climatic zones formed in the State, which account for four-fifths of the area under wheat in the State as a whole.

The field data for the above States have been collected by the Haryana Agricultural University, Hissar, for the State of Haryana, Punjab Agricultural University, Ludhiana, for the State of Punjab and Uttar Pradesh University of Agriculture & Technology, Pantnagar, for Uttar Pradesh. Similar data on cost of production of wheat in Madhya Pradesh are still being received from the Agro-Economic Research Centre, J.N. K.V. Vidyalaya, Jabalpur.

As regards rice (paddy) cost data have been collected for 1971-72 and 1972-73 for a number of production State. Those received in the Ministry of Agriculture, are either being analysed or are at the stage of scrutiny and compilation.

Data on the cost of production of sugarcane are being collected for 1973-74 in the States of Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. As regards cotton, the data were collected in Punjab during the year 1972-73; these are presently being compiled by the Punjab Agricultural University, Ludhiana. The data for this crop are also being collected in Madhya Pradesh during 1973-74.

So far as pulses, peas and gram are concerned, representative data on their cost of production have not yet been collected in any State under the Scheme.

(b) While no specific steps have been taken to reduce the cost burden on the farmers, it may be mentioned that the general measures of agricultural development such as evaluation and cultivation of high yielding varieties, extension of irrigation facilities, etc. help reduce the cost burden by augmenting production.

कर्नाटक में उर्वरकों के वितरण में कदाचार

*174. **श्री के० लकप्पा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा उर्वरकों के वितरण में कदाचार किये जाने की बात भारत सरकार की जानकारी में लाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1974 में रबी की फसल के दौरान कर्नाटक में इन एजेंसियों को समाप्त किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कर्नाटक सरकार ने सूचना भेजी है कि गैर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा उर्वरकों के वितरण में कदाचार होने का कोई मामला, उनकी जानकारी में नहीं आया है। राज्य सरकार ने यह भी सूचना भेजी है कि उन्हें कदाचारों को कम करने के लिए गैर-सरकारी पार्टियों की उर्वरक वितरण की क्रियाविधि में अनेक सुधार किए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Free meals to the poor

*175. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether he gave an assurance to provide free meals to the poor, while speaking in a seminar organised by World Food Organisation;

(b) if so, the expenditure likely to be incurred by Government thereon; and

(c) the arrangements to be made in this regard and when the scheme will be implemented?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

पाठ्य-पुस्तकों को अद्यतन बनाने की मांग

*176. **श्री दिनेश जोरदर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विद्यार्थी संघ ने कलकत्ते में हुए अपने दूसरे सम्मेलन में यह मांग की कि पाठ्य-पुस्तकों में बार-बार परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये और विज्ञान तथा इतिहास के क्षेत्र में ए नवीनतम विकास को सम्मिलित करके अद्यतन बनाया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) सरकार को, इस प्रकार की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के 43वें अधिवेशन का स्थगित किया जाना

*177. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का 43वां अधिवेशन जो 19 जनवरी 1974 को लखनऊ में होना था, उनके मंत्रालय के आदेश पर स्थगित कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने पणजी (गोवा) में जनवरी, 1973 को हुए अपने पिछले सत्र (42वां सत्र) में यह सिफारिश (संकल्प III) की कि भा० ऐ० अ० आ० की स्थायी समिति को विस्तार में विद्यमान क्रियाविधियों, सदस्यताओं इत्यादि की विभिन्न श्रेणियों का अध्ययन करना चाहिए और आयोग के कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये उचित सिफारिशें करनी चाहिए। तदनुसार स्थायी समिति की बैठक हुई और उसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि सदस्यता की संख्या उचित सीमाओं में रखने के लिए तथा कुछ असंगतियां दूर करने के लिये आयोग की सदस्यता पुनः निर्धारित की जानी चाहिए। सरकार ने सिद्धान्त रूप से ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और स्थायी समिति को ब्यौरे तैयार करने के लिये कहा है। विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होते ही, भा० ऐ० अ० आ० का पुनर्गठन किया जाएगा और यथाशीघ्र पुनर्गठित निकाय की बैठक बुलाई जाएगी।

नई दिल्ली में कपूरथला प्लाट

*178. **श्री भार्गवी तनकप्पन :**

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री केरल सरकार के कपूरथला प्लाट को पुलिस/सुरक्षा बल से खाली कराये जाने के बारे में 12 नवम्बर, 1973 को अतारांकित प्रश्न संख्या 63 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस क्षेत्र में गैर-कानूनी कब्जा धारियों से क्वार्टर खाली कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या भारत सरकार कब्जा किये हुए तथा खाली क्षेत्रों को केरल सरकार को सौंप देने की बात पर विचार करेंगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) पुलिस/सुरक्षा दल को कपूरथला प्लाट के एक भाग से स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यवाही की जा रही है तथा दिल्ली प्रशासन, पुलिस दल को वहां से स्थानान्तरण करने के लिए उपयुक्त आवास/भूमि का स्थान-निर्धारण करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है। जैसे ही यह स्थान खाली होगा, इसका कब्जा केरल सरकार को सौंप दिया जायेगा।

छात्र असंतोष संबंधी केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

*179. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्र असंतोष की जांच करने वाली केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति ने अभी तक कोई बैठक नहीं की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और समिति कब गठित की गई थी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) समिति का गठन 22 फरवरी, 1973 को किया गया था। अध्यक्ष ने, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री से, जो कि समिति के उपाध्यक्ष भी हैं, समिति की कार्रवाई का संचालन करने के लिए अनुरोध किया था। उन्होंने यह सूचित किया है कि वह अप्रैल, 1974 के पूर्वार्द्ध में समिति की पहली बैठक का आयोजन करेंगे।

राज्यों के शिक्षा विशेषज्ञों का सम्मेलन

*180. **श्री बी० माधवन :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के शिक्षा विशेषज्ञों का एक सम्मेलन 28 जनवरी, 1974 को नई दिल्ली हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया ; और

(ग) क्या उक्त सम्मेलन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के तत्वावधान में हुआ था ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) स्कूलों के बच्चों में राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रमों को तीव्र करने के साधनों और उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के तत्वावधान में राज्य शिक्षा निदेशकों की यह बैठक 23 जनवरी, 1974 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

इस बैठक में निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श किया गया :—

(1) राज्य सरकारें, राष्ट्रीय एकता के संवर्धन के लिए तथा इस विषय पर सामग्री के निर्माण हेतु छात्रों और अध्यापकों को अंतर्राज्य शिविरों के आयोजनार्थ राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के राष्ट्रीय एकता एकक के साथ किस तरह सहयोग दे सकती हैं।

(2) राष्ट्रीय विषयों की उन्नति में इन शिविरों की भूमिका और उनका महत्व।

Development of Communication System in Madhya Pradesh

1602. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the States Reorganisation Commission had made a specific recommendation that in order to improve the communications in Madhya Pradesh, it should be provided assistance on a large scale;

(b) whether no concrete step has so far been taken to develop means of transport in the State; and

(c) if so, whether the Union Government are contemplating to improve the conditions of communications system there?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Under the Constitution, the Central Government is responsible only for roads declared as National Highways, for whose improvement development programmes are drawn up within the resources available. All roads other than National Highways in States, including the improvement of road communications in general, fall within the sphere of State activities. The total length of National Highways in Madhya Pradesh is 2670 Kms. In the 4th Plan for the development of the National Highways estimates aggregating Rs. 17.95 crores have already been sanctioned. In addition, the Government of India also provide loan assistance for selected State Roads of inter-State or Economic Importance. Works of a total cost of Rs. 171.50 lakhs have been approved for assistance in Madhya Pradesh under this programme. Further, a sum of Rs. 130.35 lakhs has been earmarked for road works in Madhya Pradesh from the Central Road Fund during the Fourth Plan.

कालेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को यात्राएं करने के लिये प्रोत्साहन देने की योजना

1603. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कालेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को धार्मिक, ऐतिहासिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक महत्व के स्थानों की यात्राएं करने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजनाएं तैयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग की एक आगन्तुक छात्रवृत्ति योजना है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष 5,000/ रुपये का अनुदान उपलब्ध किया जाता है, ताकि उसके छात्र अन्य विश्वविद्यालयों का दौरा करके देश के प्रति जानकारी प्राप्त कर सकें । उक्त योजना की रूपरेखाएं संलग्न हैं ।

विश्वविद्यालयों और कालेजों में राष्ट्रीय एकता समितियों को स्थापित करने के एक कार्यक्रम को चौथी योजना में कार्यान्वित किया जा रहा है । ये समितियां विविध कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर-राज्य और अन्तर प्रादेशिक भ्रमण और दौरे, अन्य राज्यों में सांस्कृतिक कार्यकलापों को आयोजित करना सम्मिलित है ।

विवरण

आगन्तुक छात्रवृत्ति की योजना की रूपरेखाएं

(1) आमतौर पर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्र दूसरे राज्य में स्थित स्थानों/विश्वविद्यालयों का दौरा कर सकते हैं ।

(2) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दौरा किए जाने वाले दो से अधिक स्थान शामिल नहीं किए जाने चाहिएं, ताकि आगन्तुक छात्र आतिथ्य विश्वविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों तथा समुदाय के निकट सम्पर्क में आ सकें और उन दौरा करने वाले स्थानों की शैक्षणिक सांस्कृतिक अथवा औद्योगिक अभिरुचि के विकास के बारे में गहरी जानकारी हासिल कर सकें । जिन दो स्थानों का दौरा किया जाना होता है, इन्हें एक दूसरे से बहुत दूर नहीं होना चाहिए ताकि सम्पर्क/दौरे के समय को सार्थक रूप से व्यतीत किया जा सके ।

(3) यह जरूरी समझा गया था कि एक अध्यापक/अध्यापकों को छात्रों के साथ जाना चाहिए और उसकी यात्रा आदि पर किए जाने वाले उसके खर्चे को (नियमानुसार) इस योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान में से वहन किया जाए ।

(4) इस कार्यक्रम का शैक्षणिक लक्ष्य की अपेक्षा सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए अत्युतम रूप से आयोजन किया गया है । इस दौरे का समय लगभग दो सप्ताह हो सकता है और आगन्तुक छात्रों को आतिथ्य संस्था का अपने खान-पान का खर्च वहन करने वाले अतिथि होना चाहिए । आगन्तुक छात्रों को छात्रावास में भुगतान पर भोजन और आवास की व्यवस्था की जा सकती है ताकि वे आतिथ्य

विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ रह सकें और उनके रहन-सहन के तरीके में हिस्सा बटा सकें तथा घनिष्ठ रूप से उनकी जानकारी प्राप्त कर सकें ।

(5) आतिथ्य विश्वविद्यालय को इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सम्मिलित किया जाना चाहिए और उसे लेक्चरों, वाद-विवादों और शैक्षणिक सांस्कृतिक तथा उसे अन्य अभिरुचियों के स्थानों के दौरों का प्रबन्ध करना चाहिए ।

(6) प्रायोजित विश्वविद्यालय को आतिथ्य विश्वविद्यालय के परामर्श से भोजन व्यवस्था, आवास, कार्यक्रम आदि से सम्बन्धित प्रबन्ध करने चाहिएं । इस कार्यक्रम में निकटवर्ती ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रों के दौरों को शामिल करने की आवश्यकता होती है ताकि आगन्तुक छात्र उनके जीवन-यापन के तरीके, उनकी आकांक्षाओं और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें । यह लाभदायक और महत्वपूर्ण होगा यदि भ्रमणकारी छात्र अपने अध्यापकों के साथ, भ्रमण पूरा करने से पूर्व भ्रमण से हुए एक दूसरे के अनुभवों की जानकारी कराने के लिए आतिथ्य संस्था के विद्यार्थियों/अध्यापकों से समूह में मिलें अथवा विचार-विमर्श करें अथवा दो दिनों के सेमिनार में भाग लें ।

(7) विद्यार्थियों का चयन करना, आतिथ्य विश्वविद्यालय का चुनाव करना, प्रायोजक और सम्बन्धित आतिथ्य विश्वविद्यालय के विवेक पर छोड़ देना चाहिए ।

(8) लद्दाख जैसे स्थानों का भ्रमण, यात्रा कठिनाइयों और निहित खर्चे के कारण सम्भव नहीं हो सकेगा ।

(9) भ्रमण समाप्त होने पर प्रत्येक प्रायोजक विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए (जैसी कि अध्यापक और भ्रमणकारी विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई है) जिसमें विद्यार्थियों पर भ्रमण का प्रभाव और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में और अधिक सुधार करने के लिए उनके सुझाव दिए गए हैं ।

(10) इस योजना में जो विद्यार्थी भाग लेंगे, उनकी संख्या 50 तक सीमित होती है, और आयोग का योगदान किसी भी हालत में प्रतिवर्ष 5000/- रुपये से अधिक नहीं होगा ।

(11) कार्यक्रम की अवधि लगभग दो सप्ताह होगी ।

(12) भ्रमणकारी विद्यार्थियों को, अपने-अपने अध्ययन के स्थान से भ्रमण के स्थान तक और वापसी की यात्रा के लिए तीसरी श्रेणी का रेल (स्लीपर)/बस किराया दिया जाएगा । विद्यार्थियों को, प्रत्येक तरफ का 10 रुपये के दर पर प्रासंगिक खर्चा और प्रतिदिन 10 रुपये का दैनिक भत्ता दिया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए विद्यार्थियों को रेलवे रियायत का उपयोग करना चाहिए ।

(13) विश्वविद्यालय को, आगन्तुक छात्रवृत्ति योजना का उपयोग करने के लिए अपने प्रस्ताव के साथ-साथ सम्बद्ध कालेजों के प्रस्ताव भी शामिल करने चाहिएं ।

दिल्ली के स्कूलों के लिये सलेक्शन ग्रेड के अध्यापक

1604. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री दिल्ली के स्कूलों के लिये सलेक्शन ग्रेड अध्यापकों की सूची के बारे में 12 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी स्कूलों में कार्य कर रहे सलेक्शन ग्रेड के लिये पात्र टी०जी० अध्यापकों (पुरुष

तथा महिलाएं दोनों) की सूची को अभी तक अन्तिम रूप न देने और इसे सब सम्बन्धित व्यक्तियों को परिचालित न करने के क्या कारण है ; और

(ख) सरकार को इस मामले को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) प्रशासन संवर्ग के अध्यापकों की सूचियों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और वे परिचालित कर दी गई है । नगर निगम दिल्ली से लिये गये और राजकीय मिडिल स्कूलों में कार्य कर रहे अध्यापकों के सम्बन्ध में, निगम ने अन्तिम बरीयता सूची अभी तक नहीं भेजी है । तथापि, बाद के मामले में एक अस्थायी बरीयता सूची तैयार कर दी गई है और वह परिचालित कर दी गई है । उसे लगभग 3 महीने के भीतर अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है ।

तीन केन्द्रीय योजनाओं का राज्यों को अन्तरित करना

1605. श्री नारायण चन्द्र पराशर :

सरदार बूटा सिंह :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को मकान बनाने के लिये भूखण्ड देने, नगरीय क्षेत्रों में पयावरिक सुधार और गन्दी बस्तियां हटाने तथा ग्रामीण पेय जल सप्लाई परियोजनाओं सम्बन्धी तीनों योजनाओं को केन्द्रीय सेक्टर से राज्य सेक्टर में अन्तिरित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो निर्णय की तिथि क्या है; और

(ग) क्या इन योजनाओं के निष्पादन के लिये विभिन्न राज्यों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध की जायगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां । ये तीनों योजनाएं विशेष कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत चौथी योजनावधि में आरम्भ की गई थीं तथा इसकी वित्त व्यवस्था पूर्णरूपेण केन्द्रीय सहायता द्वारा की जाती थी । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, ये तीनों योजनाएं राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत लाई जा रही हैं जोकि सम्बन्धित राज्यों के लिय पांचवीं योजना के परिव्यय का एक अनिवार्य अंग है ।

(ख) वर्ष 1973 के शुरु के भाग में ।

(ग) पांचवीं योजना के मसौदे के दस्तावेज के अनुसार तीनों योजनाओं के लिय अनुमोदित परिव्यय इस प्रकार है :—

(i) भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिये आवास स्थल .	108.16 करोड़ रु०
(ii) गन्दी बस्ती पर्यावर्ण सुधार . .	105.47 करोड़ रु०
(iii) ग्रामीण जलपूर्ति . .	573.00 करोड़ रु०

पहाड़ी और रेतीले क्षेत्रों में रुक-रुक कर सिंचाई (ट्रिकल इरीगेशन)

1606. क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टिट्यूट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रेतीले शुष्क मैदानों में उच्च मूल्य की दूर-दूर बोई गई साग-सब्जियों और बागान फसलों के लिये रुक-रुक कर सिंचाई (ट्रिकल इरीगेशन) अधिक उपयुक्त है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सिंचाई योजनाएं पांचवीं योजना में देश के वर्षारहित पड़ाही क्षेत्रों और रेतीले क्षेत्रों के लिये तैयार की जायेंगी और उनका परीक्षण किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां, । केन्द्रीय मरू क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में रुक-रुक कर सिंचाई (ट्रिकल इरीगेशन) के तरीके पर परीक्षण किये गये हैं । इस संस्थान म किये गये परीक्षणों के परिणामों से रेतीली मिट्टियों में और मरू क्षेत्रीय परिस्थितियों के अन्तर्गत काफी दूरी रख कर उगायी जाने वाली साग-सब्जियों और बागानी फसलों के लिये पानी के इस्तेमाल की उच्च प्रभावकारिता का पता चला है ।

(ख) अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं के अन्तर्गत पांचवीं योजना में सम्पूर्ण देश में स्थित विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों में रुक-रुक कर सिंचाई (ट्रिकल इरीगेशन) के तरीके सहित जल प्रबन्ध पर और अधिक तकनीकी खोजबीन करने का प्रस्ताव रखा गया है । इस तरीके को अपनाने के बारे में किसानों को सलाह देने से पहले इसके अर्थशास्त्रीय अध्ययन के लिये राजस्थान के रेतीले क्षेत्रों में रुक-रुक कर सिंचाई (ट्रिकल इरीगेशन) के तरीके का बड़े पैमाने पर मूल्यांकन करने की एक अगामी प्रायोजना सरकार के विचाराधीन है ।

चयन ग्रेड के लिये पात्त प्राथमिक अध्यापकों की सूची का पुनरीक्षण

1607. **श्री योगेश चन्द्र गुरयु:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री चयन ग्रेड के लिये प्राप्त प्राथमिक अध्यापकों की सूची के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में 26 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2005 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग ने, जो कि बताया गया था कि चयन ग्रेड देने के लिये 6 सितम्बर, 1971 से 4 सितम्बर, 1973 के बीच के पुरुष तथा महिला अध्यापकों की सूची का पुनरीक्षण कर रहा है, इस बीच सूचियां प्रकाशित कर दी हैं जिनमें सभी पात्र सहायक अध्यापकों को चयन ग्रेड का लाभ दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर, 1972 और सितम्बर, 1973 को कितने पुरूष तथा महिला सहायक अध्यापकों को इससे लाभ पहुंचा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और शिक्षा विभाग द्वारा कब तक ये सूचियां प्रकाशित की जायेंगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम से सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी ।

Sale of contaminated wheat seeds in Maharashtra

1608. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether contaminated wheat seeds have come up for sale in the black market in Maharashtra State;

(b) whether the Food Corporation has alleged that State Government was responsible for that; and

(c) the reaction of Central Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c). Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

त्रिनगर से केन्द्रीय सचिवालय तक 59 विशेष बसों की व्यवस्था करना

1609. **श्री के० लकप्पा:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिनगर से पटेल नगर (शंकर रोड) होते हुयें केन्द्रीय सचिवालय तक के लिये 59 विशेष बसों की व्यवस्था करने के बारे में दिल्ली परिवहन निगम प्राधिकरण को त्रिनगर वैलफेयर एसोसियेशन (रजि०) दिल्ली-35 से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) . त्रिनगर से पटेल नगर और शंकर रोड़ से होते हुये त्रिनगर से केन्द्रीय सचिवालय को रूट सं० 59 पर विशेष फेरों की व्यवस्था करने के लिये दिल्ली परिवहन निगम को त्रिनगर कल्याण संघ (रजिस्टर्ड) दिल्ली से मार्च, 1973 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ । इसी प्रकार की मांग केन्द्रीय सरकारी कल्याण संघ त्रिनगर से भी प्राप्त हुई । उक्त कालोनी के प्रतिनिधियों से एक बैठक हुई जिसमें दिल्ली परिवहन निगम अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि चूंकि रूट सं० 59 पर त्रिनगर और केन्द्रीय सचिवालय के बीच सेवाएं पहले से ही चल रही है, अत: पटेलनगर और शंकर रोड़ से होते हुए त्रिनगर और केन्द्रीय सचिवालय के बीच कोई भी सेवा चलाना आवश्यक अथवा शक्य नहीं । इस सम्बन्ध में और कोई आवेदन पत्र इसके बाद प्राप्त नहीं हुआ है ।

केन्द्रीय सचिवालय और तिलकनगर, नई दिल्ली के बीच बस का 47 नम्बर रूट

1610. **श्री के० लकप्पा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय और तिलक नगर नई दिल्ली के बीच 47 नम्बर रूट पर चलने वाली अन्तिम बस केन्द्रीय सचिवालय से 7 बजकर 45 मिनट पर चलती है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संसद के अधिवेशन के दौरान बड़ी संख्या में सचिवालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को जिन्हें संसदीय कार्य के सम्बन्ध में देर तक बैठना

होता है, 7 बजकर 45 मिनट के बाद, 47 नम्बर बस उपलब्ध न होने के कारण भारी कठिनाई होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार उक्त रूट पर बस सेवा का समय 10 बजे तक बढ़ाने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) केन्द्रीय सचिवालय से तिलक नगर को रूट सं० 47 पर आखिरी फेरा शाम को 7 बजकर 40 मिनट पर लगाया जाता है ।

(ख) और (ग). रूट सं० 47 पर भारी भीड़ के समय बसें चलाई जाती हैं । शाम को 7 बजकर 40 मिनट के बाद केन्द्रीय सचिवालय पर अधिक यातायात नहीं होता । परन्तु उन कर्मचारियों की सुविधा के लिये जिनको अपने कार्यालयों में देर तक काम करना पड़ता है, केन्द्रीय सचिवालय से सुभाष नगर को रात के 9.00 बजे तक 6-ए एक्सप्रेस रूट की सेवाओं की व्यवस्था की गई है । इसके अलावा लोदी कालोनी और तिलकनगर के बीच रूट सं० 6 की सेवाएं सम्पूर्ण परिचालनात्मक समय के दौरान केन्द्रीय सचिवालय से होते हुए चालू रहीं हैं । यह व्यवस्था उन व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त समझी गई हैं, जिनको केन्द्रीय सचिवालय/संसद भवन के इर्द-गिर्द की इमारतों में शाम को देर तक कार्य करना पड़ता है ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की कम लागत पर मकान बनाने के लिये दी गई सलाह

1611. **श्री विश्वनाथ झुंझनवाला** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा कम लागत पर मकान बनाने के बारे में की गई सेवायें/सलाह इतनी अपर्याप्त हैं कि इससे मकान निर्माण करने वाले को कोई सहायता नहीं मिलती ;

(ख) गत दो वर्षों में दिल्ली में कितने मकान निर्माण करने वाले व्यक्तियों ने अपने मकान बनाने में राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की सहायता प्राप्त की;

(ग) क्या मकानों के नक्शे बहुत पुराने हो गये हैं और वे छोटे प्लाटधारियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो संगठन को और सुदृढ़ बनाने और इसकी सेवाओं को छोटे मकान निर्माण करने वालों के लिए उपयुक्त बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं ।

(ख) गत दो वर्षों में, लगभग 3,500 मकान निर्माताओं ने राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन से सहायता/मार्गदर्शन प्राप्त किया है ।

(ग) जी, नहीं । 125, 168, 250 तथा 335 वर्ग मीटर के छोटे-छोटे भूखण्डों के लिये मकानों के 81 डिज़ाइन तैयार किये गये हैं, इन डिज़ाइनों में, मकान को अत्यन्त सुदृढ़ तथा सुखदायी बनाने की आधुनिकतम जानकारी का समावेश है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा बनाये गये फारमूले के अनुसार निर्माण लागत

1612. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के परामर्श और फार्मूले का यदि गैर-सरकारी निर्माणकर्ता द्वारा अनुसरण किया जाये तो निर्माण पर प्रति वर्ग फुट कितनी लागत आयेगी और सरकार जिन दरों पर गैर-सरकारी ठेकेदारों को ठेके देती है तथा जो बाज़ार की निर्माण लागत है उसकी तुलना में उपयुक्त लागत की स्थिति क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन कार्यालय, नई दिल्ली में भावी मकान निर्माणकर्ता का मार्गदर्शन कोई भी तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति नहीं करता है और यह कार्य स्वागतियों को दिया हुआ है जिन्हें तकनीकी योग्यता प्राप्त नहीं है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन का विचार मकान निर्माणकर्ताओं को पैसा लेकर परामर्श, नक्शे तथा सामग्री देने का है और यदि हां, तो ऐसा कब से आरम्भ किया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) पाम्परागत विशिष्टियों के आधार पर बनाये गये भवनों के निर्माण की लागत 253 रुपये प्रति वर्ग मीटर होती है (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दिल्ली दर सूची, 1972 पर आधारित दर जमा 11 प्रतिशत) । यदि प्रीकास्ट रूफिंग/फ्लोरिंग यूनिट्स, राख, गौण किस्म की इमारती लकड़ी जैसे नये तकनीकों को जिनको कि राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने बढ़ावा दिया है, निर्माण कार्यों में अपनाया जाये तो लागत में 15 प्रतिशत तक की बचत की आशा की जा सकती है अर्थात् कुर्सी क्षेत्रफल की दर 214 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों को सामान्यतः कुर्सी क्षेत्र दर के आधार पर कार्य नहीं देता है । ठेके, विस्तृत अनुमानों, तथा बनाई जाने वाली विभिन्न मदों की मात्रा के आधार पर निविदायें आमन्त्रित करने के बाद दिये जाते हैं । अतः लागत अन्ततः कई विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करेगी जिनमें, डिज़ाइन, अपनाई गई विशिष्टियां, भवन निर्माण सामग्री तथा मजदूरी के प्रचलित मार्कीट दर और निविदा के स्वीकृत दर अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं ।

निर्माण के मार्कीट दर, भवन की किस्म, अपनाई गई विशिष्टियों, स्थान आदि के अनुसार अलग-अलग होते हैं । तथापि, यह कहा जा सकता है कि कुर्सी क्षेत्रफल के अनुमानित दर प्रति वर्ग मीटर 395 रुपये से 480 रुपये तक भिन्न-भिन्न हैं ।

(ख) जी, नहीं । भावी मकान निर्माताओं को भवन निर्माण आदि के मामलों में मार्गदर्शन करने के लिये राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन के प्रदर्शन केन्द्र में एक विशेष काउंटर खोला गया है । यह काउंटर तकनीकी योग्यता प्राप्त एक व्यक्ति के अधीन है । इस काउंटर पर तकनीकी किस्म की नई सूचना दी जाती है । तथापि, जिन दर्शकों एवं मकान निर्माताओं की मकान के डिज़ाइन, निर्माण, अनुरक्षण आदि संबंधी विशेष तकनीकी समस्यायें होती हैं उन्हें संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजा जाता है ।

(ग) मकान-निर्माताओं को परामर्श और सामग्री बेचने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन 150, 200, 300, 400, और 500 वर्ग गज़ के आकार के प्लाटों

के लिये, उपयुक्त मकानों के सांकेतिक किस्म के डिज़ाइनों की प्रतियां मकान निर्माताओं और अन्य इच्छुक व्यक्तियों के लिये 1 रुपये की नाममात्र कीमत पर दे रहा है ।

सोयाबीन का उत्पादन

1613. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :**
श्री रामसहाय पांडे :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विभिन्न स्तरों पर स्थित विभिन्न अवरोधों के कारण अखिल-भारतीय स्तर पर सोयाबीन की खेती करने की दशा में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे केन्द्र सरकार के प्रोटीन पोषण कार्यक्रमों को बहुत अधिक धक्का पहुंचा है ; और

(ग) इस का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) देश में सोयाबीन की वाणिज्यिक खेती केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केवल 1971–72 से शुरू की गई है । कुछ रुकावटों की वजह से सोयाबीन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में लक्ष्यों के अनुसार वृद्धि नहीं हो सकी । इन रुकावटों में एक कारण यह था, कि देश में सोयाबीन के लिए पर्याप्त परिसंस्करण सुविधाओं की कमी रही है । भारत सरकार के खाद्य और पोषक बोर्ड द्वारा प्रारम्भ किये गये प्रोटीन-युक्त खाद्य पदार्थों के विकास कार्यक्रम प्रायः खाद्य मूंगफली चूर्ण के उपयोग पर आधारित थे। इस रुकावट को कुछ सीमा तक दूर करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा फरीदाबाद में लगभग 100 मीटरी टन क्षमता का एक सोयाबीन परिसंस्करण संयत्र स्थापित किया जा रहा है । जी० बी० पंत कृषि और तकनोलोजी विश्वविद्यालय, पंतनगर द्वारा, मानवीय उपयोग और औद्योगिक उपयोग के लिए सोयाबीन के विभिन्न उत्पादों का विकास करने के लिए एक मार्गदर्शी सोयाबीन उत्पाद विकास अनुसंधान संयंत्र की स्थापना के लिए एक दूसरी परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है ।

साथ ही साथ, सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में सोयाबीन के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना को और भी विस्तृत आधार पर जारी रखने का प्रस्ताव है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, अच्छी किस्म के बीज उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी, जिससे कि किसानों को अच्छी किस्म के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध किये जा सकें ।

Effect of oil crisis on Agricultural Schemes

1614. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the effect of the oil crisis on the agricultural schemes of the country?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : High speed diesel oil is used for tractors, harvesting combines and power-tillers. High speed and low speed diesel oils are also used for operating diesel pumps particularly in those areas where the power line is not available or where the supply of electric power to the farmer is not ensured. Petroleum products are also used as feed stock for the production of chemical fertilisers. Except for transport difficulties, the supply of high speed and low speed diesel oil for agricultural machinery, and lift irrigation has not been adversely affected.

Supply of petroleum based feed stock for indigenous fertilisers plants has also been maintained. However, reduced petroleum supplies in many countries from which chemical fertilisers are being imported into India have affected the availability of chemical fertilisers in the country, thereby affecting agricultural production.

Quantity of wheat and coarsegrains asked for and supplied to Tamil Nadu

1615. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of wheat and coarsegrains asked for by Tamil Nadu Government from the Centre during the last five months ;

(b) the quantity of foodgrains supplied by the Centre to Tamil Nadu during above period; and

(c) the reasons for not supplying the required foodgrains?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b). A statement is attached.

(c) Allotments of foodgrains from the Central Pool are made keeping in view the availability of stocks in the Central Pool, the needs of all deficit States, market availability, price position and other relevant factors.

STATEMENT

Quantity of wheat and coarsegrains demanded by and supplied to Tamil Nadu.

(In '000 tonnes)

Month	Demanded		Supplies	
	Wheat	Coarse-grains	Wheat	Coarse-grains
October, 1973	25.0	..	10.3	..
November, 1973	25.0	..	11.1	..
December, 1973	20.0	..	11.3	..
January, 1974	20.0	..	10.3	..
February, 1974	20.0	..	9.0*	..

*(Allotment)

Rice supplied to Delhi during last five months

1616. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of rice demanded and supplied by Central Government to Delhi during the last five months; and

(b) the reasons for not supplying full quota of rice?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b). Delhi Administration has been demanding 4,000 tonnes of rice per month from the Central pool. Keeping in view the overall availability of rice in the Central pool

and needs of dificit States like Kerala, West Bengal, etc. which are predominantly rice eating States and also considering the fact that Delhi is in the Northern Rice Zone consisting of surplus States of Punjab and Haryana, a total quantity of over 8 thousand tonnes rice was supplied to Delhi during the period from September, 1973 to January, 1974.

Financial Assistance to Haryana Government for Development of Transport and Highways

1617. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the amount of financial help given by the Central Government to the Haryana Government for development of transport and highways during last two years;

(b) the amount of financial help asked for by the State Government for the above work ; and

(c) the amount of financial help that will be given to the State Government during the financial year 1974-75 for the above work?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping & Transport : (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b). The Government of India do not give any grants or other financial help to State Governments for development of Road Transport. In the field of Highways, the Government of India are mainly concerned with National Highways which are a Central subject. The entire expenditure on their development and maintenance is, therfore, being met by the Government of India. In addition, Central financial loan assistance is also given for a selected State roads/bridges of inter-State or economic improtance. The table below indicates the position regarding final requirements received from the Government of Haryana and the allotments made against those requirements under the various schemes :—

	1971-72		1972-73	
	Final requirements intimated by State Government	Amount allotted	Final requirements intimated by State Government	Amount allotted
				(In lakhs of Rupees)
(i) Development and maintenance of National Highways	140.78	140.78	255.37	255.37
(ii) Special Roads .	2.50	2.50	1.95	1.95
(iii) Central Road Fund . .	9.17	9.17	20.44	20.44
(iv) Loan assistance for development of State Roads of Inter-State or Economic Importance . . .	..	..	5.00	1.00

(c) Allocations for 1974-75 can be decided only after the Budget Estimates for that year have been voted by Parliament.

Sugar Supplied to Madhya Pradesh

1618. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of Sugar supplied to Madhya Pradesh by the Central Government during the last five months;

(b) the quantity of Sugar demanded by the State Government during the above period; and

(c) the reasons for not supplying the full quota?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture Shri B. P. Maurya : (a) The following quantities of leavy sugar were allotted to Madhya Pradesh during the last five months :—

October, 1973.	13124 tonnes
November, 1973.	11874 tonnes
December, 1973.	11874 tonnes
January, 1974.	12514 tonnes
February, 1974.	12514 tonnes

(b) & (c) No communication for increase of the monthly quota has been received during the above period, from the Government of Madhya Pradesh. In any case, the basic monthly quotas of levy sugar for various States/Union Territories, including Madhya Pradesh, have been fixed on a rational basis, taking into account the population figures as recorded in 1971 Census, and the past pattern of consumption. Actual monthly allotments are, however, adjusted marginally in relation to the total release of levy sugar for each month.

Loss to crops due to Rains in Madhya Pradesh

1619. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the extent of loss caused to the crops due to heavy rains in Madhya Pradesh during 1972-73; and

(b) the assistance given for the welfare of farmers in Madhya Pradesh during the same period?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b) The Government of Madhya Pradesh did not approach the Government of India for any financial assistance during 1972-73 for loss to the crops due to heavy rains nor was any Central assistance provided during this period towards flood relief.

Free Zone for Rice

1620. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state whether Government propose to form a free zone for rice with immediate effect?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : No Sir.

RS-09 Tractor Declared Defective in Madhya Pradesh

1621. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of RS-09 tractors declared defective by the Madhya Pradesh Agro-Industrial Corporation and the nature of defects detected therein; and

(b) the action taken or proposed to be taken to take the situation caused by the said defects?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) RS-09 tractors were neither purchased nor sold by the Madhya Pradesh Agro-Industrial Corporation.

(b) Doest not arise.

Applications for Tractor From Madhya Pradesh During 1971-72 and 1972-73

1622. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of applicants from Madhya Pradesh who applied for tractors during the years 1971-72 and 1972-73 but could not get; and

(b) the total number of applicants?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) Applications for imported tractors arer egistered with the State Agro-Industries Corporation. The number of applicants from M.P. who applied for tractors and those who could not get them is as under :

Year	Total No. of applicants	No. of applicants who could not get tractors
1971-72	907	90
1972-73 . .	301	68

In the case of indigenous tractors, necessary information is not available as applications are registered with the delaers of the various indigenous manufacturers who supply the tractors to them.

रिजर्व बैंक द्वारा त्रिपुरा के सहकारी बैंक को दी गई वित्तीय सहायता

1623. **श्री वीरेन दत्त :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1972-73 में त्रिपुरा के सहकारी बैंकों को कितनी वित्तीय सहायता दी ;

(ख) क्या त्रिपुरा के सहकारी बैंक ने इस धनराशि का उपयोग किया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को वर्ष 1972-73 में मौसमी कृषि कार्यों के लिए 75 लाख रु० की अल्पकालीन ऋण सीमा मंजूर की। भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 लाख रु० मध्यकालीन परिवर्तन ऋण के रूप में भी मंजूर किये हैं।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्पाद शुल्क से प्राप्त आय पर मद्य निषेध का प्रभाव

1624. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 के दौरान प्रत्येक राज्य को मद्य निषेध लागू किये जाने के फलस्वरूप उत्पादन शुल्क में हुई हानि के लिए कितनी राशि का मुआवजा दिया गया है ।

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार के अनुदानों को जारी रखने की नीति को बनाये रखने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जिन तीन राज्यों ने हमारी क्षतिपूर्ति योजना का लाभ उठाया था, उन्हें निम्नलिखित धन राशियां मंजूर की गई थी :—

(1) हरियाणा .	14,00,000 रुपये
(2) राजस्थान	12,90,000 रुपए
(3) उत्तर प्रदेश	17,32,000 रुपए

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की परियोजनाओं के खर्चे की परिषद् तथा राज्यों में बांटने के बारे में निर्णय

1625. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने भारतीय अनुसंधान परिषद की परियोजनाओं पर होने वाले खर्चे को परिषद तथा राज्यों में बांटने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजनाओं के अन्तर्गत चलने वाले अनुसंधान के लिए शत प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है । लेकिन अब ऐसा प्रस्ताव है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजन में यह खर्च भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य सरकारें दोनों मिलकर उठाएं। इस नयी कार्य विधि में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान कार्यों पर होने वाले कुल खर्च का 75 प्रतिशत तथा संबंधित राज्य 25 प्रतिशत देंगे ।

ऐसी नीति इसलिए अपनाई गई है ताकि कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार भी योग दे सकें ।

दिल्ली में कम लागत वाले स्कूल भवन का निर्माण

1627. **श्री कमल मिश्र मधुकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की (उ०प्र०) द्वारा किये गये अनुसंधान के आधार पर दिल्ली में कम लागत वाले कुल भवनों का निर्माण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) दिल्ली में, कम लागत पर स्कूल भवनों के निर्माण का प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है। इस संबंध में केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की (उ०प्र०) से यह निवेदन किया गया है कि वे अपने द्वारा कम लागत पर तैयार की गई मिडिल/उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवनों की डिजाइन और आदिप्रारुप (प्रोटोटाइप) भेज दें।

हुगली पुल की लागत में वृद्धि

1628. **श्री सरोज मुखर्जी :**

श्री एस० एन० सिंह देव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली पर दूसरे पुल के निर्माण की परियोजना पर विलम्ब से कार्य शुरू होने के कारण इसकी लागत में वृद्धि हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो इसे शीघ्र आरम्भ करने के लिए भारत सरकार क्या उपाय कर रही है; और

(ग) क्या यदि इस परियोजना को मार्च, 1974 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया तो इसमें एक और वर्ष का विलम्ब पड़ जायेगा।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) : दूसरा हुगली पुल परियोजना मुख्यतः राज्य परियोजना है और पश्चिम बंगाल सरकार इसके निर्माण आदि सभी मामलों से संबंधित है उन्होंने सूचित किया है कि मैसर्स ई०पी०आई० लिमिटेड को हावड़ा और कलकत्ता की ओर के पहुंच मार्गों के लिए तथा मैसर्स भागीरथी ब्रिज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को मुख्य पुल निर्माण के लिए ठेके दे दिये गये हैं पुल के डिजाइन और निर्माण की द्वारा जांच करने के लिए हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर के विदेशी परामर्श के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। परियोजना में शीघ्रता करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकार को हर संभव सहायता दे रही है।

कनाट प्लेस, नई दिल्ली में खादी भवन के कब्जेवाले भवन का खाली किया जाना

1629. **श्री मधु लिमये :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी भवन द्वारा कनाट प्लेस में अपने भवन को खाली किये जाने के प्रस्ताव के बारे में लोक सभा के एक सदस्य से सरकार को कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या ऐसा मारुति कार के "शो रूम" के लिए स्थान उपलब्ध कराये जाने के लिए किया जा रहा है ;

(घ) यदि नहीं, तो एक व्यस्त व्यापारिक केन्द्र में स्थित खादी-भवन के विशाल भवन को मकान मालिक को वापस किये जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) : जी, हां। एक संसद सदस्य ने खादी ग्रामोद्योग कर्मचारी संघ का एक अभ्यावेदन भेजा था जिसमें खादी ग्रामोद्योग भवन द्वारा दखल किये हुए परिसर को खालीं कराने सम्बन्धी मामले पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध किया गया था। बाद में संसद के दोनों सदनों के कई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ था। जिसमें परिसर को खादी ग्रामोद्योग भवन के दखल में रहने देने की सिफारिश की गयी थी। सरकार ने अब उक्त परिसर को अधिग्रहण मुक्त नहीं करने का निर्णय किया है।

(ग) तथा (घ) : भाग (क) और (ख) के उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए (ग) तथा (घ) का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Cooperative Sugar, Rice and Oil Mills

1630. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of co-operative sugar, rice and oil mills in the country at present;

(b) the locations thereof; and

(c) the production capacity of each of them together with the production in last two years and the capital invested in each of them?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The number of cooperative sugar, rice and oil mills organised and installed in the country are as follows :

Unit	Organised	Installed
Sugar Mills	140	89
Rice Mills	745	699
Oil Mills .	186	147
	1071	935

(b) and (c) On the basis of information available, a Statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library*. See No. L.T. 6301/74]

Expenditure on Prime Minister's Bungalow

1631. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state the amount of expenditure per month on Prime Minister's Bungalow since the beginning of economy campaign in August, 1973 as compared to the expenditure during these months in the previous year?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : A statement showing the expenditure on the maintenance of Prime Minister's House i.e., 1, Safdarjung Road and 1, Akbar Road which includes office accommodation also, is attached.

Statement

Month	1972 Rs.	1973 Rs
August .	16,246	17,253
September	13,390	11,110
October .	15,278	12,392
November	15,854	14,590
December .	20,563	14,656
	81,331	70,001

प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि द्वारा पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति का निर्धारण

1632. **श्री रानेन सेन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एच०सी० सरीन ने प्रधान मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में जनवरी, 1974 के अन्तिम सप्ताह में पश्चिम बंगाल की खाद्य स्थिति के बारे में अनुमान लगाया था;

(ख) क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) प्रधान मंत्री ने अपना कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा था।

(ख) से (घ) : प्रश्न नही उटते।

पश्चिम बंगाल का गेहूं घोटाला

1633. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के लोग केन्द्र सरकार से निरन्तर मांग करते रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के गेहूं-घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई जाये;

(ख) इस प्रकार की मांग को न मानने के क्या कारण हैं जबकि समाचारपत्रों ने, विशेष रूप से उनमें से एक ने 15 जनवरी 1974 को यह लिखा था कि इस विशेष व्यापार से सम्बद्ध चार संगठनों के बहुत से पदाधिकारियों, अनेक बड़े अधिकारियों और जन-सेवकों का उस मामले में हाथ है ; और

(ग) क्या इस प्रकार की जांच लोगों की सरकार के प्रति बढ़ रही शिकायतों के शमन में सहायक होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

Prohibition in Fifth Plan

1634. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether there is any programme of prohibition in the Fifth Plan and if so, the nature thereof; and

(b) whether there is any proposal for encouraging voluntary organisations by giving them financial assistance and if so, the amount of money that will be made available to those organisations?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) and (b) The Government of India will continue its advocacy of the policy of prohibition. The attempt to evolve a uniform policy on the subject, acceptable to all States/Union Tarritories, will be progressed. The approach will be to gradually (re) introduce prohibition.

In realisation of the fact that only educational propaganda can have lasting impact in this regard, a provision of Rs. 20 lakhs has been made in the Fifth Plan for the purpose. The assistance of voluntary organisations will be sought in this effort.

Handicapped Persons

1635. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the total number of handicapped persons during 1972-73 and the amount provided by the Central Government to the National Service Institute as grant or for research and employment?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : No dependable data are available. Rough estimates of different categories of handicapped persons are, however, as follows :—

The Blind :	4—5 million
The Deaf :	1½—2 million
The Orthopaedically Handicapped :	4—5 million
The Mentally Retarded Children :	2 million

The Department of Social Welfare is not aware of any National Service Institute.

पाकिस्तान द्वारा इण्डिया आफिस लायब्रेरी के अभिलेखों की माइक्रो फिल्म बनाया जाना

1636. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने लन्दन स्थित इण्डिया आफिस लायब्रेरी की महत्वपूर्ण सामग्री तथा सम्बन्धित अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनाने के बारे में व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) ऐसा पता चला है कि पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधि पिछले कुछ महीनों के दौरान, मुख्य रूप से उस क्षेत्र से संबंधित जो अब पाकिस्तान में शामिल है, इण्डिया आफिस लाइब्रेरी अभिलेखों की माइक्रोफिल्म प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) उन सभी अभिलेखों के, जो इण्डिया आफिस लाइब्रेरी द्वारा जनता के लिए उपलब्ध किए ग हैं, प्रमाणिक इतिहासकारों अथवा जांचकर्ताओं द्वारा निवेदन करने पर भुगतान के आधार पर फोटो भी लिए जा सकते हैं । किन्तु ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अभिलेखों के फोटो लेने का इण्डिया आफिस लायब्रेरी के स्वामित्व संबंधी किसी प्रकार के दावे से कोई सम्बन्ध नहीं है। चूंकि, सार्वजनिक पुस्तकालयों के अभिलेखों की माइक्रोफिल्म तैयार करना पुस्तकालय की एक सामान्य प्रथा है, इसलिए भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। भारत सरकार ने भी समय-समय पर इण्डिया आफिस लायब्रेरी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्म प्रतियां प्राप्त की हैं।

Effect on Indian Shipping Due to Shortage of Petrol

1637. **Shri Chandu Lal Chandrakar :**

Shri P. A. Saminathan :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Indian Shipping is likely to be adversely affected as a result of petrol shortage;

(b) whether Government contemplate averting this crisis by curtailing consumption of petrol under other heads; and

(c) if so, the facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping & Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) to (c) The ships consume fuel oil, diesel oil etc. and **not** petrol. On account of uncertainty about the availability of bunkers and steep increase in bunker prices, the Shipping Corporation of India and other Shipping Companies have adjusted their sailing schedules so as to curtail consumption of bunkers. The situation is under constant review by Indian Shipping Companies.

चीनी उद्योग के मूल्य ढांचे पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

1638. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग के मूल्य ढांचे और चीनी के उचित मूल्य के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग द्वारा 21 सितम्बर, 1973 को प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) (क) और (ख) सितम्बर, 1973 में प्राप्त हुई टैरिफ आयोग की अन्तिम रिपोर्ट पर लिए गए निर्णयों को बताने वाले सरकार के संकल्प संख्या 15-9-73-श०नी०, दिनांक 22 फरवरी, 1974 की एक प्रति 25 फरवरी, 1974 को सभा क पटल पर पहले ही रखी जा चकी है।

दुग्ध चूर्ण का आयात

1639. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध चूर्ण की कमी को देखते हुए सरकार ने कुछ राज्यों को इसका आयात करने की अनुमति प्रदान की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और अब तक कितनी मात्रा का आयात किया गया है और तत्संबंधी समझौतों का ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ को उर्वरक के व्यापार में हुई हानि

1640. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ को सेंट्रल पूल से प्राप्त आयातित उर्वरक के व्यापार में गत तीन वर्षों के दौरान 40 लाख रुपये की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एकाधिकारी गृहों द्वारा चीनी मिलों की स्थापना

1641. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकारी गृहों/बड़े उद्योगपतियों को नयी चीनी निर्माण एकक स्थापित करने अथवा विद्यमान क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी है अथवा देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या प्रत्येक मामले में उक्त अनुमति एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की स्वीकृति लेने के बाद दी गई थी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) पहले जारी किए गए आशय पत्रों को लाइसेंसों में परिवर्तित करने के अलावा एकाधिकार गृहों/बड़े उद्योगपतियों को औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच समिति, 1969 की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नये चीनी कारखाने स्थापित करने अथवा वर्तमान कारखानों में विस्तार करने के लिए कोई नये लाइसेंस नहीं दिए गए हैं। वर्तमान क्षमता में विस्तार करने हेतु प्राप्त चार प्रार्थना पत्रों पर प्रत्येक के गुण-दोष के आधार पर इस प्रयोजन हेतु निर्धारित कार्यविधि के अनुसार और एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

चावल, चीनी तथा अन्य वस्तुओं का निर्यात

1642. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी अकर्मण्यता के कारण अन्य चीनी, चावल तथा वस्तुओं के लिये इस समय उपलब्ध निर्यात को बढ़ाने के अवसर कम हो रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस त्रुटि को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार चीनी, बासमती चावल और अन्य वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की जरूरत के प्रति पूरी तरह सजग है और इस दिशा में सभी सम्भव पग उठा रही है;

Programme for Distributing Nutritious Food During Fourth Five Year Plan

1643. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of Balwadies that took up the programme of distributing nutritious food during the Fourth Five Year Plan, year-wise; and

(b) the number of children who benefited in each State and the amount of money spent on it, State-wise, during the Fourth Plan?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) and (b) A statement containing the required information is attached. [Placed in Library, *See* No. L.T. 6302/74].

Provision of Rs. 25 crores for Rural Housing in the Fourth Five Year Plan

1644. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether a provision of Rs. 25 crores was made for Rural Housing in the Fourth Five Year Plan;

(b) if so, whether this amount was later reduced, and to what extent; and

(c) the total amount spent by each State separately on Rural Housing during the Fourth Five Year Plan?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of works and Housing (Shri Om Mehta): (a) and (b) The Fourth Five Year Plan specifies the total outlay on Housing and Urban Development in respect of State sector schemes. Separate outlays for rural housing etc. are to be worked out by the State Governments themselves. On the basis of the information reported by different State Governments, an outlay of Rs. 5.68 crores was allocated to the Village Housing Projects Scheme during the Fourth Five Year Plan out of the total outlay of Rs. 124.5 crores approved for all State sector housing Schemes in the Fourth Five Year Plan. In addition to this an outlay of Rs. 10 crores was also provided outside the State Plan ceiling for the Central sector scheme for provision of house-sites to landless workers in rural areas during the last 2 years of the Fourth Five Year Plan. Due to reasons of economy this has been reduced to Rs. 8.5 crores.

(c) A statement containing the requisite information on the basis of the data received from the State Govts. is laid on the Table of the Lok Sabha.

STATEMENT

I. State-wise expenditure during Fourth Five Year Plan on the Village Housing Projects Scheme

Sl. No.	Name of State	Amount spent (Rs. in) lakhs)	Name of Union Territory	Amount spent (Rs. in lakhs)
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	15.23	1. Andaman & Nicobar Islands	—
2.	Assam	3.71	2. Arunachal Pradesh	—
3.	Bihar	23.65	3. Chandigarh	—
4.	Gujarat	25.00	4. Dadra & Nagar Haveli	—
5.	Haryana	10.72	5. Delhi	39.59
6.	Himachal Pradesh	*3.00	6. Goa, Daman & Diu	9.91
7.	Jammu & Kashmir	2.00	7. Lakshadweep	0.07
8.	Kerala	109.29	8. Mizoram	—
9.	Karnataka	72.38	9. Pondicherry	4.89
10.	Madhya Pradesh	23.71		
11.	Maharashtra	154.70	TOTAL	54.46
12.	Manipur	—		
13.	Meghalaya	—		
14.	Nagaland	—		
15.	Orissa	38.18		
16.	Punjab	79.20		
17.	Rajasthan	—		
18.	Tamil Nadu	135.60		
19.	Tripura	2.93		
20.	Uttar Pradesh	—		
21.	West Bengal	7.47		
	TOTAL	706.77		

*Expenditure likely to be incurred.

GRAND TOTAL : **(States and Union Territories) : Rs. 761.23 Lakhs**

II. Figures of grants sanctioned/released under the Scheme for provision of House-sites to landless workers in rural areas during the Fourth Five Year Plan

Sl. No.	Name of State	Amount of Grant (Rs. in lakhs)	
		Sanctioned	Released
		Rs.	Rs.
1.	Andhra Pradesh	90.37	22.59
2.	Bihar	45.82	11.45
3.	Gujarat	306.58	76.65
4.	Haryana	0.08	0.06
5.	Himachal Pradesh	0.64	0.32
6.	Karnataka	239.38	59.84
7.	Kerala	677.76	358.44
8.	Madhya Pradesh	199.63	49.91
9.	Maharashtra	164.56	41.14
10.	Orissa	8.40	2.10
11.	Punjab	31.68	7.92
12.	Rajasthan	11.24	2.81
13.	Tamil Nadu	75.51	37.76
14.	Uttar Pradesh	30.85	7.71
15.	West Bengal	19.39	4.85
	TOTAL	1,901.89	683.55

Note : Actual expenditure by each State is not know.

पश्चिम बंगाल में अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण

1645. **श्री आर० एम० बर्मन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल तथा बिहार, उड़ीसा और आसाम के निकटवर्ती क्षेत्रों में अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण करने की योजना है, और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन सहायता के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विचारार्थ सभी राज्य सरकारों आदि से मांगे गये प्रस्तावों के पत्र के उत्तर में पश्चिम बंगाल सरकार ने बिहार, उड़ीसा तथा सिक्किम के साथ वाले इलाकों को जोड़ने वाली अन्तर्राज्यीय सड़कों के निर्माण के लिये प्रस्ताव भेजे हैं। उन प्रस्तावों को सूचित करने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	सड़क का नाम	अनुमानित लागत (रु० लाखों में)	जोड़े जाने वाले राज्य
1	2	3	4
1.	खरगपुर-बालासौर (58 कि० मी०)	145	पश्चिम बंगाल और उड़ीसा
2.	कालीमपोंग-बगराकोट (80 कि० मी०)	300	पश्चिम बंगाल और सिक्कम
3.	बड़ाभूम-वादों (12 कि० मी०)	30	पश्चिम बंगाल और बिहार
4.	तुलसीहास्य-चाहसलम कतिहार (6 कि० मी०)	15	—यथोक्त
5.	जायपुर-करकरा-वोकारो (22 कि० मी०)	55	—यथोक्त—
6.	रघुनाथपुर (लायरा) से चेलीयाना दामोदूर गवाई और हुराई पुल सहित (250 कि० मी०)	64	—यथोक्त—

सी० आई० डब्ल्यू० टी० सी० द्वारा जांच की गई त्रिपुरा के लिए आवश्यक वस्तुओं की परिवहन संबंधी कठिनाइयां

1646. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि० ने त्रिपुरा सरकार की आवश्यकता की आवश्यक वस्तुओं को परिवहन संबंधी कठिनाइयों की जांच कर ली है, और

(ख) यदि हां, तो अब तक निगम ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) मामले की संबंधित अधिकारियों के परामर्श से जांच की जा रही है और अधिक जल स्तर में मैसम में कलकत्ता और कचार के बीच मई, 1974 में नदी सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है।

वनस्पति के मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि

1647. **श्री पी० गंगादेव :**

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि की गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या देश में वनस्पति की कमी जारी रहेगी; और

(घ) क्या स्टाकिस्टों को लाइसेंस तथा कोटा दिये जाने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : : (क) जी हां, पहली फरवरी, 1974 को।

(ख) विभिन्न जोनों में 54 से 60 पैसे प्रति किलो तक।

(ग) यह आने वाले महीनों में वनस्पति के उत्पादन के स्तर पर निर्भर करेगा, जोकि उल्टा उचित मूल्यों पर देशी तथा आयातित कच्चे तेलों की उपलब्धता से प्रभावित होगा।

(घ) वनस्पति के केन्द्रीकृत वितरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पांचवीं योजना में कृषि संबंधी लक्ष्य

1648. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री एम० एस० संजीवीराव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवीं योजना में निर्धारित कृषि यथार्थवादी है, और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न फसलों के लिए वर्षवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और क्या विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये जायेंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। पांचवीं योजना में विभिन्न फसलों के लिये निर्धारित लक्ष्य संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) किसी पंच वर्षीय योजना के वर्षवार लक्ष्य शुरू में ही निर्धारित नहीं किये जाते। फसलों के उत्पादन पर प्रभाव डालने वाली विभिन्न बातों की स्थिति का पुनरीक्षण करने के पश्चात् ही प्रतिवर्ष फसलवार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। पांचवीं योजना में फसलों की उपज में अपेक्षित वृद्धि प्राप्त करने के लिये किये जाने वाले व्यापक प्रयासों की सफलता पर ही लक्ष्यों की प्राप्ती निर्भर करती है। विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के लक्ष्यों की प्राप्ती, आदानों की सप्लाई, अवस्थापनात्मक सुधार और मौसम की सामान्य परिस्थितियों के फलस्वरूप विभिन्न खाद्य फसलों के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है।

विवरण

पांचवीं योजना में फसलों के उत्पादन के लक्ष्य :—

फसल इकाई	पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष (1978-79) में अधिकतम लक्षित उत्पादन
1	2
1. चावल दस लाख मीटरी टन	54.00
2. गेहूं " "	38.00
3. मक्का " "	8.00

1	2
4. ज्वार " "	11.00
5. बाजरा " "	8.00
6. अन्य अनाज " "	7.00
7. दाल " "	14.00
खाद्यान्नों का योग	140.00
8. तिलहन " "	12.50
9. गन्ना " "	170.00
10. कपास (लाख गांठें प्रत्येक 180 कि० ग्रा०)	80.00
11. जूट तथा मेस्ता " "	77.00
12. तम्बाकू हजार मीटरी टन	425.00

खाद्यान्न की मांग और पूर्ति

1649. श्री पी० गंगा देव :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय खाद्यान्न की मांग और पूर्ती में संतुलन बनाये रखने के लिये काफी कोशिश कर रहा है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों की खाद्यान्न की 57 प्रतिशत मांग पूरी करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) क्या वह यह कोशिश भी कर रहा है कि और अधिक आयात न करना पड़े ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) खाद्यान्नों की आवश्यकताएं कई एक बातों अर्थात उपलब्धता, अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थों, उनके तुलनात्मक मूल्यों, आय-स्तर, जनसंख्या में वृद्धि और शहरीकरण की रफ्तार आदि पर निर्भर करती है और इस लिये वे प्रत्येक राज्य और प्रत्येक वर्ष में भिन्न-भिन्न हो सकती है। अतः विभिन्न राज्यों की खाद्यान्नों से संबंधित आवश्यकताओं का ठीक-ठीक मात्रात्मक अन्दाजा लगाना सम्भव नहीं है। सामान्य उत्पादन के वर्ष में और सरकार के पास स्टाक की पर्याप्त भरपाई हो तो सरकारी वितरण प्रणाली का आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये खाद्यान्नों की पर्याप्त सप्लाई हो सकती है।

(घ) भारत सरकार समय-समय पर आयात के बारे में स्थिति की समीक्षा करती रहती है। आयात के लिये प्राधिकृत कुल मात्रा के अन्दर विदेशों से यथावश्यक मात्रा में खरीदारी की जा रही है ताकि सरकारी वितरण प्रणाली को बनाये रखा जा सके।

विशाखापत्तनम में पत्तन परियोजना का पूरा होना

1650. **श्री आई० ईश्वर रेड्डी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम में पत्तन परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या उक्त तिथि निर्धारित समय के अन्तर्गत आती है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न एजेंसियां, जैसे एन० एम० डी० सी०, एम० एम० टी० सी० और रेलवे उक्त तिथि तक तैयार हो जायेंगी, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) परियोजना के 1974 के मध्य की बजाय अब 1974 के बाद के महीनों में तैयार हो जाने की संभावना है। विलम्ब के मुख्य कारण निम्न प्रकार से हैं:—

(1) मैसर्स रिचार्डसन और क्रुडास द्वारा कन्वेयर गैलरी और ड्राइव हाउसेस इत्यादि के इस्पात कार्यों पर धीमी प्रगति।

(2) एम० ए० एम० सी० दुर्गापुर द्वारा और स्टेकर्स के निर्माण और संस्थान की धीमी प्रगति।

(3) मैसर्स पांडा इंजीनियरी वर्कस द्वारा कन्वेयर गलरी के कंक्रीट कार्यों में धीमी प्रगति।

(4) नवम्बर, 1972 से मार्च, 1973 तक आंध्र आंदोलन।

(5) आंध्र प्रदेश स्टेट एलेक्ट्रसिटी बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के कारण 1973 के दौरान बिजली की कमी।

(6) संचार और परिवहन पद्धति में गड़बड़ी जिससे कार्यों की प्रगति पर प्रभाव पड़ा।

(7) गत वर्षों की तुलना में 1973-74 के दौरान असामान्य रूप से कठिन समुद्री परिस्थितियां जिनके फलस्वरूप निर्माण कार्यों विशेषकर अयस्क घाट के क्रिवों की खुदाई की प्रगति पर प्रभाव हुआ।

(8) तेल संकट के कारण जापान से शिपलोडर और पश्चिम जर्मनी आदि से स्टील कार्य वेडिंग जैसे आयातित उपकरण के नौचालन में विलम्ब।

(9) मुख्य रूप से गार्डन रीच वर्कशाप्स कलकत्ता द्वारा इंजनों की सप्लाई में विलम्ब के कारण हुगली डोकिंग और इंजीनियरिंग कम्पनी, हावड़ा द्वारा कर्षनावों के निर्माण में विलम्ब।

(10) फालतू पुर्जों, विस्फोटक पदार्थों, टायरों आदि की प्राप्ति में कठिनाई के कारण पनकट दीवारों के निर्माण-कार्य की गति में सामान्य शिथिलता, और

(11) सीमेंट की कम सप्लाई।

(ग) और (घ) पोत लदान के ठेका स्तरों की प्राप्ति के लिये एम० एम० टी० सी० को अनुकूल बनाया गया है।

एन० एम० डी० सी० ने 1973 के मध्य तक और 1973 की तीसरी तिमाही के दौरान परीक्षण उत्पादन के प्रारम्भ तक बेलाडिला लौहायस्क (डिपोजिट संख्या 5) की स्थापना और चालू करने की योजना बनाई। सुरंग की पूर्ति में जून, 1974 तक कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। एच० ई० सी० उपकरण विशेषकर बैगन लोडरों की सप्लाई में देरी के कारण पूर्ति कार्यक्रम में और देरी हुई है।

इस समय विशाखापत्तनम द्वारा निर्यात के संबंध में रेलवे किरंदुल कोट्टावलसा लाइन से लगभग 40 लाख टन धरा उठाई कर रहा है। इस लाइन की क्षमता उत्तरोत्तर बढ़ाई जा रही है। पहले ही से किये गए विभिन्न उपायों से लौहायस्क के परिवहन के लिये इस लाइन की क्षमता, अगले दो या अधिक वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख टन की धरा उठाई के लिये बढ़ा दी जायेगी।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 पर वाल्टेयर-विजयवाड़ा सड़क पर अनकाम्पल्ली स्थित उपमार्ग के मार्ग रेखा निर्धारण में परिवर्तन ।

1651. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर वाल्टन विजयवाड़ा सड़क पर अनकाम्पल्ली स्थित उक्त मार्ग के मार्ग-रेखा निर्धारण में प्रस्तावित परिवर्तन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई ज्ञापन मिला है,

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) सितम्बर, 1973 में स्वीकृत संरेखन के विरुद्ध अभिवेदन प्राप्त हुये हैं। अभिवेदनों में यही दोष लगाया गया है कि तकनीकी दृष्टि के अलावा अन्य बातों को ध्यान में रखकर संरेखन को अन्तिम रूप दिया गया है और यह कि छोटे छोटे किसानों के कई सिंचाई कुंयें, नारियल के बाग, गन्ने के कोल्हू तथा जनता द्वारा दी गई इमारत जो कि गांव के केन्द्र के लिये है, जो नये संरेखन में आते हैं पर प्रभाव पड़ता है । तथा इस संशोधित संरेखन शहर के विस्तार के लिये पर्याप्त स्थान नहीं बचता।

(ग) राज्य सरकार से परामर्श करके अभिवेदन की जांच की गई है। जांच से यह मालूम हुआ है कि स्वीकृत संरेखन सबसे छोटा, कम खर्चीला और निर्बाध है इससे शहर और संरेखन के बीच काफी जगह रहती है अतः स्वीकृत संरेखन में कोई संशोधन करने का विचार नहीं है।

विद्यार्थियों में हिंसा, विनाश और असंतोष की प्रवृत्ति का अध्ययन

1652. **श्री एस० सी० सामन्त :**
श्री पी० ए० स्वामीनाथन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यार्थियों में हिंसा, विनाश और असन्तोष की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का कोई अध्ययन करने का विचार है;

(ख) शिक्षा को नया रूप देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे भावी पीढ़ी अपनी शक्ति का प्रयोग शिक्षा रचनात्मक कार्य और अच्छे समाज के निर्माण में कर सकें; और यदि हां, तो वे क्या हैं;

(ख) मंत्रालय द्वारा सबसे ज्वलन्त समस्याओं की ओर ध्यान न देने और शिक्षा में सुधार न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस को व्यवहार में लाने में कितना समय लगेगा?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (घ) छात्रों में असंतोष की समस्या का भूतकाल में सरकार द्वारा गठित की गई समितियों और सम्मेलनों द्वारा गहराई से अध्ययन किया गया है। और यह पाया गया है कि यह अपने आप में कोई रोग नहीं है, बल्कि यह वृहद समस्यात्मक राजनीति में विद्यमान कई त्रुटियों का भाग चिह्न है, जो वर्तमान सामाजिक, आर्थिक शैक्षणिक तथा राजनैतिक प्रणाली द्वारा प्रभावित होता है। इन समितियों और सम्मेलनों द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने और इन्हें कार्यान्वित करने के लिये इन्हें राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को भेज दिया गया है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भी छात्रों में व्याप्त असंतोष के प्रश्न का अध्ययन करने और इसके निवारण के लिये साधन और उपाय सुझाने के लिये समिति का गठन किया है, ताकि छात्र शैक्षणिक अवसरों का पूरा लाभ उठा सकें और एक नये राष्ट्र के निर्माण में अपनी समुचित भूमिका निभाने के लिये अपने आपको तैयार कर सकें।

2. राष्ट्रीय सेवा योजना का, जिसे चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों और कालेजों में एक बहुत ही सीमित मात्रा में आरम्भ किया गया था, स्वयं शिक्षा की प्रणाली में शिक्षा के इस कार्यक्रम को सेवा के साथ संयुक्त रूप से समाकलित करने की दृष्टि से व्यावहारिक रूप से अधिक संख्या के छात्रों को सम्मिलित करने के लिये अब इस (योजना) का विस्तार किया जा रहा है। कानपुर में फरवरी 1974 में आयोजित भारतीय विश्वविद्यालय संघ की अन्तिम बैठक में यह एक आम धारणा (मतैक्य) थी कि विश्वविद्यालयों को रा० से० यो० को पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने के उपायों के बारे में शीघ्र निर्णय लेना चाहिये। यह स्वयं शिक्षा को एक नया महत्व और एकीकरण का केन्द्र बिन्दु प्रदान करेगा। इस से शिक्षा समृद्धिशाली भी बनेगी और साथ ही युवा जनों की शक्ति का रचनात्मक कार्यक्रमों के लिये उपयोग किया जायेगा। इस प्रकार के कार्य के लिये निरक्षरता उन्मूलन, कल्याण तथा विकासशील सेवाओं की व्यवस्था, "युवा बनाम अकाल" किस्म के अभियानों को आयोजित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन करने, और रोजगार तथा स्वतः रोजगार के विभिन्न कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के माध्यम से पर्याप्त गुंजाइश है। छात्रों तथा गैर छात्रों को भी नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न रचनात्मक कार्यकलापों में एक दूसरे के समीप लाया जा रहा है।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी अपने उपलब्ध सीमित संसाधनों से अपनी सांविधिक जिम्मेदारी के अनुसार उच्चतर शिक्षा के कोटि और विषयवस्तु को सुधारने में भरसक प्रयत्न कर रहा है। आयोग ने छात्र कल्याण के कई कार्यक्रमों को भी अपने हाथ में लिया है: विद्यार्थियों का विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों में व्यापक रूप से भाग लेने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। तथापि इन्हें कारगर बनाने के लिये इनकी आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उपयुक्त साधनों द्वारा अनुपूर्ति भी करनी होगी।

राज्यों में युवा संसद्

1653. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली को छोड़ कर अन्य राज्यों में युवा संसद् की जो गतिविधियां शुरू की जानी थी और जिन्हें मितव्ययता के कारण स्थगित कर दिया गया था क्या उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में फिर से शुरू किया जायेगा;

(ख) इस कार्यक्रम पर कितना व्यय होगा तथा उसकी मांग न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या राज्य सरकारें भी इस बारे में होने वाले व्यय में योगदान देंगी ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) से (ग), केन्द्र में प्रचलित योजना के नमूने पर युवा संसद् प्रतियोगिता की योजना को राज्यों में आस्थगित नहीं रखा गया है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में युवा संसद् प्रतियोगिता के आयोजन के लिये वित्तीय सहायता की एक योजना को इस विभाग ने सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया है। केन्द्रीय सरकार इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार वितरण समारोह पर होने वाले वास्तविक खर्च को, अधिक से अधिक एक हजार रुपयों तक, राज्य सरकारों को प्रतिपूरित करने के लिये सहमत हो गई है। सीमा से अधिक व्यय, यदि कोई होता है, तो उसे राज्य सरकार वहन करेगी। तथापि, राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले वास्तविक व्यय का अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है।

मोती बाग II में दिल्ली कोलोनाइजरों की अनधिकृत निर्माण गतिविधियां

1654. **श्रीमती मुकुल बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरुद्वारा, मोती बाग II, दिल्ली की दीवार के निकट गांव मोची-बाग अरकपुर की और कुछ व्यक्तियों ने चाय आदि बेचने के खोके बना लिये हैं और वे इस भूमि पर अनधिकृत कब्जा किये हुये हैं;

(ख) क्या कुछ बेईमान कोलोनाइजर भूमि बेच रहे हैं तथा आवास और दुकानों के प्रयोजन हेतु अनधिकृत रूप से मकान बना रहे हैं और क्या यह भूमि 'लाल डोरा' में हैं या गुरुद्वारा की भूमि है;

(ग) उक्त क्षेत्र में कोलोनाइजरों की इन अनधिकृत निर्माण गतिविधियों पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या गांव की भूमि में कोई 'लाल डोरा' निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस छोटे से गांव में गुरुद्वारा के चारों ओर यह किस स्थान से किस स्थान तक है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) गुरुद्वारा की दीवार के समीप चाय आदि बेचने के लिये कोई खोखा नहीं बनाया गया है। तथापि, प्रस्तावित पार्क और सड़क के स्थल पर कुछ अनधिकृत संरचनायें हैं जिनका उपयोग रिहाइश तथा दुकान के लिये किया जाता है।

(ख) कोई भी कोलोनाइजर खुले आम लाल डोरा के अन्दर अथवा गुरुद्वारा की भूमि को नहीं बेच रहा है, और ना ही रिहाइश तथा दुकानों के लिये कोई निर्माण किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) तथा (ङ). स्थल पर लाल डोरा की वास्तविक हदबन्दी मौजूद नहीं है, तथापि, यह हदबन्दी ाम के नक्शे में दिखाई गई है।

गुरुद्वारा, मोती बाग-II के निकट मोचीबाग गांव से निष्क्रमण

1655. **श्रीमती मुकुल बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गुरुद्वारा, मोतीबाग II, दिल्ली के निकट गांव मोचीबाग में, भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के, जिन्हें उस स्थान से जनवरी 1967 और सितम्बर, 1969 में निकाला गया था, सच्चे दावों के स्थान पर भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वाले कुछ गैर-पंजीकृत व्यक्तियों को 25 वर्ग गज के प्लाट आवंटित किये थे;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उस गांव में ऐसे प्लाट जिन व्यक्तियों को दिये हैं उनकी संख्या और नाम क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1967 और 1969 में जो प्लाट खाली करवा लिये थे उन पर कुछ व्यक्तियों ने अभी भी अनधिकृत कब्जा कर रखा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1970 में खाली कराये गये 4 प्लाट अनधिकृत दखल में थे।

(घ) उन के विरुद्ध, लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन कार्यवाही की जा रही है।

जहाजरानी के क्षेत्र में भारत-पौलेण्ड सहयोग का विस्तार

1656. **श्री फतहसिंह गायकवाड़** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजरानी के क्षेत्र में भारत-पोलैण्ड सहयोग का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). भारतीय और पोलिश शिपिंग कंम्पनियां पहले ही संयुक्त शिपिंग सेवा चल रही है। 1976--1980 की अवधि के दौरान कुल 3 लाख डी०डब्ल्यू०टी० के जहाज भारत को देने के लिये पोलैण्ड सहमत हो गया है। संयुक्त भारतीय पोलिश शिपिंग कंपनी का प्रस्ताव भी किया गया है।

पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक तत्व को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव

1657. **श्री बसंत साठे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण सुनिश्चित कराने के लिये शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम के सांस्कृतिक तत्व को सुदृढ़ बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तैयार किये गये कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). स्कूल पाठ्यक्रमों तथा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विकसित पाठ्यचर्याओं में, भारतीय कला, वास्तुकला, इतिहास, भाषाओं तथा साहित्य इत्यादि जैसे विषयों पर सांस्कृतिक तत्व पर पर्याप्त रूप से महत्व दिया गया है। परिषद् द्वारा विकसित किये जा रहे इस नये 10 वर्षीय पाठ्यक्रम में संगीत, तथा नृत्य जैसे विषयों को यथेष्ठ रूप से शामिल करने के प्रश्न पर, पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण करते समय विचार किया जाएगा जो अभी तैयार किया जा रहा है। पाठ्यचर्या विकास कार्य एक सतत प्रक्रिया है तथा पाठ्यक्रम संशोधन केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर करना होता है।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में संस्कृति के अध्ययन तथा मूल्यांकन को यथेष्ठ स्थान दिया जायेगा।

डेरी संयंत्रों की क्षमता और दुग्ध चर्ण का आयात

1658. **श्री बसन्त साठे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1974 में देश में राज्यवार डेरी संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और वास्तव में कितनी क्षमता का उपयोग किया गया;

(ख) उक्त अवधि में कितनी क्षमता का उपयोग किया गया तथा देश में अनुमानतः कितनी मात्रा में और कितने प्रतिशत दूध प्राप्त हुआ और कितनी मात्रा में तथा कितने प्रतिशत दुग्ध चूर्ण का आयात किया गया;

(ग) गत तीन वर्षों में कितनी मात्रा में दुग्ध चूर्ण का आयात किया गया तथा किन-किन स्रोतों से किया गया और किस दर पर किया गया तथा दुग्ध चूर्ण के आयात पर वर्षवार कितनी धनराशि व्यय हुई; और

(घ) दुग्ध-उत्पादन-क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने और डेरी संयंत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख). एक विवरण-पत्र संलग्न है, जिसमें स्थिति बताई गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6303/74**]

इस विवरण-पत्र में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के सामने दिखाई गई आयातित दुग्ध चूर्ण की मात्रा में विश्व खाद्य कार्यक्रम—618 ('आपरेशन फ्लड') के अन्तर्गत प्राप्त दुग्ध चूर्ण शामिल नहीं है। वह आंकड़े इक्ट्ठे किये जा रहे हैं और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ग) गत तीन वर्षों अर्थात् 1971-72, 1972-73 और 1973-74 (जुलाई, 1973 तक) के दौरान आयात किये गए दुग्ध चूर्ण (स्किम तथा पूर्ण दोनों) की आयात की गई कुल मात्रा 88257.99 मीटरी टन है। यह आंकड़े 'भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े, खण्ड 2 आयात' (मंथली स्टेटिस्टिकस आफ दि फारेन ट्रेड आफ इण्डिया वाल्यूम-II-इम्पोर्टस) से लिये गए हैं। यह आयात इन देशों से किया गया।—

1. आस्ट्रेलिया
2. बैल्जियम

3. बुल्गारिया
4. कनाडा
5. चैकोस्लोवाकिया
6. डेनमार्क
7. फिनलैण्ड
8. फ्रांस
9. पूर्वी जर्मनी
10. पश्चिमी जर्मनी
11. हांगकांग
12. इटली
13. जापान
14. नीदरलैंड
15. न्यूजीलैंड
16. स्विटजरलैंड
17. यू० के०
18. संयुक्त राज्य अमेरिका

इस प्रकार किये गए आयात का मूल्य (लागत बीमा भाड़ा सहित) क्रमशः 1,453.240 लाख रु०, 1687.560 लाख रु० और 305.43 लाख रु० है।

(घ) डेरी संयंत्रों का पूर्ण उपयोग दुग्ध के उत्पादन पर निर्भर करता है और यह उत्पादन देहात में होता है। पूरे देश में ही दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये आवश्यक उपाय किये गए हैं और अभी भी किये जा रहे हैं। हाल के वर्षों में इस सिलसिले में उठाया गया एक बड़ा कदम गहन पशु विकास परियोजनाओं की स्थापना है। ये परियोजनाएं शहरों में स्थापित विभिन्न डेरी संयंत्रों के दुग्ध क्षेत्रों में स्थित हैं। दूध के उत्पादन पर प्रभाव डालने वाली अन्य महत्वपूर्ण पशु विकास परियोजनाएं निम्न-लिखित हैं :—

(1) अखिल भारतीय महत्त्वपूर्ण ग्राम योजनाएं।

(2) संकर-प्रजनन विकास कार्यक्रम।

(3) दाना तथा चारा विकास कार्यक्रम।

(4) गौशाला विकास योजना।

(5) पशु फारमों का दृढ़ीकरण और विस्तार।

(6) बछड़ा पालन योजना।

(7) पशु-प्रदर्शन तथा दुग्ध-उत्पादन प्रतियोगिता।

(8) रोग-नियंत्रण कार्यक्रम :-

(क) पशु-चिकित्सा हस्पतालों और औषधालयों की संख्या में वृद्धि

(ख) पशु-प्लेग उन्मूलन योजना

(ग) टीकों और सीरा के उत्पादन के लिये जीव-विज्ञानीय उत्पाद प्रयोगशालाओं का विस्तार।

उपर्युक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से डेरी विकास का एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना-618 के अन्तर्गत, जोकि दुग्ध विपणन तथा डेरी विकास की योजना है, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के महानगरों में अधिकांश उपभोक्ता को समुचित मूल्यों पर स्वास्थ्यकर दूध सप्लाई करने का विचार है। इसके लिय पांच वर्षों की अवधि के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम से 1,26,000 मीटरी टन स्किम चूर्ण और 42,000 मीटरी टन बटर आयल प्राप्त होगा। इस परियोजना के अन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा सप्लाई की गई वस्तुओं की उपर्युक्त चार महानगरों की डेरियों को बिक्री से जो धनराशि प्राप्त होगी, उसका उपयोग इन डेरियों की वर्तमान क्षमता के विस्तार के लिये किया जाएगा और अतिरिक्त दूध के वितरण के लिये नए संयंत्रों की स्थापना भी की जाएगी। इन चारों महानगरों की डेरियों के दुग्ध क्षेत्रों में जोकि 10 राज्यों और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्रों में पड़ते हैं दूध का उत्पादन बढ़ाने के लियें भी इस धनराशि का प्रयोग किया जाएगा।

अर्गट रोग-ग्रस्त गेहूं का बम्बई में आयात

1659. **श्री बसन्त साठे :**
श्री भागीरथ भंवर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि गत वर्ष बम्बई पत्तन के द्वारा आयातित तथा वितरित आधे से अधिक गेहूं अर्गट रोगग्रस्त पाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). बम्बई बन्दरगाह के माध्यम से अब तक प्राप्त 7.2 लाख मीटरी टन गहूं में से, 2.9 लाख मीटरी टन में कुछ अर्गट अनाज पाया गया था। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे यथा सम्भव ऐसा गेहूं उन रोलर आटा मिलों को दें, जिनके पास उसे साफ करने की अपेक्षित व्यवस्था है और जहां अनाज को इस्तेमाल करने से पूर्व उसे साफ करने, जैसा कि प्रत्येक घर में सामान्यतया किया जाता है, हेतु उपभोक्ताओं को बताना सम्भव नहीं है।

Grants and other Assistance to Jawaharlal Nehru, Aligarh Muslim and Banaras Hindu Universities

1660. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the total amount of grant and other assistance given to Jawaharlal Nehru University, Aligarh Muslim University and Banaras Hindu University separately during the last three years, year-wise;

(b) the total number of students in each of them; and

(c) the annual amount of Central assistance per student provided to these Universities during these years ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Posts of Teachers lying vacant in Delhi Schools

1661. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether a number of posts of Post Graduate Hindi Teachers are lying vacant in a number of schools of Delhi;

(b) the reasons for not appointing the teachers in spite of the fact that the Higher Secondary Examination is approaching;

(c) the number of the vacant posts and the period for which they are lying vacant;

(d) whether the posts of the teachers of other subjects are also lying vacant; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav): (a) and (c). Seventeen posts are lying vacant since Novmber-December, 1973. However, as an interim arrangement, qualified persons have been provided to the schools to work against such vacancies under the scheme 'Half a Million Job Programme'.

(b) The vacant posts are to be filled up by promotion for which the Recruitment Rules are being prepared.

(d) Yes, Sir; in Sanskrit only.

(e) The same as mentioned in reply to part (b) above.

Supply of bad quality of Wheat through Ration Shops in Delhi

1662. **Shri Bhagirath Bhanwar** :
Shri Nawal Kishore Sinha :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that low quality wheat, which was not fit for consumption was being supplied through ration shops in Delhi;

(b) whether the full quota of rice was supplied in posh localities during the first half of December only and not thereafter; and

(c) whether Government propose to punish the offenders publicly after enquiring into this ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Distribution of foodgrains within a State is the responsibility of the State Government/Union Territory administration. Delhi Administration has reported that no such compplaint has been received by them.

(b) No, Sir.

(c) Instructions have been issued to State Governments/Union Territory Administration including Delhi Administration that they should exercised strict supervision over the fair price/ration shops.

1972 के गत तिमाही में चीनी के उत्पादन में कमी

1663. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 की अन्तिम तिमाही में चीनी के उत्पादन में काफी कमी हुई है; **और**

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं। 1972 की पिछली तिमाही अर्थात् अक्तूबर-दिसम्बर 1972 में चीनी का उत्पादन 11.72 लाख मिटरी टन हुआ था जबकि पिछले वर्ष की उसी तिमाही में उत्पादित चीनी 8.69 लाख मिटरी टन थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल द्वारा नेपाल से चावल की खरीद

1664. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार का विचार सीधा नेपाल से चावल खरीदने का है; **और**

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये केन्द्रीय अनुमति ली गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार से (अभी-तक) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में चीनी के लैवी मूल्यों में वृद्धि में असमानता

1665. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश चीनी के नए लैवी में पांच रुपये तक की वृद्धि की गई है और अन्य राज्यों में यह वृद्धि प्रति क्विंटल 11 रुपये और 43 रुपये के बीच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) विभिन्न 16 ज़ोनों में 15 दिसम्बर 1973 से लैवी चीनी के मूल्यों में पिछली बार इस प्रकार संशोधन किया गया है :—

क्रम संख्या	ज़ोन का नाम	पिछले मूल्य से अन्तर (+वृद्धि) (- कमी)
1	2	3
1.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश . .	(+) 5.21
2.	मध्य उत्तर प्रदेश . .	(+) 1.91
3.	पूर्वी उत्तर प्रदेश .	(+) 10.54
4.	उत्तरी बिहार	(+) 2.95
5.	दक्षिणी बिहार	(+) 8.32

1	2	3
6.	पश्चिमी बंगाल, असम नागालैण्ड और उड़ीसा	(+) 6.61
7.	हरियाणा	(+) 19.82
8.	पंजाब	(+) 42.67
9.	मध्य प्रदेश	(—) 14.51
10.	राजस्थान . .	(—) 6.21
11.	महाराष्ट्र और गोआ .	(+) 13.05
12.	गुजरात	(+) 5.39
13.	कर्नाटक	(+) 11.07
14.	केरल . .	(+) 16.27
15.	आन्ध्र प्रदेश . .	(—) 1.69
16.	तमिलनाडु तथा पांडिचेरी	(+) 2.08

(ख) इस संशोधन का प्रभाव प्रत्येक ज़ोन के लिए भिन्न-भिन्न है क्योंकि टैरिफ आयोग ने अपनी सितम्बर 1973 की रिपोर्ट में विभिन्न ज़ोनों के लिये विभिन्न लागत अनुसूचियों की सिफारिश की थी और उनके चालू मौसम के लिये अनुमानित पिराई अवधि और चीनी की वसूली के अनुसार लागू करना है जोकि प्रत्येक ज़ोन के लिये भिन्न-भिन्न है।

केरल को उर्वरकों का आवंटन

1666. श्रीमती मार्गवी तनकप्पन :
श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल को राज्य की आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावन्कोर से उर्वरक आवंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और कब ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) उद्योग मंडल फेसिट और कोचीन फेज-I से केरल राज्य को सप्लाई करने के लिए 11955 मीटरी टन एन और 5240 मीटरी टन पी2 ओ 5 आवंटित किए गए हैं जो खरीफ 1974 (फरवरी-जुलाई 74) के मौसम के दौरान सप्लाई किए जाएंगे।

केरल में सहकारी संस्थाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

1667. श्रीमती मार्गवी तनकप्पन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में केरल में सहकारी संस्थाओं के विकास के लिये अनुदान अथवा ऋण और शेयर पूंजी में अंशदान के रूप में कुल कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : जी हाँ। पिछले तीन वर्षों में केरल में सहकारी सोसायटियों के विकास के लिए अंशपूंजी, ऋण, अनुदान और ऋण-पत्रों में लगाये गये धन के रूप में निम्न केन्द्रीय सहायता दी गई है :—

(लाख रु० में)

वर्ष	अंश पूंजी	ऋण	अनुदान	ऋण पत्रों में लगाया धन
1970-71	—	11.50	12.64	7.25
1971-72	—	20.32	7.71	28.60
1972-73	—	46.03	16.34	26.25

वर्ष 1972-73 में मंजूर किये गये 46.03 लाख रु० के ऋण में से केरल सरकार को 8.55 लाख रु० की धनराशि सहकारी सोसायटियों की अंशपूंजी में भाग लेने के लिए दी गई थी।

फरवरी, 1974 में खाद्य स्थिति

1668. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1974 में खाद्य स्थिति में किस सीमा तक सुधार हुआ है; और

(ख) इस संबंध में पूर्णतया सामान्य स्थिति कब तक हो जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) खरीफ की अच्छी फसल होने से खरीफ के खाद्यान्नों की बाजार में उपलब्धता बढ़ी है। 1 जनवरी, 1974 के अन्त से मोटे अनाजों के अन्तर-क्षेत्रीय संचलन पर प्रतिबन्धों में ढील दे दी गई है ताकि राज्य सरकारों के नामित एजेन्टों द्वारा बाहर मोटे अनाजों की खरीदारी और उनका संचलन किया जा सके। यद्यपि खाद्य स्थिति के जटिल रहने की सम्भावना है फिर भी रबी की फसल के आने से खाद्यान्नों की उपलब्धता में कछ सुधार होने की आशा है।

केरल में लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत बांधों का निर्माण

1669. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कितने बांधों का निर्माण किया, कितने बांधों का निर्माण पूरा हो गया है और गत वर्षों में, प्रत्येक में, इन बांधों द्वारा कितने-कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की गई;

(ख) प्रत्येक वर्ष सिंचित भूमि से कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) निर्माणाधीन बांधों का निर्माण संभवतः कितने समय में पूरा हो जायेगा तथा इसके लिये कितनी अतिरिक्त धनराशी की आवश्यकता होगी; और

(घ) कितने और बांधों का निर्माण किये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पांचवी योजना में कार्यालय तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये रिहायशी आवास पर खर्च

1670. **श्री नारायण चन्द पाराशर :**
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये पांचवीं योजना में कार्यालय तथा रिहायशी-स्थान उपलब्ध कराने पर सौ करोड़ रुपये की राशि व्यय करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो रिहायशी स्थानों के लिये पृथक रूप में कितनी राशि का नियतन किया गया है; और

(ग) क्या इस उद्देश्य से कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा और क्या सभी क्षेत्रों के दावों को ध्यान में रखा जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सामान्य पूल में कार्यालय तथा रिहायशी वास के लिए नियतन अभी अन्तिम रूप से नहीं किया गया है। योजना के प्रारूप में 100 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव था।

(ख) तथा (ग) इस समय यह प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली में समाज कल्याण विभाग के सचिवों का सम्मेलन

1671. **श्री वी० मायावन :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में शिशु कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिये नई दिल्ली में समाज कल्याण विभाग के सचिवों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस में किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या-क्या निर्णय हुये; और

(ग) इस सम्मेलन में किन-किन राज्यों ने भाग लिया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) 29 तथा 30 जनवरी, 1974 को समाज कल्याण सचिवों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें 21 राज्यों तथा 3 संघ शासित क्षेत्रों के समाज कल्याण सचिवों ने भाग लिया था। इसमें निम्नलिखित कार्य सूची पर विचार किया गया था :—

1. पांचवीं योजना म एप्रोच ।
2. समेकित बाल विकास कार्यक्रम।
3. पांचवीं योजना में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भाग लिया जाना।

4. परिवार और बाल-कल्याण परियोजनाओं का भविष्य।

5. सामाजिक रक्षा कार्यक्रम के प्रति नीति।

6. विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार दिया जाना।

2. इस सम्मेलन से उत्पन्न कुछ प्रमुख बातें नीचे दी गई हैं:--

(1) समाज कल्याण के प्रति पांचवीं योजना एप्रोच तथा उसके लिये प्रस्तावित कार्य-पद्धति को स्वीकार कर लिया गया था।

(2) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया गया था।

(3) समाज कल्याण योजनाओं तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में स्वयंसेवी एजेंसियों के और अधिक भाग लिये जाने पर विशिष्ट रूप से बल दिया गया था।

(4) सामाजिक रक्षा को ऊंची अग्रता दिये जाने की सिफारिश की गई थी। इस बात पर भी जोर दिया गया था कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित क्षेत्र में सामाजिक रक्षा को भी शामिल किया जाये। आधुनिक समाज की उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वर्तमान सामाजिक रक्षा कानूनों तथा उन्हें लागू किये जाने पर पुनर्विलोकन किया जाना चाहिये तथा सभी स्तरों पर संगठनात्मक सामर्थ्य को मजबूत किया जाना चाहिये।

(5) विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं को आय कर इत्यादि से छूट जैसे वित्तीय बढ़ावे दिये जाने चाहिये। विकलांग व्यक्तियों के लिये पदों का आरक्षण होना चाहिये और राज्य सरकारों ने विकलांग व्यक्तियों के उत्कृष्ट नियोक्ताओं तथा अत्यन्त कुशल विकलांग कर्मचारियों को पुरस्कार देने की अपनी योजनाएं शुरू करनी चाहिये।

सहकारी संस्थानों से आदिवासियों के लिये ऋण सुविधायें

1672. **श्री वी० मायावन:**

श्री पी० ए० स्वामीनाथन्:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ उपभोग आवश्यकताओं के लिये आदिवासियों को सहकारी संस्थानों से ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में राज्य तथा केन्द्रीय सरकार को कोई सुझाव दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे किस सीमा तक स्वीकार कर लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां। भारत सरकार द्वारा नियुक्त आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों में सहकारी ढांचा सम्बन्धी अध्ययन दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि आदिवासियों को प्राथमिक ऋण सोसायटियों के माध्यम से उपभोग प्रयोजनों के लिये भी ऋण दिये जायें और उनकी वसूली उनके द्वारा सोसायटियों को दी जाने वाली अप्रधान वन उपज के मूल्य से की जाये। गिरिजन सहकारी निगम, विशाखापत्तनम को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी सोसायटियों के माध्यम से आदिवासियों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने वाले केन्द्रीय वित्तदायी अभिकरण के रूप में मान्यता दी गई है। इस प्रयोजन के लिये स्वीकृत की गई योजना के अन्तर्गत आदिवासियों को उपलब्ध की जाने वाली वित्त की मात्रा का एक भाग घरेलू आवश्यकताओं के लिये दिया जाना है।

(ख) यह सिफारिश आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों में कार्यान्वित करने के लिये स्वीकार कर ली गई है।

निर्यात हेतु चीनी का अधिक उत्पादन करने के लिये की गई कार्यवाही

1673. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने हाल ही में क्या कार्यवाही की है अथवा वर्ष 1973-74 में करने का विचार है ताकि फालतू चीनी का निर्यात करके अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जा सके;

(ख) क्या सरकार ने निर्यात के प्रयोजनों हेतु अधिकाधिक चीनी देने के लिये कोई विशिष्ट योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) आंशिक नियंत्रण की नीति और अधिक उत्पादन के लिये उत्पादन शुल्क में छूट देने से चीनी का उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली है। अतीत में नई फैक्ट्रियों और मौजूदा यूनिटों के विस्तार के लिये जारी किये गए लाइसेंसों को यथा सम्भव कार्यरूप देने में तेज़ी लाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। यात्रा और किस्म की दृष्टि से गन्ने के विकास पर उचित ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का इस वर्ष उत्पादन की सम्भावनाओं, घरेलू खपत के लिये न्यूनतम जरुरतों और चीनी के चल रहे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुरूप इस वर्ष अधिक से अधिक निर्यात करने का इरादा है।

गन्ने की नई किस्म तैयार किया जाना

1674. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन्

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि गन्ने में चीनी की मात्रा की प्रतिशतता सामान्यतया भारत में और विशेषतया महाराष्ट्र में शनैः शनैः कम हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस स्थिति के कारणों का पता लगाने के लिये कोई अनुसंधान किया है; और

(ग) क्या सरकारी या गर-सरकारी अनुसंधान संस्था के स्तर पर गन्ने की ऐसी नई किस्म तैयार करने हेतु कोई प्रयास किया जा रहा है जिसमें चीनी की मात्रा की प्रतिशतता अधिक हो, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सामान्यतया भारत में उगाये जाने वाले गन्ने में चीनी की मात्रा की प्रतिशतता शनैः शनैः कम नहीं हो रही है। गन्ने में चीनी की मात्रा में 9.33 (1969-70) से 9.79 (1970-71 में) और 10.04 (1971-72 में) प्रतिशत की वृद्धि हुई। फिर हां; सन् 1972-73 में चीनी की मात्रा में कुछ कमी हुई, जो कि 9.60 प्रतिशत थी।

महाराष्ट्र में गन्ने में चीनी की मात्रा में 10.76 (1969-70 में) से 11.29 (1970-71 में) प्रतिशत की वृद्धि हुई। परन्तु, सन् 1971-72 में और 1972-73 में क्रमशः 11.09 और 10.73 प्रतिशत थी।

(ख) कृषि विभाग ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है, जो पूरे भारत में और विशेषतया महाराष्ट्र में गन्ने में चीनी की मात्रा की प्रतिशतता में कमी होने के बारे में खोज-बीन करेगी।

समिति ने गन्ने को कृत्रिम रूप से पकाने वाले रसायन तथा मिट्टी की उर्वरता पर अकार्बनिक उर्वरकों का दीर्घकालीन प्रभाव तथा पौध संरक्षण संबंधी अनुसंधानों को तीव्र करने के अलावा अधिक शर्करा-प्रतिशत वाली गन्ने की नयी किस्मों के प्रजनन की सिफारिश की है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बत्तूर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ और अखिल भारतीय गन्ना विकास समन्वित प्रायोजना तथा देश के सभी बड़े गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में स्थित इनके केन्द्रों ने इन समस्याओं के हल खोज निकालने के लिये नये सिरे से अपने अनुसंधान कार्यक्रम शुरू कर दिये हैं।

(ग) कोयम्बत्तूर के गन्ना प्रजनन संस्थान ने गन्ने की 10 ऐसी किस्में विकसित की हैं जो कि अगेती हैं और जिनका सुक्रोस अंश उच्च है। इनमें से कुछ किस्मों के रस में फसल कुल 10 महीने की होने पर भी सुक्रोस 19-20 प्रतिशत तक पाया जाता है। इस समय इन किस्मों पर पूरे देश में बहु-क्षेत्रीय परीक्षण चल रहे हैं। इसके अलावा समन्वित प्रायोजनाओं में भाग लेने वाले केन्द्र भी अपने-अपने क्षेत्र में कोयम्बत्तूर के गन्ना प्रजनन संस्थान द्वारा मुहैया किऐ गए गन्ने के बीजों का इस्तेमाल करके नई किस्मों के प्रजनन में लगे हुये हैं।

जहां तक गन्ने को कृत्रिम रूप से पकाने वाले रसायनों का प्रश्न है, तमिल नाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी तटीय क्षेत्र की गन्ने पकने में कठिनाई वाली परिस्थितियों में 9 महीने की फसल पर 'साइकोसेल' या 'सी सी सी' नामक रसायन के 4 कि० ग्रा० प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करने पर 50 से 70 दिन बाद रस की क्वालिटी में काफी सुधार पाया गया है।

महाराष्ट्र के पाडागांव में सुक्रोस-अंश पर अकार्बनिक उर्वरकों का प्रभाव परखने के प्रयोग चल रहे हैं और इन प्रयोगों के पूरा होने पर ही परिणाम का पता चल सकेगा।

गन्ने की उपज बढ़ाने के लिये बीज बढ़िया किस्म का और रोगमुक्त होना चाहिये, जिसके लिये पिछले साल 8 चुनींदा केन्द्रों पर बुनियादी बीज-उत्पादन का कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अलावा रासायनिक तथा जैव उपायों से फसल-सुरक्षा की समस्या पर अनुसंधान को और भी तीव्र कर दिया गया है। पंजाब में 'फोरेट' के इस्तेमाल से 'अगोला वेधक' (टाप शूट बोरर) की सफलता पूर्वक नियंत्रण किया गया है।

दिसम्बर, 1973 के दौरान चीनी के मूल्यों में वृद्धि के लिये आधार

1675. श्री ई० वी० विखे पाटिल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 15 दिसम्बर, 1973 से चीनी के मूल्यों में किस आधार पर वृद्धि की गई है;

(ख) क्या सरकार ने मूल्य बढ़ाते समय गन्ने के फार्मों से कारखाने तक ले जाने के लिये सहकारी चीनी कारखानों द्वारा किये गए व्यय पर भी ध्यान दिया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) टैरिफ आयोग द्वारा अपनी अद्यतन रिपोर्ट (सितम्बर, 1973), जिसे सभा के पटल पर पहले ही रखा जा चुका है, में अभिस्तावित नयी लागत अनुसूचियों और चालू चीनी मौसम के शुरू होने से पूर्व चीनी कारखानों द्वारा बताई गई पिराई मौसम की अनुमानित अवधि, चीनी की वसूली आदि के आधार पर 1973-74 के लिये लेवी चीनी के निकासी मूल्यों में 15 दिसम्बर, 1973 से संशोधन किया गया है। कुछ जोनों में मूल्यों में वृद्धि होने और अन्य में कमी होने के परिणामस्वरूप मूल्यों में संशोधन करना पड़ा था।

(ख) और (ग) टैरिफ आयोग द्वारा जोनवार तैयार की गई लागत अनुसूचियों में बिना रेल के गन्ना केन्द्रों से गन्ना भेजने के लिये परिवहन संबंधी खर्च शामिल हैं। चीनी कारखानों द्वारा देय गन्ने के न्यूनतम मूल्य में 32 पैसे प्रति क्विंटल की दी जाने वाली छूट को भी ध्यान में रखा गया है।

Grants to Universities by U.G.C.

1676. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the amount of grant given to the various Universities by the University Grants Commission in the year 1973-74, separately;

(b) whether an enquiry is made about use or misuse of the grants given by the Centre; and

(c) if so, the facts thereof and the details of the charges if made for the misuse of the grants against a University within a year ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (an Information is being collected and a statement will be laid on the Table of the Sabha

(b) and (c). The University Grants Commission provides assistance to Universities after examining their proposals. The grants are released on the basis of progress reports submitted by the Universities indicating the actual expenditure incurred on a project and its further requirements. The Universities are also required to submit utilisaion certificates from the Statutory Auditors certifying that the grants have been utilised for the purpose for which they were sanctioned. Any improper use of the grants is thoroughly looked into and the Universities are required to refund the grant not used for the propose for which they were sanctioned or to adjust the same against the grants payable by the Commission.

अगस्त, 1973 से जनवरी, 1974 की अवधि के दौरान बिहार को खाद्यान्न का आवंटन

1677. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त 1973 से जनवरी 1974 की अवधि के दौरान बिहार को आवंटित खाद्यान्न का माह-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या खाद्यान्न के आवंटन में कोई कटौती की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय पूल से आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता, सभी कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्धता, मूल्य स्थिति और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रख कर किए जाते हैं। मंडी में खरीफ के अनाजों की आमद से सितम्बर, 1973 से बिहार सहित कई एक राज्यों के आवंटनों में कमी कर दी गई थी।

विवरण

बिहार को आवंटित खाद्यान्न

(हजार मी० टन में)

माह	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़
अगस्त, 1973	45.0	—	45.0
सितम्बर, 1973	35.0	—	35.0
अक्तूबर, 1973	35.0	—	35.0
नवम्बर, 1973	20.0	5.0	25.0
दिसम्बर, 1973	20.0	5.0	25.0
जनवरी, 1974	20.0	5.0	25.0

Books Published by Various State Granth Akademies

1678. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of books published during the last three years by the various State "Granth" Akademies;

(b) the number of original and translated books out of them separately; and

(c) the ratio in which honorarium or royalty is paid to the writers or translators on original and translated books?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c) The required information is being collected from the different States and will be placed on the Table of the House in due course.

वनस्पति और मूंगफली के तेल के मूल्यों को स्थिर रखने संबंधी नीति

1680. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री अरविन्द पटेल

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि सरकार द्वारा इस आधार पर कि वनस्पति का मुख्य अवयव मूंगफली का तेल अधिक मूल्य पर बिक रहा है वनस्पति के मूल्य में वृद्धि की घोषणा के कुछ घन्टों पश्चात् ही मूंगफली के तेल के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार को ऐसे वस्तुओं के मूल्य स्थिर रखने में कहां तक सफलता मिली है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की भावी नीति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्या) : (क) से (ग) सरकार ने वनस्पति के मूल्य में वृद्धि की घोषणा पहली फरवरी 1974 के अपरान्ह को की थी, जबकि मूंगफली के तेल के मूल्य में वृद्धि उससे एक अथवा दो दिन पूर्व हुई थी । वास्तव में दिसम्बर, 1973 के उत्तरार्द्ध में मूंगफली के तेल के मूल्य विभिन्न कारणों से असाधारण रूप से ऊंचे चल रहे हैं हालांकि इस वर्ष अधिक पैदावार होने का अनुमान लगाया गया था । राज्य सरकारों से पहले ही अनुरोध किया गया है कि वे जमा स्टाक को निकलवाने और सट्टेबाज़ी की गतिविधियां को समाप्त करने के बारे में सख्त कार्यवाही करें।

पश्चिमी जोन में शिपयार्ड की स्थापना

1681. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जौन में शिपयार्ड स्थापित करने के लिये स्थान के बारे में सिफारिश करने वाली समिति ने गुजरात के हजीरा पत्तन की सर्वोत्तम स्थान के रूप में सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) उसकी रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) तकनीकी आर्थिक कार्यदल जिसका गठन हजिरा सहित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न निर्माण स्थलों की जांच करने को किया गया है था की रिपोर्ट अभी विचाराधीन है । और देश में नए शिपयार्डों के स्थान के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

खाद्य जोनों का समापन सहित वर्तमान खाद्य नीति में परिवर्तन

1682. **श्री डी०पी० जदेजा :**

श्री वेकारिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में खाद्यान्न की बिगड़ती हुयी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार खाद्य जोनों के समापन सहित वर्तमान खाद्य नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) मौजूदा खाद्य जोनों को समाप्त करने का कोई विचार नहीं है । तथापि, सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में मोटे अनाजों पर लगे प्रतिबंधों को हटा लें और मोटे अनाज के अन्तर्राज्यीय संचलन पर लगे प्रतिबंधों में संशोधन करें ताकि राज्य सरकारों के मनोनीत एजेन्टों के लिए अन्य राज्यों से मोटे अनाज खरीदना और उनका संचलन करना संभव हो सके ।

राज्य सरकारों के परामर्श से खाद्य नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है । इस प्रयोजन हेतु मार्च, 1974 के दौरान नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन होने जा रहा है ।

इण्डिया आफिस लाइब्रेरी का अधिग्रहण

1683. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **शिक्ष, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लन्दन स्थित इण्डिया आफिस लाइब्रेरी के अधिग्रहण का मामला किस स्थिति में है ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : ब्रिटिश सरकार में मध्यस्थता के लिए प्राप्त प्रारूप करार अभी विचाराधीन है';

चीफ कन्जरवेटर आफ फौरेस्ट, राजस्थान द्वारा आत्महत्या

1684. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के चीफ कंजरवेटर आफ फौरेस्ट ने हाल में ही 1 फरवरी, 1974 को आत्म हत्या कर ली थी क्योंकि नई दिल्ली में केन्द्रीय अधिकारियों ने उनके प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया था; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) तथा (ख) राजस्थान सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल को दिये जाने वाले चावल के कोटे में कटौती

1685. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल को दिये जाने वाले चावल के कोटे में जनवरी, 1974 में दस हजार टन तक की कटौती की है;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि पश्चिम बंगाल सरकार पूरे राशन के स्थान पर "ड्यू स्लिप" जारी कर रही है; और

(ग) इससे खाद्य की समस्या का हल कैसे होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) पश्चिमी सरकार को दिसम्बर, 1973 के लिए केन्द्रीय पूल से प्रारम्भ में 30,000 मीटरी टन चावल आवंटित किया गया था। राज्य सरकार के अनुरोध पर, केवल उसी मास के लिए उन्हें 10,000 मीटरी टन का अतिरिक्त तदर्थ आवंटन किया गया था। जनवरी, 1974 से पश्चिमी बंगाल को प्रत्येक मास 30,000 मीटरी टन चावल का आवंटन किया जा रहा है।

(ख) राज्य में उचित मूल्य/राशन की दुकानों से खाद्यान्नों का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि फिलहाल चावल के राशन की मात्रा में कोई कटौती करने की संभावना नहीं है।

(ग) उत्पादन बढ़ाकर और आन्तरिक अधिप्राप्ति तेज कर।

उचित दर की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण

1686. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**:
श्री वीरेन्द्र सिंह राव:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उचित दर की दुकानों के माध्यम से चीनी, गेहूं, वनस्पति, कोयला और मिट्टी का तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं के वितरण का नया प्रयोग आरंभ करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि अनुसंधान निकायों के कार्यों में सुधार करना

1688. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि अनुसंधान निकायों के कार्यों में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इन निकायों में सुधार करने के लिए प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत देश में कृषि अनुसंधान का केन्द्र और राज्य दोनों पर ही उत्तरदायित्व है। राज्यों में कृषि अनुसंधान का उत्तरदायित्व कृषि विभाग और/या कृषि विश्वविद्यालय पर है। विभिन्न राज्यों में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार-शिक्षा के उत्तरदायित्व को संभालने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी है। अधिकतर राज्यों में कृषि अनुसंधान संबंधी कार्य कृषि विश्वविद्यालयों को हस्तान्तरित कर दिया गया है और शेष राज्यों में भी ऐसा ही किया जा रहा है ।

2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना सन् 1929 में की गयी थी। यह केन्द्र में, देश में चल रहे कृषि तथा पशुविज्ञान की शिक्षा और अनुसंधान कार्यों के चलाने, उन्हें सहायता देने, उन्हें आगे बढ़ाने और उनमें तालमेल बनाये रखने से संबंधित कार्यों की देखरेख करती है। देश के भिन्न-भिन्न भागों में स्थित अनेक अनुसंधान संस्थान परिषद् के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही कृषि विश्वविद्यालय और दूसरी जगह किये जाने वाले अनुसंधान कार्यों को भी परिषद प्रोत्साहन देती है तथा उनमें संयोजन बनाये रखती है। सरकार ने जून, 1972 में एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति नियुक्त की। इस जांच समिति ने सरकार को जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें उसने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के गठन में कुछ परिवर्तन लाने की सिफारिश की है। जांच समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन पर कुछ विशिष्ट निर्णय किए हैं। अतः 12 नवम्बर, 1973 को कृषि राज्य मंत्री ने लोक सभा के पटल पर जो वक्तव्य रखा था उसमें परिषद् के पुनर्गठन के कारणों पर भी कुछ प्रकाश डाला गया था। परिषद् के पुनर्गठन से संबंधित जो निर्णय लिये गये हैं, वे इस प्रकार हैं—(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन, (2) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की स्थापना, (3) भरती की प्रणाली, (4) कर्मचारी संबंधी उपयुक्त नीति तैयार करना, (5) कृषि वैज्ञानिकों के लिए वेतन, (6) संस्थानों के वित्तीय और प्रशासकीय प्राधिकार का विकेन्द्रीकरण आदि। इसके अनुसार कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE) की पहले ही 15 दिसम्बर, 1973 में स्थापना हो चुकी है। सरकार के अन्य निर्णयों को लागू करने से संबंधित कार्यवाही की जा रही है। इस कार्य के लिए संयुक्त सचिव के स्तर के एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति भी कर ली गयी है।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई के बारे में विचार गोष्ठी

1689. **श्री आर० वी०स्वामीनाथन** :

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने और अधिक नगरों को गन्दी बस्तियों की सफाई योजना में शामिल करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गंदी बस्तियों की सफाई तथा उनमें सुधार करने के बारे में 5 फरवरी, 1974 को नई दिल्ली में एक दो-द्विसीय अखिल भारतीय विचार-गोष्ठी आयोजित हुई थी; और यदि हां, तो इस गोष्ठी के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) पांचवी योजना में इस संबंध में कितनी धन राशि का नियतन किया गया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) पांचवी योजना में गंदी बस्ती क्षेत्रों की पर्यावरण सुधार योजना को उन सभी नगरों में लागू किये जाने का प्रस्ताव है जिनकी आबादी तीन लाख और उससे अधिक है।

(ख) नगर प्रशासन में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए 'गन्दी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार' पर अखिल भारतीय विचार गोष्ठी, केन्द्र द्वारा 5 तथा 6 फरवरी, 1974 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित की गई थी।

(ग) गोष्ठी में लिए गए निष्कर्षों तथा सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। पांचवी योजना के मसौदे में राज्य क्षेत्र में गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार योजना के लिए 105.47 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

संकर बीजों के उत्पादन में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा प्रयोग

1690. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम इस समय संकर बीजों के उत्पादन कार्य में लगा हुआ है जो सीमित उर्वरा स्थितियों में भी अधिक उपज देंगे ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रयोग कहां तक सफल हुआ है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने दक्षिण में एक नए प्रकार के धान के बीज के लिए भी प्रयोग किया जिससे उस क्षेत्र में अधिकाधिक उपज हो सकती है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) राष्ट्रीय बीज निगम संकर बीजों की उन किस्मों के उत्पादन का कार्य करता है जो सरकारी रूप से निर्मुक्त की जाती हैं। निगम उन उन्नत किस्मों के संबंध में निर्मुक्ति-पूर्व संवर्धन का भी कार्य करता है जिनका कि अखिल-भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं द्वारा विकास किया जा रहा है ? निगम ने ऐसे संकर बीजों के उत्पादन के लिए कोई विशेष प्रयोग शुरू नहीं किया है, जिनसे कम उर्वरक डालने से अधिक उपज प्राप्त हो सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के अन्तर्गत सस्य अन्वेषणों के परिणामों के आधार पर उर्वरकों के संबंध में सिफारिशें करती है।

(ग) तथा (घ) धान की नई किस्मों के विकास का प्रयोगात्मक कार्य अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय बीज निगम मुख्यतः जया, आई आर-8, सोना विजया, आई आर-20 और कावेरी आदि अखिल भारतीय महत्व वाली धान की किस्मों का, जो दक्षिण में बहुत लोकप्रिय हैं, उत्पादन करता है ? किस्म निर्मुक्ति संबंधी केन्द्रीय उप-समिति इन किस्मों पर किए गये परीक्षणों से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर उन्नतशील किस्मों की निर्मुक्ति की सिफारिश करती ह।

बैंगकाक में कृषि विशेषज्ञों की बैठक

1691. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंगकाक में 16 जनवरी, 1974 को कृषि विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय बैठक हुयी थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया; और

(ग) इस में किन विषयों पर चर्चा की गयी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। एशिया तथा सुदूर पूर्व विषयक आर्थिक आयोग और संयुक्त राष्ट्रों के खाद्य तथा कृषि संगठन ने 16 से 21 जनवरी, 1974 तक बैंकाक में एशिया तथा सुदूरपूर्व विकास संबंधी विशेषज्ञ दल की एक बैठक आयोजित की थी।

(ख) इस बैठक में आस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया. मलेशिया, जापान, पाकिस्तान और थाइलैंड आदि सात देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया था।

(ग) बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श किया गया था :—

(1) राष्ट्रीय स्तर पर समग्र विकास के संबंध में कृषि विकास तथा योजना की अति महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का पुनरीक्षण करना।

(2) किसी प्रादेशिक क्षेत्र में कृषि विकास के आर्थिक तथा सामाजिक पहलुओं का पुनरीक्षण करना तथा पहले किए गए प्रयासों और प्रादेशिक सहकारिता के क्षेत्र में हुयी प्रगति का पुनरीक्षण करना।

(3) प्रादेशिक अध्ययन, विचार विमर्श और कार्यान्वित के लिए अपेक्षित मशीनरी के लिए कृषि विकास की महत्वपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक नीति संबंधी समस्याओं का पता लगाना।

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने संबंधी विधान

1695. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** :

श्री वयालार रवि :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में 6 अगस्त, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 204 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले कानून पास कर दिये हैं; और

(ख) विभिन्न राज्यों में इन कानूनों के पास करने में आयुक्ति संगत विलम्ब के क्या कारण हैं और केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में किए गए निर्णय को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को सहमत कराने की दिशा में क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार तथा पंजाब राज्यों की विधान सभाओं ने शहरी सम्पत्ति पर उच्चतम सीमा लगाने संबंधी विधेयक पास कर दिये हैं।

(ख) जम्मू व कश्मीर सम्पत्ति (उच्चत्तम सीमा) विधेयक, 1971 राज्यपाल को स्वीकृति प्राप्त करने के बाद 11-10-71 को अधिनियम बन गया है। चूंकि इस विषय पर केन्द्रीय कानून विचाराधीन है अतः अन्य विधेयकों को अभी राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल तथा मैसूर राज्यों ने उपयुक्त कानून बनाने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है जिसमें यह व्यवस्था है कि जब तक इन राज्यों में शहरी सम्पत्ति पर उच्चतम सीमा लगाने संबंधी कानून लागू नहीं हो जाता है तब तक अस्थायी अवधि के लिए शहरी सम्पत्ति का हस्तान्तरण वर्जित होगा। सभी राज्य सरकारों को पत्र लिख कर उन पर यह जोर डाला गया है कि वे अपने-अपने राज्य में ऐसा ही कानून बनायें।

जमाखोरी वाले खाद्यान्न का निकाला जाना

1693. **श्री भोला मांझी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जमाखोरों से खाद्यान्न निकालने का प्रयास किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) सरकार ने किन-किन राज्यों में जमा किया गया खाद्यान्न निकाला है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारत सरकार राज्य सरकारों पर विभिन्न खाद्य नियंत्रण आदेशों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर बराबर जोर देती रही है। राज्य सरकारें तदनुसार कार्यवाही कर रही हैं। राज्य सरकारों ने काला बाजारियों और जमाखोरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपने प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ किया है। कई एक राज्य सरकारों ने जमाखोरी निरोधक आदेश जारी किए हैं जिनके अधीन व्यापारियों, उत्पादकों और उपभोक्ताओं द्वारा रखे जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा की सीमा निर्धारित की है। उन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में जहां गेहूं का थोक व्यापार लिया गया है खुदरा व्यापारियों गेहूं के व्यापार को विनियमित करने के लिए अधिकतम स्टाक सीमा निर्धारित की गई है। ऊंचे मूल्यों और आवश्यक वस्तुओं की कमी तथा उनके वितरण में बनावटी बाधाओं से पैदा हुई वर्तमान कटिनाई परिस्थितियों की दृष्टि में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यह भी परामर्श दिया है कि वे खाद्यान्नों सहित आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित विभिन्न मामलों को विनयमित करने के लिए भारत रक्षा नियमों 1971 के उपबंधों का प्रयोग करें और जमाखोरी, काला बाजारी तथा अन्य समाज विरोधी गतिविधियों में लगे व्यक्तियों जोकि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को बनाए रखने में बाधक हैं के विरुद्ध आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम 1971 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करें।

(ग) अपेक्षित अद्यतन सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

बोयो पर टाप मार्क के रूप में रडार रिफलेक्टर अथवा कैट्सआई लगाना

1694. **श्री के० मालन्ना :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अनुभवी नौवहन कैप्टन ने बोयो पर रडार रिफलैक्टर अथवा कैट्स-आई लगाने की स्वेज नहर की प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया था जिससे कि यूरोप से आयात किये जाने वाले बहुमूल्य लैम्पों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिनकी कोचों से अधिकांशतः चोरी कर ली जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नौवाहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) मंत्रालय को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आवास के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच सहयोग

1695. **श्री के० मालन्ना**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास क्षेत्र में जो देश में सार्वजनिक रुचि का क्षेत्र है, भारत और रूस के बीच सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक के मछुओं को वित्तीय सहायता

1696. **श्री के० मालन्ना**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि 1972-73 में कर्नाटक के तट पर मछली का भारी अकाल पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय/राज्य सरकार ने उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी और किन-किन शर्तों पर; और

(ग) नौकाओं के यंत्रीकरण के लिए दिए गए ऋणों की वसूली के प्रश्न पर सरकार की अब तक क्या नीति रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) जी हां। 1972-73 के दौरान पैकोरोल तथा सरडाइन मछलियां बहुत कम पकड़ी गई हैं।

(ख) कर्नाटक सरकार से स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। सरकार ने 1972-73 के दौरान सरडाइन तथा पैकोरल मछलियों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने के लिए मछियारों को सहायता के रूप में 250 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से बिना सूद ऋण के रूप में 25 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की थी। यह ऋण 25 मासिक किश्तों में अदा किया जाना था और वसूली नवम्बर 1973 से शुरू की जानी थी। जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर के मानसून महीनों में वसूली की जानी थी। कुल मिलाकर 23.75 लाख रुपये वितरित किये गए। वितरित करने का यह काम मात्स्यकी सहकारी समितियों के माध्यम से किया गया था।

(ग) कर्नाटक सरकार के अनुसार यंत्रीकृत नौकाओं की खरीद के लिए दिए गए ऋण 45 मासिक किश्तों में वसूल होने हैं और जून, जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर के मानसून के महीनों में कोई वसूली नहीं होनी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 6 प्रतिशत दर के हिसाब से ब्याज लिया जाता है। 1972-73 के दौरान मैकोरल तथा सरडाइन मछलियों की कमी से समुद्र तट

पर काम करने वाले मछियारे प्रभावित हुए हैं न कि मुख्यतः श्रिम्प ट्रालिंग पर लगे पंजीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं को चलाने वाले मछियारे। इसलिए कर्नाटक सरकार ने 1972-73 के दौरान मछली पकड़ने वाली यंत्रीकृत नौकाओं पर काम करने वाले मछियारों से ऋणों की वसूली के सम्बन्ध में अपनी नीति नहीं बदली है। 1970-71 में प्रान मछलियों की कमी होने पर सरकार ने ऋणों की किश्तों की वसूली को स्थगित करने के लिए आदेश जारी किए थे।

चीनी की उत्पादन लागत और इसके मूल्य में वृद्धि के कारण

1697. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य :**

श्री रामकंवर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी की प्रति क्विंटल वास्तविक उत्पादन लागत क्या है ; और

(ख) बाजार में लोगों की खरीद क्षमता से परे, चीनी की मूल्य वृद्धि के क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 1973-74 मौसम में उत्पादित चीनी के लिए टैरिफ आयोग की लागत अनुसूचियों के आधार पर सरकार द्वारा दिसम्बर, 73 में अधिसूचित चीनी के निकासी मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०** 6304/73] ये मूल्य सरकार द्वारा लेवी के रूप में लिए जाने वाले 70 प्रतिशत उत्पादन पर लागू हैं, इन में सभी जोनों के लिए पूंजी पर लाभ के रूप में 12.60 रुपये प्रति क्विंटल की राशि शामिल है। इसके अलावा ये मूल्य सरकार द्वारा विभिन्न फैक्ट्रियों के लिए गन्ने के अधिसूचित न्यूनतम मूल्यों पर आधारित हैं लेकिन आंशिक नियंत्रण की नीति के अधीन अधिकांश फैक्ट्रियां गन्ने के अधिसूचित मूल्य से बहुत अधिक मूल्य देती है। इसके परिणामस्वरूप चीनी की वास्तविक उत्पादन लागत बहुत ज्यादा हो जायगी। मोटे तौर पर गन्ने के लिए प्रत्येक एक रुपया ज्यादा देने पर चीनी के मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि होगी। सामान्यतया चीनी फैक्ट्रियां खुली बिक्री की चीनी से अधिक कमा कर चीनी उत्पादन की अतिरिक्त लागत पूरा कर लेती है।

(ख) घरेलू उपभोक्ता की जरूरतों का उचित अनुपात 2.15 रुपये प्रति किलो के निर्धारित मूल्य पर जोकि पहली दिसम्बर, 1972 से लागू है उचित मूल्य की दुकानों से लेवी चीनी के वितरण से पूरा किया जाता है। केवल उन्हें ही खुली चीनी खरीदनी पड़ती है जिन्हें उसकी ज्यादा जरूरत होती है। इस चीनी का मूल्य मांग और पूर्ति के सामान्य सिद्धांत से शासित होता है। इस पर उत्पादन शुल्क भी अधिक होता है।

खरीफ की फसल के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूली

1698. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में खरीफ की फसल के पर्याप्त उत्पादन के बावजूद भारतीय खाद्य निगम वसूली करने के पीछे क्यों रह रहा है ; और

(ख) इसके विशिष्ट कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) और (ख) हालांकि भारतीय खाद्य निगम और अन्य अधिप्राप्ति एजेंसियों ने खरीफ विपणन मौसम 1973-74 के दौरान पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में सामान्यतया अधिक अधिप्राप्ति की है लेकिन कुछेक राज्यों में अधिप्राप्ति की प्रगति धीमी रही है। इसके कुछ मुख्य कारण ये हैं :—

1. कुछ राज्यों में देर से वर्षा होने, फसल कटाई के समय मौसम की प्रतिकूल स्थिति रहने, कीट-आक्रमण आदि ।
2. अधिप्राप्ति मूल्यों की तुलना में खुले बाजार में खाद्यानों के अधिक मूल्य होना।
3. अन्य वस्तुओं के मूल्यों में सामान्य वृद्धि होने से भी अधिप्राप्ति की रफ्तार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।
4. वर्ष के उत्तरार्द्ध में बेहतर मूल्य प्राप्त करने की प्रत्याशा में उत्पादकों तथा अन्य लोगों द्वारा खाद्यान्न रोक लेना ।
5. खपत के लिए अपने स्टाक जिस पर 1971-72 और 1972-73 में चल रही सूखे की स्थिति के कारण बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, की भरपायी करने के लिए उत्पादकों द्वारा अपनी पैदावार को रोक रखने की प्रवृत्ति ।
6. कमी की सामान्य स्थिति और मनोभावना।
7. अधिप्राप्ति प्रयत्नों के बारे में विभिन्न राजीनीतिक दलों में मतैक्य न होना ।

इंजीनियरों की आवश्यकता

1699. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 से 1979 तक कुल कितने नए इंजीनियरों की आवश्यकता होगी ; और

(ख) आवश्यक इंजीनियरों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) योजना आयोग द्वारा नियुक्त कार्य दल ने यह अनुमान लगाया है कि राष्ट्रीय आय में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पित दर पर पांचवीं योजना के दौरान लगभग 2,12,800 इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों की आवश्यकता होगी। यदि वृद्धि की दर धीमी हुई तो जिस अनुपात में इंजीनियरों की आवश्यकता है उसकी संख्या में भी कमी होगी ।

(ख) यदि इंजीनियरी कालेजों और पालिटैक्निकों विद्यमान दाखिलों की क्षमता का पूरा उपयोग किया गया तो इससे लगभग 2,21,100 इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी ।

महाराष्ट्र के लिये खाद्यान्न तथा मोटे अनाजों के लाने ले जाने से अन्तर्राज्यीय प्रतिबन्ध को हटाया जाना

1700. **श्री मधु दंडवते** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के लिए अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने तथा मोटे अनाजों के लाने-ले जाने से अन्तर्राज्यीय प्रतिबंध हटाने के लिए आग्रह करने हेतु महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से मिले थे, और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक के क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री) अण्णासाहिब पी० शिन्दे: (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र के फरवरी मास के खाद्यान्नों के आवंटन को बढ़ाकर 1,50,000 मीटरी टन कर दिया गया था जबकि जनवरी, 1974 में उन्हें 1,30,000 मीटरी टन खाद्यान्न दिए गए थे।

खाद्यान्नों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए 24 जनवरी, 1974 से मोटे अनाजों के अन्तर्राज्यीय संचलन पर लगे प्रतिबंधों में ढील दे दी गई है ताकि राज्य सरकारें के मनोनीत एजेंटों द्वारा राज्यों के बाहर मोटे अनाजों की खरीदारी की जा सके और उनका संचलन किया जा सके।

भारत/ब्रिटेन सम्मेलन द्वारा लगाये गये अधिभार का विरोध

1701. **श्री मधु दंडवते :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 29 अक्तूबर 1973 को हुए भारत/ब्रिटेन सम्मेलन द्वारा लगाये गये 20 प्रतिशत अधिभार का विरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार के कड़े विरोध के कारण भारत यू०के० सम्मेलन के भारतीय लाइनस के सदस्यों के प्रबल प्रयत्न तथा बंबई पत्तन पर जमाव को दूर करने के लिए की गई कार्यवाही अर्थात 1-12-73 से तीसरी पाली शुरू करने से सम्मेलन ने अधिभार को भी चरणों में कम किया। 25-2-74 से अधिभार बिल्कुल हटा दिया गया।

Setting up of Adivasi University in Madhya Pradesh

1702. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether a proposal for setting up of an Adivasi University in Madhya Pradesh has been accepted and the Government of Madhya Pradesh has agreed to spare land for it; and

(b) if so, the facts in this regard?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b) According to the information furnished by the Madhya Pradesh Government, no proposal for the establishment of an Adivasi University has so far been received by the State Government no is such a proposal under their consideration.

Import of Wheat and Rice due to Shortage of Fertilizer etc.

1703. **Shri Dhan Shah Pradhan :**

Shri Priya Ranjan Das Munsi :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to import wheat and rice in view of the situation arising from the position of crops and shortage of fertilizers;

(b) if so, the names of the foreign countries alongwith the quantity to be imported from there and the time by which the imports will start; and

(c) whether Government are giving thought to the feasibility of these commodities being imported on loan basis and if so, the outline in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) The position regarding imports is, being reviewed from time to time and within the overall authorisation, purchases are being made to extent necessary to maintain the public distribution system from countries where stocks are available, and on terms to the best advantage of the country.

चौथी योजना के दौरान किसानों को ट्रैक्टरों की सप्लाई

1704. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी योजना में किसानों को ट्रैक्टरों की सप्लाई का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किसानों को कितने टैक्टर सप्लाई किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारत सरकार ने किसानों को आयातित और देशी ट्रैक्टरों की सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था ।

(ख) जनवरी, 1974 तक किसानों को सप्लाई किये गये ट्रैक्टरों की संख्या निम्न प्रकार है :—

आयातित ट्रैक्टर	45,500
देशी ट्रैक्टर	94,942
योग	1,40,442

पौधों की किस्म सुधारने तथा खाद्य अनुसंधान के लिये श्री लंका की पेशकश

1705. **श्री एम० एस० संजीवीराव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अनुसंधान तथा पौधों की किस्म सुधारने के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए श्रीलंका को कोई पेशकश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस प्रकार का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं किया गया । परन्तु फिर भी भारत सरकार तथा श्रीलंका की सरकार के बीच यह समझौता हुआ है कि श्रीलंका के चीनी उद्योग के विकास के लिए भारत यथासम्भव सहायता देगा और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा । इस मसले पर दोनों देशों के बीच जानकारी का आदान प्रदान होगा । श्रीलंका गन्ना-सुधार और चीनी निर्माण की प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण के लिए अपने कर्मचारी भेजना चाहे तो भारत उसके अनुरोध पर विचार करेगा । दौनों देशों में यह समझौता हुआ है कि इस विषय पर एक-दूसरे देश में आयोजित कार्यगोष्ठियों, विचार-गोष्ठियों और सम्मेलनों में आमंत्रित किए जाने पर एक-दूसरे देश के प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं । श्रीलंका का एक प्रतिनिधि सोयाबीन सम्बन्धी कार्यगोष्ठी में भी बुलाया जाएगा ।

(ख) का प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात और बम्बई में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य

1706. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**]
श्री बेकारिया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्न कार्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य गुजरात तथा बम्बई में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ऊंचे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) अत्यावश्यक पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) क्योंकि बम्बई शहर में कुछेक खाद्यान्नों के बारे में सांविधिक राशन व्यवस्था लागू है, इसलिए केवल बाजरे के मूल्य के आंकड़े उपलब्ध है । बम्बई में बाजरा के चल रहे मूल्य अन्य शहरों के मूल्यों से अधिक है ।

गुजरात और महाराष्ट्र में मूंगफली के तेल, तिल और तिल के तेल के चल रहे मूल्य देश के अन्य भागों में चल रहे मूल्यों की अपेक्षा अधिक नहीं है और हाल ही में कम भी रहे हैं ।

(ख) खाद्यान्नों के ऊंचे मूल्य रहने के मुख्य-मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

1. खरीफ तथा रबी दोनों मौसमों में भयंकर सूखे की स्थिति रहने और 1973-74 में भारी वर्षा और बाढ़ों से खरीफ की फसलों को क्षति पहुंचने के कारण 1972-73 के दौरान खाद्यान्नों की पैदावार में गिरावट आना ।
2. चालू विपणन मौसम के दौरान अब तक (25-1-74 तक) प्रमुख खाद्यान्नों की कम आमद होना ।
3. उत्पादकों द्वारा अंशत: भरपाई और अंशत: भावी जरूरतों के लिए स्टाक रोक लेना ।

(ग) सरकार ने खाद्यान्नों और तेलों की उपलब्धता में सुधार करने और राज्यों को इन वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं । ये उपाय नीचे दिए गए हैं :—

1. खाद्यान्नों की अधिक पैदावार प्राप्त करने हेतु 1973-74 के लिए विशेष रबी और खरीफ उत्पादन कार्यक्रम गठित किए गए थे ।
2. बुवाई से पूर्व गारन्टीबद्ध अधिक साहाय्य मूल्यों की घोषणा ।
3. देश में तिलहनों और तेलों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनमें ये शामिल हैं :—
   (क) सूरजमुखी बीज और सोयाबीन जैसे परम्परागत और अपरम्परागत तिलहनों की पैदावार में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न करना,
   (ख) वनस्पति तैयार करने में बिनौले और चावल की भूसी के तेलों का अधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन देना ।

(ग) वनस्पति तैयार करने में कई एक वैकल्पिक तेलों का इस्तेमाल कर मूंगफली और सरसों के तेलों के इस्तेमाल को सीमित करना ।

(घ) यथा व्यावहार्य मात्रा में आयातों द्वारा सप्लाई में वृद्धि करना, और

(ङ) बैंक ऋण और वायदा व्यापार को विनियमित करना ।

4. घरेलू फसल से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति हेतु जोरदार प्रयत्न करना ।

5. वाणिज्यिक आधार पर 41 लाख मी० टन खाद्यान्न आयात करने की व्यवस्था की गई थी । इसके अतिरिक्त, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ से उधार पर 20 लाख मी० टन गेहूं की व्यवस्था की गई थी ।

6. जनवरी, 1974 से मोटे अनाजों के अन्तर्राज्यीय संचलन पर लगे प्रतिबन्धों में ढील दे दी गई है ताकि राज्य सरकारों के मनोनीत एजेन्टों द्वारा बाहरी राज्यों से मोटे अनाजों की खरीद्दारी और उनके संचलन करने की अनुमति दी जा सके ।

वसूली दरों तथा खुले बाजार में दरों के बीच अन्तर होने के कारण भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न बेचने में किसानों को संकोच

1707. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री बेकारिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों की वसूली दरों तथा खुले बाजार में उनकी दरों के बीच अन्तर है और इसीलिए किसान भारतीय खाद्य निगम को अपने अतिरिक्त खाद्यान्न बेचने में संकोच करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर को कम करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) खाद्यान्नों के खुले बाजार के भावों और अधिप्राप्ति मूल्यों के बीच अन्तर को कम करने और उत्पादकों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, जिससे वे सरकारी एजेंसियों को खाद्यान्न बेचें, उठाए गए पग इस प्रकार हैं—(1) उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करना, (2) अधिशेष क्षेत्रों की हदबन्दी और व्यापार खाते में खाद्यान्नों के संचलन पर प्रतिबन्ध लगाना, (3) 1973-74 के लिए खरीफ अनाजों के अधिप्राप्ति मूल्य में पर्याप्त वृद्धि करना और 1974-75 के रबी मौसम के लिए गारन्टीबद्ध ऊंचे न्यूनतम मूल्यों की बुवाई से पूर्व घोषणा करना (4) व्यापारियों आदि की स्टाक जमा करने की क्षमता कम करने के लिए ऋण सम्बन्धी सुविधाओं को सरल बनाना ।

कलकत्ता स्थित एशियाटिक सोसाइटी बिल्डिंग की खराब हालत

1708. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता स्थित एशियाटिक सोसाइटी बिल्डिंग खराब हालत में है;

(ख) क्या इस सोसायटी के संसाधन कार्यक्रम हैं और यह घाटे में चल रही है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो० सतीश चन्द्र की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ङ) इस समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दि एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता के पास, उनके पुराने भवन के अतिरिक्त, एक नया भवन भी है (जिसके निर्माण के खर्च में केन्द्रीय सरकार ने 1100 लाख रुपये दिये हैं) पुराने भवन के भागों का अनुरक्षण सन्तोष जनक नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सोसायटी के कार्यकलापों का पुनरीक्षण करने, तथा उसके कार्यक्रम में सुधार करने और उसका और आगे विकास करने हेतु उपाय सुझाने के लिए प्रो० सतीश चन्द्र की अध्यक्षता में 1972 में एक समिति गठित की गयी थी ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) इस समिति द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार सोसायटी को, आवर्ती अनुदान के रूप में 2,20,000 रुपये तक के वार्षिक आवर्ती घाटे को समान रूप से वहन करना चाहिये । इसमें संरक्षण और पाण्डुलिपियों की ग्रन्थ सूचियां बनाने के लिए 15,000 रुपये की राशि तथा भवन की मरम्मत के लिए 10,000 रुपये भी शामिल हैं ।

(2) दुलर्भ और पुरानी पाण्डुलिपियों को रखने के लिए आवास-स्थान के एक छोटे से भाग को वातानुकूलित करने के लिये दोनों सरकारों द्वारा इक्कट्ठी देय 30,000 रुपये की राशि का कुल अनावर्ती अनुदान ।

(3) सोसायटी के संचित घाटे को सोसायटी द्वारा ही अपने संसाधनों में से धीरे-धीरे समाप्त किया जाना चाहिये ।

(च) समिति की सिफारिशें पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से विचाराधीन हैं ।

ग्रेडों तथा वेतनमानों के प्रश्न पर विश्वविद्यालय के प्रध्यापकों में असंतोष

1709. **श्री मधु लिमये :** क्या **शिक्षा, समाज कल्यान और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि ग्रेडों तथा वेतनमानों के प्रश्न पर विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में भारी असंतोष है;

(ख) क्या सभी विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के लिए एक ही रनिंग ग्रेड अथवा वर्तमान तीन के स्थान पर अधिक से अधिक दो ग्रेड करने की मांग की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वरिष्ठ श्रेणी में केवल 25 प्रतिशत प्राध्यापकों की पदोन्नति के कारण काफी असंतोष फैल गया है क्योंकि विशेषकर पुराने तथा सुस्थापित कालेजों में अनेक योग्य प्राध्यापकों को पदोन्नति से वंचित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस असंतोष को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) सरकार को समय-समय पर अध्यापकों और अध्यापक संगठनों से उनके वेतनमान में सुधार करने से सम्बन्धित प्रत्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं ।

(ख) एकल चालू ग्रेड तथा दो ग्रेडों के लिए मांगें की गई हैं ।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों को परिशोधित करने से सम्बन्धित प्रश्न विचाराधीन हैं ।

पांचवीं योजना के लिये कृषि सम्बन्धी नीति

1711. **श्री मधु लिमये**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांचवीं योजना के लिए कृषि सम्बन्धी विस्तृत नीति बनाना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस विस्तृत नीति में विभिन्न कृषि उत्पादों के मूल्य की नीति तथा निर्मित वस्तुओं के साथ उनके सम्बन्ध के बारे में नीति भी शामिल हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) योजना आयोग द्वारा प्रकाशित किये गये पंचम पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के प्रारूप में कृषि विकास की नीति, लक्ष्यों तथा कार्यक्रमों में पांचवीं योजना की कृषि नीति दी गई है ।

देश ने गरीबी दूर करना और आर्थिक आत्म-निर्भरता प्राप्त दो महत्वपूर्ण उद्देश्य सामने रखे हैं पंचम पंचवर्षीय योजना को इन उद्देश्यों से ही मूल प्रेरणा मिलती है ।

अनुमान लगाया गया है कि पांचवीं योजना के दौरान कृषि उत्पादन में 4.67 की दर से वृद्धि होगी । लक्ष्य की प्राप्ति से देश न केवल खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भर हो जाएगा, बल्कि इससे समीकरण भंडार (बफर स्टाक) का निर्माण भी हो सकेगा । योजना में वाणिज्यिक फसलों के लिये निर्धारित किये गये वृद्धि के क्षेत्र ऐसे हैं, जिससे कि देश तथा निर्यात की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी । यद्यपि खेती का क्षेत्र बढ़ने से उत्पादन में कुछ सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है लेकिन उत्पादिता की वृद्धि पर अधिक ध्यान दिया जायेगा । विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रों का वितरण करने के लिये मूल्य सम्बन्धी विभिन्न नीतियों, सिंचाई के स्थान-निर्धारण तथा फसलों के नियोजन के अन्य पहलुओं पर भी अधिक ध्यान दिया जायेगा । फसलों की उपज में अपेक्षित वृद्धि करने के लिये बहु-मुखी प्रयास किये जायेंगे । इन प्रयासों की मुख्य बातें निम्नलिखित होंगी :—

समस्यामूलक अनुसंधान को गतिमान करना, कृषि विस्तार तथा प्रशासन को मजबूत करना, अधिक उपज देने वाली किस्मों की बुवाई के क्षेत्र को बढ़ाना, रासायनिक उर्वरकों की खपत बढ़ाना,

उर्वरकों के उपयोग की क्षमता बढ़ाना, खाद के स्थानीय संसाधनों का विकास करना, जल व्यवस्था संस्थागत ऋण का विस्तार, फसल की कटाई के बाद होने वाले कार्यों के लिए सुविधाओं का विकास करना, विपणन की अवस्था-पनात्मक सहायता के लिये भंडारण का पर्याप्त विस्तार करना, निरन्तर तथा अधिक उत्पादन के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन देने के लिए कृषि मूल्य नीति का प्रभावी संचालन करना, तथा भूमि सुधार सम्बन्धी उपायों को क्रियान्वित करना ।

पांचवीं योजना में विशिष्ट यंत्रीकरण की नीति को अपनाने की व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य फसलों की सस्य सघनता तथा फार्म उत्पादन बढ़ाना है । पांचवीं योजना का एक प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कृषकों, सीमान्त कृषकों तथा समाज के अन्य दुर्बल वर्गों को अधिक तथा नियमित रूप से संस्थागत उत्पादन-ऋण उपलब्ध हो सकें ।

पशु-पालन तथा डेरी उद्योग, मीन-उद्योग और वानिकी का मुख्य उद्देश्य उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना और छोटे तथा सीमान्त कृषकों एवं कृषि श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने और इन संसाधनों से अधिक आय प्राप्त करने के लिये व्यापक अवसर प्रदान करना है ।

भूमि सुधार सम्बन्धी नीति में संस्थागत परिवर्तनों का कार्यक्रम, ठोस संचालनात्मक कार्यक्रम, क्रियान्वयन मशीनरी, जनता का सहयोग तथा योजना की वित्तीय सहायता के लिये पर्याप्त धनराशि का आबंटन करना शामिल है ।

पांचवीं योजना का उद्देष्य लगभग 250 लाख ग्रामीण गरीब परिवारों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है । एक महत्वपूर्ण प्रयास यह होगा कि उन विशेष कार्यक्रमों को गतिमान और व्यापक बनाया जाये जो विशेष कर निर्धन वर्गों/आदिवासियों और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लिये तैयार किये गये हैं ।

पांचवीं योजना की अवधि में लगभग 140 लाख हैक्टर क्षेत्र के 50 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के कमान्ड क्षेत्र में समेकित क्षेत्र विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार है । सिंचाई की सम्भाव्य क्षमता के उपयोग में सुधार करने के लिये सिंचाई इंजीनियरिंग तथा कृषि विकास दोनों क्षेत्रों में कई नीतियों तथा उपायों को प्रारम्भ करने का विचार है ।

(ग) पांचवीं योजना की कृषि मूल्य नीति के निरूपण में निम्नलिखित मुख्य बातों को ध्यान में रखने का विचार है : (1) कृषि उत्पादन बढ़ाने के अन्य कार्यक्रमों के लिए कारगर सहायक उपाय करना (2) कृषकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे विभिन्न फसलों के मूल्य का अनुमान लगाते हुए अनुमानित मांग के अनुसार उत्पादन सम्बन्धी योजना बनाएं । उपभोक्ताओं, और विशेष कर दुर्बल वर्गों के व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए अनेक कृषि जिन्सों की अधिक मात्रा में अधिप्राप्ति करके सहकारी संस्थाओं के माध्यम से वितरित करने का प्रस्ताव है ।

खरीफ की अगली फसल के दौरान उर्वरक की उपलब्धता

1712. **श्री मधु लिमये** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1973-74 की रबी और खरीफ की फसलों में उर्वरकों की उपलब्धता में होने वाली कमी का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी होने का अनुमान है; और

(ग) कृषि, विशेषकर खरीफ की अगली फसल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) जी हां । खरीफ 73 के मौसम में उर्वरकों की उपलब्धि में लगभग 13 प्रतिशत और रबी 73-74 के मौसम में लगभग 39 प्रतिशत की कमी रही है ।

(ग) उर्वरक तैयार करने वाली देसी एककों का उत्पादन बढ़ाने और उर्वरकों की अपेक्षित मात्राओं का आयात के लिये प्रयास किये जा रहे हैं । वर्तमान संकेतों को दृष्टिगत रखते हुए आशा है कि खरीफ 74 के लिए उर्वरकों की मांग प्रायः पूरी हो जाएगी ।

According Priority in Ports to Ships Carrying Wheat from Russia

1713. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have given orders for according priority in the ports to the ships carrying wheat from Russia; and

(b) if so, the facts in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b) A number of berths have been reserved at different major Port for handling foodgrain vessels. Vessels carrying Russain foodgrains are also normally handled at these berths.

Irregularity in sale of Controlled Cloth by Super Bazar, New Delhi

1714. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the controlled cloth has been sold in black market from the Super Bazar of Delhi;

(b) whether the Civil Supplies Department of Delhi Administration has found many irregularities in the sale of controlled cloth from Super Bazar and investigations have been made in this regard; and

(c) if so, the results thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No, Sir.

(b) and (c) The Civil Supplies Department of Delhi Administration conducted a check of the records of the Controlled Cloth Section of the Super Bazar, New Delhi, in January, 1974, and asked for certain clarifications. The Super Bazar has since furnished the information and the matter is being further looked into by the Civil Supplies Department.

Production of Sugar during first three months of 1973-74

1715. **Shri Phool Chand Verma :**
Shri Chandulal Chandrakar :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the production of sugar has decreased by about 2 lakh tonnes in the first three months of the season during 1973-74 as compared to the corresponding period of last year; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) Yes, Sir. The production of sugar during the first quarter of 1973-74 season was 9.79 lakh tonnes as compared to 11.72 lakh tonnes produced during the corresponding period of the previous season.

(b) The decline in production is mainly on account of many of the factories, particularly in Uttar Pradesh, not having started production till well after the season had advanced.

खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के मूल्यों में वृद्धि के कारण

1716. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1973 तथा जनवरी, 1974 में खुले बाजार में बिकने वाली चीनी का राज्यवार खुदरा भाव क्या था; और

(ख) दिसम्बर, 1973 में सरकार ने अधिसूचना जारी करके खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के मूल्यों में काफी वृद्धि किन कारणों से की थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जनवरी, 1973 और जनवरी, 1974 के दौरान खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के राज्यवार सप्ताहान्त खुदरा मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6305/73].

(ख) सरकार ने दिसम्बर, 1973 में जो अधिसूचना जारी की है वह लेवी चीनी के निकासी मूल्य से संबंधित है न कि खुले बाजार में बिकने वाली चीनी से ।

भारतीय खाद्य निगम के कलकत्ता स्थित गोदाम में आयातित सूखे दूध का सड़ जाना

1717. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि लगभग 12 लाख रुपये मूल्य के आयातित दूध के 2000 बोरे भारतीय खाद्य निगम के हिडे रोड, कलकत्ता स्थित गोदाम में इस समय पड़े सड़ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विवरण क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना भारतीय खाद्य निगम से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कलकत्ता स्थित एशियाटिक सोसायटी को वित्तीय सहायता

1718. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कलकत्ता स्थित एशियाटिक सोसायटी को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ख) क्या उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह सोसायटी पुस्तकों और पाण्डुलिपियों की सूची तैयार नहीं कर सकी है;

(ग) क्या यह बात भी उनके ध्यान में लाई गई है कि सजावट आदि का खर्च पूरा करने के लिए प्रकाशन हेतु नियत धनराशि को अन्य कार्यों पर व्यय किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप अनेकों बहुमूल्य लेख वर्षों तक अप्रकाशित रह जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सोसायटी को समाप्त होने से बचाने तथा उसका विकास करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता को पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार दी गई कुल केन्द्रीय वित्तीय सहायता निम्नलिखित है :—

1971 .	20,000/- रुपये
1972 .	1,43,000/- रुपये (इसमें 1971 की बकाया राशि के रूप में 61,000/- रुपये शामिल हैं)
1973 .	81,000/- रुपये

(ख) सोसायटी, पुस्तकों और पाण्डुलिपियों की सूची को पूरा करने के साथ-साथ विभिन्न प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने के लिए भारत सरकार को अभ्यावेदन देती रही है ।

(ग) इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य 14-1-1974 के दैनिक समाचारपत्र "दि स्टेट्समैन" के एक लेख में दिया गया था ।

(घ) सोसायटी के कार्यकरण का पुनरीक्षण करने और इसके कार्य में सुधार करने तथा इसमें और आगे विकास करने के लिए उपाय सुझाने के लिए 1972 में एक समिति का गठन किया गया था । समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसकी सिफारिशों पर, पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

राज्यों में केन्द्रीय सरकार गैस्ट हाउस

1719. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकार से सम्बद्ध अन्य संस्थाओं के कितने-कितने गैस्ट हाउस हैं;

(ख) लागत किराया तथा अन्य खर्च के बारे में प्रत्येक गैस्ट हाउस का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में गत 6 महीनों में बनाये गये गैस्ट हाउसों की संख्या कितनी है; और

(घ) प्रत्येक गैस्ट हाउस के निर्माण और रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (घ) चूंकि मांगी गई सूचना सभी मंत्रालयों एवं उनसे सम्बन्धित अन्यों के बारे में है, अतः इस मंत्रालय द्वारा इसका पूर्णरूपेण उत्तर नहीं दिया जा सकता । तथापि, निर्माण और आवास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अतिथि-गृहों के बारे में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है जिसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिश की क्रियान्विति

1720 **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर परीक्षा प्रणाली में या तो संशोधन कर दिया है अथवा इस कार्य के लिए विधान बनाने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) सम्बन्धित राज्यों में किए गए संशोधनों की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) शिक्षा आयोग ने शिक्षा पद्धति में सुधार करने के लिए विधान की सिफारिश नहीं की है । समस्या के सभी पहलुओं के निपटान के लिए, उसने प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में व्यापक शिक्षा अधिनियम को पारित करने की सिफारिश की है । उक्त सुझाव को कुछ राज्य सरकारों (उदाहरणतः आन्ध्र प्रदेश) द्वारा यह मान लिया गया है और प्रारूप शिक्षा विधेयक विचाराधीन है ।

परीक्षा सुधार के लिए अनिवार्यतः विधान की आवश्यकता नहीं है । विश्वविद्यालयों के जरिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों तथा राज्य शिक्षा विभागों के जरिए, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा उसके प्रवर्तन के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

राज्यों को खाद्यान्न मांग तथा उनको दी गई सप्लाई

1721. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान राज्य सरकारों ने केन्द्रीय कोटे से कुल कितना खाद्यान्न मांगा था तथा उनको कितना सप्लाई किया गया; और

(ख) इस अवधि में प्रत्येक राज्य को वास्तव में कितनी सप्लाई की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) वर्ष 1973-74 (अप्रैल से मार्च) के दौरान केन्द्रीय पूल से राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों की खाद्यान्नों की मांग और उस अवधि में प्रत्येक राज्य को वास्तव में सप्लाई की गई मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6306/74]

पत्तन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण मद्रास पत्तन पर जहाज से माल उतारने के कार्य में विलम्ब

1722. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री एस० ए० मुरुगनंतम :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पत्तन पर गेहूं से लदे जहाज़ों से माल उतारने के लिए नियुक्त पत्तन कर्मचारियों ने 5 फरवरी, 1974 से हड़ताल कर दी;

(ख) क्या इससे माल के उतारने के कार्य में विलम्ब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या अन्य उपाय अपनाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं । मद्रास पत्तन पर उतरे माल का लदान करने के लिए लगाए गए भारतीय खाद्य निगम के विभागीय मज़दूर 3-2-74 से 6-2-74 तक हड़ताल पर थे । मज़दूरों ने हड़ताल इसलिए की थी क्योंकि उनके नेताओं ने उन्हें बताया था कि विवाचक-पंचाट में वैगन/लारी लादने वालों और बोरी भरने वालों और सिलाई करने वालों के लिए निर्धारित किए गए वज़न में विषमता थी । तथापि, मज़दूर 7-2-74 (पूर्वाह्न) से काम पर वापस आ गए ।

(ख) जी हां । हड़ताल के कारण पत्तन के शैड में माल जमा हो गया और इससे जहाजों के माल उतारने में बाधा पैदा हुई ।

(ग) इस कार्य पर लगे विभागीय मज़दूर किसी बाहर के मज़दूर को यह कार्य नहीं करने देते । विवंचक के पंचाट में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था । कोई वैकल्पिक पग उठाने से स्थिति और बिगड़ जाती और आयातित खाद्यान्नों को सम्भालने के कार्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता ।

बहुल्य वाले राज्यों से चावल तथा गेहूं खरीदने के लिए राज्य सरकारों को अनुमति

1723. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र से बाहुल्य वाले राज्यों से टूटे हुए चावल तथा गेहूं खरीदने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या केन्द्र ने उनको अनुमति दे दी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने केन्द्र से यह अनुरोध किया था कि उन्हें अधिशेष राज्यों से टोटा चावल खरीदने की अनुमति दी जाए ।

(ग) राज्य से राज्य के आधार पर टोटा चावल खरीदने की पहले इज़ाजत दी गई थी लेकिन अधिप्राप्ति के हित में राज्यों में टोटा चावल समेत चावल के ऐसे सौदे करने की नीति नवम्बर, 1973 से समाप्त कर दी गई थी । अधिशेष राज्यों से टोंटा चावल खरीदने की अनुमति देने के प्रश्न की जांच की जा रही है । जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, सरकार की नीति राज्य सरकारों को द्विपक्षीय सौदे करने की इजाज़त देने की नहीं है ।

Exchange of plots allotted by DDA with plots in other Colonies

1724. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state whether a plot allotted to a person by D.D.A. can be exchanged with any other plot in some other colony ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : As a general policy, such exchange is not allowed in respect of residential plots. However, industrial plots in popular schemes are allowed to be exchanged for plots in less popular schemes.

कम्पोस्ट खाद के उत्पादन के लिए सार्थ संघ का निर्माण

1725. **श्री त्रिविद चौधरी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि क्षेत्रीय आधार पर उर्वरक उद्योग तथा विभिन्न राज्य कृषि-उद्योग निगमों द्वारा कम्पोस्ट खाद का उत्पादन करने के लिए कस्बों तथा नगरों में एकत्रित कूड़ा-करकट के उपयोग के लिए सार्थ संघ बनाया जाये;

(ख) इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों ने क्या उत्तर दिया है; और

(ग) क्या इस आधार पर कम्पोस्ट खाद का उत्पादन करने के लिए कोई एकीकृत योजना बनाई गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां । केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि उर्वरक उद्योग, कृषि उद्योग और सहकारी समितियों का संघ बनाया जाए जो कुछ बड़े शहरों और कस्बों में उपलब्ध एकत्रित कूड़ा-करकट के एकत्रण तथा वितरण के कार्य को शुरू करे ।

(ख) राज्य सरकारों के उत्तर की इन्तजार की जा रही है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हुगली नदी पर दूसरे हावड़ा पुल का निर्माण

1726. **श्री त्रिविद चौधरी :**

श्री आनन्द सेन : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हुगली नदी पर दूसरे हावड़ा पुल का निर्माण करने के लिये विदेशी परामर्शदाताओं की सहायता लेने के बारे में सभी कठिनाइयों और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बीच विद्यमान मदभेदों को अन्ततः दूर कर दिया गया है;

(ख) इस पुल का निर्माण करने के लिये उन ठेकेदारों तथा परामर्शदाताओं के नाम क्या हैं जिनके बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है;

(ग) इस पुल का वास्तविक निर्माण कब आरम्भ होगा तथा पूरा होगा; और

(घ) क्या सम्बन्धित एजेंसियों ने पुल के लिये इस्पात तथा सीमेंट की सप्लाई करने का आश्वासन दिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) राज्य सरकार ने पुल के पहुंच मार्गों का ठेका मैसर्स ई०पी०आई० लिमिटेड को दिया है। इस कार्य के लिये उनके पास कोई विदेशी सलाहकार नहीं है। मुख्य पुल का ठेका मैसर्स भागीरथी ब्रिज कन्स-ट्रक्शन कम्पनी को दिया गया है जिन्होंने मैसर्स फ्रीमैन फाक्स एण्ड पार्टनर्स को अपना अपना परामर्श-दाता नियुक्त किया है। दोहरी जांच करने के लिये और परियोजना संरचनात्मक मजबूती के लिये राज्य सरकार हुगली नदी पर पुल आयुक्तों के लिये एक विदेशी परामर्शदाता फर्म नियुक्त करना चाहते हैं। इस परामर्शदाता फर्म के समुनुदेशन और जिम्मेदारी से सम्बन्धित कुछ मामलों के बारे में राज्य सरकार ने भी संघ सरकार से बातचीत की है। राज्य सरकार ने अब परामर्शी करार के मसौदे को अन्तिम रूप दे दिया है। विदेशी मुद्रा की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करने के लिये संघ सरकार को अब ये प्राप्त हो गये हैं।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कलकत्ता और हावड़ा दोनों तरह के पुल के पहुंच-मार्गों का कार्य पहले ही से प्रगति में है और मुख्य पुल के पाटों पर कार्य राज्य सरकार द्वारा अपने हुगली नदी पुल आयुक्तों के लिये नियुक्त किये जाने वाली सलाहकार फर्म के साथ ठेका समझौतों को अन्तिम रूप देने के बाद ही शुरू किया जायेगा। राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार पुल के 1979 तक पूरे किये जाने का कार्यक्रम है।

(घ) चूंकि यह एक राज्य परियोजना है। अतः स्वयं राज्य सरकार पुल के लिये आवश्यक सामग्री प्राप्त कर रही है। सूचित किया है कि उन्होंने इस्पात, सीमेन्ट, स्टोन चिप्स आदि जैसी निर्माण सामग्री की काफी मात्रा पहले ही इकट्ठी कर ली है।

विभिन्न राज्यों द्वारा राष्ट्रीय राजपथों का रखरखाव तथा मरम्मत

1727. **श्री त्रिदिब चौधरी**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें अधिक केन्द्रीय सहायता दी जाये ताकि उनके लोक निर्माण विभाग तथा सड़क विभाग अपने राज्यों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथों के रख-रखाव तथा मरम्मत भली भांति कर सकें;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग ने इस बारे में क्या निर्णय दिया है और

(ग) क्या राज्यों के राष्ट्रीय राजपथों की दशा के बारे में केन्द्रीय सड़क विभाग तथा सम्बद्ध राज्य एजेंसियों के बीच लगातार पर्यवेक्षण और परामर्श की कोई प्रणाली है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों की देख-रेख और मरम्मत गैर-योजना व्यय है और राजस्व खण्ड में उसकी व्यवस्था की जाती है। इसलिये योजना आयोग इससे सम्बन्धित नहीं है। निर्धारित मानकों और उपलब्ध साधनों के अनुसार इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों को धन आवंटित किया जाता है।

(ग) राज्य लोक निर्माण विभाग जो भारत सरकार के एजेन्ट के रूप में काम करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और रख-रखाव के कार्यों को देखते हैं। राज्य मुख्य इंजीनियर आवश्यकतानुसार अपनी समस्याओं के बारे में इस मंत्रालय के सड़क पक्ष से परामर्श करते हैं। इसके अलावा मंत्रालय के तकनीकी अधिकारी भी समय-समय पर राष्ट्रीय राजमार्गों का निरीक्षण करते हैं और आवश्यक सलाह और मार्ग-दर्शन प्रदान करते हैं।

खाद्यानों की वसूली में तेजी लाने के लिए विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव

1728. **श्री त्रिविद चौधरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खाद्यान्नों का वसूली लक्ष्य प्राप्त करने हेतु इस कार्य में और अधिक तेजी लाने के लिए मार्गोपायों को ढूंढने के लिए विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : आगामी रबी मौसम के लिए मूल्य नीति पर विचार करने के लिए मार्च, 1974 के मध्य के दौरान नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने का विचार है । आशा है कि इस सम्मेलन में अधिप्राप्ति में हुई प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी । तथापि, सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों से इस सम्बन्ध में कई एक बार विचार विमर्श किया जा चुका है और राज्य सरकारें लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अधिप्राप्ति में तेजी लाने की दिशा में पहले ही कार्यवाही कर रही है ।

कलकत्ता को दुग्ध सप्लाई में व्यवधान पड़ना

1729. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या केन्द्र द्वारा पश्चिम बंगाल को पर्याप्त मात्रा में दुग्ध चूर्ण की सपलाई करने में अत्यधिक विलम्ब के कारण कलकत्ता में दूध की सप्लाई पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना पश्चिम बंगाल सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कर्नाटक में उर्दू विश्वविद्यालय खोलना

1730. **श्री सी० के० जाफरशरीफ** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्दू भाषी व्यक्तियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक पत्र भेजा है जिसमें राज्य में उर्दू विश्वविद्यालय खोलने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल सहन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा उसी दिन उचित मूल्य की दुकानों को खाद्यान्न तथा चीनी की सप्लाई किया जाना

1731. **श्री सी० के० जाफरशरीफ** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में खाद्यान्नों तथा चीनी की सप्लाई उसी दिन की जाती है जिस दिन भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं को बैंक ड्राफ्ट तथा परमिट पेश किये जाते हैं;

(ख) क्या अधिकांश मामलों में सप्लाई उसी दिन नहीं की जाती है जिसके फलस्वरूप दुकानदारों को बार-बार डिपुओं में आना पड़ता है और जनता को भी भारी परेशानी होती है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के अन्दर खाद्यान्नों और लेवी चीनी के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन की होती है । एक नई प्रणाली शुरू की गई है जिसके अनुसार उचित मूल्य की दुकान के प्रत्येक दुकानदार के लिए एक तारीख निश्चित की जाती है जिस दिन उसे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टाक उठाना होता है । भारतीय खाद्य निगम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करता है कि उचित मूल्य के दुकानदारों को खाद्यान्न और चीनी का स्टाक उसी दिन दिया जाए जिस दिन वे बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करते हैं । इससे खाद्यन्न के कार्डधारियों के लिए उचित मूल्य के दुकानदारों के पास स्टाक की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित होती है ।

राज्यों द्वारा एक ही जोन में परिवहन के लिए वस्तुओं के निर्बाध आवागमन संबंधी करार

1732. **श्री सी० के० जाफरशरीफ :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने एक करार किया है जिसके अनुसार एक ही ज़ोन में एक बार कर की अदायगी करके तथा बिना प्रति-हस्ताक्षर लिये वस्तुओं का निर्बाध परिवहन हो सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं तथा उक्त समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय माल वाहनों के लिये तीन क्षेत्रीय समझौते अर्थात् दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र चालू ह । इन क्षेत्रीय समझौतों में शामिल राज्यों के बीच नाम नीचे दिए गए हैं :—

दक्षिणी क्षेत्र : आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ।

पश्चिमी क्षेत्र : गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र ।

उत्तरी क्षेत्र : बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और चण्डीगढ़ तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र ।

इन समझौतों की मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार से हैं :—

(1) इन समझौतों के अन्तर्गत चल रही गाड़ियां बिना प्रतिहस्ताक्षरों के समझौते ने शामिल राज्यों की विनिर्दिष्ट की सड़कों पर एक से दूसरे स्थान तक माल ला ले जा सकती हैं और इकहरा कर देकर चल सकती है ।

(2) परिचालक के लिए "गृह" राज्य की सामान्य कर (अर्थात् मोटर वाहन कर और माल कर यदि हो) देने आवश्यक होंगे और इसके अलावा उसे परिचालन के लिए चुने गए अन्य हस्ताक्षर करने राज्यों में से प्रत्येक को 500 से 700 रुपये का संयुक्त कर देंगे । अन्य राज्यों की ओर से पहले "गृह" राज्य सभी कर वसूल करेगा ।

(3) 1,000 से 2,000 माल गाड़ियां (पब्लिक कैरियर) इन समझौतों में से प्रत्येक के अन्तर्गत आ जाती हैं । हस्ताक्षरकर्ता राज्यों में से प्रत्येक राज्य संयुक्त परमिट जारी करेगा जिसकी संख्या 200 से अधिक नहीं होगी । ये परमिट, समझौतों में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के लिए वैध होंगे ।

(4) समझौते दो से पांच वर्ष तक की अवधियों के लिए लागू रहेंगे ।

(5) अपने वाहनों के परिचालन हेतु परिचालक को "अपने" राज्य के अलावा कम से कम तीन/चार राज्यों के चुनने का विकल्प होगा । (यह केवल पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र समझौतों पर ही लागू होगा) ।

मावरयेंगकनेंग (मेघालय) में लघु कृषक विकास ऐजेंसी

1733. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मावरयेंगकनेंग विकास खण्ड, खासी हिल्स (मेघालय) में लघु कृषक विकास एजेंसी की योजना परीक्षणार्थ शुरू की गई थी।

(ख) क्या उनको ब्लाक के स्थानीय कृषकों से उग्र अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें किसानों को ऋण तथा अनुदान देने के मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है; और

(ग) क्या इन आरोपों के बारे में जांच शुरू की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान खासी तथा जन्तिया हिल्स (मेघालय) के ज़िलों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिकों की एक परियोजना स्वीकृत की गई थी । इसका उद्देश्य 5 एकड़ तक की भूमि वाले सीमान्त कृषकों तथा ऐसे कृषि श्रमिकों को लाभ पहुंचाना था जिनकी 50% से अधिक आय कृषि से होती हो । इस योजना के अन्तर्गत तीन ब्लाक, अर्थात् मावरयेंगकनेंग, भाई तथा जोवाई शामिल हैं ।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बनस्पति उत्पादकों द्वारा बनस्पति घी के उत्पादन के सही आंकड़े

1734. **श्री वीरेंद्र सिंह राव :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वनस्पति घी निर्माताओं पर क्या नियंत्रण लगाये हैं जिससे कि वे वनस्पति घी के उत्पादन के सही आंकड़ों की घोषणा करें; और

(ख) क्या गत एक वर्ष के दौरान ऐसे मामलों का पता लगा है जिनमें निर्माताओं ने उत्पादित मात्रा को कम करके बताया और इस प्रकार बची मात्रा उनके ऐजेंटों द्वारा काले बाज़ार में सप्लाई की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) वनस्पति फैक्टिरियों को सरकार को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक विवरणियां प्रस्तुत करनी होती है जिनमें वनस्पति का उत्पादन प्रेषण और स्टाक दिया जाता है और दैनिक आधार पर इनका विवरण देने के लिए रजिस्टर भी रखने होते हैं । सरकार के निरीक्षक समय-समय पर इन रजिस्टरों की जांच करते हैं और उनमें दिए गए स्टाक की प्रत्यक्ष जांच करते हैं ।

(ख) ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है ।

वनस्पति उत्पादन एककों की अधिष्ठापित क्षमता तथा उनमें उत्पादन

1435. **श्री वीरेंद्र सिंह राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के 20 मुख्य वनस्पति उत्पादक एककों की अधिष्ठापित क्षमता क्या है तथा उनमें से प्रत्येक में गत वर्ष कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6307/74] ।

माध्यमिक, माध्यमिकोतर, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के छात्र संघ की मांग

1736. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय छात्र संघ के कलकत्ता में हुए दूसरे सम्मेलन में संघ ने माध्यमिक दो वर्षीय माध्यमिकोत्तर, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं में वृद्धि तत्काल करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) सम्मेलन में की गई मांगों की प्रतिलिपि सरकार को नहीं मिली है ।

भारत की नौवहन सेवा में कटौती करने के कारण हुई हानि

1737. **श्री मोहम्मद इस्माल :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी तेल की कमी के कारण भारत की नौवहन सेवा में कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवहन सेवा में कटौती करने से कितनी हानि हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख): बंकर की कमी के कारण और भारतीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया ने अपनी सेवाएं निम्नलिखित ढंग से युक्तियुक्त की हैं :—

(1) बम्बई और कलकत्ता से प्रत्येक दो-दो जहाजों से पश्चिम एशिया खाड़ी की सेवाओं में वृद्धि की गई है ।

(2) शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया ने श्रीलंका के पत्तनों पर कुछ निर्यात उठाने और जहां से भी सम्भव हो आयात उठाने के लिये आने का फैसला किया है, ताकि जहाजों को कोलम्बो में बंकर प्राप्त हो सकें ।

(3) भारत के पश्चिमी तट से आस्ट्रेलिया तक द्विमासिक संवर्धनात्मक सेवाएं बन्द कर दी गई हैं । इन जहाजों का कलकत्ता से आस्ट्रेलिया की सेवाओं में वृद्धि करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है ।

(4) बंकरों के बचाव के लिए बम्बई/पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में चल रहे "स्टेट आफ हरियाणा" के यात्री-एवं-माल पोत की सेवाएं प्रति वर्ष 11 से घटाकर 6 कर दी गई हैं ।

(5) कलकत्ता से मलेशिया, सिंगापुर और हांगकांग तक और माल ले जाने के लिए कलकत्ता से ग्रेट लेकस/कनाडा तक सेवाओं का पुनर्गठन किया गया है ।

(6) व्यापार की आवश्यकताओं की दृष्टि में रखते हुए जहां भी सम्भव हो जिन पत्तनों पर जहाजों को जाना है उनकी संख्या घटा दी गई है ।

अन्य नौवहन कम्पनियों ने भी कठिन बंकर स्थिति से उत्पन्न हालात पर निर्भर करते हुए अपनी समुद्री यात्राओं को उसके अनुकूल बना लिया है ।

(ग) इस समय इस बात की प्रत्याशा नहीं की जा सकती कि भारतीय नौवहन कम्पनियों की कमाई पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा ।

बड़े बन्दरगाहों के कर्मचारियों को अतिरिक्त बोनस

1738. **श्री रानेन सेन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट, डाक तथा वाटर फ्रन्ट वर्कर्स फैडरेशन आफ इण्डिया ने बड़े बन्दरगाहों के कर्मचारियों को अतिरिक्त बोनस देने की मांग के बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) और (ख): पोर्ट, डाक एण्ड वाटर फ्रन्ट वर्कर्स फेडरेशन आफ इण्डिया से सूचना प्राप्त हुई कि इसने अपनी सभी सम्बद्ध संस्थाओं को यह निर्देश दिया है कि वे बोनस/अनुग्रहपूर्वक अदायगी की राशि जो पहले ही दी जा चुकी है, को घटाकर वर्ष 1972-73 की सकल कमाई का 20% पत्तन कर्मचारियों को देने के लिए आन्दोलन करें । इस फेडरेशन की सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा विभिन्न पत्तन अधिकारियों को दिये गये हड़ताल नोटिसों में वेतन संशोधन मशीनरी के गठन और कुछ अन्य मांगों के साथ यह मांग भी शामिल थी । वेतन संशोधन मशीनरी के गठन के प्रश्न पर विचार करने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित बैठक की दृष्टि में रखते हुए इन नोटिसों पर जोर नहीं दिया गया था ।

पत्तन न्यास कर्मचारी बोनस संदाय अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते, परन्तु 1972-73 में बोनस की बजाय 8⅓% की दर से अनुग्रहपूर्वक अदायगी की गई है ।

बम्बई पत्तन में संकट

1739. **श्री रानेन सेन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन अभी तक गत वर्ष के संकट से मुक्त नहीं हो पाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) : शायद उल्लेख बम्बई पत्तन में जमाव की ओर है । दिसम्बर, 1973 में तीसरी शिफ्ट शुरू होने से बम्बई पत्तन में जहाजों को घाट पर जगह न मिलने के कारण रुकावट की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और अब वहां अधिक जमाव नहीं है ।

राज्य सरकारों द्वारा किसानों पर लेवी न लगाने की स्थिति में मोटे अनाजों की वसूली का लक्ष्य

1740. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसूली मूल्य और बाजार मूल्य में भारी अन्तर के कारण राज्य सरकारों द्वारा किसानों पर कोई लेवी न लगाने को देखते हुए सरकार मोटे अनाज की वसूली का लक्ष्य प्राप्त कर सकेगी; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति में सरकार की क्या नीति है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : मोटे अनाजों की अधिकतम अधिप्राप्ति करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को यह इजाजत दी गई थी कि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कोई उपयुक्त प्रणाली अपनाएं । मोटे अनाजों के मामले में कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में उत्पादकों पर लेवी लगाई गई है जबकि अन्य राज्यों में मोटे अनाजों पर व्यापारियों पर लेवी की प्रणाली अथवा दोनों ही प्रणालियां हैं । कुछ राज्यों में मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति की गति धीमी पाई गई है जिससे लक्ष्य के प्राप्ति में काफी कमी होने की सम्भावना है । अधिप्राप्ति की धीमी गति का एक कारण यह है कि अधिप्राप्ति मूल्य की अपेक्षा खुले बाजारों में चल रहे मूल्य अधिक हैं । सम्बन्धित राज्यों के साथ अधिप्राप्ति की प्रगति के बारे में पुनरीक्षण किया गया है । तदनुसार, अधिप्राप्ति तेज करने के लिए राज्य सरकारें कार्यवाही कर रही हैं ।

बिहार में खरीदे गये पम्प सेट

1741. **श्री एम० एस० पुरती :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **कृषि मंत्री** बिहार में बेकार पम्प सेट खरीद कर करोड़ों की हानि के बारे में 3 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3041 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में वर्ष 1972-73 में कितने पम्प सेट खरीदे गए तथा किसानों को वितरित किए गए;

(ख) क्या उनमें से कुछ पम्प सेट बिहार कृषि उद्योग निगम ने खरीदे थे और वे गोदाम में पड़े हैं तथा वे किसी काम नहीं आ रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे पम्प सैटों की संख्या कितनी है और उनका मूल्य कितना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Progress in Supply of Rice to the Centre by Bihar Government

1742. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Bihar Government had committed to supply one lakh ton of rice to the Centre; and

(b) if so, the progress made so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde : (a) and (b). Against a procurement target of one lakh tonnes of rice the proposed contribution to the Central Pool was 50,000 tonnes. - The State Government have procured so far 40,000 tonnes and no quantity has been offered to the Central Pool.

वेश्यावृति के बारे में सर्वेक्षण

1743. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में व्यापक वेश्यावृत्ति के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में, राज्यवार, कितनी महिलाओं को वेश्यावृत्ति से मुक्त कराया गया है ; और

(ग) सरकार ने इसका उन्मूलन करने के लिए तथा समाज का सामाजिक स्तर सुधारने के लिए क्या कार्यवाई की है ;

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) कोई अखिल भारतीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अनैतिक पणन को रोकने, वेश्यालयों को दूर करने तथा व्यापार के रूप में चल रही इस बुराई का उन्मूलन करने के लिए स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक पण्न दमन अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया गया था और इसका उद्देश्य भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों की अनुपूर्ति करना है ।

इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी सीधे अथवा परोक्ष रूप से यही उद्देश्य है । एसोसिएशन फार सोशल हेल्थ इन इंडिया नई दिल्ली को भी रोकथाम और पुनर्वास सेवाओं, इत्यादि के प्रति इस के द्वारा किए जा रहे प्रयत्न के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है ।

Crisis in Edible Oils

1744. **Shri Chandulal Chandrakar :**
Shri B. S. Chowhan :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the crisis in edible oils has assumed serious proportions; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b) : The oil supply and price situation in the country is difficult despite a good kharif crop in the current year due to considerable shortfall in the production of oilseeds during 1972-73, consequent depletion of stocks, speculative trading and hoarding of stocks at various levels, rise in the general price level, and the sharp rise in the prices of oils in the world market. The Government have taken a number of steps to improve the availability of vegetable oilseeds and oils in the country and to check the rise in their prices. These include augmentation of supplies through imports of various oilseeds, oils and tallow to the extent feasible, encouraging larger crushing of cotton seed and rice bran oils, promoting greater utilisation of minor oilseeds of tree origin, restricting the use of groundnut oil and mustard oil by utilisation of several substitute oils in the manufacture of vanaspati, increasing the production of traditional as well as non-traditional oilseeds like soyabean and sunflower seed and regulation of bank credit and forward trading. Recently, the State Governments have been requested to take measures to check speculative trading and hoarding of stocks.

Strike by DTC Drivers in Harinagar Depot, Delhi

1745. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the bus service came to a stand-still in Delhi due to strike by drivers attached with the Harinagar Depot of Delhi Transport Corporation on the 31st January 1974;

(b) whether the people were put to considerable inconvenience as a result thereof;

(c) whether the drivers and the conductors often indulge in such activities thus obstructing the traffic; and

(d) whether Government propose to formulate a definite scheme to ensure smooth traffic and to avoid this sort of inconvenience in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) No, Sir. There was, however, some dislocation of bus services, on the day mentioned by the Hon'ble Member, largely in West Delhi and a few other areas served by Hari Nagar Depot, on account of a "Dharna" staged by some employees of that Depot, in protest against the orders issued by the DTC management transferring some drivers attached to Hari Nagar Depot to Shahdara Depot II.

(b) The services operating from other depots were diverted to meet the requirements of the travelling public in the affected areas.

(c) No, Sir.

(d) In order to prevent strikes and indiscipline among staff as also financial loss to the Corporation, administrative instructions have been issued laying down that no wages shall be payable to a worker who absense himself from duty without applying for leave or without approval of the higher authorities. Similarly, where a worker has reported for work but does not actually perform any duty, no wages are payable to him for such periods under Payment of wages Act.

Request from states for increase in supply of Foodgrains

1746. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether some States have urged the Central Government for increasing the supply of foodgrains to them; and

(b) if so, the gist thereof, their names and the decision taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b). Several requests have been received from the State Governments for increasing the supply of foodgrains from the Central Stocks. Allotments from the Central Pool are made every month to the various State Governments/Administrations keeping in view the stocks of foodgrains in the Central Pool, the relative needs of the States and other relevant factors. Increased allotments for the month of February, 1974 were made in the case of Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Assam, Bihar, Himachal Pradesh. Jammu & Kashmir, Orissa, Andamans & Goa.

अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए दामोदर घाटी निगम नहर का उपयोग

1747. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए दामोदर घाटी निगम नहर का उपयोग करने के कार्य में कितना धन व्यय हुआ है तथा इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या कलकत्ता और दुर्गापुर के बीच माल के लाने ले जाने हेतु इस नहर का उपयोग करने का कोई प्रयास किया गया है और यदि हां, तो इस प्रयास के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या निगम ने नहर के लाक गेट का यंत्रीकरण करने के लिए कोई सुझाव दिए थे और यदि हां, तो क्या इस सुझाव पर विचार किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 1972-73 तक दामोदर घाटी निगम कारपोरेशन केनाल पर नौचालन सुविधाओं की व्यवस्था, नौचालन नहर की खुदाई, जलपाश का निर्माण, पुलों और जल निकासी निर्माण कार्य, चढ़ाव और उतार घाट, पहुंच सड़कें, जलपास का विद्युतीकरण, फाटकों का यंत्रीकरण, विविध कार्य आदि पर अब तक 422.29 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है । इनमें से बहुत से कार्य पूरे हो चुके हैं ।

(ख) कलकत्ता और दुर्गापुर के बीच वाणिज्यिक आधार पर सामान की ढुलाई के लिये नहर के प्रयोग के लिए पहले भी प्रयत्न किये गये। कुछ निजी चालकों ने नहर में अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवायें चालू कीं, परन्तु कई कारणों से वे इनका परिचालन जारी न रख सके ।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि० ने भी अपने बेडे द्वारा इस नहर में कोयले के जल परिवहन आयोजित करने का प्रयत्न किया, परन्तु उन्होंने सीधे सड़क परिवहन पर आने वाली लागत की अपेक्षा सड़क-एवं-जल मार्ग द्वारा परिवहन की लागत को अधिक पाया ।

(ग) दामोदर वैली कारपोरेशन से नहर के जलपाश फाटक के यंत्रीकरण का कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली में 'केरल हाउस' का दुरुपयोग

1748. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली में 'केरल हाउस' का दुरुपयोग करने के आधार पर केरल सरकार पर कोई जुर्माना किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या यह जुर्माना करने से पूर्व उनसे स्वीकृति ले ली गई थी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) : पट्टे की शर्तों के अधीन सम्पत्ति का उपयोग केवल रिहायशी प्रयोजनों के लिये किया जाना अपेक्षित है । परिसर का निरीक्षण करने पर यह मालूम हुआ कि उसके कुछ भाग का उपयोग पट्टा-विलेख की शर्तों के अधीन अपेक्षित प्रयोजनों की बजाये अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा रहा था। अतः केरल सरकार को कहा गया कि वे आवश्यक प्रभार अदा करके इन उल्लंघनों का नियमितिकरण करवायें ।

(ग) पट्टे की शर्तों के अधीन यह आवश्यक नहीं है ।

Funds allocated for improving breed of cattle during Fourth and Fifth Plan

1749. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state:

(a) the amount of funds allocated for improving the breed of cattle (cows and bulls) and other connected schemes during the Fourth Five Year Plan;

(b) the amount spent thereon; and

(c) the amount of funds allocated for such schemes during the Fifth Five Year Plan?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B.P. Maurya) : (a) The allocation of funds to the States is made as block loan and grant basis in respect of Annual Plan as a whole. The State Governments allocate the funds to individual state paln schemes using their own discretion. Under the Fourth Five Year Plan, an outlay of Rs. 233.03 crores (Rs. 94.06 crores under Animal Husbandry and Rs. 138.97 crores under Dairying) has been made.

(b) The anticipated expenditure under Animal Husbandry and Dairy Development Programmes together is at present estimated to be of the order of Rs. 154.00 crores.

(c) According to Draft Fifth Five Year Plan, an outlay of Rs. 522.40 crores has been made for Animal Husbandry and Dairy Development Schemes.

Loans advanced by the Life Insurance Corporation to the State Housing Boards of Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan

1750. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the amount of loans advanced by the Life Insurance Corporation to the State Housing Boards of Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan during 1972-73 and 1973-74 ;

(b) whether the Housing Boards of these States had asked for special loans during 1973-74; and

(c) if so, amount asked for by the each Board?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) L.I.C. did not advance any loan to the State Housing Boards of Madhya Pradesh and Rajasthan during 1972-73 and 1973-74. L.I.C., however, advanced a loan of Rs. 1.5 crores to the Gurarat Housing Board during 1972-73. No loan was advanced by the L.I.C. to the Gujarat Housing Board during 1973-74.

(b) & (c). Only the Housing Board of Gujarat asked for a special loan of Rs. 2.00 crores during 1973-74.

Representation of Farmers in Agricultural prices Commission

1751. **Dr. Laxminarayan Pandeya:**
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether there has been a constant demand from M.Ps. and others for giving representation to farmers in the Agricultural Prices Commission;

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) when a decision is likely to be taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c). There has been a demand from M.Ps., from time to time, for giving representation to farmers on the Agricultural Prices Commission. The question of having a representative of farmers as a full-time member of the Agricultural Prices Commission is under active consideration and a decision in this behalf will be taken shortly.

राज्यों में भूमि सुधार के कारण अव्यवस्थाओं के बारे में केन्द्रीय निर्देश

1752. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में सम्पन्न किसानों और जमीदारों ने भूमि सुधार और वसूली के खिलाफ हिंसा और हथियारों का सहारा लिया है ;

(ख) क्या बिहार, पश्चिमी बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र से इस आशय के समाचार समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके खिलाफ राज्यों को कोई निर्देश दिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पत्तनों पर खड़े जहाजों के लिए देय बिलम्ब शुल्क

1753. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्टूबर, 1973 से 31 जनवरी, 1974 तक प्रत्येक मुख्य पत्तन पर खाद्यान्न और उर्वरकों से लदे अलग-अलग कितने जहाज पहुंचे;

(ख) घाट पर अथवा लंगर स्थल पर स्थान न उपलब्ध होने के कारण वे कितनी अधिकतम अवधि तक वहां पर रुके रह सकते हैं ; और

(ग) 1 अक्टूबर, 1973 से 31 जनवरी, 1974 तक ऐसे प्रत्येक जहाज के लिये, पत्तनवार, कितना बिलम्ब शुल्क देना होगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कालेज और विश्वविद्यालयों में डिमांस्ट्रेटरों की भर्ती के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश

1754. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सिफारिश की है कि पांचवीं योजना अवधि में कालेजों और विश्वविद्यालयों में डिमांस्ट्रेटरों की भर्ती न की जाए ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) डिमांस्ट्रेटरों के वर्तमान कार्यों का निष्पादन करने वाले कर्मचारियों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षा मंत्रालय ने क्या निर्णय किया है ; और

(घ) क्या बिहार राज्य डिमांस्ट्रेटर्स एसोसियेशन द्वारा दिए गए ज्ञापन में इस सम्बन्ध में उठाए गए प्रश्नों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षा मन्त्रालय ने विचार-विमर्श किया है; यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गयी विश्वविद्यालय और कालेज अभिशासी समिति का यह अभिमत है कि विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुशिक्षकों (टयूटरों) और निदर्शकों की कोई आवश्यकता नहीं है । तथापि वर्तमान पदधारियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये, ताकि वे लेक्चरों के रूप में अपनी अन्ततः नियुक्ति के लिये अपनी योग्यताओं में सुधार कर सकें। समिति का यह भी अभिमत है कि अनुशिक्षकों और निदर्शकों के वर्तमान कार्य को लेक्चरों द्वारा किया जाना चाहिए । आयोग ने समिति को उक्त सिफारिशों का समर्थन किया है । सरकार भी इन सिफारिशों से सहमत है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय सरकार को बिहार राज्य निदर्शक संघ द्वारा विभिन्न ज्ञापनों में पेश किये गये सुझावों पर विचार किया गया है ।

खाद्यानों के उतारे जाने के कारण पश्चिमी तट के पत्तनों पर भारी जमाव

1755. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1973 से जनवरी, 1974 की अवधि में खाद्यान्नों के उतारे जाने के कारण पश्चिमी तट के पत्तनों पर भारी जमाव था ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जहाजों के जमाव और बन्दरगाहों पर और रेलवे पर कर्मचारियों द्वारा कार्य में बराबर विघन डालने के कारण खाद्यान्नों के उतरने और उनकी निकासी में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके फलस्वरूप, नवम्बर, 1973 से जनवरी, 1974 तक की अवधि के दौरान बहुत से जहाजों को घाट न मिलने के कारण या घाट पर विलम्ब हो गया था। अतः इस प्रकार वास्तव में दिए गए जहाज विलम्ब शुल्क की राशि अभी मालूम नहीं है क्योंकि प्रभावित जहाजों की टाइम शीटों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) जहाजों के जमाव को कम करने के लिए, खाद्यान्नों के उतरान के लिए देश की लगभग सभी बड़ी/छोटी बन्दरगाहों का उपयोग किया गया था। अन्य उपायों में ये उपाय सम्मिलित हैं—माल उतारने की नई मशीनें लगाना, कुछेक बन्दरगाहों और डिपों पर तीसरी पारी लागू करना, जहाजों से बीच धार में छोटी नौकाओं में माल उतारना, श्रमिकों के लिए प्रेरक कार्यदर योजना, मजदूरों की संख्या बढ़ाना जब कभी सम्भव हो ट्रकों और रेलों से खाद्यान्नों की अधिक निकासी करना आदि।

आन्ध्र प्रदेश के भूमि की अधिकतम सीमा विधान के सांविधानिक संरक्षण

1756. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य के भूमि की अधिकतम सीमा विधान को सांविधानिक संरक्षण दिया जाये; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी संशोधित अधिनियम में कुछ और संशोधन करने की आवश्यकता ह। प्रस्तावित संशोधनों संबंधी विधेयक को राज्य विधान सभा में पेश कर दिया गया है। इसके पारित हो जाने के बाद अधिकतम भूमि सम्बन्धी कानून को संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध आरोप

1757. **श्री एच० एम० पटेल**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध बढ़ते हुये भ्रष्टाचार, कुप्रबन्ध, अकुशल प्रशासन के आरोप लगाये गये हैं,

(ख) क्या भारत सरकार ने इन आरोपों पर ध्यान दिया है,

(ग) क्या इन आरोपों को ध्यान में रखते हुये भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में सुधार करने के कोई प्रस्ताव हैं, और

(घ) यदि हां, तो उनका सार क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ): भारतीय खाद्य निगम के कार्यचालन की बराबर समीक्षा की जाती है और कार्य-कुशलता बढ़ाने और उसके कार्यों में मितव्ययिता लाने की दृष्टि से यथावश्यक प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य पग उठाये जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध आरोपों और उसके कार्यचालन पर सरकार हमेशा ही ध्यान रखती है।

बम्बई तथा कोंकण बन्दरगाहों के बीच यात्री नौवहन सेवा

1758. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तथा कोंकण बन्दरगाहों के बीच यात्री नौवहन सेवा कुछ समय पूर्व बन्द कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सेवा पुनः चालू की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कोंकण तटीय यात्री नौवहन सेवा आमतौर पर प्रति वर्ष सितम्बर मास से अगले वर्ष के मई महीने तक चलाई जाती है । वर्षा ऋतु में यह सेवा बन्द रहती है । 1973 में सर्वश्री चोगुले स्टीनशिप लिमिटेड अपने भाड़ा वृद्धि के अनुरोध के बारे में सरकार से निर्णय प्राप्त किये बिना यह सेवा पुनः चालू करने के लिए तैयार नहीं था । सरकार ने मामले पर विचार किया और इस सेवा में लगे जहाजों को अपने अधिकार में ले लेने का निर्णय किया। सरकारी कम्पनी मुगल लाईन लि० ने सेवा 14-11-73 से पुनः चालू की।

भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली में अस्थाई कर्मचारी

1759. **श्री पन्नालाल बारूपाल :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में कुल कितने स्थाई तथा अस्थाई पद हैं;

(ख) भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने 10,15 और 20 वर्ष तक की सेवा की है तथा प्रत्येक ग्रुप में उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो अभी तक अस्थाई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) मिन्टो रोड मुद्रणालय में 2,278 स्थाई पद तथा 391 अस्थाई पद हैं।

(ख) तथा (ग) : 15 से 20 वर्ष के सेवा काल वाले सभी कर्मचारी स्थाई हैं। तथापि 10 वर्ष के सेवाकाल वाले केवल 6 कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी अस्थाई हैं। इनके स्थाई घोषित न किए जाने का मुख्य कारण, इनमें से 3 कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता के मामले तथा अन्यों के मामले में प्रशासनिक कारणों का होना है।

दिल्ली में उचित दर दुकानों के माध्यम से बासमती चावल की बिक्री

1760. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 के दौरान और 28 फरवरी, 1974 तक उचित दर दुकानों के माध्यम से दिल्ली के उपभोक्ताओं को कितनी अवधि के लिये बासमती चावल बेचा गया था, और

(ख) दिल्ली में बासमती चावल के नियमित सप्लाई न करने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे) : (क) मई, 1973 से जुलाई, 1973 के दौरान दिल्ली में बासमती चावल दिया गया था।

(ख) इस किस्म के चावल की केन्द्रीय पुल में सीमित उपलब्धता के कारण दिल्ली में नियमित रूप से बासमती चावल देना सम्भव नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के प्लाटों की निलामी

1761. श्री नवल किशोर सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में नियत मूल्य पर लाटरी के जरिये माध्यम वर्ग के लोगों को राजधानी में भूमि के कुछ प्लाटों को देने के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप रेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रतिदिन भूमि के प्लाटों की नीलामी कर रहा है?

संसदीय कार्य विभाग निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण का ध्यान फिलहाल, माध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग आदि के व्यक्तियों के लिये फ्लैटों के निर्माण पर संकेन्द्रित है।

बिना लाइसेंस के दिल्ली दुग्ध योजना

1762. श्री नवल किशोर सिंह :

श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के लाइसेंस के बिना ही दिल्ली दुग्ध योजना कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और क्या लाइसेंस न लेने के लिये इसका कभी चालान भी किया गया है; और

(ग) दिल्ली नगर निगम से दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा कब तक लाइसेंस प्राप्त कर लेने की आशा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के पास दिल्ली नगर निगम से प्राप्त कोई विधि-मान्य लाइसेंस नहीं है।

(ख) लाइसेंस न लेने के लिये दिल्ली दुग्ध योजना का चालान नहीं किया गया है।

(ग) लाइसेंस के लिये दिल्ली दुग्ध योजना का एक प्रार्थना पत्र दिल्ली नगर निगम के पास लम्बित पड़ा है।

पंजाब के कमीशन एजेन्टों द्वारा किसानों को दिये जाने वाले बोनस कूपनों का अपने पास रख लेना

1763. **श्री भान सिंह भौरा** :क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि पंजाब में कमीशन एजेंटों ने गेहूं के लगभग सभी बोनस कूपन किसानों को बांटने के बजाये अपने पास रख लिये थे और कमीशन की मांग की थी, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उनके नोटिस में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

कोचीन में हुआ आल इण्डिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का सम्मेलन

1764. **श्री भान सिंह भौरा** :क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 14 जनवरी, से 17 जनवरी, 1974 तक आल इंडिया स्टूडेंटस फेडरेशन का 19 वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस सम्मेलन में पास किये गये संकल्पों की प्रतियां सरकार को मिल गई हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका सार क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने उन पर विचार कर लिया है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) अखिल भारतीय छात्र संघ के 14 से 17 जनवरी, 1974 के कोचीन में हुये सम्मेलन में की गई मांगें हाल ही में प्राप्त हुई हैं तथा उनकी जांच की जा रही है। विवरण संलग्न है, जिसमें उनकी मांगें दी गई हैं।

विवरण

कोचीन में 14 से 17 जनवरी, 1974 को हुये अखिल भारतीय छात्र संघ के 19 वें सम्मेलन में की गई मांगें:—

1. समाजवादी, धर्मनिर्पेक्ष, लोकतान्त्रिक आदर्शों और सापेक्ष महत्व और वैज्ञपिक सारसंग्रह तथा अनुस्थापना सहित एक ऐसी नई शिक्षा प्रणाली तैयार की जानी चाहिये जो छात्रों में राष्ट्रप्रेम, धर्मनिर्पेक्षता और एकता की भावना को प्रेरित करेगी।

2. अध्यापक-छात्र के अनुपात को कम किया जाना चाहिये । उनमें बेहतर सम्बन्ध और उपयुक्त सद्भावना का विकास किया जाना चाहिये।

3. जन साधन योजना तथा शिक्षा के बीच उचित तालमेल होना चाहिये।

4. वर्तमान पुरानी शिक्षा प्रणाली तुरन्त समाप्त कर दी जानी चाहिये तथा परीक्षा सुधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को अपेक्षित फरबदल करने की गुंजाइश के साथ कार्यान्वित किया जाना चाहिये। ऐसा करते समय आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिये कि इस प्रणाली का दुरुयोग नहीं किया जायेगा।

5. सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषायें होनी चाहिये। इस प्रयोजन के लिये अच्छी तरह से उपयुक्त प्रादेशिक भाषाओं का बिना किसी विलम्ब के विकास किया जाना चाहिये।

6. वैधानिक रूप से प्रजातांत्रिक छात्र संघों की स्थापना की जानी चाहिये। विश्वविद्यालयों के निर्णयक निकायों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में सभी स्तरों पर विद्यार्थियों का सक्रिय रूप से भागीदारी होना सुनिश्चित किया जाना चाहिये। सभी निकायों में अध्यापन तथा गैर-अध्यापन कर्मचारियों को उनका उचित स्थान मिलना चाहिये।

7. माध्यमिक शिक्षा को निशुल्क बनाया जाना चाहिये और प्राथमिक शिक्षा मुफ्त अनिवार्य और एक समान होनी चाहिये।

8. खेल-कूद, मनोरंजन, आवास (छात्रावास), और पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला की और अधिक सुविधाओं की भी व्यवस्था की जानी चाहिये।

कोचीन में आल इण्डिया यूथ फेडरेशन का सम्मेलन

1765. श्री भान सिंह भौरा :क्या शिक्षा, समाज कल्याण संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 जनवरी, से 20 जनवरी, 1974 तक कोचीन में आल इंडिया यूथ फेडरेशन का पांचवां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) क्या उस सम्मेलन में पास किये गये संकल्पों की प्रतियां सरकार को मिल गई हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका सार क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने उन पर विचार कर लिया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :
(क) जी, हां।

(ख) जी, हां। ये हाल ही में प्राप्त किये गये थे।

(ग) ये संकल्प निम्नलिखित हैं :

(i) अठारह वर्ष की आयु में मताधिकार के अभियान के सम्बन्ध में,

(ii) युवक एकता तथा संयुक्त अभियानों, आन्दोलनों तथा कार्यकलापों के बारे में,

(iii) बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि तथा अन्य गंभीर आर्थिक समस्याओं के विरुद्ध अभियान के सम्बन्ध में, और

(iv) एकता धारा प्राप्ति के लिये सामान्यवाद के विरुद्ध अभियान के सम्बन्ध में ।

(घ) भारत सरकार, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, अपने क्षेत्र से संबंधित मामलों के बारे में नीतियां बनाते समय इस संघ के साथ की अन्य संगठित युवक दलों द्वारा दिये गये सुझाओं पर विचार करेगा।

कलकत्ता और कानपुर के बीच नदी परिवहन

1766. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और कानपुर के बीच नदी परिवहन चालू किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) **और (ख)** इस समय कलकत्ता कानपुर के बीच नदी सेवा चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भ्रष्टाचार के कारण वसूली कार्यक्रम का असफल होना

1767. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार के कारण अनेक राज्यों में वसूली कार्यक्रम असफल हो गया है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं, और

(ग) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम ने उन अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की है, जिनके विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों, सहकारी समितियों, भारतीय खाद्य निगम सहित सरकारी एजेंसियों द्वारा अधिप्राप्ति की जाती है। आरोपों के विशेष मामलों पर उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

कृषि शिक्षा के बारे में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सर्वेक्षण करना

1769. **श्री० डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि निरीक्षकों की पंजाब व्यापक 24 दिवसीय हड़ताल की पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने कोई सर्वेक्षण किया है और कृषि शिक्षा के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाले हैं;

(ख) यदि हां, तो इन निष्कर्षों का सार क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने हमें सूचित किया है कि उन्होंने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) और (ग) का प्रश्न ही नहीं उठता।

भवन निर्माण सामग्री की स्थापना

1770. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री राम कंवर :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम कीमत पर भवन निर्माण सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिये एक भवन निर्माण सामग्री निगम की स्थापना के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम महता) :

(क) जी हां।

(ख) ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

निर्माण में मितव्ययता

1771. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री वसन्त साठे :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने पता लगाया है कि कुछ उपायों को अपनाने से निर्माण की लागत 33 प्रतिशत तक की कमी की जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों की जांच करने और इन्हें सरकार के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) जी नहीं । केरल सरकार से प्रश्नाधीन रिपोर्ट की प्रतिलिपि देने के लिए अनुरोध किया गया है।

स्कूल स्तर पर विज्ञान के तिहास का पढ़ाया जाना

1772. **श्री सी० के चन्द्रप्पन**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर विज्ञान का इतिहास पढ़ाया जाता है ;

(ख) क्या सरकार स्कूलों के पाठ्यक्रमों में बहुत सी कमियों को देखते हुए शिक्षा में वैज्ञानिक अध्ययन को नयी दृष्टि देने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं और इसके क्या परिणाम रहे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) विशेषज्ञ समिति की सहायता से, जिसका गठन किया जा चुका है, इस समय स्कूल पाठचर्या और पाठ्य विवरण को नए दृष्टिकोण से तैयार किया जा रहा है। शिक्षा का विज्ञानोमुख विकास महत्व-पूर्ण है और समिति इस बात पर ध्यान देगी ।

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समिति ने हाल ही में कार्य करना शुरू किया है, इस स्तर पर परिणाम बताना समय से पहले होगा ।

आर्थिक तथा सामाजिक अनुसंधान कार्य में लगे शैक्षणिक तथा अनुसंधान केन्द्र

1773. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करगें कि :

(क) भारत स्थित कितने शैक्षणिक केन्द्रों तथा अनुसंधान केन्द्रों में आर्थिक तथा सामाजिक अनु-संधान कार्य किया जा रहा है ;

(ख) उनके वित्त पोषण के साधन क्या हैं ; और

(ग) क्या उनके कार्य में समन्वय स्थापित किया जाता है जिससे एक ही कार्य को दोबारा नहीं किया जाए ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) स्नात्तकोत्तर स्तर पर समाज विज्ञान (अर्थशास्त्र सहित) का अध्यापन लगभग 500 विश्वविद्यालय अध्यापक कार्य विभागों और लगभग 700 संबद्ध कालेजों में किया जा रहा है । इन केन्द्रों में से बहुत से केन्द्र अनुसंधान का भी कार्य करते हैं । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय पद्धति से बाहर ऐसी 95 अनुसंधान संस्थाएं भी हैं जो समाज विज्ञान में भी अनुसंधान करते है ।

(ख) विश्वविद्यालय संस्थानों को राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिए) शुल्क तथा अन्य स्रोतों से भी धन प्राप्त होता है । ऐसी अनुसंधान संस्थाएं, जो विश्वविद्यालय पद्धति से बाहर हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त नहीं करते हैं, परन्तु उन्हें राज्य सरकारों, भारत सरकार, दोनों और अंशदानों द्वारा सहायता प्राप्त होती है ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास विभिन्न समाज विज्ञान पाठ्यचर्याओं के लिए विषय नामिकाएं हैं जो पाठ्यचर्या में अध्यापन की देख भाल करते हैं । इसी प्रकार भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् की विभिन्न समाज विज्ञान पाठ्यचर्याओं की स्थायी समितियां हैं जो इन क्षेत्रों में अनुसंधान की देख भाल करती है । भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् कुछ सांविधिक पत्रिकाएं प्रकाशित भी करती हैं जिससे इन केन्द्रों पर समाज विज्ञान में किए जा रहे अनुसंधान की जानकारी होती है । इससे न केवल सूचना प्रसारण में सहायता मिलती है बल्कि पुनरावृत्ति से भी बचाया जा सकता है ।

अर्थशास्त्र का पढ़ाया जाना

1774. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अर्थशास्त्र की पढ़ाई हमारी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान सुविख्यात ब्रिटिश अर्थशास्त्री श्रीमती जोन राबिन्सन द्वारा देश में अर्थशास्त्र की पढ़ाई की वर्तमान व्यवस्था और गणितीय अर्थशास्त्र की ओर बढ़ते हुए सुझाव के संबंध में की गई आलोचना की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) सरकार का विचार है कि आधुनिकीकरण के सिद्धान्तों के आधार पर विश्वविद्यालीय स्तर पर बहुत से विषयों के शिक्षण में सुधार किया जाना तथा स्तर बढ़ाया जाना है, जैसे स्तरों सम्बद्धता और सार्थकता का सुधार । यह अर्थशास्त्र के शिक्षण पर भी लागू होता है ।

प्रो० (श्रीमती) जान राबिन्सन ने यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है कि सभी देशों तथा विशेषकर विकासशील देशों में अर्थशास्त्र के शिक्षण में अत्यन्त सुधार किए जाने की आवश्यकता है । अभी हाल ही में उन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक भी प्रकाशित की है । वह अपने विचारों का परीक्षण और उन पर वह इस देश के उन विश्वविद्यालय शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना चाहती थी जो विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध कालेजों में अर्थशास्त्र सिद्धान्त पढ़ा रहे हैं । भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के निमंत्रण पर वह भारत आयी थी और अध्ययन विकास केन्द्र, त्रिवेन्द्रम (प्रो० के०

एन० राज के सहयोग से) में, सामाजिक तथा अर्थशास्त्र परिवर्तन संस्थान, बंगलोर (प्रो० वी० के० आर० वी० राव के सहयोग से) में, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (प्रो० गौतम माथुर के सहयोग से) में राजनैतिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र गोखले संस्थान, पूना (प्रो० वी० एम० डन्डकर के सहयोग से) में तथा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (प्रो० कृष्ण भारद्वाज के सहयोग से) में उन्होंने सेमिनार आयोजित किए थे। ये विचार-विमर्श अत्यन्त लाभदायक थे।

आयोग ने अर्थशास्त्र में विशेषज्ञों का एक पेनल तैयार किया है जो कि अन्य बातों के साथ-साथ अर्थशास्त्र में अनुसंधान की स्थिति की जांच करेगा तथा यह भी देखेगा कि देश की आवश्यकताओं के संदर्भ में उसे किस तरह से उन्मुख किया जाए ?

चीनी की निर्यात मात्रा के बारे में कृषि मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय में मतभेद

1775. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम्** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात के लिये चीनी की मात्रा के प्रश्न पर कृषि मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय में मतभेद है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) विभिन्न मंत्रालयों, जिनसे परामर्श किया गया था, से निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा के बारे में विभिन्न सुझाव प्राप्त हुये हैं। उत्पादन की सम्भावनाओं, घरेलू खपत की जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर, समय-समय पर, निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा का पुनरीक्षण और निर्णय किया जाएगा।

नौवहन की कमी के कारण तूतीकोरिन के बाजार में पड़ा हुआ 100,000 टन नमक

1776. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम्** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नौवहन की कमी के कारण तूतीकोरिन के बाजार में लगभग 100,000 टन नमक पड़ा हुआ है तथा तभी पश्चिम बंगाल में नमक की बहुत कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो जनता में उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) नमक विनिर्माताओं तथा तूतीकोरिन के व्यापारी संघ ने दिसम्बर, 1973 में यह बात नौवहन के महा निदेशक को बताई कि 1.5 लाख नमक तूतीकोरिन से कलकत्ता ले जाने के लिए पड़ा है और इसके लिए जहाज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। पश्चिम बंगाल में अब तक नमक की कमी के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) दिसम्बर, 1973 से फरवरी, 1974 तक तूतीकोरिन से कलकत्ता को नमक की पोत लदान निम्न प्रकार है :—

मास	रवाना हुए जहाजों की संख्या	(टन भार) जहाज द्वारा ले जाई गई मात्रा
दिसम्बर, 1973	5	19,226
जनवरी, 1974	1	6,019
फरवरी 1974 . (15-2-74 तक)	3	20,049

कलकत्ता को नमक ले जाने के लिए और जहाज उपलब्ध करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

लेवी दर और वसूली लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए बिक्री-योग्य फालतू खाद्यान्न के मुआवजे का आधार

1777. श्री बी० वी० नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के लिए वसूली लक्ष्यों का निर्धारण करने और व्यक्तिगत कृषकों के लिए वसूली दर का निर्धारण करने के लिए बिक्री योग्य अतिरिक्त खाद्यान्न की गणना करने का क्या आधार है; और

(ख) राज्यों के लक्ष्यों और व्यक्तिगत लेवी दरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) दो विवरण (1 तथा 2) जिनमें क्रमशः अधिप्राप्ति लक्ष्य और कृषकों पर लगी लेवी की दरों के बारे में अपेक्षित सूचना दी गई है, संलग्न है । [ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 6308/74] राज्यों के अधिप्राप्ति लक्ष्य, राज्य सरकारों से परामर्श करके निर्धारित किए जाते हैं जिसमें अनुमानित उत्पादन के आधार पर संगणित विक्रय अधिशेष के मूल्यांकन, खपत के तरीके और राज्य के अन्दर औसत खपत, अतीत के अनुभव, आर्थिक तथा सांख्यिकीय निदेशालय द्वारा किए गए सैम्पुल सर्वेक्षण आदि को ध्यान में रखा जाता है । किसानों द्वारा जितने एकड़ में खेती की गई है उसके आधार पर उन पर लगाई क्रमिक लेवी की प्रणाली के अलावा, कुछ राज्य सरकारों ने चावल के बारे में मिल मालिकों पर और चावल तथा मोटे अनाजों के बारे में व्यापारियों पर लेवी की प्रणाली भी शुरू की है ।

शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करना

1778. श्री बी० वी० नायक : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में देश की शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन किये जाने के आशय का उल्लेख कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) से (ख) पांचवीं पंच वर्षीय योजना में सरकार का विचार देश की शिक्षा पद्धति के पुनः निर्माण के लिए अत्यधिक प्रयास करना है ताकि उसे सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाया जा सके। निम्नलिखित चार मुख्य बातों पर योजना जोर देती है : (1) समाज न्याय को सुनिश्चित करने की सम्पूर्ण योजना के एक भाग के रूप में शिक्षा अवसरों की समानता को सुनिश्चित करना, (2) एक ओर शिक्षा पद्धति के और दूसरी ओर रोजगार बाजार और विकास की आवश्यकताओं के बीच निकटतम संबंध स्थापित करना, (3) दी जा रही शिक्षा की कोटि में सुधार, और (4) सामाजिक तथा आर्थिक विकास कार्यों में छात्रों सहित शैक्षणिक समुदाय को लगाना।

योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) प्रारंभिक शिक्षा को बहुत उच्च प्राथमिकता देना और इसके लिए विनिधान को जो चौथी पंचवर्षीय आयोजना में 239 करोड़ रुपया था उसे बढ़ाकर पांचवीं आयोजना में 743 करोड़ रुपये किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पोषण के अधीन स्कूल भोजन कार्यक्रमों के लिए 112 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी शामिल है। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा के लिए 855 करोड़ रुपये का कुल विनिधान है, जो शिक्षा के कुल विनिधान का चौथी योजना में 30% के स्थान पर पांचवीं योजना में बढ़कर 47% होगा। व्यापक सुविधाओं की व्यवस्था पर जोर देकर, प्रथम श्रेणी में पर्याप्त एक समान सहयोग करते हुए, बरबादी और अस्थिरता को दूर करके बहुकक्षाओं में प्रवेश, अंशकालिक शिक्षा का विस्तृत कार्यक्रम, समाज के (विशेषकर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के) पिछड़े वर्गों के बच्चों को दाखिला देकर तथा कोटि में सुधार करके शिक्षा के विकास की नीति में आमूल परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव है।

(2) माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्कूलों के स्थान निर्धारण के लिए उचित योजना बनाने, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण करने 10+2+3 की समान पद्धति को अपनाने और कोटि में सुधार करने पर भी विशेष बल देने का प्रस्ताव किया गया है।

(3) शिक्षा के सभी स्तरों पर कार्य-अनुभव शुरू करना।

(4) (i) विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिये मुख्य नीति ऐसी होगी जो इस बात को सुनिश्चित कर सके कि जब उच्च शिक्षा के लिये सामाजिक मांग, खास करके नए उत्पन्न होने वाले सामाजिक आर्थिक दलों की उभरती आशाओं को पूरा करने के लिये तथा उन्हें निरन्तर पूरा करने, सुविधाओं का अव्यवस्थित रूप से विस्तार न हो जिससे विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर और अधिक न गिरे। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है जिससे छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद समाज के उत्पादनकारी सदस्य बन सकें।

(ii) उत्तर स्नातक शिक्षा तथा अनुसंधान का विकास और कोटि का सुधार।

(5) युवक कल्याण, शारीरिक शिक्षा और खेलों के कार्यक्रमों का बड़े पैमाने पर विकास। नेहरू युवक केन्द्र, युवक कार्यकलापों विशेषकर गैर-छात्र युवकों के लिये केन्द्र के रूप में कार्य करने वाले केन्द्र, जिनको समीपवर्ती शैक्षिक संस्थाओं, सम्बंधित राज्य सरकार और स्वैच्छिक संगठनों से उचित सहायता प्राप्त होती है, युवकों के शारीरिक कार्यकलाप, मनोरंजन और शिक्षा की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम के जरिए युवक छात्र को सेवा के लिये अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(6) प्रतिभा को प्रोत्साहित करना और कमजोर वर्गों के वातावरण संबंधी बाधाओं को कम करना, विभिन्न क्षेत्रों में छात्रवृत्तियों पर अधिक जोर दिया जा रहा है और साथ-साथ लड़कियों की शिक्षा के लिये विशेष प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ।

(7) मध्य स्तर के श्रमिकों के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने और उसे विविध बनाने के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रमों को और अधिक सुदृढ़ बनाना और गुणात्मक विकास करना ।

(8) उच्च बुनियादी और प्रयुक्त अनुसंधान पर विशेष बल देना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुसंधान और विकास में राष्ट्रीय प्रयास के लिए अपेक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था होगी ।

(9) सभी स्तरों पर औपचारिक शिक्षा का विकास करना । जिसमें यह शामिल किया जायेगा : (1) बहु-कक्षाओं में प्रवेश और आरंभिक स्तर पर अंशकालिक शिक्षा कार्यक्रम, (2) 15-25 आयु-वर्ग के युवकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम, (3) माध्यमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम, (4) राष्ट्रीय स्तर पर एक खुले विश्वविद्यालय की स्थापना और प्रत्येक राज्य में कम से कम एक विश्वविद्यालय में पत्राचार शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करना, और (5) माध्यमिक और विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर प्राइवेट अध्ययन के लिये पूर्ण सुविधाएं प्रदान करना ।

(10) शैक्षिक निवेशों पर अधिकाधिक बल देना, जैसे पाठ्यचर्या में संशोधन, अध्यापन की नई पद्धति अपनाना, परीक्षा सुधार, पाठ्य पुस्तकों में सुधार, सेवा-पूर्व और सेवारत दोनों प्रकार की अध्यापक शिक्षा, आधुनिक शैक्षिक शब्दावली का प्रयोग, जिसमें जन-संचार, अच्छा पर्यवेक्षण, स्कूल और समाज के बीच घनिष्ठ सम्बन्धों का विकास शामिल है ।

(11) प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों पर विशेष बल देना जिसमें (1) निरक्षरता उन्मूलन और 15-25 आयु-वर्ग के लिए कल्याणकारी सेवाओं सहित अनौपचारिक शिक्षा और (2) प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम को रोज़गार कार्यक्रमों के साथ जोड़ना शामिल है ।

(12) सभी स्तरों पर चुनी हुई संस्थाओं का गुणात्मक सुधार करना ।

(13) हिन्दी और आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृत तथा अन्य श्रेण्य भाषाओं का विकास ।

(14) कार्यान्वयन पर बल देना ; और

(15) सांस्कृतिक विकास के कार्यक्रमों पर अधिक बल देना और उन्हें शिक्षा के कार्यक्रमों के साथ जोड़ना ।

(16) पूर्व-स्कूल विकास के विशेष कार्यक्रम ।

कोंकण लाइन को पंजिम से मंगलौर तक बढ़ाया जाना

1779. **श्री बी० वी० नायक : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के 3 दिसम्बर, 1974 के उस सुझाव को मान लिया है जिसमें यह कहा गया था कि पंजिम से मंगलौर तक कोंकण लाइन का विस्तार करने सम्बन्धी प्रश्न की जांच की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मखर्जी) : (क) और (ख) : 3-1-74 को हुई नेशनल शिपिंग बोर्ड की बैठक में, बोर्ड ने सरकार को यह सिफारिश करने का निश्चय किया कि कोंकण सेवा मंगलौर तक बढ़ाई जाये। नौवहन महा निदेशालय और मुगल लाईन कम्पनी इस सुझाव पर विचार कर रही है।

रत्नगिरि पत्तन में 'ब्रेक-वाटर वाल' के लिये महाराष्ट्र को ऋण

1780. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने रत्नगिरि पत्तन में 'ब्रेक-वाटर वाल' के लिये कितनी धनराशि का ऋण मांगा

(ख) इसमें से अब तक कितना ऋण दिया गया है; और

(ग) शेष ऋण के बारे में क्या निर्णय किया गया है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) चौथी पंच वर्षीय योजना में रत्नगिरि पत्तन के विकास के लिए 107 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी। राज्य सरकार ने अन्य कार्यों के साथ पनकट, दीवार के 1500 फुट से 1900 फुट तक विस्तार करने के लिये 150 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि के लिए अनुरोध किया है।

(ख) 1972–73 के अन्त तक राज्य सरकार को 92 लाख रुपए की राशि मुक्त की गई और चालू वित्तीय वर्ष में 3 लाख रुपए की राशि मुक्त करने का प्रस्ताव है।

(ग) मामले में योजना आयोग के साथ उचित कार्रवाई की गई है।

महाराष्ट्र तट पर एक मत्स्य बन्दरगाह का विकास

1781. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उक्त राज्य में मत्स्य बन्दरगाहों के विकास के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है।

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का सारांश क्या है; और

(ग) सरकार ने महाराष्ट्र में मत्स्य बन्दरगाहों के विकास के मामले में क्या निर्णय और कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने मछली पकड़ने की नौकाओं के ठहरने तथा घाट लगाने की सुविधाओं की व्यवस्था करने के विषय में 21 स्थानों का सुझाव दिया है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावों में मिरकरवाड़ा, दिघी और दहानू में स्वतःपूर्ण बन्दरगाहों की व्यवस्था करना और अगराव, दतीवाड़े, पदवे, जीवाना, करंजा, मोरा, बुरोंदी सकरीनाते, पज हरनाई, वशी, मनदाद, राजपुरी, पुरनागद, केसर वेली, अचरा, करुल, अदे उत्तम्बर और केलशी में छोटी मोटी सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है इन कार्यों पर 10.5 करोड़ रुपये की रकम व्यय होगी।

(ग) जहां तक मिरकरवाड़ा का संबंध है, राज्य सरकार से कहा गया है कि वह हाल ही में हुए पुनरीक्षण को दृष्टि में रखते हुए एक संशोधित प्रस्ताव भेजे। दिघी में उपलब्ध की जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का प्रश्न सासून डाक में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की बन्दरगाह के स्थान संबंधी निर्णय से जुड़ा हुआ है क्योंकि लागत अधिक होने के कारण गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बन्दरगाह का कार्य स्थगित होने की सम्भावना है। यह भारत सरकार के विचाराधीन है। आर्थिक मूल्यांकन रिपोर्ट की अनुपलब्धि की वजह से दहानू परियोजना को स्वीकृति नहीं दी जा सकी। यह रिपोर्ट मात्स्यकी बन्दरगाह निवेश-पूर्व सर्वेक्षण परियोजना ने हाल ही में भेजी है।

मछली पकड़ने के क्रियाकलापों इंजीनियरी और आर्थिक पहलुओं के आधार पर 18 अन्य केन्द्रों पर मछली पकड़ने की नौकाओं के ठहरने तथा घाट लगाने की सुविधाओं की व्यवस्था करने के संबंध में अगराव, दातीवाड़े, पदवे और जीवाना के संबंध में प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। करंजा विषयक प्रस्ताव ब्योरेवार तकनीकी छान-बीन के लिये मात्स्यकी बन्दरगाह निवेश-पूर्व सर्वेक्षण परियोजना को भेज दिया गया है, क्योंकि इस की क्रियान्विति पर 10 लाख रुपये से अधिक रकम व्यय होगी।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि पांचवी योजना में लघु बन्दरगाहों पर ठहरने और घाट लगाने की सुविधाओं के लिये 12.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अतः समस्त समुद्र-तटीय राज्यों की लघु मात्स्यकी वन्दरगाहों की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करना कठिन है।

न्हावा शेवा पत्तन का विकास

1782. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना की अवधि में न्हावा शेवा स्थित पत्तन के विकास के बारे में निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका विकास किस प्रकार किया जायेगा और इस पर कितनी लागत आयेगी;

(ग) क्या बम्बई पत्तन न्यास ने न्हावा शेवा स्थित इस पत्तन के विकास करने के बारे में भारी धनराशि व्यय करने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी पेशकश कहां तक मंजूर की गई है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मखर्जी) : (क) और (ख) न्हावा शेवा पत्तन परियोजना पर निर्णय, यातायात अनुमानों एवं अन्य पहलुओं की जांच करने के लिए नियुक्त तीन कार्य-दलों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही लिया जायेगा।

(ग) और (घ) : बम्बई पत्तन न्यास द्वारा यथा प्रस्तावित न्हावा शेवा परियोजना पर 1971 में बने अनुमानों के अनुसार 51.74 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। बम्बई पत्तन न्यास का अपनी स्वयं की निधि से पांचवीं पंच वर्षीय योजना में अपने विकास कार्यों पर 30 करोड़ रुपए व्यय करने का विचार है।

संसद् सदस्यों के वतन, भत्ते तथा अन्य परिलब्धियों में वृद्धि करने का प्रस्ताव

1783. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **संसदीय** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् सदस्यों के वेतन, भत्ते परिलब्धियों में वृद्धि का करने कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उनमें कितनी वृद्धि करने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) और (ख) संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते संबंधी समिति ने 4 और 5 अप्रैल, 1973 को हुई अपनी बैठकों में सदस्यों को अतिरिक्त सुविधाएं और सुख-साधन देने के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें संसद् के सचिवालयों के परामर्श से सरकार के विचाराधीन हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादत उर्वरक के वितरण पर नियंत्रण

1784. **श्री नवल किशोर शर्मा**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित उर्वरक के वितरण पर सरकार का कोई नियंत्रण है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान के विशिष्ट सन्दर्भ में उर्वरक की चोर-बाजारी की कोई शिकायत प्राप्त हुई है , और

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां। देश में तैयार किए गए समस्त उर्वरक के वितरण को अनिवार्य जिन्स अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। इन आदेशों के अनुसार विनिर्माता विशिष्ट राज्यों में निर्धारित अवधि के दौरान उर्वरकों को निश्चित मात्रा ही वितरित कर सकते हैं।

(ख) कुछ राज्यों से, जिनमें राजस्थान भी शामिल है, उन धोखेबाज व्यापारियों के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो उर्वरकों के अभाव से लाभ उठा रहे हैं और चोर बाजारी कर रहे हैं।

(ग) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 का उल्लंघन करने के ऐसे मामलों में सम्मिलित राज्य सरकारों को काफी अधिकार दिए गए हैं और वे अत्यावश्यक जिन्स अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही करती हैं।

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को धन देने सम्बन्धी प्रक्रिया

1785. **श्री राम कंवर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा जो अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनायें अपने नियंत्रण में ली गई हैं, क्या उन्हें धन देने के बारे में कोई परिवर्तित प्रक्रिया है; और

(ख) वर्तमान प्रक्रिया क्या है और सरकार द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) इस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अखिल, भारतीय समन्वित प्रायोजनाओं के अन्तर्गत चलने वाले अनुसंधान के लिए शत-प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। लेकिन, अब ऐसा प्रस्ताव है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में यह खर्च भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और राज्य सरकारें दोनों मिलकर उठाएं। इस नयी कार्य विधि में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अनुसंधान कार्यों पर होने वाले कुल खर्च का 75 प्रतिशत तथा संबंधित राज्य 25 प्रतिशत देंगे।

ऐसी नीति इसलिए अपनाई गयी है ताकि कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार भी योग दे सकें।

यूनेस्को को भारत का वार्षिक अंशदान

1786. **श्री पी० जी० मावलंकर:** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में यूनेस्को को भारतीय सरकार द्वारा दी जाने वाली वार्षिक अंशदान राशि में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि देने का विचार है और इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1971, 1972 और 1973 में यूनेस्कों को भारत द्वारा वार्षिक अंशदान की कितनी-कितनी राशि दी गई है और क्या क्या गतिविधियां हुई और उनके परिणाम क्या रहे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव):

(क) जी हाँ।

(ख) हमारा अंशदान, जो कि युनेस्को के नियमित बजट की 1.45 प्रतिशत की दर से निर्धारित किया गया है, उसकी राशि 1973 तथा 1974 के द्विवर्षों के लिए 17,41,335 डालर के लगभग होने की आशा है। यह पिछले वर्षों से अधिक है तथा उसका कारण यूनेस्को के बजट में वृद्धि का होना है, जो कि मुख्यतः मुद्रास्फीति की लागत तथा अमरीकी डालर के अवमूल्यन के कारण है।

(ग) भारत द्वारा 1971, 1972 तथा 1973 में दिए गए अंशदान निम्नलिखित है :—

	1971	1972	1973
भारतीय मुद्रा . .	रु० 36,00,000	रु० 3,63,950	रु० 29,58,408.80
विदेशी मुद्रा (स्टर्लिंग, अमरीकी डालर के बराबर) .	डा० 91,353.50	डा० 5,37,228.50	डा० 3,93,593

शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थात् इंजीनियरी और उद्योग शिक्षा तथा अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान का विकास और प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, टेलीविजम प्रशिक्षण, कार्यात्मक साक्षरता शैक्षिक उद्योग विद्या पाठ्यचर्या विकास तथा उत्तर स्नातक कृषि शिक्षा और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरु की गई परिक्षेप परियोजनाओं के संचालन के लिए युनेस्को सहायता देता है। इस हैसियत से युनेस्को यू० एन० डी० पी० की तरह से क्रियात्मक अभिकरण के रुप में कार्य करता है, अर्थात् यह विदेशी विशेषज्ञों की भर्ती करता है और उन्हें उपलब्ध कराता है तथा विदेशों में हमारे प्रशिक्षणार्थियों के स्थापन की और उनके लिए अपेक्षित उपस्करों की पूर्ति की व्यवस्था करता है। इन परियोजनाओं से हमारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति में सहायता मिली है, हमारी वैज्ञानिक और तकनीकी जन साधनों में वृद्धि की है तथा राष्ट्रीय विकास में योगदान मिला है।

अपने नियमित कार्यक्रमों के अन्तर्गत, यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, समाज विज्ञान और संचार जैसे क्षेत्रों की उन परियोजनाओं के लिए छोटे अनुदान (1973 के दौरान 46,000 डालर) देता है, जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता अपेक्षित होती है। ऐसे अनुदानों का अधिकतर उपयोग विदेशी मुद्रा अपेक्षित करने वाले घटकों के लिए किया जाता है। युनेस्को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर तथा अपने द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सेमिनारों, परिसंवादों आदि में भारत से शिक्षा लेने वालों को दैनिक भत्ता देने की लागत को भी पूरा करता है । यह युनेस्को के सहयोग के लिये भारत के राष्ट्रीय आयोग को पुस्तकें साहित्य तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए अन्य सामग्री भी मुहैया करता है । युनेस्को 'कूरियर' के तमिल और हिन्दी संस्करणों के प्रकाशन के लिए युनेस्को प्रतिवर्ष 15 हजार डालर तक की वित्तीय सहायता देता है। यह विदेशों में भ्रमण के लिए कुछ यात्रा अनुदान देता है।

अंतर राजकीय सम्मेलनों और यूनेस्को की दोसाला महासभा सहित यूनेस्को द्वारा आयोजित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों, गोष्ठियों, कर्मशालाओं तथा सम्मेलनों में हमारे द्वारा भाग लेने से वे शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा संचार व्यवस्था की नवीनतम प्रगतियों व विकासों के साथ साथ चलने के लिये हमें सुयोग्य बना दिया है ताकि हम अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में यूनेस्को-कार्रवाई के क्षेत्रों में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकें तथा एशिया सहित विशेष विकसित देशों में यूनेस्को की नीतियों तथा कार्यक्रमों के स्वरूप को प्रभावित कर सकें। हम यूनेस्को के माध्यम से शिक्षा संस्कृति विज्ञान सामाजिक विज्ञान और संचार से सम्बन्धित मामलों में भारतीय दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। विश्व स्तर पर 1968–69 में मनाई गयी महात्मा गाँधी की जन्म शताब्दी की 1968 में यूनेस्को महासभा द्वारा अपनाये गये संकल्प द्वारा सहायता की गयी थी जिसमें शताब्दी संबंधी समारोहों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सभी सदस्य देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों का आह्वान किया गया था।

बम्बई की ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी के लिए 32,000 टन का टैंकर

1787. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी ने स्काटलैण्ड की जहाज निर्माण करने वाली विख्यात कम्पनी स्कौट-लिथिगो को 32,000 टन के टैंकर का क्रयादेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) जी, हाँ।

(ख) मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं:—

(1) **मूल्य** : 69.66 लाख पौंड (स्टर्लिंग) से अनधिक जिसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी लागत शामिल है।

(2) **आकार** : लगभग 32,000 मीट्रिक टन/लगभग 18,000 जी आर टी।

(3) **सुपुर्दगी** : मार्च/अप्रैल, 1975।

(4) **मूल्य की अदायगी की शर्तें :**

(क) सुपुर्दगी तक मूल्य का 20 प्र० श० चरणों में दिया जाने वाला ; और

(ख) मूल्य का शेष 80 % शिपयार्ड द्वारा आयोजित किया जाने वाला बैंक आफ इंगलैंड से आस्थागत ऋण होगा।

(ग) ऋण पर भारतीय आयकर रहित 7 प्र०श० ब्याज होगा और जहाज की सुपुर्दगी के छः महीने बाद शुरु होकर 16 अर्धवार्षिकी किस्तों में वापिस किया जायगा।

पश्चिम बंगाल को चीनी के पूरे कोटे की सप्लाई न करना

1788. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र द्वारा पश्चिम बंगाल को चीनी के पूरे कोटे की सप्लाई न करने के कारण राशन व्यापारी नवम्बर और दिसम्बर, 1973 के महीनों में कई सप्ताहों तक वृहत कलकत्ता में चीनी नहीं दे सके थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) जी हाँ।

(ख) सरकार द्वारा नवम्बर, 1973 में निर्धारित लेवी चीनी के मूल्य को चुनौती देकर रिट याचिका पर कुछ कारखानों के अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण सुपुर्दगी में देरी होने, रेलवे की हड़ताल तथा परिचालानात्मक कठिनाइयों, सड़क यातायात के लिए डीजल की कमी आदि से अधिशेष राज्यों में स्थित कारखानों से पश्चिमी बंगाल को चीनी भेजने में देरी होने जैसे मिले-जुले तथ्यों के कारण नवम्बर और दिसम्बर, 1973 की कुछ अवधियों में पश्चिमी बंगाल में लेवी चीनी की उपलब्धता में कमी हुई थी।

बाद में संचलन/सप्लाई की व्यवस्था में सुधार होने से कार्ड धारियों को उनकी बकाया चीनी अब सप्लाई कर दी गई है।

संशोधित राशन क्षेत्र के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा और अधिक चावल के लिये अनुरोध

1789. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने संशोधित राशन क्षेत्र में सप्लाई करने के लिये और अधिक चावल और गेहूं की कई बार मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973 के गत तीन महीनों में उसे कितनी सप्लाई की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल सरकार सांविधिक और संशोधित राशन वाले क्षेत्रों की ज़रूरतें पूरी करने के लिये चावल और गेहूं का आवंटन बढ़ाने के लिए कहती रही है । केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता, कमी वाले अन्य राज्यों की ज़रूरतों, खरीफ मौसम में स्थानीय मंडी में खाद्यान्नों की उपलब्धता तथा अन्य संगत

तथ्यों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार को अक्तूबर से दिसम्बर 1973 के महीनों के दौरान चावल और गेहूं की निम्नलिखित मात्राएं सप्लाई की गई हैं :—

(हज़ार मी० टन में)

	चावल	गेहूं
अक्तूबर	21.3	115.1
नवम्बर	26.3	107.4
दिसम्बर	33.6	90.9

पश्चिमी बंगाल सरकार को इन तीन महीनों के लिये चावल और गेहूं की सप्लाई के अलावा 35 हज़ार मी० टन मोटे अनाज भी आवंटित किए गए थे ।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों का उचित 'बस स्टापों' पर न रोका जाना

1790. **श्री राम प्रकाश** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के ड्राइवर उचित 'बस स्टाप' पर बसों को नहीं रोकते और इससे जनता को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) दिल्ली में सफर करने वाली जनता की शिकायतें रही हैं कि दिल्ली परिवहन निगम के परिचालन स्टाफ ने या तो बसों को बस स्टैंडों पर नहीं रोका या बसों को अनुचित रूप से खड़ा किया और यात्रियों के साथ असभ्य व्यवहार किया । ऐसे कार्य/व्यवहार को रोकने के लिए निगम ने 5 दिसम्बर 1973 से शहर के परिचालनात्मक इलाकों में महत्वपूर्ण बस स्टैंडों पर अपने यातायात पर्यवेक्षक स्टाफ के लगभग 180 सदस्य तैनात किये हैं। दिल्ली परिवहन निगम के संवाहक/चालक के विरुद्ध इस स्टाफ की रिपोर्टों की जांच एक विशेष अधिकारी द्वारा की जाती है जिसे इस कार्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया है और दोषी चालकों और कंडक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है । दिल्ली परिवहन निगम द्वारा लगाई गई प्राइवेट बसों के मालिकों को जिनके चालक बस स्टैंडों पर बसें खड़ी नहीं करते "कारण बताओ" नोटिस जारी किये जाते हैं कि क्यों न किराया समझौतों की शर्तों के अनुसार उन्हें दंडित किया जाए ।

टिड्डियों का आक्रमण

1791. **श्री राम प्रकाश :**

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इस वर्ष के आरम्भ में भारत में टिड्डयों का आक्रमण होगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख) हमारे देश में इस साल के शुरू में टिड्डियों के आक्रमण की सम्भावना के बारे में कुछ समय पहले समाचार पत्रों में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी । हमारे देश में और समीपवर्ती देशों में टिड्डियों की संख्या की नवीनतम स्थिति के अनुसार इस समय टिड्डियों के आक्रमण की कोई सम्भावना नही है । फिर भी स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जा रही है । वनस्पति रक्षण संगरोध तथा संचयन निदेशालय के अधीन कार्य करने वाली टिड्डी नियंत्रण तथा चेतावनी संस्था राजस्थान के मरुक्षेत्रों में टिड्डियों का पता लगाने के लिये नियमित रूप से सर्वेक्षण कर रही है । खाद्य तथा कृषि संगठन के माध्यम से अन्य समीपवर्ती देशों के साथ भी सम्पर्क रखा जा रहा है ।

Quantity of Wheat Supplied to Bihar During 1972-73

1792. **Shri Jagannath Mishra:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of wheat supplied to Bihar by the Central Government during 1972-73 as against the quantity demanded by it; and

(b) the reasons for not meeting the demand in full?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) Allotments of foodgrains from the Central Pool are made keeping in view the availability of stocks in the Central Pool, the needs of all deficit States, market availability, price position and other relevant factors. During 1972-73 (April-March), Bihar was supplied 628 thousand tonnes of wheat against the State Government's demand of 1,790 thousand tonnes.

बीजों में अपमिश्रण की जांच

1793. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में वितरित बीजों को अपमिश्रित पाया गया था, क्या फार्मर्स फेडरेशन आफ इण्डिया की राजस्थान शाखा के जनरल सेक्रेटरी ने इसकी न्यायिक जांच की मांग की है और इसको उन्होंने "बिगेस्ट ट्रेचरी विद दि नेशन" कहा है ;

(ख) क्या पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डा० सिह ने कहा है कि देश में बीजों में अपमिश्रण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार ने इस आरोप की जांच पड़ताल की है और यदि हां तो इस जांच पड़ताल के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस आरोप की जांच करने का है और जांच के निष्कर्ष सभा पटल पर रखने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में वितरित हुए बीजों में न कोई मिलावट पाई गई है और न ही फारमर्स फैडरेशन की राजस्थान यूनिट ने न्यायिक जांच के लिये राज्य सरकार से कोई प्रार्थना की है ।

(ख) से (घ) सरकार 7 मार्च, 1973 को "हिन्दुस्तान टाइम्ज़" में छपे इस समाचार से सहमत नहीं है जिसमें पंत नगर के कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर डा० डी० पी० सिह के कथित वक्तव्य का ज़िक्र है कि देश में बीजों में बड़े पैमाने पर मिलावट हुई है।

वर्ष 1973 में तिलहनों का उत्पादन

1794. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेलों को निकालने के लिए आवश्यक तिलहनों के उत्पादन संबंधी आंकड़े इकट्ठे किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973 में प्रत्येक किस्म का कुल कितना उत्पादन हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) वनस्पति तिलहनों के उत्पादन के अनुमानों को प्रति वर्ष नियमित आधार पर संकलित किया जाता है । कृषि वर्ष 1972-73 के लिए मूंगफली, तिल, तोरिया और सरसों आदि प्रमुख खाद्य तिलहनों के अखिल भारतीय अंतिम अनुमान निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं :—

[हजार मी० टन]

मूंगफली (छिलके समत)	3923.8
तिल	355.4
तोरिया और सरसों	1853.2

वर्ष 1973-74 के उत्पादन के समरूप आंकड़े कृषि वर्ष जुलाई-अगस्त 1974 के समाप्त होने के कुछ समय पश्चात उपलब्ध हो सकगे

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा पिछली गीष्म ऋतु में किये गये दूध की सप्लाई ले बारे में जांच

1795. **श्री सतपाल कपूर**:

श्री एन० शिवप्पा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा पिछली ग्रीष्म में राजधानी में दूध की सप्लाई निपटाने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा था ; और

(ख) क्या उक्त जांच इस बीच पूरी कर ली गई है और यदि हां तो उसके क्या परिणाम रहे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्या): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रामपुर स्थित रजा पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता

1796. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में रामपुर स्थित रजा पुस्तकालय को एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता देने के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) क्या सरकार द्वारा रियासतों के सभी भूतपूर्व शासकों के पुस्तकालयों तथा कलाकृतियों के संग्रहालयों का अधिग्रहण किया गया है अथवा उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में मान्यता देने तथा उन्हें संग्रहालय बनाये जाने का विचार किया जा रहा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) भूतपूर्व रामपुर रियासत और तत्कालीन संयुक्त प्रदेश सरकार (इस समय उत्तर प्रदेश) में हुए विलयन करार के अन्तर्गत रामपुर स्थित रजा पुस्तकालय के प्रबन्ध और स्वामित्व को न्यासी मण्डल को स्थानान्तरित कर दिया गया था। पुस्तकालय के आकार और इसमें संचित पुस्तकों के महत्व को केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पुस्तकालय को भूतकाल में दी गयी सहायता तथा न्यासी मंडल और उत्तर प्रदेश सरकार में हुए करार को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करने के लिये और अधिनियम के अन्तर्गत इसके प्रबन्ध को बोर्ड को सौंपने के लिये संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय किया है।

(ख) जी नहीं। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 62 के अनुसार केवल किसी पुस्तकालय, संग्रहालय अथवा इसी प्रकार की किसी संस्था को इस प्रकार की मान्यता प्रदान की जा सकती है जिनके लिये धन की व्यवस्था पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा की जाती है। और जिन्हें कानूनी तौर पर संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया गया हो।

भारतीय शहीदों के जीवन परिचय (हूं इज हूं) के तीसरे खण्ड का प्रकाशन

1797. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री स्वतन्त्रता सेनानियों की परिचय पुस्तिका के बारे में 3 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3033 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूरी परियोजना के कब तक पूरे होने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): भारतीय शहीदों के जीवन परिचय के संकलन और प्रकाशन की परियोजना को पहले ही पूरा कर लिया गया है। इसकी क्रममालाओं में तीसरे और अन्तिम खंड को अगस्त, 1973 में प्रकाशित किया गया था।

खेती के काम में मशीनों के प्रयोग से श्रमिकों का बेरोजगार हो जाना

1798. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खेती के काम में मशीनों के प्रयोग से श्रमिक बेरोजगार हो जाऐंगे और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) भारत सरकार ने स्वयं ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है जिससे पता चले कि कृषि कार्यों में मशीनों के प्रयोग से कितने श्रमिक बेरोजगार हो जाऐंगे। तथापि भारत सरकार द्वारा प्रयोजित/वित्तीय सहायता प्राप्त कुछ अनुसंधान संगठनों और संस्थानों ने कुछ अध्ययन किये हैं और इन अध्ययनों से पता लगा है कि देश में खेती के काम में मशीनों का प्रयोग होने से अधिक संख्या में श्रमिक बेरोजगार नहीं होंगे। ट्रैक्टरों के प्रयोग से सघन खेती को

अधिक सुलभ बना दिया है और इस प्रकार से निराई, सिंचाई कटाई जैसे खेती के कार्यों के लिये मजदूर वर्ग और विशेष कर पारिश्रमिक के आधार पर काम करने वाले मजदूरों की मांग बढ़ती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बच्चों के कल्याण के लिये योजना

1799 **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय बच्चों के कल्याण के लिए कुछ योजनाओं पर विचार कर रहा है ; और

(ख) क्या उक्त योजनाओं में बच्चों के लिये पौष्टिक आहार तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में उनका विकास शामिल है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) और (ख) जी हां । 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा दूध पिलाने वाली और गर्भवती माताओं के लिये 5 वीं योजना के दौरान समेकित सेवाओं को प्रदान करने के लिये समाज कल्याण विभाग ने एक योजना बनाई है । अनुपूरक पोषाहार उन सेवाओं के समूह में से एक सेवा है । अन्य सेवाएं असंक्रमी करण स्वास्थ्य जांच पड़ताल निदेशित सेवाएं, स्कूल-पूर्व शिक्षा तथा पौष्टिक आहार शिक्षा हैं । इस योजना को आदिमजातीय/ग्रामीण खण्डों तथा शहर तथा शहरों की गंदी बस्तियों में कार्यान्वित करने का विचार है ।

समाज सेवा को शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाना

1800. **श्री हरिकिशोर सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज सेवा को शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम का अंग बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय सामाजिक सेवा को विश्वविद्यालय शिक्षा की पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने की संभाव्यता से संबंधित एक सुझाव की जांच कर रहा है। इसी तरह रा० शै० आ० प्र० परिषद भी समाज सेवा को स्कूल संबंधी कार्यकलाप का एक अभिन्न अंग बनाने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

पटना में गंगा पुल परियोजना

1801. श्री हरिकिशोर सिंह:
श्री जगदीश नारायण मण्डल:

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने कोई ज्ञापन भेजा है कि पटना में गंगा पुल परियोजना को राष्ट्रीय राजपथ परियोजना में सम्मिलित किया जाए ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध धन और अखिल भारत आधार पर प्रत्येक प्रस्ताव की पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना के दौरान मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नई सड़कों को शामिल करने के लिये प्रस्तावों के तैयार करते समय अन्य इसी प्रकार के प्रस्तावों के साथ साथ विचार के लिये इस प्रस्ताव को नोट कर लिया गया है। चूंकि पांचवीं योजना के प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक चरण में हैं, अतएव इस समय ठीक ठीक स्थिति का बताना समयपूर्व होगा।

गुजरात को प्रति व्यक्ति आबंटित खाद्यान्न का कोटा

1802. श्री **सोम चन्द सोलंकी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय प्रति व्यक्ति गुजरात राज्य को खाद्यान्न का कितना कोटा दिया जा रहा है;

(ख) क्या ये कोटा प्रति व्यक्ति अन्य राज्यों की तुलना में एक जैसा ही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) राज्य के अन्दर खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। स्टाक की उपलब्धता, कमी वाले अन्य राज्यों की ज़रूरतों और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय भण्डार से खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है। राज्य सरकार उचित मूल्य की दुकानों से कार्ड धारियों को दी जाने वाली खाद्यान्नों की मात्रा तथा करती है जिसमें जिन बातों का ध्यान रखती है वे इस प्रकार है---केन्द्र से प्राप्त स्टाक, बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता, अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थ उनके प्रतियोगी मूल्य, आम स्तर, जनसंख्या में वृद्धि आदि। यह मात्रा प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होती है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में
Re. : Increase in prices of Petroleum Products.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

हमने पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि के बारे में स्थगन प्रस्तावों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, नियम 377 के अधीन प्रस्तावों तथा विशेषाधिकार प्रस्तावों की भी सूचना दी है। बजट पेश करते समय माननीय मंत्री ने इस संबंध में कोई संकेत नहीं दिया कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की जा रही है।

परन्तु अब मूल्यों में वृद्धि कर दी गई है। पिछली बार जब अधिसूचना के द्वारा पेट्रोल का मूल्य 1.07 रुपये लिटर की दर से बढ़ाया गया था तो आपने मनानीय मंत्री से कहा था कि इस प्रकार की प्रक्रिया न अपनाई जाये। इस समय भी सदन का सत्र चल रहा है जो कि मई मास तक चलेगा। ऐसे अवसर पर इस प्रकार मूल्य बढ़ाना सदन का अपमान है। इसके साथ ही यह अधिसूचना के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाना है।

मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत किया जाय और अन्यथा विशेषाधिकार का मामला उठाने की अनुमति दी जाये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I submit that the Minister of Petroleum and Chemicals has violated the privilege of the House. He has committed contempt of the House. We were here upto 6 O' clock but no indication to this effect was given. It would have been appropriate to mention it in the Budget. Minister cannot escape by merely saying that excise duty has not been raised and that merely prices have been increased. I would point out that price of the Post Card has also been raised but it finds a mention in the Budget itself. It would also not be correct to say that had the announcement been made earlier it would have led to hoarding. Retail sale after the announcement would have been stopped to check it. I have a complaint against you also, Sir, you are not protecting the rights of the House. Last time, when it happened, you had said that such a thing should not happen. But it has happened again. This matter should be referred to Privilege Committee.

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : Home Minister is not present, This is also a Contempt of the House.

Shri Madhu Limaye (Banka) : May I know as to why you are not accepting Calling Attention Motion, Adjournment Motion or Privilege Motion? He could have announced it when the Budget was presented. But it appears to be a deliberate attempt. I feel it is a contempt of the House and Privilege Motion should be accepted, otherwise Calling Attention Motion or Adjournment Motion should be accepted.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): मैंने प्रक्रिया नियमों का अध्ययन करके ही स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेषाधिकार का मामला व नियम 371 के अधीन मामले उठाने के सूचना दी है जिससे कि किसी एक नियम के अधीन इस पर चर्चा हो सके । इस प्रकार का पूर्वोदाहरण है कि सदन के अवमान के अवसर पर आपने विशेषाधिकार का प्रस्ताव स्वीकार किया है । यह भी इसी प्रकार का स्पष्ट मामला है ।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट): यह एक बहुत ही गंभीर विषय है । मैं वर्ष 1952 से इस सदन का सदस्य हूं और बजट पेश करने के समय हमेशा सदन में उपस्थित रहा हूं । कभी भी इस प्रकार का अवसर नहीं आया कि बजट पेश करने के बाद सरकार ने मध्य रात्रि के पश्चात मूल्य बढ़ाये हों । यह सदन के अवमान का मामला है । सत्तारूढ़ दल समझता है कि बहुमत के बल पर कुछ भी किया जा सकता है । यह लोगों को, सदन को धोखा देना है । यदि संसदीय लोकतन्त्र की प्रतिष्ठा बनाये रखना है तो किसी भी रूप में इस विषय पर विचार होना चाहिये ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं समझता हूं कि यह न केवल इस सदन का परन्तु इसके उच्चतम अधिकारी अध्यक्ष का भी अपमान है । पहले एक अवसर पर आपने टिप्पणी की थी कि जब सदन का सत्र चल रहा हो अथवा सत्र प्रारंभ होने ही वाला हो तो इस प्रकार की कार्यवाही उचित नहीं । सरकार को इस प्रकार के अवसरों पर अधिसूचना जारी करके मूल्य नहीं बढ़ाना चाहिये अथवा किसी प्रकार का अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाना चाहिये ।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य पहले भी बढ़ाये जा चुके थे । अतः यह कोई ऐसा मामला नहीं था जिसमें बहुत ही तत्काल कार्यवाही अपेक्षित थी । यह मूल्य वृद्धि एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कराधान है । इसे भी बजट में सम्मिलित किया जाना चाहिये था ।

ऐसा प्रतीत होता है कि यह कदम राजनैतिक उद्देश्यों से उठाया गया है । मेरी सूचना है कि माननीय मंत्री ने सुबह के वायुयान द्वारा राजनैतिक कारणों से कटक जाना था, इसी कारण इस ढंग से यह कार्य किया गया । इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि इससे नियमों अथवा परम्पराओं का उल्लंघन होगा । अतः इस मामले पर गंभीरता से विचार होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदयः : जिन सदस्यों ने अपने नाम भेजे थे वह बोल चुके हैं, अन्य सदस्यों को मैं बोलने की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): यह बहुत गंभीर मामला है, अतः हमें भी इस पर विचार प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब किसी अन्य सदस्य को अनुमति नहीं दे रहा । अनेक सदस्यों ने अनेक ढंग से इस मामले को उठाना चाहा है ।

यह मूल्य वृद्धि 1 मार्च की मध्य रात्रि से की गई है । मुझे मंत्री महोदय से 1 मार्च का लिखा पत्र 2 मार्च को प्राप्त हुआ जिसमें 4 मार्च अर्थात् सोमवार को सुबह सदन के समक्ष इस मूल्य वृद्धि के बारे में वक्तव्य देने की अनुमति मांगी गई थी ।

तब मुझे विभिन्न प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई जिन्हें मैंने मंत्री महोदय को भेजा । उसके उत्तर में मुझे मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The explanation should have been received from the Minister himself whereas it has come from the office.

अध्यक्ष महोदय : यह पत्र कार्यालय से मेरे कार्यालय को प्राप्त हुआ । उसमें लिखा था कि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का कारण तेल/अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि है । इसमें उत्पादन शुल्क नहीं बढ़ाया गया । बजट प्रस्तावों के अनुसार वृद्धि 1 अप्रैल से लागू होती । इसके आधार पर मैंने मंत्री महोदय को वक्तव्य देने की अनुमति दे दी है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : वक्तव्य के पश्चात क्या आप हमारे स्थगन प्रस्ताव पर विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस मामले का संबंध है, एक बात स्पष्ट है कि सरकार की कार्यवाही उचित नहीं है । सरकार ने बहुत समय पहले ही निर्णय कर लिया होगा कि अर्द्धरात्रि से मूल्यवृद्धि लागू होगी । 1 मार्च को सदन की बैठक थी । माननीय मंत्री भी उपस्थित थे । मेरे द्वारा पहिले दिये गये विनिर्णय भी रिकार्ड पर थे । अतः अध्यक्ष महोदय की पहले की गई टिप्पणियां और सदन की भावनाओं की ओर ध्यान देते हुए इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी । जब सदन का सत्र चल रहा हो तो सदन को बताये बिना इस प्रकार के कदम उठाना अनुचित है । मेरा मत है कि भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिये ।

जहां तक स्थगन प्रस्तावों की बात है, मैं पहले ही अपना विनिर्णय दे चुका हूं । बजट पर चर्चा के समय सब बातों पर चर्चा का अवसर मिलेगा । अतः दो बार चर्चा का अवसर नहीं दिया जा सकता ।

प्रो० मधु दण्डवते : बजट पर चर्चा में निंदा नहीं हो सकती ।

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी हो, इस पर चर्चा के अनेक अवसर प्राप्त होंगे । यह मामला अनौचित्य का है, इस कारण उसमें विशेषाधिकार का कोई मामला नहीं है ।

Shri S.M. Banerjee : This has happened for the third time. Therefore Privilege Motion should be accepted.

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह केवल अनौचित्य का मामला है ।

प्रो० मधु दण्डवते : इस प्रकार की परम्परा होनी चाहिये कि दो बार औचित्य भंग के पश्चात उसे विशेषाधिकार का मामला माना जाय ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

संसद अधिकारी (मृत्यु के पश्चात् परिवार द्वारा आवास रखने के लिए किराया) नियम, 1974

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): मैं संसद के अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1953 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत संसद अधिकारी (मृत्यु के पश्चात परिवार द्वारा आवास रखने के लिये किराया) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 200 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6289/74]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचनाएं तथा चीनी निर्यात संवर्धन नियम, 1973

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) चीनी (पैक करना तथा चिह्न लगाना) आदेश, 1970 जो भारत के राजपत्र दिनांक 14 अप्रैल, 1970 में अधिसूचना सख्या सा० सां० नि० 645 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) चीनी (पैक करना तथा चिह्न लगाना) संशोधन आदेश, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 645 में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) चीनी (पैक करना तथा चिह्न लगाना) दूसरा संशोधन आदेश, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 21 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1418 में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) चीनी (लाने-ले-जाने पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 32 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(पांच) चीनी (लाने-ले-जाने पर प्रतिबन्ध) दूसरा संशोधन आदेश, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 93(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(छ) चीनी (लाने-ले-जाने पर प्रतिबन्ध) तीसरा संशोधन आदेश, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 14 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 244 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(सात) चीनी (लाने-ले-जाने पर प्रतिबन्ध) चौथा संशोधन आदेश, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 मई, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 289(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(आठ) चीनी (लाने-ले-जाने पर प्रतिबन्ध) पांचवां संशोधन आदेश, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 312(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(नौ) चीनी (पैक करना तथा चिह्न लगाना) संशोधन आदेश, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 386 (ङ) में प्रकाशित हुआ था

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6290/74]

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) (एक) चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1958 की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत चीनी निर्यात संवर्धन नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 21 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 174 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6299/74]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:–

(एक) तामिलनाडू मोटा अनाज (निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 533 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) राजस्थान चावल (निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 37 (ङ) में में प्रकाशित हुआ था । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6291/74]**

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 537 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6292/74]**

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति (राजेन्द्र गडकर समिति) के प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6293/74]**

(4) (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) मध्य प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 6294/74]**

(तीन) पश्चिमी बंगाल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6294/74]**

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत मास्टरों तथा मेटों की परीक्षा (संशोधन) नियम, 1971

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।—

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मास्टरों तथा मेटों की परीक्षा (संशोधन) नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1908 (अंग्रेजी संस्करण) में प्रकाशित हुये थे तथा भारत के राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 47 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6295/74]**

विक्टोरिया स्मारक अधिनियम, 1903 के अन्तर्गत विक्टोरिया स्मारक (संशोधन) नियम, 1973 और राष्ट्रीय अकादमियों तथा आई० सी० सी० आर० के परि० प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) विक्टोरिया स्मारक अधिनियम, 1903 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी किये गये विक्टोरिया स्मारक (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 45 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6296/74]**

(2) (एक) राष्ट्रीय अकादमियों तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6297/74]**

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महा-सचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना देनी है :—

"राज्य सभा 28 फरवरी, 1974 की अपनी बैठक में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक 1974 से, जो लोक सभा द्वारा 19 फरवरी, 1974 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में वक्तव्य

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : 16 अक्टूबर, 1973 से कच्चे तेल के मूल्यों में हुई वृद्धियों के लिये तेल कम्पनियों की क्षतिपूर्ति करने की दृष्टि से परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में अन्तिम सामान्य संशोधन 3 नवम्बर, 1973 से किया गया था । उस समय उत्पाद मूल्यों को कच्चे तेल के मूल्य के बराबर किया गया जो प्रति बैरल (एफ० ओ० बी०) 3.58 डालर था । तब से तेल उत्पादक देशों की सरकारों द्वारा प्रकाशित मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि कर दिये जाने के कारण 1 जनवरी, 1974 से कच्चे तेल के मूल्यों में फिर वृद्धि हुई है । इस तिथि से पूर्व खाड़ी क्षेत्र के मार्कर कच्चे तेल—अर्थात् हल्के अरब कच्चे तेल का मूल्य औपचारिक रूप से 3.65 डालर प्रति बैरल निर्धारित किया गया था । 1 जनवरी, 1974 से औसत मूल्य प्रति बैरल 10 डालर के लगभग है । खाड़ी क्षेत्र के तेल उत्पादक देशों ने अभी तेल कम्पनियों के साथ अपने सहभागिता संबंधी करारों को अन्तिम रूप नहीं दिया है, अतएव इस संबंध में स्थिति अभी अस्पष्ट है । इस कारण तथा कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं और प्राथमिकता वाले कतिपय उद्योगों जैसे उर्वरक उद्योग पर कम प्रभाव डालने के संबंध में सरकार की उत्कण्ठा के कारण भट्ठी तेल विटूमिन तथा लूबे पर आधारित स्टाक के मूल्यों में 23 जनवरी, 1974 से केवल आरम्भिक समायोजन किया गया है । इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अब यह निर्णय किया गया है कि 2 मार्च, 1974 से उत्पाद मूल्यों में वृद्धि की जायेगी ताकि भाव 8.48 डालर प्रति बैरल परिकल्पित एफ० ओ० बी० कच्चे तेल का मूल्य परिलक्षित हो । परिवर्तन दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

2. यद्यपि कच्चे तेल संबंधी मूल्य वृद्धि सभी उत्पादों के मामले में की गई है तथापि मिट्टी के तेल, हाई स्पीड डीजल तेल तथा कुकिंग गैस के मूल्य की वृद्धियों को कम रखा गया है । यदि मिट्टी के तेल तथा हाई स्पीड डीजल तेल में पूरी मूल्य वृद्धि की जाती तो दोनों में से प्रत्येक उत्पाद के मूल्य में 45 पैसे प्रति लिटर की वृद्धि होती जब कि इस मूल्य वृद्धि को कम—लगभग 15 पैसे प्रतिलिटर रखा गया है । इसी प्रकार 15 किलो ग्राम के कुकिंग गैस के सिलिन्डरों में 8.50 रुपये की वृद्धि होती परन्तु इसे कम करके 1.02 रुपये रखा गया है ।

3. मिट्टी के तेल, हाई स्पीड डीजल तेल तथा कुकिंग गैस के मूल्यों की कमी को विमानन टरबाइन ईंधन, मिट्टी तेल, स्नेहक तेलों तथा ग्रीस और उर्वरक उत्पादन से भिन्न प्रयोजन से प्रयुक्त होने पर नेफ्था पर डाला गया है । उर्वरकों के उत्पादन के लिये जब नेफ्था का प्रयोग किया जाता है तो उसके मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता ।

4. जैसा कि मैंने इस सदन में कई अवसरों पर कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को कच्चे तेल के मूल्यों के बराबर रखने की दृष्टि से समय-समय पर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है । परन्तु सरकार की यह प्रबल इच्छा है कि मिट्टी के तेल तथा कुकिंग गैस जैसे आम उपभोग के उत्पादों की मूल्य वृद्धि को कम रखने के लिये यथासंभव प्रयास किया जायें । हाई स्पीड डीजल जिसका उपयोग परिवहन तथा कृषि के लिये किया जाता है, भी एक ऐसा उत्पाद है जिसके मामले में भी हम प्रभाव को कम रखना चाहते हैं, इसकी पूर्ति हमने दो रूपों में की है । देशीय अशोधित तेल का मूल्य 4.50 डालर प्रति बैरल नियत किया गया है और आयातित अशोधित तेल और देशीय अशोधित तेल के बीच यथा मूल्यों के कल्पित एकीकरण को 8.48 डालर प्रति बैरल की कल्पित औसत अशोधित तेल के मूल्य का नियतन करने के उद्देश्य से मान लिया है जोकि उत्पादों

का मूल्य निर्धारित करने का आधा है । हाई स्पीड डीजल मिट्टी का तेल और ईंधन गैस में मूल्यों की कम से कम वृद्धि करने के उद्देश्य से अपेक्षित मूल्य वृद्धि का स्थानान्तरण अन्य उत्पादों के लिये दूसरा साधन है जिन पर इस प्रकार वृद्धि की जा सकती है । ये उत्पादन विमानन टरबाइन ईन्धन, भट्टी का तेल, स्नेहक ग्रीस और नेफ्था है । जब इनकों उर्वरकों से भिन्न अन्य उत्पादों के लिये काम में लाया जा जाता है । इसके कारण जबकि विमानन टरबाईन ईन्धन और भट्टी के तेल में की गई वृद्धि की मात्रा अधिक नहीं है परन्तु स्नेहक तेल में की गई शुल्क रिहित वृद्धि 3,000 रुपये प्रति टन के अनुसार है । उर्वरकों के काम न आने वाली नेफ्था पर की गई वृद्धि 1834 रुपये प्रति टन के अनुसार है । जैसाकि माननीय सदस्यों को मालूम है कि देश में स्नेहक तेलों की खपत संसार में सबसे अधिक है । हमें यकीन है कि स्नेहक तेलों का पर्याप्त मात्रा में व्यर्थ उपयोग किमा जाता है । हमने तेल कम्पनियों से अनुरोध किया है कि उपभोक्ताओं को स्नेहक के सही प्रयोग की जानकारी देने वाले शिक्षाप्रद प्रचार कार्य आरम्भ करें । हमारा प्रस्ताव है कि बड़े शहरी क्षेत्रों में स्नेहक तेल को दुबारा काम में लाने योग्य बनाने वाली संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए ।

5. जहां तक उर्वरक उत्पादन से भिन्न **अन्य उद्देश्यों के लिये प्रयोग की जाने वाले** नेफ्था में की गई मूल्य वृद्धि का प्रश्न है, यह अनुमान है **कि नेफ्था से तैयार किए गए बहुत से** पेट्रो केमिकल्स उत्पाद इस वृद्धि को वहन कर सकते हैं । पेट्रोकेमिकल्स **इण्डस्ट्रीज के उत्पादों से समाज** के कमजोर वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मदों पर कोई **विशेष प्रभाव पड़ने की सभावना नहीं है ।**

पेट्रोलियम उत्पादों के अधिकतम विक्रय मूल्यों के परिवर्तनों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

उत्पाद	यूनिट	1-1-74 को	2-3-74 को	प्रति कि०/मी० टन लि० वृद्धि	प्रति-लिटर/कि०ग्रा० वृद्धि
क.पूर्वुज परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद (एक्स स्टोरेज पाइट-बम्बई)		रुपये	रुपये	रुपये	पैसे
1. **विमानन** स्पिरिट 100/130	कि०लि०	2523.45	3283.53	760.08	76
2. **विमानन** स्पिरिट 115/145	" "	2556.46	3372.73	816.27	82
3. **विमानन** स्पिरिट 73	" "	2476.68	3149.60	672.92	67
4. **विमानन** टरबाइन ईंधन	" "	733.71	1367.13	633.42	63
5. **मोटर** स्पिरिट 93 ओएन	" "	2526.39	2951.56	425.17	43
6. मोटर स्पिरिट 83 ओएन	" "	2457.00	2796.58	339.58	34
7. हाई स्पीड डीज़ल तेल	" "	697.34	844.89	147.55	15
8. भट्टी तेल	" "	279.89	604.12	324.23	32
9. उच्च कोटि का मिट्टी तेल	" "	716.69	864.24	147.55	15
10. हल्का डीज़ल तेल	" "	429.31	829.64	400.33	40
11. बिटूमिन स्ट्रेट ग्रेड एम०टी० (कन्टेनरों में)	" "	590.23	834.79	244.56	24
12. बिटूमिन कटबेक्स बी० एस० ग्रेड	" "	703.27	1018.57	315.30	32
13. " " आर० सी०	" "	729.28	1079.07	349.79	35
14. नेफ्था (उर्वरकों के लिए प्रयोग को छोड़कर)	" "	252.35	2320.06	2067.71	207

उत्पाद	यूनिट	1-1-74 को	23-1-74 को	मूल्य में वृद्धि
ख. लूबे बेस स्टाक (एक्स रिफाइनरी)		रूपये	रूपये	रूपये
1. बी० ओ० सी–50	एम० टी०	905.93	1310.33	404.40
2. बी० ओ० सी–250	" "	937.74	1342.14	404.40
3. पेल 800 .	" "	1026.23	1430.73	404.40
4. स्पिण्डल एच वी आई .	" "	1052.05	1456.45	404.40
5. स्पिण्डल एम वी आई .	" "	960.23	1364.63	404.40
6. स्पिण्डल एल वी आई .	" "	950.05	1355.05	404.40
7. लाइट न्यूटूल एच वी आई	" "	1183.70	1588.10	404.40
8. लाइट एम वी आई	" "	1089.96	1494.36	404.40
9. लाइट एल वी आई . .	" "	992.41	1396.81	404.40
10. एन्टरमिडिएट न्यूटल एच वी आई	" "	1267.00	1671.40	404.40
11. एन्टरमिडिएट न्यूटल एम वी आई	" "	1172.20	1576.60	404.40
12. इन्टरमिडिएट न्यूटूल एल वी आई	" "	1022.84	1427.24	404.40
13. हैवी न्यूटल एच वी आई	" "	1273.66	1678.06	404.40
14. हैवी न्यूटल एम वी आई	" "	1196.22	1600.62	404.40
15. हैवी न्यूटल एल वी आई .	" "	1045.68	1450.08	404.04
16. टी० ओ० बी० एस० (एमआरएल)	" "	831.01	1168.01	337.00
17. 150 न्यूटल	" "	1159.94	1564.34	404.40
18. 500 न्यूटल	" "	1219.80	1624.20	404.40
19. 1300 न्यूटल	" "	1243.72	1648.12	404.40
20. 100 इण्डस्ट्रियल	" "	960.35	1364.75	404.40
21. 500 इण्डस्ट्रियल	" "	989.87	1394.27	404.40
22. 1600 इण्डस्ट्रियल . .	" "	1010.91	1415.31	404.40
23. टी० ओ० बी० एव (एल आई एल)	" "	795.90	1132.90	337.00

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) Sir, I rise a point of order. The hon. Minister has not said even a single word in respect of the announcement of the increase in the prices of petroleum products just one hour after this House was adjourned. He has also not replied to my querries about the time of the cabinets' decision and the issue of notification. This amounts to ignoring you even.

Mr. Speaker. It is a routine statement by the hon. Minister for which I had given permission and he has read that.

श्री समर गुह (कन्टाई): व्यवस्था के प्रश्न पर। उप मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसमें इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है जिसमें उनका इस कार्यवाही का औचित्य सिद्ध होता हो।

दूसरे ऐसी बात तो नहीं है कि कच्चे तेल के मूल्य केवल दो बार ही बड़े हैं। इसलिये इतने आकस्मिक ढंग से अधिघोषणा जारी करना कहां तक उचित है।

तीसरे वक्तव्य में यह भी नहीं कहा गया है कि उन्होंने अध्यक्ष महोदय के निदेशों का पालन किया हो।

अध्यक्ष महोदय : आप की आपत्ति से पूर्व उन का वक्तव्य कार्यालय में पहुंच गया था। अब आप कृपया बैठ जाइये।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I rise on a point of order. Apart from their act of contempt and disrespect to the House, they have not given the reasons for this increase in prices. The oil companies have been earning huge profits. Even in America this course has been felt very much. They have not given the reasons.

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप ये बातें इस मंत्रालय से संबंधित बजट पर चर्चा के समय उठा सकते हैं। उनका वक्तव्य सभा में प्रस्तुत किया जा चुका है।

Shri Shah Nawaz Khan : The decision to raise the oil- prices was taken by the Cabinet at 7 P.M. and immediately thereafter my senior colleague sent a letter to you. I am sorry that you received that only the next day.... (*interruptions*).

Shri Madhu Limaye : He gave a general statement that the prices of crude oil have increased. What that has to do with this issue ? Why a notification was not issued today and why did not they express regret ?

Shri Shah Nawaz Khan : I assure you that he had absolutely no intention to cause disrespect to the House....

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय): क्या सरकार का यह बताने का उत्तरदायित्व नहीं है कि उन्होंने हम को बजट में शामिल क्यों नहीं किया ? केवल दो दिन बाद उन्होंने यह सब क्यों किया ?

श्री शाह नवाज खां : माननीय सदस्यों को मालूम है कि तेल के मूल्यों के बारे में अरब देशों, मध्य पूर्वी देशों से, बातचीत चल ही रही थी। उन्होंने 1 मार्च से मूल्य बढाये। 7 बजे निर्णय लिया गया। हमने तुरन्त ही अध्यक्ष महोदय को सूचित कर दिया।

Shri Shyam nandan Mishra : We should know the reasons why this aspect was not included in the Budget itself. What strange had happened two days later?

Shri Shah Nawaz Khan : I have submitted that the negotiations were going on with the oil producing countries and as soon as we came to a definite decision at 7 P.M...

Shri Atal Bihari Vajpayee : His statement strangeless the basis for a privilege motion. Well....the hon. Minister has entered in. Nor I would ask him to explain what transpired between 28th Feb. and Ist March. Why did he increase the prices after the House was adjourned on that day?

Mr. Speaker : It is not the proper way of behaving here in the House. Throughout my life I have never acted in the manner. You are doing here. It is not good to act like that always.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : मुझे खेद है कि मैं यहां ठीक समय पर हाजिर नहीं हो सका क्यों कि दूसरे सदन का सदस्य होने के नाते मुझे वहां भी इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना था। वस्तुतः यह कोई घोषणा नहीं थी। सरकार ने केवल मंत्रिमंडल के निर्णय को क्रियान्वित किया है जो कि प्रशासनिक निर्णयों के अनुसार किया ही जाना चाहिए था। मंत्रिमंडल ने शुक्रवार, 1 मार्च

1974 को सांय 7 बजे यह निर्णय किया और उसके तुरन्त बाद ही मैंने आपको तथा राज्य सभा के सभापति को पत्र लिख दिया कि ज्योंहि सभा समवेत् होगी मैं वहां एक वक्तव्य देना चाहूंगा।

वस्तुतः स्थिति यह है कि पैट्रोलियम के मूल्य कच्चे तेल के मूल्यों के साथ संबद्ध है और वे मूल्य श्री शांतिलाल शाह की अध्यक्षता में गठित तेल मूल्य समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा है कि जब भी कच्चे तेल के मूल्य बढ़े तभी उन के द्वारा निर्धारित फार्मूले के अनुसार पेट्रोलियम के मूल्य बढ़ाये जायं। हमें कच्चे तेल का क्रय नकद तथा विदेशी मुद्रा अदा करके करना पड़ता है, इसलिये यदि हम इस निर्णय में विलंब करते तो सरकार तथा सरकारी एंवं गैर-सरकारी कम्पनियों को बहुत हानि होती और साथ ही स्टाक भी गायब हो जाते। शुक्रवार को निर्णय नहीं लेने से शानिवार तथा इतवार को अर्थात यहां सभा के समवेत होने तक पैट्रोलियम पदार्थों का भारी संकट पैदा हो जाता। आप तो जानते ही हैं कि बजट के बाद मूल्यों में वृद्धि की कल्पना से लोग पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीज़ल आदि जमा कर रहे थे।

अतः उक्त निर्णय सांय 7 बजे ही किया गया और तुरन्त ही अर्थात आधी रात्रि से इसको लागू किया गया मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि उक्त निर्णय संसद या सभा के प्रति किसी भी प्रकार के अनादर या उपेक्षा के भाव को लेकर नहीं बल्कि राष्ट्र के हित में तथा परिस्थितियों के दबाब में आकर किया गया है। मैं इस सभा का तथा अन्य विधान सभाओं का सदस्य रह चुका हूं। एक विधान सभा का कुछ समय के लिये अध्यक्ष भी रहा हूं अतः सभा के अनादर करने का भाव तो मेरे रक्त में ही नहीं है और न सरकार के किसी सदस्य के हृदय में ऐसी कोई भावना है। हमने तो इस दबाव के कारण ऐसा किया कि कहीं स्टाक ही गायब न हो जायें और देश को कठिनाई हो--इस प्रकार यह मंत्रिमंडल का निर्णय था जिसको क्रियान्वित किया गया। फिर भी यदि सदस्यगण इसे गलत मानते हैं तो अध्यक्ष महोदय आप चाहें, जो फैसला करें, मुझे स्वीकार है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या मंत्रिमंडल के निर्णय से पूर्व कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि हुई थी। यदि हां, तो किस समय तेल उत्पादक देशों ने यह वृद्धि की ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस संबंध में एक चर्चा कर सकते हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्रः वह अभी बतायें। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है कि सभा से बाहर ऐसे मामले में निर्णय किया गया है जिस के लिये इस सभा को अधिकार है। आप उन्हें इसी समय जानकारी देने को क्यों नहीं कहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार जब कोई मंत्री वक्तव्य दे रहा हो तो उस समय प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

श्री श्यान नन्दन मिश्र : यह वक्तव्य इस प्रकार का नहीं है। यह बड़ी विचित्र बात है कि अध्यक्ष पीठ की ओर से हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय नियमानुसार कार्य नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को नियमों की पुस्तक दे रहा हूं आप उसे पढ़ लीजिये।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह नियम इस में बाजिब नहीं बनता है। आप हमारा कीमती समय लिये जा रहे है आप सरकार को जाकारी देने को क्यों नहीं कहते ?

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में अधिक से अधिक आप एक चर्चा की मांग कर सकते हैं। यदि मैं आप को प्रश्न पूछने की अनुमति दे दूंगा तो अन्य सदस्य भी प्रश्न पूछने के हदकार होंगे। मंत्री महोदय ने एक दम वक्तव्य नहीं दिया है। उन्होंने कल इसकी सूचना दी थी और आज मेरी अनुमति से यह वक्तव्य पढ़ रहे हैं। नियम के अनुसार वक्तव्य के दौरान प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह निर्णय बजट पेश होने के दो दिन बाद किया गया है। अध्यक्ष महोदय को सभा के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आप एक चर्चा रख दीजिये।

श्याम नन्दन मिश्र : हमारी यह पक्की धारणा बन चुकी है कि क्योंकि सरकार की गलती पकड़ी गई है इसलिये अध्यक्ष महोदय सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह मामला वित्तीय महत्व रखता है। हम इसे कभी सहन नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार मत कहिये।

डा० के० एम० इसहाक (बसीरहाट) : यह अध्यक्षपीठ की आलोचना है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र: मैं जानबूझ कर आलोचना कर रहा हूं। यहां सभा के अधिकारों की बात है, यह वित्त संबंधी मामला है। हम इसे कभी भी सहन नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप नियमों की परवाह नहीं कर रहे हैं। आप अध्यक्षपीठ को भी धमकी दे रहे हैं। यह आप की आदत बन गई है। मैं इसे सहन नहीं करूंगा। यदि आप चाहें तो मैं इस पर चर्चा की अनुमति देने को तैयार हूं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र: आप मंत्री को उत्तर देने को कहिये वरना लोगों में आप का भी अधिक सम्मान नहीं रहेगा। वृद्धि के कारण लोगों को बहुत परेशानी होगी। जब आप सोचेंगे तो अपने को बहुत नीचे पायेगें।

श्री ए० के० एम० इसहाक : अध्यक्ष महोदय नियमानुसार सभा की कार्यवाही चलाना चाहते हैं परन्तु माननीय सदस्य उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं। आखिर कोई सीमा होती है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बड़ा खेद है। माननीय सदस्य को अपने शब्द वापस लेने होंगे।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : नहीं, मैं नहीं वापस लूंगा। आप सारी जनता को परेशानी में डाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। क्रोध में आप अध्यक्षपीठ पर टिप्पाणियां करते जा रहे हैं। मुझे इस का बड़ा अफसोस है। एक सदस्य के नाते मैं आप का सम्मान करता हूं परन्तु मुझे भी नियमों का पालन करना है। बेहतर यही है कि आप अपने शब्द वापस ले लें वरना मुझे बड़ा अफसोस होगा।

चर्चा के दौरान आप चाहे जितने प्रश्न पूछ सकते हैं परन्तु इस प्रकार अध्यक्षपीठ पर आक्रमण नहीं कर सकते। आप का व्यवहार बड़ा ही खेद जनक है।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : श्री मिश्र ने अध्यक्ष के विरुद्ध बहुत बुरी भाषा का उपयोग किया है। आप उन्हें कहिये कि वह अपने शब्द वापस लें

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें कह चुका हूं कि वह अपने शब्द वापस ले लें।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : नहीं मैं अपने शब्द वपास नहीं लेता। यदि आप हमें आपेक्षित जानकारी नहीं दिलायेंगे तो हम आप को नहीं छोड़ेगें। आप ने जो करना है कीजिये।

You do whatever you can .. .. (*interruptions*)
you cannot ignore the House on such financial matters.

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को वता चुका हूं कि आप इस प्रकार आरोप नहीं लगा सकते। आप मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकते हैं।

श्री वसन्त साठे : यह वक्तव्य नियम 372 के अधीन है। माननीय सदस्य अध्यक्षपीठ पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते।

Shri S. M. Banerjee: He was not present in the House when you pulled up the honest and also he did not hear what you had said. He has been very angry for a few days.

अध्यक्ष महोदय : मुझे आप के व्यवाहर पर बड़ा ही खेद है। मैं तो उनकी पूरी इज्जत करता हूं परन्तु उन्होंने यह आदत ही बना ली है। अब उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिये। मैं सभा की कार्यवाही ऐसे नहीं चलाऊंगा। मुझे उनके द्वारा प्रयुक्त की गई भाषा पर सख्त आपत्ति है।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : वह अपने शब्द वापस लें।

अध्यक्ष महोदय : यदि अध्यक्ष किसी नियम के अधीन किसी बात की अनुमति नहीं देता है तो क्या माननीय सदस्य स्वंय ही अध्यक्ष बन बैठेगें ? उन्होंने कितना अविनम्र व्यवहार किया है।

श्री ए० के० एम० इसहाक : श्री मिश्र सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं और हम उनसे शिष्टाचार की आशा करते हैं हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वह अपने शब्द वापस लें ताकि अन्य कनिष्ठ सदस्य भी उसका अनुसरण करें।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह अपने शब्द वापस नहीं लेते हैं तो मैं स्वयं सभा के बाहर चला जाऊंगा और कभी नहीं आऊंगा। मैं सभापति तालिका में से किसी सदस्य को कहूंगा कि वह यहां आकर इस कुर्सी पर बैठे। मैं श्री मिश्र को तो सभा भवन से बाहर निकल जाने को तो नहीं कहूंगा बल्कि अपने ढंग से उनके व्यवहार पर विरोध प्रकट करते हुए स्वयं ही सभा से बहार चला जाउंगा। मैं सभा से जा रहा हूं।

श्री ए० के० एम० इसहाक : यह ठीक नहीं होगा। हमारा यह हक है कि हम आपको यहां से न जाने दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री जोशी कृपया आयें और इस कुर्सी पर बैठे। जोशी जी आइये। मैं इन माननीय सदस्य के प्रति अनादर का भाव जाहिर नहीं करना चाहता हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, it is one O' clock. You please adjourn the House.

अध्यक्ष महोदय : वही सभा को स्थागित करेगे। मैं तो सभा से जा रहा हूं। मैं सभापति तालिका के किसी भी सदस्य को यहां इस कुर्सी पर आकर बैठने का अनुरोध करता हूं। श्री जोशी विपक्ष के सदस्य हैं, वह आ जायें।

Shri Atal Bihari Vajpayee : You please do not withdraw.

Shri Jagannath Rao Joshi : We do not like any disrespect to you.

Mr. Speaker : I have had enough.

Shri Atal Bihari Vajpayee : No Sir, please do'nt .

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं अध्यक्ष पीठ से इस रवैये के विरूद्ध सभा भवन से तो चला जाऊंगा परन्तु अपने शब्द वापस नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यहां सभा भवन से बाहर जाने की बात नहीं है बल्कि अपने शब्द वापस लेने की बात है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मिश्र जी को बता दूं कि इसके बाद कोई भी सभापति के रूप में काम नहीं कर सकेगा। एक दिन वह भी सभापति बन सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री गोस्वामी कृपया यहां आ जायें।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्री श्याम नन्दन मिश्र केवल एक जानकारी चाहते थे और उन्हें क्रोध आ गया। उनका अभिप्राय अध्यक्षपीठ का निरादर करने का नहीं था। उन्होने साफ साफ कहा है वह केवल जानकारी लेना चाहते हैं और वह मंत्री महोदय ने नहीं दी।

श्री वसन्त साठे : वह क्षमा मांग लें।

श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपुर) : मुझे विश्वास है कि श्याम बाबू को नहीं मालूम था कि अध्यक्ष महोदय सरकार के विरूद्ध पहले ही टिप्पणी कर चुके हैं। मैं चाहूंगा कि वह खड़े होकर कहें कि सभाध्यक्ष के प्रति उनका अभिप्राय कोई अनादर करने का नहीं था।

श्री ए० के० एम० इसहाक : यह तो हम भी जानते हैं। अब, उठकर यह बात कह दीजिये। प्रत्येक सदस्य आप से अनुरोध कर रहा है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैंने एक साधारण जानकारी लेनी चाही थी और यह मेरा अधिकार है अब क्योंकि यह जानकारी नहीं दी गई इसलिये मुझे दुःख हुआ। यदि अध्यक्ष मेरे अधिकारों की रक्षा नहीं करते तो मुझे दुःख होगा ही। अन्यथा इस में अध्यक्षपीठ के प्रति किसी प्रकार से अनादर के भाव का तो प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु सूचना प्राप्त करने का मेरा अधिकार तो सदा ही बना रहेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने क्षमा मांग ली है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : आप का यही मतलब है न कि आप अध्यक्षपीठ का निरादर नहीं करना चाहते थे।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : नहीं। मैं कह चुका हूं।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : शायद वह आवेश में कुछ टिप्पणियां कर गये और मैं समझता हूं कि उन्होंने अब उन्हें वापस ले लिया है क्योंकि यदि इस प्रकार अध्यक्षपीठ पर टिप्पणियां की जायेंगी तो हम कार्य नहीं कर सकते।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : एक सदस्य के नाते मेरे अधिकार का क्या होगा ? इस जानकारी का क्या होगा जो मैंने मंत्री जी से मांगी थी। वह क्यों नहीं बताते ?

अध्यक्ष महोदय : श्री मिश्र के आने से पहले कई टिम्पणियां सरकार पर की गई थी और मैंने भी यह कहा था कि मैं इस तरीके से खुश नहीं हूं। आप ने मुझे अपना अध्यक्ष बनाया है और जब मैं किसी नियम की व्याख्या करता हूं और माननीय सदस्य उसे न स्वीकार करें तो हम उस पर आगे चर्चा कर सकते हैं ? परन्तु सीधे ही अध्यक्ष पर बरस पड़ना कहां उचित है ? यदि मैं एक अध्यक्ष के नाते नियमानुसार कार्य नहीं कर सकता तो फिर मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर है।

श्री ए० के० एम० इसहाक : नहीं नहीं, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : मिश्र जी को मैं संसद में आने के बहुत पहले से जानता हूं और उन के स्वभाव से भी परिचित हूं। परन्तु यहां में अध्यक्ष हूं और यह एक माननीय सदस्य। इस संबंध को उन्हें और मुझे बनाये रखना होगा। यदि वह यह समझते हैं कि मैं वास्तव में इतना बुरा हूं तो मैं इस कुर्सी पर बैठने का हकदार नहीं हूं।

नियम 377 के अधीन मामले
Matters Under Rule 377

(1) संयुक्त राज्य अमरीका को भारत द्वारा चीनी के निर्यात कोटे को दुगना करने के बारे में यू० एस० हाऊस एग्रीकालचरल कमेटी के चेयरमैन द्वारा कल की गई कथित टिप्पणियां।

अध्यक्ष महोदय : श्री नरसिंह नारायण पाण्डे :

श्री नरसिंह नारायण पाण्डे (गोरखपुर) : मैं कृषि मंत्री का ध्यान, नियम 337 के अधीन लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर दिलाना चाहता हूं :

अमरीकी प्रतिनिधि सभा की कृषि समिति के अध्यक्ष श्री डब्ल्यू० आर० पोएज ने 2 मार्च, 1974 को, जबकि इस समिति के समक्ष भारतीय चीनी उद्योग के एटरनी डेविडपाल मेटर भारत के चीनी कोटे को दुगना करने अर्थात दो लाख टन किये जाने संबंधी साक्ष्य दे रहे थे, यह कहा बताते हैं कि विगत दस वर्षों में अमरीका को भारत सरकार का किसी प्रकार का सहयोग प्राप्य नहीं हुआ। श्री पोएज ने भारत द्वारा अमरीकी कृषि उत्पादों को न खरीदने के लिये भारत की निन्दा की तथा कहा कि भारत अमरीका से इन उत्पादों को केवल उसी समय खरीदता है जबकि उस के पास अदायगी करने के लिये धन नहीं होता; जब धन होता है तो भारत अन्य देशों से माल खरीदता है। उन्होंने आगे कहा कि वियतनाम में अमरीका की कार्यवाही का भारत तथा अमरीका सहायता पाने वाले अन्य देशों ने समर्थन नहीं किया।

श्रीमन् यह एक गंभीर मामला है और भारत के प्रायः सभी समाचार पत्रों में इस बारे में समाचार छपे हैं। और इसके फलस्वरूप अमरीका के साथ हमारे संबंधों पर कुप्रभाव पड़ सकता है। श्री पोएज के शब्द बड़े ही अनादरपूर्ण हैं और मैं चाहता हूं कि कृषि मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य दें तथा भारत सरकार की प्रतिक्रिया स्पष्ट करें।

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : यह सही है कि समाचार पत्रों में इसके बारे में समाचार छपे हैं परन्तु मुझे अपने दूतावास से अधिकृत जानकारी अभी नहीं मिली है। मैंने उनको सही सही जानकारी देने को कहा है और उसके मिलते ही मैं सभा में एक वक्तव्य दूंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The Minister of Agriculture is complaining against America. He knows that American lobby is active in Agriculture Ministry. Why do you blame other countries when ever our people are doing all that ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैंने तो यही कहा है कि समाचार छपे है और मैंने दूतावास से सही जानकारी मांगी है जिसके मिलते ही मैं सभा को सूचित करूंगा।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : क्या पी० एल 480 करार में अमरीका की यह शर्त भी है कि वे हमें इस निधि के अन्तर्गत केवल तभी सहायता देंगे जब कि हम वियतनाम के बारे में उनकी नीति पर समर्थन करें। ऐसे समाचार छपे है। यदि यह बात सही हुई तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : तभी तो कहा है कि अधिकृत जानकारी आने तक प्रतीक्षा करें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का वक्तव्य आने तक कृपया प्रतीक्षा करें।

(दो) **गुजरात विधान सभा के कतिपय सदस्यों द्वारा त्यागपत्र।**

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये : जब मैंने उनको प्रस्ताव के लिए अनुमति दी थी तो वह उस दिन उपस्थित नहीं थे। मैंने इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी थी।

Shri Madhu Limaye (Banka) : It is true, Sir. Now Gujarat is under Centre's control and we can very well seek clarification in this House itself regarding the affairs in Gujarat. By now about 70 MLAs have tendered their resignations. The Rule 269 pertaining to the procedure in Gujarat Vidhan Sabha says :

> "A member who desires to resign his seat in the Assembly shall intimate in writing under his hand-addressed to the Speaker, his intention to resign his seat in the following form and shall not give any reason for his resignation."

Further it is said :

> "The Speaker shall, after he receives that intimation in accordance with sub-rule (1) satisfy himself that the document received by him is genuine and, as soon as may be after he is so satisfied, inform the Assembly that such and such a Member has resigned his seat in the Assembly :
>
> Provided that when the Assembly is not in session the Speaker shall inform the Assembly immediately after the Assembly re-assembles that such and such Member has resigned his seat in the Assembly during the inter-session period."

It is mentioned in the book on parliamentary practice by Shri Kaul & Shakdher :

> "Once a Member tenders an unqualified resignation, the Speaker has to take action on it. If a date is specified it takes effect from that date. If no date is mentioned it takes effect from the date of the letter. If the letter bears no date it becomes effective from the date of receipt."

The Speaker is therefore required only to ascertain the genuineness of the letters of resignation. But when the Members themselves come in the chamber of the Speaker and hand over their resignations then there remain nothing to be verified.

I, therefore want to know the present position in regard to those resignations. About half the Members have resigned and it is meaningless to hold by election for so many seats. Many boys have lost their lives. The Government should not make it a matter of prestige. Then, the Army also loses respects and regard when it is repeatedly deputed to kill our own country men. People would not come out keeping regard to the Army, but the things have been different in Ahmedabad. Do you want to bring dishonour to the Army also? Would you, Sir, take up this matter with the Prime Minister or the President of India? The Assemly should be dissolved forthwith and you may say that the elections could be held only when peace and order is restored. You would see that peace is restored once you dissolved the Assembly. France had also to face such a revoled in 1968 but no force was used there. No body was killed. Only one man was killed in a stamped or mutual quarrel. But here the Army, Police, CRP etc. are murdering the people.

So, I urge that as soon as you dissolve the Gujarat Assembly, you would find peace & order there and thereafter we all would be able to decide the future quite calmly. It is the sense of the House, Sir, that you should use your good offices in this regards.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): प्रायः रोज ही मेरे शहर में दो व्यक्ति मारे जा रहे हैं। फिर मैं कैसे इस सभा में पुनः बैठ सकता हूं। गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू है इसलिए अब हम यहीं पर अपनी बात कह सकते हैं। गुजरात को भारत के राष्ट्रपति के अधीन किया गया है अथवा कि कांग्रेस के अध्यक्ष के अधीन ?

अध्यक्ष महोदय: मैंने केवल श्री मधु लिमये को दो संवैधानिक मामला उठाने की अनुमति दी थी बाकी बातों पर बाद में चर्चा की जा सकती है अब नहीं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : You have said that since there would be discussion on the Budget, there cannot be an Adjournment Motion. We fail to understand that. Then yesterday too there was firing and people were killed. This too has not been discussed.

Mr. Speaker : It has already been discussed earlier. It goes on almost everyday. I had allowed only Shri Madhu Limaye.

श्री पी० जी० मावलंकर: क्या गुजरात के राज्यपाल विधान सभा के सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के बारे में राष्ट्रपति को सूचना भेजते रहे हैं ? निहत्थे विद्यार्थियों पर गोलियां चलाई जा रही है। अस्पताल के अहातों में भी आश्रु-गैस तथा लाठी का प्रयोग किया जा रहा है । पुलिस, सरकारी तंत्र और प्रशासनिक अधिकारी लोकतंत्र के नाम पर दमनकारी कार्यवाही कर रही हैं। जनता को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण रहने को कहा जाता है परन्तु सरकार की कार्यवाही लोकतंत्र विरोधी है। मुझे आशा है कि राष्ट्रपति बिना विलम्ब के विधान सभा का विघटन कर देंगे ताकि वहां सामान्य स्थिति हो जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : विधान सभा कोई कार्यवाही नही कर रही है, परन्तु फिर भी उसका विघटन नहीं किया जा रहा है। गुजरात में प्रतिदिन गोली चलती है। गृह मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जिस प्रकार गुजरात में नवयुवकों की हत्या की जा रही है, इसका उदाहरण गत 25 वर्षों में भी नहीं मिलता। आप इस विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना अथवा स्थगन प्रस्ताव या किसी अन्य प्रकार के प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या आप सरकार से कहेंगे कि वह एक या दो दिन में गुजरात में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की अनुमति का प्रस्ताव सभा में लायें ?

अध्यक्ष महोदय: यह उनसे पूछा जा सकता है।

श्री समर गुह : क्या आप सरकार को ऐसा करने के लिए निदेश देंगे ?

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : यह मामला केवल गोलीकांड तक सीमित नहीं है। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में लिखा है कि 3,50,000 सरकारी कर्मचारियों द्वारा आकस्मिक छुट्टी लिए जाने के कारण प्रशासन ठप्प हो गया है, इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। यह खेद की बात है। सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए (**व्यवधान**)

Shri Atal Bihari Vajpayee: Sir, my submission is that you should allow adjournment motion on firing incidences in Gujrat. I want to know as to why the Government should treat the issue of dissolution of legislative Assembly as a prestige issue ?

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा के लिए अवसर दिया जायेगा। मैं पता लगाऊंगा कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा सभा के अनुमोदनार्थ कब प्रस्तुत की जाने वाली है। यदि उसे शीघ्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि वह इस विषय पर सभा में एक स्पष्ट वक्तव्य दें।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बज कर तीस मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर पैंतीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at thirty five minutes past fourteen hours of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

इलाहाबाद में सत्याग्रहियों पर गोली चलाये जाने के बारे में

Re: Firing on Satyagrahis in Allahabad

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): मैं सभा का ध्यान एक बहुत ही गंभीर और दर्दनाक मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। जब समाजवादी दल के कुछ सदस्य लगभग एक हजार प्रदर्शनकारियों के साथ इलाहाबाद में एक रेल मार्ग पर रेलवे के किराये में वृद्धि के विरोध में सत्याग्रह कर रहे थे तो गोली चलाई जाने लगी और गोलीकांड के फलस्वरूप अनेक व्यक्ति मारे गये। यदि सत्याग्रहियों पर इस प्रकार गोली चलायी जाने लगी तो सत्याग्रह की पवित्रता समाप्त हो जायेगी। यह जबरदस्त लोकतंत्र विरोधी कार्यवाही है। गृह मंत्री को इस संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Banka) : It should not be treated an State affair because Railway Protection Force and Central Reserve Police are under the Central Government. Moreover, the satyagrah was being offered on account of rise in fares. He can direct the Government to make a statement.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो० मधु दंडवते को यह मामला उठाने की अनुमति दी थी। क्या आप इसको पूरे वादविवाद का मामला बनाना चाहते हैं ?

Shri Madhu Limaye : The Minister of Parliamentary Affairs is sitting silently. Thirteen people have been killed. If he does not give an assurance about making a statement, we have to walk out. I want an assurance that Railway Minister or Home Minister will make a statement at 4.00 p.m.

तत्पश्चात् श्री मधु लिमये सभा भवन से बाहर चले गये ।

Shri Madhu Limaye then left the House.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आरम्भ में ही कहा था कि मैंने प्रो० मधु दंडवते को अनुमति दी है उन्होंने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने भी आपकी बातें सुन ली हैं। परन्तु श्री मधु दंडवते के बाद तीन या चार सदस्य खड़े हो जायें और इसे पूरे वादविवाद का रूप देना चाहें, तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। संसदीय कार्य मंत्री यहीं बैठे हैं और मेरे विचार में सरकार को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए।

एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) विधेयक—जारी

ESSO (Acquisition of undertakings in India) Bill—Contd.

श्री राजा कुल कर्णी (बम्बई—उत्तर-पूर्व): इस विधेयक को निर्विरोध पास कर दिया जाना चाहिए क्योंकि विलम्ब करने से भारत में काम कर रही अन्य अन्तर्राष्ट्रीय तेल कपनियों को ही लाभ पहुंचेगा। हमें यह पता चला है कि एक षडयंत्र रचा जा रहा है ताकि यह विधेयक देर से पास हो या पास ही न हो। यह एक प्रगतिशील कार्यवाही है और सभी माननीय सदस्यों को इसका पूर्णरूपेण समर्थन करना चाहिए। समाचार-पत्रों में की गयी टिप्पणियों से पता चलता है कि बर्मा-शैल और काल्टेक्स ने इस कार्यवाही को पसन्द नहीं किया। इन तीनों तेल कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की मांग की गई थी। परन्तु सरकार ने इस संबंध में क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया है। बर्मा-शैल कंपनी का विचार यह है कि यदि यह विधेयक पास हो गया, तो पृथक बातचीत के द्वारा सौदेबाजी कर के अधिक धनराशि प्राप्ति करने की संभावना समाप्त हो जायेगी। वे चाहते हैं कि सरकार तीन कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से बातचीत करें ताकि वे सरकार पर दबाव डाल सकें और ऐस्सो को दी गयी धनराशि से अधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकें।

हमें पता चला है कि बर्मा-शैल और काल्टेक्स कंपनियों ने अपने तेल शोधक कारखानों में परिष्करण शुल्क में वृद्धि करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। सरकार ने नई मूल्य जांच समिति की घोषणा की है। हमने सरकार को बताया है कि इन कंपनियों ने एक ओर अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि कर दी है और चार-पांच वर्षों में प्रौद्योगिकी विकास के कारण तथा और कर्मचारियों की संख्या में 50–60 प्रतिशत की कमी करके तेलशोधक कारखानों में उत्पादन लागत काफी कम कर ली हैं। इस प्रकार उन्होंने तेल शोधन कार्य में भारी बचत कर ली है। परन्तु वे अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक प्रभार चाहते हैं। बर्मा आयल कंपनी सरकार की राष्ट्रीय नीति पर सहमत न हो कर सरकार द्वारा इसके 24

प्रतिशत शेयर खरीदे जाने में बाधाएं डालने का प्रयत्न कर रही है। आयल इण्डिया एक भारतीय कंपनी है परन्तु उसमें बर्मा आयल कंपनी के 50 प्रतिशत शेयर होने के कारण वे इस देश को लूट रहे हैं और उनके लाभ बढ़ते जा रहे हैं। आसाम से निकलने वाले अशोधित तेल का मूल्य निर्धारण करने के संबंध में भी 1961 का एक करार है। सरकार ने बर्मा आयल कंपनी को देशी अशोधित तेल के पहले सूत्र में संशोधन करने को कहा है परन्तु यह कंपनी ऐसा करने में बाधा डाल रही है, अतः मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सभा को विश्वास में लेकर ऐसी कार्यवाही करें जिससे अन्य तेल कंपनियों के उद्देश्य पूरे न होने पायें। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार बर्मा आयल कम्पनी के 50 प्रतिशत शेयरों को या कम से कम 25 प्रतिशत शेयरों को स्वयं क्यों नहीं ले लेती और इस संबंध में निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

मुझे पता चला है कि उपरोक्त कंपनी के अधिकारी 5000—7000 रुपये वेतन पा रहे हैं और दिल्ली में नगर भत्ते के रूप में हर महीने 3000 रुपये प्राप्त कर रहे हैं। अब उनको इस बात का खतरा है कि यदि यह विधेयक पास हो गया तो उनकी वर्तमान परिलब्धियां समाप्त हो जायेंगी। अतः मैं सभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक को सर्वसम्मति से और तत्परता से पारित कर दें। 'एक्सोन' इन्टरनेशनल आयल कंपनी 113 वर्ष पुरानी है। गत 25–30 वर्षों में इस कंपनी ने इस देश के विभिन्न भागों में काफी कठिनाइयां पैदा कर रखी हैं। परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण अब इस कंपनी ने स्वयं वापस जाने की पेशकश की है। इस कंपनी के कच्चे तेल के 65–70 प्रतिशत उत्पादों पर नियंत्रण ही नहीं बल्कि इस अन्तर्राष्ट्रीय कंपनी का विकासशील देशों की सरकारों पर दबाव भी है। अब गत $1\frac{1}{2}$ वर्षों में उनका स्वामित्व कुछ कम होता जा रहा है परन्तु उनके लाभ में कोई कमी नहीं हो रही है। ऐस्सो इनकार्पोरेटिड इन इण्डिया (जिसका अर्जन किया जा रहा है) के तुलन-पत्र से पता चलता है उन्होंने गत 30–40 वर्षों की अपेक्षा वर्ष 1971 और 1972 में अधिकतम लाभ कमाया है।

हमें ऐस्सो कंपनी के कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने वर्ष 1971-72 का चित्र इस ढंग से बनाया था कि उनको लाभ कम हो गये हैं और कर्मचारियों को 10 प्रतिशत बोनस लेने पर मजबूर कर दिया था परन्तु वास्तव में उनके लाभ में कोई कमी नहीं हुई थी और कर्मचारियों को 20 प्रतिशत बोनस दिया जाना चाहिए था। प्रेस समाचारों से पता चलता है कि कंपनी की आस्तियां और देयताओं को अपने हाथ में लेना क्रमबद्ध राष्ट्रीकरण की दिशा में पहला कदम है। परन्तु इस विधेयक के उपबन्धों में कुछ आस्तियां हैं। जहां तक इस कंपनी के कर्मचारियों का संबंध है, मैं चाहता हूं कि उन्हें पूर्ण संरक्षण दिया जाये। उनकी सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन न किया जाये, उनकी नौकरी को जारी समझा जाये और उनका भविष्य अच्छा बनाया जाये। मैंने इसी प्रयोजन से अपने संशोधन पेश किये हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उन्हें स्वीकार कर लेंगे।

Shri Phool Chand Verma (Ujjain): I agree in principle with the object of the Bill. But I would like to point out that the Government has taken long time in taking a decision. Therefore, the purpose for which this step was taken has not been served.

The Government has increased the prices of petrol and kerosene without taking this House in confidence. This is undesirable. I would like to know as to why all the shares of ESSO have not been purchased. It was published in the press on 20th January that total capital of ESSO is Rs. 25 crores. Had we purchased these shares in November ? we would have to paid Rs. 17 crores only. Now we have to pay Rs. 90—100 crores if we want to takeover this company. This decision was overdue.

It was stated that imports will be reduced but it is not so. Diesel oil is also disappearing from the markets of the country. The Government should pay special attention towards availability of diesel oil because it will affect the production of foodgrains in the country.

श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपुर) : मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। ऐस्सो की यह पेशकश स्वत: न होकर परिस्थितियों की विवशता का परिणाम है। फिर उन्होंने इस देश का काफी शोषण किया और अपने पूंजीनिवेश से कई सौ गुना लाभ अपने देश भेजा हैं। अत: हमें सभी विदेशी तेल कंपनियों का तुरन्त राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार केवल 74 प्रतिशत शेयर क्यों खरीद रही और शेष 26 प्रतिशत शेयर तुरन्त न खरीदे जाने के क्या कारण हैं? फिर सरकार इस कबाड़ के लिए 2.52 करोड़ रुपये का मुआवजा क्यों देना चाहती है? क्या सरकार ने इस कम्पनी के प्रतिष्ठानों का मूल्यांकन करने के लिए कोई समिति बनाई है। फिर इस राशि पर आयकर भी नहीं लगाया जायेगा। जो राशि हम इनको देना चाहते हैं, वह भारतीय तेल निगम को दी जानी चाहिए ताकि वह अपना विस्तार कर सके। फिर जब उन्होंने हमारे देश को नुकसान पहुंचाया है और भारी लाभ कमाया है फिर उन्हें मुआवजा देने की क्या आवश्यकता है? इस कंपनी के अधिकारी भारतीय अधिकारियों का अपमान करते थे। फिर सरकार इस बात पर क्यों सहमत हो रही है कि इस देश में उनके पंजीकृत एकस्व और ट्रेड मार्क यथावत बने रहेंगे उन्हें इस प्रकार की छूट दिये जाने के क्या कारण हैं? वस्तुत: हमें अर्जन की बजाय राष्ट्रीयकरण करना चाहिए था। सरकार को अमरीकी साम्राज्यवाद की जंजीरों को तोड़ देना चाहिए और इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए।

जहां तक इस कंपनी के 3000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का संबंध है, उन्हें किसी प्रकार की गारन्टी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ने एक धारा के अन्तर्गत उनकी परिलब्धियों में परिवर्तन करने का अधिकार अपने हाथ में लेने की ठीक व्यवस्था की है।

अब प्रश्न यह है कि जब 74 प्रतिशत शेयर सरकार के होंगे और 26 प्रतिशत उनके होंगे तो क्या निदेशक बोर्ड में हमारे मूल संकल्प पर वे विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकेंगे या नहीं? क्या करार में कोई ऐसा खण्ड होगा कि विशेषाधिकार के प्रयोग के लिए तीन चौथाई बहुमत होना आवश्यक है? अत: मैं पूछना चाहता हूं कि प्रबन्धक बोर्ड का ढांचा कैसा होगा और उनकी शक्तियां क्या होंगी?

***श्री जे० माला गौडर** (नीलगिरि) : यदि सरकार ने एस्सो की अस्तियों का अर्जन करने के बजाय इस विदशी तेल कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने वाला विधेयक प्रस्तुत किया होता तो मैं अपने दल की ओर से उसका हार्दिक समर्थन करता। इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गई है कि सात वर्ष के बाद इस कम्पनी का पूर्ण राष्ट्रीयकरण होगा। ऐसा करने के लिये सरकार का विचार इस कम्पनी को 2.5 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने का है। यह कहा गया है कि एस्सो कम्पनी के साथ गत दो वर्ष से बाचचीत चल रही थी। मैं पूछना चाहता हू कि इन विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये पहले कार्यवाही क्यों नहीं की गई? हमारे छोटे-छोटे पड़ोसी देशों ने इनका बहुत पहले राष्ट्रीयकरण कर दिया था। एक तो सरकार ने इतनी देर से कार्यवाही की है और फिर वह भी पूरी नहीं है। यदि अर्जन भी करना था तो सभी विदेशी तेल कम्पनियों की अस्तियों का एक साथ अर्जन कर लिया होता

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

और इस सम्बन्ध में एक ही विधेयक प्रस्तुत कर देते। यदि इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया होता तो इस अन्तर्राष्ट्रीय तेल संकट की स्थिति में इस प्रकार के वैधानिक प्रस्ताव की आवश्यकता न होती। इन कम्पनियों ने करोड़ों रुपयों का लाभ अपने-अपने देशों को भेजा है। गत चौदह वर्षों में इन कम्पनियों द्वारा 1040 करोड़ रुपये का लाभ विदेश भेजे जाने का समाचार है। जब उन्होंने देखा कि भविष्य में ऐसा नहीं कर पायेगी तो उन्होंने यह पेशकश कर दी और सरकार ने इस पेश की स्वीकार कर लिया। अब सरकार उन्हे 2.5 करोड़ रुपये का और मुआवजा देना चाहती है मानो उन्होंने पहले जो कुछ किया है वह पर्याप्त नहीं था। ये विदेशी तेल कम्पनियां अपनी अस्तियों को भी धीरे-धीरे अपने देश भेजती रही हैं और इन वर्षों में उनका मूल्य कई प्रतिशत कम हो गया है। इनकी अस्तियां बहुत पुरानी है और यदि वार्षिक मूल्यह्रास का हिसाब लगाया जाय, तो अब वे एक पाई की भी नहीं रहीं। फिर भी हमारी सरकार उन्हे विदेशी मुद्रा में 2.5 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव कर रही हैं। फिर यह राशि आय-कर मुक्त होगी। बर्मा शैल और काल्टेक्स कम्पनियां भी इन उपबन्धों का लाभ उठाने के लिये कच्चे तेल का शोधन करने के शुल्क में वृद्धि करने की मांग कर रही हैं ताकि वे ऐसी स्थिति में सरकार से अधिक मुआवजे की मांग कर सकें। यदि सरकार तीन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव रखती, तो इस प्रकार की आवांछित स्थिति पैदा न होती। अब भी सरकार को चाहिये कि वह कोई मुआवजा दिये बिना इन विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दे।

सत्तारूढ़ दल के सदस्यों सहित सभी सदस्यों ने, जिन्होंने इस विधेयक के सम्बन्ध में वाद-विवाद में भाग लिया है, यह मांग की है कि एस्सो को कोई मुआवजा न दिया जाय। मैं भी इस कम्पनी को विदेशी मुद्रा के रूप में 2.5 करोड़ रुपया देने का विरोध करता हूँ।

यद्यपि सिद्वांत रूप में इस विधेयक की, अर्थात् विदेशी तेल कम्पनी के क्रमशः राष्ट्रीयकरण की भावना का समर्थन करता हूँ, तथापि मैं उस ढंग का विरोध करता हूँ जिसके द्वारा हमें किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : मैं उस आधार के बार में नहीं कहूंगा जिसके बारे में मुझ से पहले मेरे सहयोगी कह चुके हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या निर्धारित मात्रा से मूल्यह्रास को घटा दिया गया है। विधेयक का उद्देश्य एक समग्र उद्योग के, जिसमें एक्सोम, मोबाइल शैल गल्प आयल टैक्सको, अरमाको आदि जैसी कई बड़ी-बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां भी सम्मिलित हैं, छोटे भाग पर नियंत्रण करना है।

तेल उद्योग के मुख्य तीन भाग विपणन, शोधन और तट से दूर एवं तट पर तेल-छिद्रण हैं। हम विपणन भाग में अधिकांश शेयर ले लेंगे। इसका अपना ही महत्व है। पेट्रोलियम उत्पादों के कई प्रकार हैं तथा इनके कई मूल्य हैं और जब तक हम बर्मा शैल काल्टेक्स और इस कम्पनी जैसी विपणन कम्पनियों का नियंत्रण धीरे-धीरे अपने हाथ में नहीं ले लेते, तब तक भारतीय तेल कम्पनी की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता।

एस्सो कम्पनी की शक्तियों के सम्बन्ध में; उसने अभी हाल ही में ब्रिटेन को तेल के मूल्यों 8 पैंसे की वृद्धि करने के लिये मजबूर कर दिया है और उसने तो यहां तक कहा है नार्थ सी तेल की खोज के लिये 55 प्रतिशत लाभ ही पर्याप्त है। अब वह जापान को इसके लिये ब्लैकमेल कर रही हैं। नार्वे एक छोटा सा देश है उस देश ने नार्थ सी की तटदूर छिद्रण का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया है। हमें भी उस उदाहरण पर अमल करना चाहिये।

बेशक यह विधेयक अच्छा है, चाहे इसे विलम्ब से ही लाया गया। मंत्री महोदय को चाहिये कि वह इस विधेयक को सावधानी से प्रयोग करें। हमें आशा तथा विश्वास है कि वह इस विधेयक का होशियारी और सावधानी से प्रयोग करेंगे।

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : मैं पूरी तरह इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं माननीय मंत्री महोदय को वर्तमान समझौते के लिये बधायी देता हूँ।

एस्सो कम्पनी अशोधित तेल का आयात 8.32 डालर प्रति बैरल की दर से करती है जबकि ईरान तथा अन्य देश भारत से 10.93 डालर प्रति बैरल की दर से लेते हैं। इसका मतलब यह है कि इस समझौते से प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी और 7 वर्षों में 210 करोड़ रुपये की बचत हो जायेगी।

दूसरी बात यह है कि पहले वर्ष से ही एस्सो कम्पनी 3 से 3½ करोड़ रुपये अर्जित करने लगेगी। जिसका 74 प्रतिशत भाग इस देश को मिलेगा। इस विधेयक के अन्तर्गत एस्सो कम्पनी सरकार के नियंत्रण में हो जायेगी।

तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह यह है कि तेल प्रौद्योगिकी विकासशील है और भारत सरकार की यही स्थिति रही है कि इस क्षेत्र में विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात करने के साथ-साथ हमें इन तीन विदेशी तेल कम्पनियों को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिये। शायद एस्सो कम्पनी ने मजबूर हो कर 74 प्रतिशत की पेशकश की और वे 7 वर्ष तक संयुक्त क्षेत्र को कम्पनी के रूप में कार्य करेंगे। इसका विभिन्न चरणों में राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है और इन 7 वर्षों में इस कम्पनी का पूरी तरह राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा। किन्तु ये 7 वर्ष बहुत ही नाजुक हैं। जो कुछ भी अनुसंधान तथा विकास अमरीका में होगा, उसका लाभ हमें भी होगा और हमें इस विकास की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।

एस्सो के कुछ कर्मचारियों के वेतन मान बहुत ही अधिक हैं। मेरे विचार में बहुत ही कम कर्मचारी तकनीकी योग्यता वाले हैं, उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के समान समझा जाना चाहिये। इन अधिकारियों ने मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों में तेलशोधक कारखानों का निर्माण किया है। अतः वे हमारे लिये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे।

मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय उत्तर देते समय कुछ बातों को स्पष्ट करें। सात वर्षों के लिये प्रबन्ध मंडल में प्रतिनिधित्व किस प्रकार होगा। इसमें एस्सो स्टाफ एसोसिएशन, श्रम एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वह कालटेक्स और बर्माशैल को अपने नियंत्रण में कब ले रहे हैं, ताकि सरकारी क्षेत्र प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में सराहनीय रूप से प्रगति कर सके ?

मेरे विचार में खण्ड 10, पंक्ति 30 में 'ब्यास' शब्द का जो उपयोग किया गया है। मेरा ख्याल है कि एस्सो में कोई न्यास नहीं है। न्यास अथवा 'निधि' का क्या अर्थ है ?

Shri Madhu Limaye (Banka): I want to say that the Hon'ble Minister has refused to take the House into confidence in this regard. Ultimately this Bill is part of a broad agreement. I would request that the House should be taken into confidence and supply the full details of the agreement etc. So that this Bill could be considered in proper way. It is also very necessary to remove the misunderstanding and doubts which have been expressed in regard to basic matters like the amount of compensation etc. that has been provided in the Bill.

I have come to know that the Government wants to issue an ordinance in regard to this on 6th Feb., 1974 after signing the agreement with the company. But the President d'd not agree to this and therefore this Bill has been brought.

I want that the Hon'ble Minister should inform the quantum of investment made by the company in this country and the amount of money which has been remitted to the foreign countries in the form of profits and dividends out of this country so far.

The Minister of Petroleum & Chemicals (Shri D.K. Borooah): You know fully about it.

Shri Madhu Limaye: I want that this House should be informed officially by you.

Shri D.K. Borooah: You want to test my knowledge.

Shri Madhu Limaye: This is not the thing. I only want that this House should be taken into confidence in regards to the investment made by the company and the profits sent out of the country. This is necessary in order to assess the propriety of the amount of compensation which has been provided for in this Bill. I however feel that the amount of the compensation is very high. These are certain provisions, which are being made in clauses 9 and 10 of the Bill, are creating doubts in the minds of the employees. These clauses should be awarded properly so that the doubts of the employees may be removed.

I have to say nothing more that when the present agreement is going to expire in 1979, I cannot understand the propriety of leaving 26 per cent of shares with the present share holders the Government should take note of this aspect also. I want that the Hon'ble Minister should clear all the points.

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैं मंत्री महोदय को एस्सो की विपणन सुविधाओं को ले लेने तथा चरणबद्ध ढंग से इस कम्पनी के 74 प्रतिशत शेयरों को लेने के हेतु पग उठाने के लिये बधाई देता हूँ। मंत्री महोदय को चाहिये कि वह हमें बतायें कि जब इस कम्पनी के साथ बातचीत शुरू हुई, तो न केवल विपणन के लिये ही अपितु तेलशोधन तथा ल्यूबे के भी शत प्रतिशत शेयर न लिये जाने के कारण क्या हैं? 74 प्रतिशत शेयर ही ले लेने में क्या विशेषता है? क्या यह कहना ठीक है कि यदि सरकार के पास तीन चौथाई शेयर हों, तो वह कम्पनी के नियमों में परिवर्तन कर सकती है। केवल 74 प्रतिशत शेयर लेकर सरकार ऐसा नहीं कर सकती। क्या इसी कारण से इस कम्पनी ने आप पर 74 प्रतिशत शेयर लेने पर ही बल दिया?

इस विधेयक के पास हो जाने पर हम पेटेन्टस् ट्रेड मार्कस तथा अन्य चीजों का उपयोग करने में समर्थ हो जायेंगे। देश के हित को देखते हुये 'राष्ट्रीयकरण' शब्द का उपयोग न करके इस विदेशी कम्पनी पर पूर्ण नियंत्रण किया जायेगा। उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में भी यही बात कही गयी है। किन्तु वास्तव में सरकार एस्सो के सब से अधिक अलाभप्रद भाग अर्थात् पैट्रोल पम्पों और भवनों आदि को ले रही है, किन्तु महत्वपूर्ण भाग की ओर ध्यान तक नहीं दिया।

इसके लिये हम सात वर्षों के बारे में कहते हैं। इसका कारण यह बताया जाता है कि कम्पनी के तेल उत्पादक अरब देशों के साथ किये गये दीर्घावधि समझौतों के कारण हमें अरब देशों से उचित दरों पर तेल मिल सकता है। परन्तु अरबों के साथ हमारे सीधे संबंधों के संदर्भ में हम शीघ्र ही उनके साथ लाभदायक समझौते करने में समर्थ होंगे।

मेरे विचार में हमें अपने आप को एस्सो जैसी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी के साथ असहाय महसूस नहीं करना चाहिये। यदि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमें साहस करके अरब देशों के साथ सीधे बातचीत करके उनके साथ समझौते कर लेने चाहियें। हम पहले ही ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं।

हम केवल उन कर्मचारियों को संरक्षण देते जा रहे हैं जिन्हें बड़ी परिलब्धियां तथा ऊँचे वेतन मिलते हैं। अब भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों को एस्सो के कर्मचारियों से कम वेतनमान प्राप्त होंगे। भविष्य में भारतीय तेल निगम के कर्मचारी भी वैसे वेतनमानों की मांग करेंगे, तो इस संबंध में महोदय का क्या रुख होगा। कोई ऐसी नीति तैयार करनी होगी।

इन संदेशों के होते हुए (व्यवधान), मुझे विश्वास है कि इन्हें दूर किया जायेगा। इस के साथ इस विधेयक के मूल उद्देश्य वास्तव में ही अच्छे हैं। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री देवकान्त बरुआ : जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह विधेयक एस्सो उपक्रम के केवल एक भाग को ही लिये जाने के लिये लाया गया है। इस विधेयक को इस लिये भी लाया गया है, क्योंकि संसद की स्वीकृति के बिना किसी कम्पनी या उसके किसी भाग को लिया नहीं जा सकता। जहां तक एस्सो के तेल शोधक कारखानें तथा लयूबे का संबंध है, ये दोनों कम्पनियां भारत में पंजीकृत हुई हैं। अतः वाणिज्यिक सौदे के रूप में इन को ले लेने तथा कम्पनी के अधिकांश शेयरों को खरीदने के लिये संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। यह देश के सामान्य कानून के अन्तर्गत किया जा सकता है। इसलिये यदि तेलशोधक कारखाने के 74 प्रतिशत शेयरों को खरीद कर एस्सो को तथा लयूबे को लेते तथा लयूबे की समस्याओं को सभा के सामने नहीं लिया गया तो इसका कारण यह नहीं है कि हम कोई बात इससे छुपाना चाहते हैं। ऐसा इसलिये किया गया, क्योंकि कानून के अनुसार ऐसा करना आवश्यक नहीं था।

यह बात भी उठायी गई है कि क्या सरकार का इरादा एस्सो को एक अध्यादेश के द्वारा ले लेने का था। किसी समय ऐसा सोचा गया था। परन्तु हमने सोचा कि संसद का सत्र होने वाला है, अतः, हमें एक विधेयक के रूप में संसद के समक्ष लाया जाये और इन उपक्रमों के अर्जन में निश्चय ही एक महीने का विलम्ब हुआ है।

मुझ से यह भी पूछा गया है कि सरकार ने एक पैसा भी दिये बिना इस सम्पूर्ण कम्पनी को अपने हाथ में क्यों नहीं लिया है। ईराक ने पूरा मुआवज़ा देकर राष्ट्रीयकरण किया था। राष्ट्रपति गद्दाफ़ी ने भी मुआवजा दे कर ही राष्ट्रीयकरण किया। मुआवज़ा दिये बिना राष्ट्रीयकरण करने संबंधी नीति को इस देश में स्वीकार नहीं किया गया है और सामान्य रूप से ऐसा सभ्य संसार में कहीं भी नहीं किया गया है। वर्तमान संविधान के अन्तर्गत इस देश में किसी भी सरकार के लिये किसी उपक्रम को ले लेना कठिन हो जायेगा। हमारा विचार 74 प्रतिशत शेयर ले लेने का है। किसी ने पूछा है कि हम शत प्रतिशत शेयर क्यों नहीं ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय बार-बार यह कह रहे हैं कि उन्हें इस संबंध में इस सभा में सामने आने की आवश्यकता नहीं है।

श्री देवकान्त बरुआ : यदि आप यह महसूस करते हैं कि इस का उत्तर देना आवश्यक नहीं है...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं ही नहीं समझ पा रहा हूं।

श्री देवकान्त बरुआ : यह बात बहुत ही सरल है। इसके दो पहलू हैं। एक तो यह है कि हम एस्सो विपणन, एस्सो तेल शोधक कारखाने तथा लयूबे तेल को ले लें। किन्तु लयूबे तेल का तथा एस्सो तेल शोधक कारखाने इस देश में ही काम कर रहे हैं। इस लिये मैंने कहा है कि इन बातों को सभा के सामने लाना आवश्यक नहीं है। इसको संसद के किसी अधिनियम के द्वारा लिया जा सकता है।

किन्तु कुछ सदस्यों ने अन्य बातें उठायी हैं, तो मैंने उनके कुछ संदेहों को स्पष्ट करना बेहतर समझा। यह एक पंजीकृत कम्पनी है और उन्होंने जो संस्थापन लगाये हैं उनमें से कुछ अभी भी चल रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : वे कितने पुराने हैं?

श्री देवकान्त बरुआ: कुछ 10 वर्ष पुराने हैं। यह कहना गलत है कि आई० ओ० सी० और एस्सो या अन्य कम्पनियों ने कुछ स्थानों पर अपने 'आउटलेट' लगाये हैं। जिन क्षेत्रों में विदेशी कम्पनियों की पहुंच नहीं हुई है वहां आई० ओ० सी० अपना विस्तार कर सकती थी। अतः इस समय अनेक स्थानों पर विदेशी कम्पनियों के 'आउटलेट' आई० ओ० सी० के 'आउटलेट' से अधिक ह।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने ये आंकड़े किस आधार पर बता दिये हैं?

श्री देवकान्त बरुआ : इस मामले की जांच करने के लिये भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की जिसमें मंत्रिमंडलीय सचिव, वित्त सचिव और पैट्रोलियम तथा रसायन सचिव इसके सदस्य थे। सचिव समिति ने इस मामले की बहुत सावधानी से जांच की है। अतः यह विलम्ब हुआ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: परन्तु हमें इसके आधार की जानकारी होनी चाहिये। क्या यह ह्रास मूल्य निकाल कर इन संस्थापनों का वही मूल्य है? क्या इसके बारे में संसद को नहीं बताया जायेगा? हमें इन संस्थापनों के अर्जन के लिये 3 करोड़ रुपये की राशि के लिये मत देना है। इसका विधेयक में उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री देवकान्त बरुआ : यह समूचे एक मुश्त समझौते का भाग है। उन्होंने समूचे मामले की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें 18 करोड़ रुपये अदा किये जायेंगे और विपणन भाग के लिये 2.59 करोड़ रुपये की राशि होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने सभा के समक्ष कोई विवरण नहीं रखा है। हमें केवल इतना बता दिया गया है कि एक मुश्त समझौता किया गया है? वह एक मुश्त समझौता क्या है? यह जाने बिना क्या हम इस विधेयक पर विचार कर सकते हैं?

श्री देवकान्त बरुआ : जैसा कि मैं कह चुका हूं कि सचिव समिति ने इसकी जांच की और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये ही आंकड़े होने चाहिये।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : क्या मंत्री महोदय का यह कहना है कि मूल्य बहुत अधिक है?

श्री देवकान्त बरुआ : सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य बहुत अधिक होगा।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): What was involved in the package-deal?

श्री देवकान्त बरुआ : तीन हजार 'आउटलेट पोइन्ट' संस्थापन और कार्यालय भवन तथा आवास भवन।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हमें थोड़ी सी जानाकरी दी जाये कि ये संस्थापन क्या हैं? उनमें से कितने संस्थापन विद्यमान हैं तो अच्छा होगा ताकि सदन जान सके कि क्या वे वास्तव में 3 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के योग्य है।

श्री देवकान्त बरुआ : ढाई करोड़।

मैं सभा के समक्ष पूरी वस्तु सूची नहीं रख सकता ।

मुझे इस बात का संतोष है कि जितने भुगतान का सूझाव दिया गया है वह उचित है । माननीय सदस्य इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं ।

जब मैं बम्बई गया था तो मैंने श्रमिकों को उनकी सेवा की सुरक्षा का आश्वासन दिया था और यह भी कहा था कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जो सुविधायें श्रमिकों को मिल रही हैं वे उन्हें मिलती रहें । जहां तक अधिकारियों का संबंध है, हम उन्हें तंग नहीं करेंगे परन्तु जहां तक उच्च स्तरीय अधिकारियों का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता ।

यह प्रश्न किया गया है कि हमने उनके ट्रेड मार्क और पैटर्नों को स्वीकार क्यों नहीं किया, इस देश में आई०ओ०सी ने अपने पैटर्न और ट्रेड मार्क बना रखे हैं । चूंकि एस्सो के नाम को परिवर्तित करके हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कम्पनी किया जा रहा है और हम एक वर्ष तक अन्तरिम उपाय के रूप में उनके उत्पादों से ही काम चलाते रहेंगे परन्तु हम अवश्य ही अपने पैटर्न, उत्पाद और लेबल बनायेंगे और संभवत: इस सबसे बड़ी तेल कम्पनी पर नियंत्रण करने की दृष्टि से यह कार्य अनुकूल रहेगा ।

इस बात का उल्लेख किया गया है कि हमने इस कम्पनी के 74 प्रतिशत शेयर ही क्यों लिये, इससे अधिक क्यों नहीं लिये । कम्पनी अधिनियम के अनुसार 26 प्रतिशत अल्पसंख्यक नियंत्रण से अल्प संख्यकों के कुछ अधिकार हो जाते हैं, उनकी सहमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता । परन्तु यह स्थिति केवल 7 वर्ष तक चलेगी क्योंकि सात वर्ष के पश्चात् हमारे द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया के द्वारा ये सब कम्पिनयां हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कम्पनी के माध्यम से भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अन्तर्गत आ जायेंगी ।

सात वर्ष तक वे हमें तेल देती रहेंगी सात वर्ष तक उनके मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से कम होंगे।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर): यदि हमारे देश में तेल निकल जाता है और हमारे मूल्य कम होते हैं या यदि हमें अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से कम मूल्य पर तेल मिल जाता है तो क्या कम्पनी को ठेके के अन्तर्गत मूल्य में कटौती करने के लिये विवश किया जायेगा ।

श्री देवकान्त बरुआ : यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें कोई संदेह नहीं है । सात वर्ष बाद कम्पनी पर सरकार का पूर्णतया स्वामित्व हो जायेगा और इस प्रकार की कोई समस्या नहीं रह जायेगी।

यदि देश में तेल संकट विद्यमान न होता तो मैं इस तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर देता । जहां तक अन्य कम्पनियों का सम्बन्ध हैं उनका भी राष्ट्रीयकरण किया जा सकता था आयल इंडिया के सम्बन्ध में बातचीत करनी शुरू कर दी गई है तथा यह निश्चित कर लिया गया है कि उसमें हमारे अधिकांश शेयर होंगे यद्यपि बर्मा आयल कम्पनी के पास 50 प्रतिशत शेयर हैं फिर भी इसका पूरा प्रबंध भारतीयों द्वारा किया जाता है ।

यह एक प्रगतिवादी विधेयक है मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे इसे पारित कर दें । मुझे खद है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को 'एस्सो' कम्पनी के सरकारीकरण के प्रश्न से मिला दिया है । इसलिये मैं पूरा स्पष्टीकरण नहीं दे पाया ।

मेरे विचार में प्रबन्धक बोर्ड में किसी राजनीतिक व्यक्ति को शामिल नहीं किया जायेगा । इसमें प्रधिकांशतः प्रशासकों तथा तकनीशियनों को शामिल किया जाएगा ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): सदन में यह मांग की गई है कि एक व्यापक और विस्तृत समझौता किया जाए । मंत्री महोदय हमें स्थिति से अवगत कराएं ।

श्री देवकान्त बरुआ : हालांकि यह विधेयक के अन्तर्गत नहीं आता, फिर भी हम समझौते की मोटी रूपरेखा बनाते समय उचित समय पर लोगों को विश्वास में लेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि एस्सो ईस्टर्न इन्कारपोरेटेड द्वारा भारत में जिन पैट्रोलियम उत्पादों का वितरण और विपणन किया जाता है उनका समन्वित वितरण और उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत में एस्सो ईस्टर्न इन्कारपोरेटेड के उपक्रमों के सम्बन्ध में उसके अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम विधेयक पर खंडवार विचार शुरू करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 to 7 were added to the Bill

खण्ड 8

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 7, 8 और 9 पेश करता हूं ।

Mr. Deputy Speaker: Sir, my amendment is small but basic one. It is not proper for the Government to give Rs. 2 crores 59 lakhs, which is a huge amount, as compensation to 'ESSO'. No amount should be paid to the company. It has already made huge profits.

[श्री नवल किशोर सिंह पीठासीन हुए]
[Shri Naval Kishore Sinha in the Chair]

Our country is poor and therefore, not in position to give such a huge amount as Compensation. I want that this amount should be reduced to 5 thousands only.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): कम्पनी को संस्थापनाओं तथा 'आऊटलैट्स' के लिए बाकी धनराशि देने का प्रस्ताव है । ये संस्थापना और 'आउटलैट्स' कम्पनी द्वारा नहीं बनाए गए थे । मैं यह जानना चाहता हूं कि कम्पनी को दी जाने वाली धनराशि पैट्रोल पम्प के मालिकों और 'आऊटलैट्स' को दी जाएगी अथवा नहीं ?

श्री देवकान्त बरुआ : 'आऊटलैट्स' कई प्रकार के हैं । परन्तु अधिकांश 'आउलैट्स' कम्पनी द्वारा बनाए गए हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कलकत्ता में अधिकांश 'आऊटलैट' ऐसे व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हैं जिन्होंने कम्पनी से ठेका लिया था ।

श्री देवकान्त बरुआ : जहां तक मुआवजे का प्रश्न है, इसकी राशि का निर्णय समिति के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया है और मेरा विश्वास है उन्होंने आवश्यकता से अधिक धनराशि देने का सुझाव नहीं दिया है ।

श्री वसन्त साठे : क्या आप गैर सरकारी पम्पों को भी अपने हाथ में लेंगे ?

श्री देवकान्त बरुआ : हम एजेन्सी का नियन्त्रण करेंगे। जहां तक व्यापार का संबंध है, वह जारी रहेगा, एजेन्ट और डीलर वहीं रहेगें बशर्ते कि वे सामाजिक न्याय की आवश्यकता के अनुरूप सही व्यवहार करें ।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 7 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।
The Lok Sabha Divided.

पक्ष में	13	विपक्ष में	90
Ayes	13	Noes	90

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The Motion was negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8 और 9 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 8 and 9 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई—उत्तर-पूर्व): मैं संशोधन संख्या 1, 2 तथा 3 प्रस्तुत करता हूं। विधेयक के खंड में स्थायी कर्मचारियों को सुविधाएं जारी रखने के बारे में व्यवस्था दी गई है । मेरे विचार में स्थायी, अस्थायी, नैमितिक अथवा ठेके पर काम कर रहे श्रमिकों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए अन्यथा वे उसी दिन काम बन्द कर देंगे जिस दिन सरकार इसको अपने हाथ में लेगी। मंत्री महोदय कृपया मेरा संशोधन स्वीकार करें ।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि विधेयक में कोई ऐसा परिवर्तन न किया जाए जिससे कर्मचारियों के अधिकारों पर आघात पहुंचता हो । मेरे संशोधन को स्वीकार करने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि अधिकारियों को क्रियान्वयन में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

मेरा तीसरा संशोधन न्यायाधिकरण में पड़े विचाराधीन मामलों के बारे में है । मुझे ज्ञात हुआ है कि न्यायाधिकरण के समक्ष कई मामले विचाराधीन पड़े हैं । विपणन तथा ट्यूब इंडिया के बारे में बातचीत चल रही है । परन्तु यह बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है । इससे 2900 मजदूरों के बीच भय छाया हुआ है । अतः सदन में आश्वासन दिया जाना चाहिए ।

श्री देवकान्त बरुआ : मेरे विचार में आश्वासन देना आवश्यक नहीं है क्योंकि विधेयक में पहले ही आश्वासन दिया जा चुका है और मैं भी सदन में पहले ही आश्वासन दे चुका हूं ।

श्री बसन्त साठे : यदि सदन में कह दिया जाए कि 'कर्मचारियों' का अर्थ स्थायी अस्थायी अथवा 'नैमितिक श्रमिक' है तो इस कथन का वांछित लाभ होगा ।

श्री देवकान्त बरुआ : 'वर्कर्स' में सभी कुछ आ जाता है । इस आश्वासन का अर्थ यह नहीं है कि सभी नैमितिक श्रमिकों को स्थायी कर्मचारी घोषित कर दिया जाएगा । 'वर्कर्स' का अर्थ उन सभी कर्मचारियों से है जो किसी भी पद पर एस्सो उपक्रम में काम कर रहा है।

श्री राजा कुलकर्णी : मैं अपने संशोधन 1, 2 तथा 3 वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिये गए ।

Amendments were, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the Bill.

खण्ड 10

श्री राजा कुलकर्णी : मैं संशोधन संख्या 4, 5 और 6 प्रस्तुत करता हूं । 'एस्सो' कम्पनी में पेंशन योजना लागू होती है जो सरकारी योजना से बेहतर है और यह योजना केवल क्लर्कों पर नहीं बल्कि श्रमिकों पर भी लागू होती है । इस समय 'एस्सो' कम्पनी में केवल भविष्य निधि विद्यमान है जबकि पेंशन और उपदान राशि कम्पनी के सामान्य रक्षितधन में होती है । इन राशियों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई और अपने संशोधन के माध्यम से इस राशि की सुरक्षा के बारे में आश्वासन चाहता हूं ।

श्री देवकान्त बरुआ : जहां तक कम्पनी की वचनबद्धता का प्रश्न है, यदि वचनबद्धता अनियमित नहीं है तो उसे अवश्य माना जाएगा और कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा ।

श्री राजा कुलकर्णी : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है । मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि सरकार द्वारा इसको नियन्त्रण में लिए जाने पर एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी और जिसमें प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा । मैं अपने संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री देवकान्त बरूआ : इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्तमान पद्धति में कोई परिवर्तन करने की सरकार को कोई इरादा नहीं है । फिर भी सरकार प्रबन्धक वर्ग को यह सलाह देगी कि वह इस तरफ ध्यान दे कि श्रमिकों के साथ कोई अन्याय न हो और श्रमिकों के विचारों पर ध्यान दिया जाए ।

श्री राजा कुलकर्णी : मैं सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 4, 5 और 6 वापिस लेना चाहता हूं ।

सभा की अनुमति से संशोधन वापिस लिए गए ।

The amendments, were, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 10 was added to the Bill.

खण्ड 11 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 11 to 13 were added to the Bill.

खण्ड 14

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 10 और 11 पेश करता हूं ।

Provision has been made for two years punishment or Rs. 10 thousand fine or both in case any one damages the ESSO property. I want that punishment should be ma de more stringent so that nobody could dare to damage the property.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10 और 11 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments No. 10 and 11 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : .

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने" .

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 14 was added to the Bill.

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 15 was added to the Bill

खण्ड 16

संशोधन किया गया

Amendment made

पृष्ट 7, पंक्ति 32, 'Government Company (सरकारी कम्पनी)' के बाद 'or any of its officers or other employees अथवा इसका कोई अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी' जोड़ दिया जाए ।

(श्री शाहनवाज़ खां)

12

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 16, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clauses 16, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 17 से 20 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 17 to 20 were added to the Bill.

प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

The First Schedule, The Second Schedule, Clause 1, the Enacting Formula, The Preamble and the Title were added to the Bill.

श्री देवकान्त बरुआ : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि विधेयक संशोधित रूप में , पारित किया जाए'

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उठे

एकमाननीय सदस्य : तृतीय वाचन

सभापति महोदय : अब आधे घंटे की चर्चा आरम्भ की जाए ।

***कनिष्ठ डाक्टरों में असन्तोष**

***Unrest among Junior Doctors**

***आधे घन्टे की चर्चा ।**

***Half an hour discussion.**

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I am raising this discussion in regard to unrest prevailing among Junior Doctors. As the Government are aware that 2,500 doctors of 9 centrally sponsered hospitals are on strike since January 1, 1974. Doctors of almost all the states have also resorted to strike in their support. One may easily realise the difficulties being faced by the patients. But it is a matter of sorrow that the Government are avoiding solution of this problem.

Doctor's life is fully dedicated to the service of public. But Government are not behaving them properly.

This, agitation has been continuing since 1964, when the doctors resorted to strike because of certain anomalies, Consequently Government appointed Karamakar Committee. The Committee was also of the view that their difficulties are genuine but nothing was done for the benefit of doctors. Doctors went on strike in 1967, 1969 and 1973. In 1973, an agreement was reached between the secretary of the Health Ministry and doctors. It was agreed that the House Surgons and Post-Graduates are registered with the Medical Council of India and should, therefore, be regarded as full fledged doctors. It was also added that they also render useful service in patient care in the hospitals and their designation and status should be in consonance with the role they are playing. It was agreed that the strength of House-surgeons and Post-Graduates, would depend upon the need of the individual teaching hospitals and also the availability of seats in the Post-Graduate Course.

It was also added that stipends/scholarships shall be paid to all the Interns, all House-Surgeons. and such of the Post-Graduates as are already in receipt of Government of India Scholarships at the following rates with effect from 1st March, 1973.

Interns	Rs. 225/-
House-Surgeons	Rs. 325/-
Post-Graduates	Rs. 350/-

But the Government did not honour the agreements and therefore the doctors have no option but to continue the strike The hon. Minister should state whether the doors of negotiations are still open and if so why the Government are not making any effort to remove the deadlock. An agreement should be reached between doctors and the Government.

We want that problem should be solved with all the seriousness otherwise serious consequences will follow.

Shri Jagannath Misra (Madhubani) : Mr. Chairman, Sir, Our Health Minister, Dr. Karan Singh is famous for his impartiality, activeness and liberal mindedness and he must be aware of the importance of doctors in human life. He deserves congratulations for extending his hand for an agreemen. But it is very unfortunate that an agreement could not be reached.

May I know whether it is a fact that qualifications of Demonstrators and House-men are the same and they get same facilities to get Post-Graduate degree ? If so, how far it is justified to give 500 rupees to House-men and 900 rupees to Demonstrators. If the Government take a plea that appointment of Demonstrator is made through Union Public Service Commission but appointment of House-men is made through Hospital Superintendent then whether Government will make such arrangement that appointment of House-man is also made through Union Public Service Commission.

I want specific and solid reply from the hon. Minister.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन्, सर्वप्रथम मैं युवा डाक्टरों को बधाई देता हूं जिन्होंने सरकार की सभी प्रकार की दमनात्मक कार्यवाही के बाद भी एकता बना रखी है । मैं डा० कर्ण सिंह से यह पूछना चाहता हूं कि डाक्टरों के साथ जो समझौता सचिव-स्तर पर किया गया था उसे लागू क्यो । नहीं किया गया । कनिष्ट डाक्टरों की मांग तो यही है कि उस करार को लागू किया जाये । क्या

ऐसी मांग करना अपराध है । जहां तक गैर-प्रैक्टिस भत्ते की बात है, मुझे बताया गया है कि राजनीतिक मामलों की समिति ने 150 या 160 रुपये की राशि इस भत्ते के रूप में देने का निर्णय कर लिया है । क्या डाक्टरों को यह भत्ता दिया जायेगा ? अन्त में, मेरा यह सुझाव है कि मंत्री महोदय को सभा की एक समिति नियुक्त करनी चाहिए और उन्हें अपनी नौकरशाही पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि मंत्री महोदय हमारे पर विश्वास करें, तो हम डाक्टरों की समस्या का समाधान भी कर सकते हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Chairman, Sir, an amount of Rs. 80,000 is being spent on the education of a doctor but he is so poorly paid that he gets only Rs. 225 to Rs. 350 per month whereas a junior doctor has to work about 100 hours in a week. On the other hand other doctors have to work only 28 hours in a week and government pays them Rs. 900 per month as emoluments. May I know the reason for such a big disparity ? I would also like to know the reasons for which the agreement reached with the doctors on 31st March, 1973, is not being implemented by government. I also want to know the main points of the report submitted by the committee recently constituted by the government in this connection and the difficulties government is facing in implementing the recommendations contained therein. In the end, I suggest that this dispute should be settled as soon as possible otherwise the situation will further worsen.

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिह) : मुझे दुख है कि श्री कछवाय ने वह वक्तव्य नहीं पढ़ा जो मैंने 19 तारीख को दिया था और उन्होंने यह विस्तृत प्रकाशन भी नहीं पढ़ा जो मैंने सभा पटल पर रखा था । इसमें हमने न केवल सरकार के प्रस्ताव रखे, बल्कि इसमें डाक्टरों के विचार, करतार सिंह समिति द्वारा दी गई सिफारिशें आदि भी सम्मिलित हैं । यह स्पष्ट है कि कनिष्ठ डाक्टरों की जो समस्या आज हमारे सामने है यह डाक्टरों की पिछले 10–15 वर्षों की शिकायतों का एकत्रित परिणाम है । निस्संदेह उन्हें पिछले कुछ वर्षों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । उनकी शिकायतों में कुछ औचित्य अवश्य है ।

इस समस्या के दो समाधान हो सकते हैं एक दीर्घाविधि समाधान और दूसरा अल्पाविधि समाधान । इस समस्या के दीर्घाविधि समाधान हेतु सरकार ने एक चिकित्सा शिक्षा आयोग की स्थापना करने का निर्णय किया है, जैसा कि मैं सभा को पहले ही बता चुका हूं । दीर्घाविधि से मेरा तात्पर्य एक या दो साल से है । इस समस्या का समाधान इस अवधि में चिकित्सा शिक्षा आयोग निकालेगा और वह संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करेगा । ब्रिटिशकालीन चिकित्सा शिक्षा पद्धति ही ऐसी है जिसमें डाक्टरों को स्नातकोत्तर डिग्री लेते समय या विशिष्टिकरण के समय कठिन समय का सामना करना पड़ता है । इसमें सुधार तभी संभव है जबकि विद्यमान चिकित्सा पद्धति का अध्ययन विस्तार पूर्वक राष्ट्रव्यापी आधार पर किया जाये । यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि गावों में डाक्टरों का अभाव है जबकि नगरों में वे बड़ी संख्या में हैं । इस दृष्टि से भी शिक्षा पद्धति को एक नया रूप दिया जाना चाहिए ।

जहां तक समस्या के तात्कालिक समाधान का सम्बन्ध है, हमने सभा पटल पर एक विवरण रख दिया है, जिसमें सम्पूर्ण स्थिति का ब्यौरा दिया हुआ है और स्वास्थ्य सचिव के 31 मार्च के पत्र को भी उद्धृत किया गया है । हमने पत्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमने सब बातों को पूरा कर दिया है जिनका उसमें उल्लेख किया गया है । हां, पत्र की व्याख्या में मतभेद अवश्य है । डाक्टर और कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि आश्वासन पूरे नहीं किये गये हैं । अपने विचार से हम सभी आश्वासन पूरे कर चुके हैं । श्री रामचन्द्रन के पत्र के पैराग्राफ 4 में उपयुक्त रनिंग ग्रेडिड वेतनमानों और भत्तों का उल्लेख है । अब हमने उन्हें जो दिया है, वह करतार

समिति द्वारा सुझायी गयी राशि से भी अधिक उन्हें दिया गया है । मैंने उनके लिए 500, 550 और 600 रुपये की राशि दी । यह निश्चित रूप से परिलब्धियों का ग्रेडिड स्केल है । मैंने उनके सामने यह पेशकश भी की थी कि इसे ग्रेडिड वेतनमानों, मंहगाई भत्तों और नगर प्रतिकर भत्ते में विभक्त किया जा सकता है । हां, गैर-प्रैक्टिस भत्ता (नान-प्रैक्टिसिंग अलाउन्स) का उल्लेख उस समझौते में नहीं था । समझौते की क्रियान्वित में मैं बिल्कुल भी आड़े नहीं आना चाहता । उन्हें उससे भी अधिक देने में मुझे प्रसन्नता होगी । किन्तु जहां तक समझौते का सम्बन्ध है, उसकी सभी शर्तें हम पूरी कर चुके हैं यह दुर्भाग्य की बात है कि डाक्टर इससे सहमत नहीं है ।

यदि समझौते को एक ओर रख दिया जाये तो भी स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मेरा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि इन युवा डाक्टरों को अधिक मिले । मैं उन्हें अधिक देना चाहता हूं और मैंने उन्हें गत 10 वर्षों में सबसे अधिक दिया है, चाहे वे इस से संतुष्ट न हों । करतार सिंह समिति ने, जिसमें तीन डाक्टर और तीन अन्य व्यक्ति थे, सही या गलत यह सिफारिश की थी कि डाक्टरों को 450, 500 और 550 रुपये दिये जायें । जैसा कि कुछ व्यक्ति कह रहे हैं कि मैंने इस राशि में पचास-पचास रुपये की वृद्धि करके गलती की । अब मैं भी यह महसूस करता हूं । पहले उन्हें वही दिया जाना चाहिए था जो समिति ने सिफारिश की थी और बाद में उनके 'शोर' के बाद उसमें 50 रुपये की वृद्धि की जानी चाहिए थी ।

डाक्टरों की हड़ताल से स्थिति बिगड़ती जा रही है और निर्धन लोग इससे अधिक प्रभावित हैं । कुछ हड़ताली गरीब डाक्टरों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है । मैंने और अन्य व्यक्तियों ने डाक्टरों से काम पर आ जाने की अपील की है । मैंने उनसे कहा है कि आप हड़ताल समाप्त करके अपने काम पर लौट जाओ और मैं आपको अधिक से अधिक देने का प्रयास करूंगा । मैं स्वयं यह चाहता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति शीघ्र से शीघ्र समाप्त हो जाये । किन्तु उनकी हड़ताल जारी रखने की जिद से मेरे लिए उनकी और अधिक मदद करना भी कठिन हो गया है । जहां तक गैर-प्रैक्टिस भत्ते का सम्बन्ध है, मैंने उनसे कहा था कि आप पहले अस्पतालों में जाकर अपना काम शुरू कीजिए और फिर मैं मंत्रिमंडल के सामने उनकी यह मांग रखूंगा । किन्तु हड़ताल के दौरान ऐसा करना मेरे लिए मुश्किल है । हां, यह मैं मानता हूं कि उनकी शिकायतों में कुछ औचित्य है और मैं उनका समर्थन भी करता हूं । साथ ही मैं डाक्टरों के पेशे को एक महान और प्रतिष्ठापूर्ण मानता हूं । किन्तु उनकी हड़ताल के दौरान उनकी कुछ भी सहायता करना मेरे लिए कठिन है । मैं, माननीय सदस्य और अन्य सभी व्यक्ति यह चाहते हैं यह विवाद शीघ्र हल हो जाये और स्थिति सुधर जाये । यदि ये डाक्टर रोगियों के दुखों से खिलवाड़ करके सरकार पर दबाव डालना चाहते हैं, तो उनकी धारणा गलत है और इससे उनके प्रति सरकार का रुख उदार नहीं होगा । मुझे यह भी कहा जा रहा है कि विद्यमान पद्धति को समाप्त कर दिया जाये और संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से डाक्टरों की भर्ती की जाये । यदि ऐसा कर लिया गया तो वह जूनियर डाक्टरों के हित में न होगा । मैं नहीं चाहता कि उनका किसी प्रकार से अहित हो । अतः मैं उनसे पुनः अपील करता हूं कि वे अपने काम पर लौट आयें, क्योंकि उनकी हड़ताल से जनता को बहुत अधिक कष्ट हो रहा है । मेरे विचार से उनके द्वारा हड़ताल जारी रखे जाने में अब कोई औचित्य नहीं है ।

जहां तक हड़ताली डाक्टरों को दंडित न करने का सम्बन्ध है, यह भी मेरे लिए उतना ही कठिन होता जायेगा हड़ताल जितनी लम्बी होती जायेगी । यह किसी राजनीतिक दल विशेष का प्रश्न नहीं है

या केवल दिल्ली के डाक्टरों का प्रश्न नहीं है यह पूरे भारत में चिकित्सा व्यवसाय का प्रश्न है । इस पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है । अन्त में, इन लोगों से पुनः यह अनुरोध करता हूं कि वे अपने काम पर लौट जायें और मुझ पर विश्वास करें । मैं उनकी शेष समस्याओं को हल करने के लिए यथासंभव प्रयास करूंगा अब मैं इतना ही कह सकता हूं ।

संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत मणीपुर राज्य के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा

सभा पटल पर रखा गया पत्र

Paper laid on the Table

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): श्रीमान् मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 4 मार्च, 1974 को जारी की गई उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जिसके द्वारा मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में 28 मार्च, 1973 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया गया है । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी. 6309/74]**

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 5 मार्च, 1974/14 फाल्गुन 1895 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, March 5, 1974/ Phalguna 14, 1895 (Saka).

MGIPRRND—6LSS/74—Sec.III-N--26 5·74--49)

©

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-1100027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1974